राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] तेरहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

शुक्रवार,

22 फरवरी, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-1, श्री राजेन्द्र राठौड़।

प्रदेश में शस्त्र अनुज्ञा पत्रों के नवीनीकरण के लम्बित प्रकरण

1. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में विगत 4 वर्षों में कुल कितने अवैध व प्रतिबंधित हथियार जब्त किये जाने के प्रकरण दर्ज हुए तथा कितने प्रकरणों में चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2011-12 में कुल कितने हथियारों के लाइसेंस पुलिस या भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो की जांच के आधार पर रद्द किये गये? रद्द किये गये लाइसेंसों के कितने हथियार जनवरी, 2013 तक पुलिस ने जब्त किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में कुल कितने वैध हथियार लाइसेंसों के प्रकरण नवीनीकरण हेतु विभिन्न जिला कलक्टर्स के न्यायालयों में लम्बित हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, गृह (श्री वीरेन्द्र बेनीवाल): (1) राज्य में वर्ष 2009, 2010, 2011 एवं 2012 में अवैध व प्रतिबंधित हथियार जब्त करने के कुल 12852 प्रकरण दर्ज हुए हैं। इनमें से 12713 प्रकरणों में चालान पेश किये गये हैं? जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है।

(2) वर्ष 2011 में पुलिस विभाग की जांच के आधार पर 270 लाइसेंस रद्द किये गये हैं। इन प्रकरणों में 256 हथियार जब्त किये गये हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(3) प्रदेश में विभिन्न जिला कलक्टरों/पुलिस आयुक्तों के कार्यालयों में हथियार लाइसेंसों के कुल 3357 प्रकरण नवीनीकरण हेतु शेष हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, खण्ड 1 में आपने कहा है कि वर्ष 2009 से 2012 तक अवैध व प्रतिबंधित हथियार जब्त हुए 12852, प्रकरण आपने दर्ज किए हैं 12713, यानी जब्त हथियारों से 139 प्रकरण कम दर्ज हुए, ये जो 139 हथियार हैं, वो किसी व्यक्ति से मिले होंगे, जब्त हुए? किसी स्थान पर जब्त हुए होंगे, इन पर आपने मुकदमा कायम क्यों नहीं किया, नम्बर एक? नम्बर दो, जो हथियार जब्त हुए, इसी समय अवधि में उन हथियारों से कितनी वारदातें हुईं, कितनी हत्याएं हुईं, कितनी डकैतियां हुईं, इसके बारे में भी आप बताएं?

अध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 में इन्होंने कहा है कि वर्ष 2011-12 में पुलिस विभाग की जांच के आधार पर 270 लाइसेंस रद्द हुए, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि ये लाइसेंस जो दिए गए थे, ये आयुध अधिनियम 1959, आयुध अधिनियम 1962 या सरकार द्वारा जारी निर्धारित प्रक्रिया को बिना पूर्ण किये दिये गये थे? ये लाइसेंस दिए गए और उसके बाद रद्द किए गए तो क्या लाइसेंस जारी करने वाला प्राधिकृत अधिकारी इसमें दोषी नहीं है? अगर दोषी है तो आपने इसमें क्या-क्या कार्यवाही की?

तीसरे खण्ड में आपने बताया कि 3357 लाइसेंस नवीनीकरण के लिए पैंडिंग हैं, इतनी बड़ी संख्या में लाइसेंस पैंडिंग हैं तो क्या पैंडेंसी के दौरान नियमानुसार वह वैपन जिस किसी के भी पास है, अनधिकृत नहीं हो गया? लाइसेंस के नवीनीकरण की क्या कोई समय सीमा आपने निर्धारित कर रखी है, इसके बारे में आप बताएं? सर्वाधिक लाइसेंस 803 नागौर और भरतपुर में 286 लम्बित हैं, क्या कारण हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए लम्बित हैं।

मंत्री महोदय, क्या यह भी सही है कि सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सैकड़ों हथियारों को नियम विरुद्ध लाइसेंस गलत व्यक्तियों को जारी करने के लिए कोई एसीबी की जांच चल रही है जिसकी निगरानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है? यदि यह सही है तो सर्वोच्च न्यायालय की उस जांच को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कब तक पूरा कर लेंगे? उसमें प्राथमिक स्तर पर कितने लोग दोषी पाये गये हैं? कितने मामलों में जांच लम्बित है?

मेरा आखिरी सवाल है कि राज्य में इस समय कुल कितने वैध लाइसेंसधारी हैं। कृपया उत्तर दें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूरक प्रश्न के माध्यम से जानकारी चाही है, जो लाइसेंस जारी किये गये उसके अन्तर्गत हथियार जब्त के सम्बन्ध में पहला प्रश्न फरमाया कि अन्तर क्यों है। अन्तर के लिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि लगभग 86 प्रकरणों में एफआर पेश कर दी गई है। शेष प्रकरण जेर-तफतीश हैं।

आपका जो दूसरा प्रश्न था, वह आपने भाग संख्या 2 के सम्बन्ध में फरमाया कि 270 लाइसेंस रद्द किये गये हैं। इसके सम्बन्ध में जांच के विषय में भी आपने अपनी ओर से प्रश्न उठाया। यह सही है कि विगत शासन में वर्ष 2007 के आसपास इस प्रकार के कुछ प्रकरण जानकारी में आये थे जिनके सम्बन्ध में जांच प्रारम्भ की गई थी और जांच वर्तमान में भी एसीबी के द्वारा की जा रही है। जांच विचाराधीन है, मैं यही कह सकता हूं। आपने अगला प्रश्न फरमाया कि लाइसेंस नवीनीकरण के प्रकरण लम्बित हैं, नवीनीकरण के मामलों को लम्बित किये जाने का एक मुख्य कारण यह रहता है कि जो आवेदक है, वह राज्य में अन्य जिलों का निवासी या अन्य राज्य का निवासी होता है, वह पूरी सूचना समय पर नहीं दे पाता, इस कारण इस प्रकार के प्रकरण लम्बित रहते हैं। ऐसे मामलों में तत्परता से कार्यवाही की जाए, इसके लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं और सरकार ने इसको गारन्टी एक्ट प्रोग्राम में भी लिया है लेकिन सूचना पूर्ण नहीं होने के कारण ऐसे विषय लम्बित रहते हैं, यह मेरा निवेदन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फरमाया कि 2007 से एसीबी में जांच विचाराधीन है। सरकार किसी की भी रही होगी लेकिन, मंत्री महोदय आपको इस शासन में विराजे हुए सवा चार साल हो गए, यह जांच सुप्रीम कोर्ट की मानिटरिंग में चल रही है, उस जांच में आपने अब तक किन-किन को दोषी पाया? किन-किनके विरुद्ध कार्यवाही की? खण्ड 1 में आप कह रहे हैं कि 86 अवैध हथियार जो जब्त हुए उसमें एफआर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दे दी। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि जो जब्ती हुई वह बिलकुल गलत हुई थी। गलत जब्ती करके बाद में एफआर दे देना, अध्यक्ष महोदय, यह अवैध हथियारों से सम्बन्धित संवेदनशील मामला है। इन 86 मामलों के अन्दर जो एफआर दी गई, इसका मतलब जब्त करने वाले अधिकारी ने गलती की थी? उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, सच तो यह है कि जनवरी, 2013 में एसओजी ने एक हथियार तस्कर को पकड़ा, उसने कहा कि इस राज के चलते 50 करोड़ रुपये के हथियार हर साल राजस्थान की सीमा में पाकिस्तान से आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है! मेरा सवाल यह है कि जांच कब तक पूरी कर ली जाएगी? 86 एफआर जो आपने दी हैं, इस मामले में गलत जब्ती जिसने की, उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? और नवीनीकरण के मामलों में क्या कोई समय सीमा निर्धारित करने की आपकी मंशा है, यदि हां, तो आप बताएं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने एफआर का प्रश्न उठाया है, यह तो जांच के उपरान्त ही दिया गया निर्णय है। इसके बारे में यहां पर कोई बात किये जाने का कोई कारण नहीं है। आप एक तस्कर की बात उठाकर आरोप जो लगा रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार के कोई तथ्य अगर आप पेश करते हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही की जाएगी।

तीसरा विषय अभी आपने अपनी ओर से उठाया कि नवीनीकरण के सम्बन्ध में कोई समय सीमा निधारित करें। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसके लिए समय सीमा निर्धारित है लेकिन नवीनीकरण के लिए जो आवेदक है उसके द्वारा पूरी जानकारी नहीं दिये जाने के कारण ही लम्बित है, बाकी समयबद्ध कार्यक्रम तय है। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 2007 की जांच के लिए मैंने पूछा न कि अब तक जांच में कितने लोग दोषी पाये गये?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): अध्यक्ष महोदय, यह अभी विचाराधीन है इसलिए इस विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): मंत्री महोदय, यह बात सही है कि राज्य सरकार प्रत्येक परिवार को पूरी सुरक्षा नहीं दे सकती। वह अपने निजी

(श्री देवीसिंह भाटी)

परिवार और गांव के लिए सुरक्षा देता है हथियार के नाते जो लाइसेंसशुदा होता है। क्या यह सही है कि पूरे भारत में 98.7 परसेंट जो क्राइम होता है वह अवैध हथियारों से होता है? तो आप क्यों नहीं लाइसेंस जारी करते हो सुरक्षा के लिए? नवीनीकरण में तो आप इतना शोषण करते हैं, इतने चक्कर लगवाते हैं, ये पूर्व के वर्षों में होते रहे हैं। पर ऐसे क्या कारण हैं जिसको आप साल-साल, दो-दो साल तक लटकाये रखते हो, इसका कारण बताएं?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के माध्यम से और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि लाइसेंस को जारी किये जाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के साथ पात्र व्यक्ति को लाइसेंस दिये जाते हैं। विभाग द्वारा इसमें बिलकुल भी विलम्ब नहीं किया जाता है लेकिन पात्रता को पूर्ण नहीं किये जाने के क्रम में लम्बित रह जाए तो वह अलग विषय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर। (व्यवधान) श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): मैंने सिर्फ यह प्रश्न पूछा है... (व्यवधान)...

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): नवीनीकरण नहीं हो रहा है... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी बताया ...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटैक्शन चाहता हूं। मैंने स्पेसिफिक पूछा है, क्या यह सही है कि पूरे देश में 98.7 प्रतिशत क्राइम होता है वह अवैध हथियारों से होता है? फिर क्यों नहीं आप लाइसेंस जारी करते? क्यों नहीं आप समय पर उसका नवीनीकरण करते?

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): लाइसेंस जारी करने का मैंने निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर। (व्यवधान) मैंने केवल श्री राधेश्याम गंगानगर को अलाउ किया है एक पूरक प्रश्न के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी हाउस में यह बात कही है कि कोई भी नया लाइसेंस बाकी नहीं है, आप तो यह बता दें कि गंगानगर में कोई जारी भी हुआ है, नम्बर एक?

नम्बर दो, पिछले इसी हाउस में आपके द्वारा मेरे प्रश्न का जवाब दिया गया था, 7 हजार के करीब रिन्यू होने वाले लाइसेंस पड़े थे और आपने कह दिया कोई भी लाइसेंस बाकी नहीं है। आज भी हजारों की तादाद में रिन्यू होने वाले, जो आलरैडी लाइसेंस बने हुए हैं, रोज हजारों की तादाद में लोग चक्कर काट रहे हैं और नये की बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं तीन हजार पैंडिंग हैं सारे राजस्थान में और मैं कह रहा हूं 6 हजार पैंडिंग हैं केवल गंगानगर में। दरअसल आपको अधिकारी जो जवाब दे रहे हैं आप वैसा का वैसा पढ़ देते हैं, आप इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं करते कि वास्तव में जवाब क्या है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय यह बताएं कि गंगानगर में पिछले चार सालों में लोगों ने जो एप्लीकेशन दीं, कितनी एप्लीकेशन निस्तारण का किया, कितने नये लाइसेंस इश्यू किये?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अवैध हथियार जिनसे लोग रोज मर्डर करते हैं, डाके डालते हैं, बदमाशी करते हैं, उनके बारे में आपने कितने केस दर्ज किये, इसका जवाब दीजिए?

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, हमको भी एक अवसर दें।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में या तो अवैध हैं या प्रतिबंधित हथियार हैं ...(व्यवधान) न तो उनका नवीनीकरण किया जा रहा है न ही उनको लौटाया जा रहा है। इसका क्या कारण है, सरकार इसका जवाब दे?

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): इनके पास जवाब नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिये, जवाब सुनिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक श्रीगंगानगर से आने वाले माननीय विधायक का सवाल है, आपने बताया कि गंगानगर में कितने नवीनीकरण के प्रकरण पैंडिंग हैं, कुल-मिलाकर 174 प्रकरण पैंडिंग हैं।

श्री अध्यक्ष: आप 6 हजार बता रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 174, आप 6 हजार बता रहे हो। आप मेरे पास भेज देना, मैं जांच करवा लूंगा कि कितने हैं, कितने नहीं हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): पिछली बार भेजे हैं न मंत्रीजी को। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब आप मेरा जवाब सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में इन्होंने 2500 कहा है, अकेले अनूपगढ़ विधान सभा में 2500 ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस सदन में विधान सभा के प्रश्न के उत्तर में अकेले अनूपगढ़ विधान सभा में 2500 नवीनीकरण के बाकी पड़े हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी लिस्ट दी है ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): यह तो, अध्यक्ष महोदय, लिखित में आया हुआ है। विधान सभा के प्रश्न का उत्तर है, हम सदन के पटल पर रख देंगे अगर मंत्रीजी यह बात कह रहे हैं तो ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): हाउस में सबको बोला जा रहा है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इतने लोग मर रहे हैं, हमें नये लाइसेंस दो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह जो आप नवीनीकरण का उत्तर दे रहे हैं, मैं आपको फिर आग्रह कर रहा हूं कि नवीनीकरण के जो प्रकरण हैं, इसका मतलब पहले लाइसेंसी थे, पिताजी की डैथ के कारण से या परिवार के किसी डैथ के कारण से उनका नवीनीकरण उनकी सन्तान को होना था, ये प्रकरण जो हैं, जो आप गिनती बता रहे हैं यह सही

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं है। आप एक बार फिर वैरिफाई कर लीजिए। कारण यह है कि हरेक जिले में सामान्यत: किसी तहसील हैडक्वार्टर पर भी जाते हैं तो वहां यह शिकायत बार-बार आती है कि हमारे यहां तीन साल से हथियार पड़ा है लेकिन हमें अभी तक उसका नवीनीकरण नहीं हुआ। निश्चित रूप से आप जो आंकड़े दे रहे हो, मेरी जानकारी के हिसाब से ये आंकड़े अधिक हैं।

श्री अध्यक्ष: इसके बाद क्या बचा है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): तहसील हैडक्वार्टर जहां-जहां से आपके नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र पड़े हैं, विशेषकर ट्राइबल एरिया में, इतने लोगों के हथियार आज भी जमा हैं लेकिन उनकी औलाद को या उनके परिवार के लोगों को लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे हैं। शायद वह संख्या इसमें नहीं होने के कारण आपके फिगर तीन हजार ही आ रहे हैं। वास्तव में ये अधिक हैं नवीनीकरण के, जो आलरैडी कभी लाइसेंसी थे लेकिन उनकी औलाद को या उनके परिवार को वह लाइसेंस ट्रांसफर नहीं होने के कारण से हथियार नहीं मिले।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दीजिए।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, एक अवसर दें। अलवर जिले में ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पिता की मृत्यु के बाद ...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): एक मिनट, एक मिनट, आप इसका भी जवाब दे देना, रिन्यूअल की बात है ...(व्यवधान) एक मिनट, इसका भी जवाब दे देना।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आ जाने दीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका जवाब भी दे दूंगा ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले के सबसे ज्यादा प्रकरण लम्बित हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मुझे आवाज दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिए। जवाब आ रहा है, जवाब आने दीजिए। कृपया विराज जाएं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मेरे 6 सप्लीमेंट्री हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराज जाएं, जवाब आने दीजिए। मंत्रीजी।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अलवर जिले के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरे छबड़ा विधान सभा के अन्दर गुंडों के लाइसेंस बन गये थे, उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनका नवीनीकरण कैसे होगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये आप।

श्री करणसिंह (छबड़ा): कैसे नवीनीकरण होगा? गुंडों के लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करेंगे? असामाजिक तत्वों का, तस्करों का, इनका लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होगा।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ बास): अलवर जिले में सारे सरपंच, प्रधान, एम.एल.ए. गुंडे हैं क्या? मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य को अलाउ नहीं किया है, मंत्रीजी सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं, कृपया बैठ जाएं। और कोई माननीय सदस्य बोलेंगे तो अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, जवाब आ जाने दीजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। जवाब आ जाने दीजिए।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, आप जवाब आ जाने दीजिए।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा प्रतिपक्ष के नेता ने सवाल उठाया है कि पिता की मृत्यु के बाद बेटे को लाइसेंस मिलना चाहिए, कई बार, ऐसे सैकड़ों केसेज मिल जाएंगे ...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप इनको चुप करो।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, जवाब आ जाने दीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सैकड़ों की तादाद में इस प्रकार के प्रकरण मौजूद हैं, लम्बित हैं जहां पर कि पिता की मृत्यु हो गयी, चार बेटे हैं, चार में से एक क्लेम भी करता है, दूसरा कहता है मेरे नाम बनाओ, तीसरा कहता है मेरे नाम बनाओ, चौथा कहता है मेरे नाम बनाओ ...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री सुखराम (बसेड़ी): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बता रहा हूं। नाम बता रहा हूं अभी बताता हूं। बताता हूं आपको। (व्यवधान) नवीनीकरण के ऐसे केसेज में जो आसाम बैठा है, नवीनीकरण यहां करवाना चाहता है ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इन्फोर्मेशन मंगाते हैं ...(व्यवधान) एस.पी. से और वहां के होम डिपार्टमेंट से मंगवाने में बहुत समय लगता है। तीसरी बात यह है, मान लीजिए, राजस्थान के किसी दूसरे जिले में रहता है तो वहां से एस.पी. से इन्फोर्मेशन मंगानी होती है, बहुत समय लगता है। एन.ओ.सी. में भी टाइम लगता है ...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तीसरी बात यह है कि जहां-जहां भी स्थान परिवर्तन किया गया है, वह मान लीजिए सिरोही का है, सिरोही से बदल कर जालौर चला गया, जालौर से निवास स्थान बदल कर उसने जोधपुर कर दिया तो सब जिलों के एस.पी. से वह इन्फोर्मेशन मंगवायी जाती है, इसकी वजह से वह होता है। आखिर में आपको बताऊं, अगर नवीनीकरण की ड्यू डेट है अगर वो ड्यू डेट और आवेदन के बीच में उसने निवास बदल लिया तो वहां से भी इन्फोर्मेशन मंगवायी जाती है। इस प्रकार से ये तीन हजार से ऊपर प्रकरण हैं।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें। अगला प्रश्न, श्री मोहनलाल गुप्ता। अगला प्रश्न, श्री मोहनलाल गुप्ता।

प्रश्न संख्या-2

श्री घनश्याम तिवाड़ी

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला। (व्यवधान) कृपया विराजें, अंकित नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, 19 मिनट एक प्रश्न पर लगा दिये हैं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। श्री ओम बिरला।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): ×××

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस हाउस में असत्य वाचन नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें। अगले प्रश्न का जवाब आ रहा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): गंगानगर वाले राधेश्यामजी ने कहा कि छह हजार ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी का जवाब आ रहा है। किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा, शिक्षा मंत्रीजी का जवाब आ रहा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप वह लिस्ट दें हमें कि छह हजार प्रकरण गंगानगर में लम्बित हैं। (व्यवधान) असत्य वाचन नहीं होगा। (व्यवधान) मर्जी आए जैसे बोलेंगे?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं हो रहा है, केवल शिक्षा मंत्रीजी का उत्तर आ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

प्रदेश में नवीन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया

3. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) व **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक किस-किस श्रेणी के कितने-कितने शिक्षकों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई एवं कितनी नई नियुक्ति की गयी? श्रेणीवार, विषयवार व वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया दिसम्बर, 2008 से पूर्व प्रक्रियाधीन थी? वर्ष 2003 से 2008 तक कितने शिक्षकों की भर्ती हुई? वर्षवार/श्रेणीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में प्रदेश में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है? उनकी वर्तमान स्थिति बताते हुए श्रेणीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 2008 से फरवरी 2013 तक बजट प्रावधानानुसार कितने शिक्षकों की नियुक्ति की गई? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) प्रदेश में दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक शिक्षा विभाग के विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की भर्ती हेतु जारी विज्ञापित पद एवं प्रदत्त नियुक्तियों का श्रेणीवार, विषयवार संख्या विवरण परिशिष्ट-क-1 से क-3 पर संलग्न है।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

(2) उक्त में से किसी भी श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया दिसम्बर, 2008 से पूर्व प्रक्रियाधीन नहीं थी।

वर्ष 2003 से 2008 तक शिक्षकों की भर्ती का वर्षवार/श्रेणीवार संख्या विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की प्रक्रियाधीन नियुक्तियों का श्रेणीवार संख्या विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(4) वर्ष 2008 से फरवरी 2013 तक बजट प्रावधानानुसार शिक्षकों के पदों पर दी गई नियुक्तियों का संख्या विवरण परिशिष्ट-घ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2009 से 2012-13 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के कितने-कितने अध्यापकों की भर्ती की घोषणा सदन में की थी और उसके अनुसार कितने पदों की वेकेंसी निकाल दी और कितने पदों की भर्ती कर दी गयी?

दूसरा मुख्य मंत्रीजी की वर्ष 2009 की घोषणा के अनुसार प्रति वर्ष दस हजार से अधिक अध्यापक सेवानिवृत्त होते हैं तथा उनके रिक्त पदों को नियमित रूप से भरा जाएगा, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी। उसमें कितने पद सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए और उसकी एवज में कितने पद भर दिये गये?

तीसरा प्रश्न, 2009 से अभी तक कितनी विधवा और परित्यक्ताओं को प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अन्दर नियुक्ति दी गयी?

चौथा, 1 अप्रैल, 2013 को शिक्षा अधिकार कानून पूर्ण करना था, उस कानून के तहत कितने शिक्षकों की भर्ती कर ली गयी है?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2008 से 2013, 13 जनवरी तक जो हमने शिक्षकों की भर्ती की है, उसका मैं लेखा, जोखा आपको पेश कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उत्तर सुनो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): वर्तमान सरकार ने 2009 जनवरी से 2013 तक 237 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक क्रमोन्नत किये थे। उनको क्रमोन्नति के साथ 1185 पद स्वीकृत कर दिये गये। वर्तमान में 2009 से 2013 तक की अवधि में 2183 उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में क्रमोन्नत किये गये। उनके तत्काल ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनिये जवाब पहले पूरा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो पूछ रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणाएं इस विधान सभा के पटल पर की थीं ....

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए पूरा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए, अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा ...(व्यवधान) पहले जवाब आने दीजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): इसमें हमने 28,638 पद सृजित किये। 2009 से 2013 तक व्याख्याताओं के 2700, वरिष्ठ अध्यापकों के 19,634, कनिष्ठ लिपिकों के 138, कुल 22,551 और मृतकों के आश्रितों को 1460 पदों पर नियुक्ति दी गयी है।

उपरोक्त नियुक्ति के अतिरिक्त लम्बित डी पी सी आयोजित कर 33,500 निवासियों को पदोन्नति की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): व्याख्याता स्कूल शिक्षा में 1549 विज्ञापित पदों में से 1538 एवं 838 विज्ञापित पदों में से 734 कुल 2312 की नियुक्ति दी जा चुकी है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, गलत कागज हाथ लग गया लगता है मंत्री महोदय के।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): सितम्बर 2011 से 2013 तक वरिष्ठ अध्यापक 8,642 में से 8835 में 11,865 विज्ञापित पदों में से कुल 10,699 ....

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो वो पढ़ रहे हैं जो जवाब दिया। मैंने तो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि सदन की घोषणा के अनुसार कितने अध्यापकों को भरना था? वह संख्या बता दें आप तो शार्ट में।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): कुल 19534 की नियुक्तियां दी जा चुकी हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरा विस्तार से जवाब सुनिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): प्रारम्भिक शिक्षा में 29,544 शिक्षकों की ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से पूछिए कि 2009 से अभी तक ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): 34,443 की नियुक्ति की ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): ×××

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, जवाब सुनिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): इस प्रकार हमने ...(व्यवधान) 59271 नियुक्तियां दी हैं सेवानिवृति के पश्चात। वो लिस्ट परिशिष्ट-ग पर दी जा चुकी है।

आर टी ई का जहां तक ताल्लुक है, थर्ड ग्रेड के टीचरों की जो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, उसमें खाली बीस हजार थर्ड ग्रेड के टीचरों की नियुक्ति के अलावा, वह भी इसलिए रुकी हुई है कि टैट की परीक्षा का परिणाम अभी तक आया नहीं है और जैसे ही वह परिणाम आ जाएगा उसकी भी भर्ती का काम हम पूरा कर देंगे।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): रिटायर चार साल में कितने हुए और उनके अगेंस्ट कितने लगाये गये?

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग-4 में है कि वर्ष 2008 से फरवरी, 2013 तक बजट प्रावधानों के अनुसार कितने शिक्षकों की नियुक्तियां की गयीं, वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें। इसका जवाब दिया है इन्होंने कि वर्ष 2008 से फरवरी, 2013 तक बजट प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों के पदों पर दी गयी नियुक्ति की संख्या विवरण परिशिष्ट-घ पर है। यह परिशिष्ट-घ है आपका, कम से कम आप तो अपना कागज आपस में देख लो। दुर्भाग्य है कि आपने अपना कागज स्वयं ही नहीं देखा, इसलिए आपने चाहे जो बोल दिया। यह परिशिष्ट-घ है, जो दिया है, उसमें आपने लिखा है

वर्ष	प्रदत्त नियुक्तियां	बजट प्रावधान (करोड़ों में)
2008-09	0	0
2009-10	0	0
2010-11	0	0
2011-12	0	0
2012-13	34446	212.35

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरी निवेदन सुनें कि जो प्रारम्भिक शिक्षा से ताल्लुक है...

श्री अध्यक्ष: पहले इनकी बात पूरी हो जाने दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पहले मेरी बात पूरी हो जाए।

श्री अध्यक्ष: बोलिये। बोलिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): तो बजट घोषणा हुई उसके अनुसार पूर्ति नहीं हुई। यही प्रश्न का एक मुख्य मुद्दा है। यह है बजट आपका 8 जुलाई, 2009 का, इसका पेज नम्बर है 34, पैरा नम्बर है 146, शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग है जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 10 हजार शिक्षकों के पद सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होते हैं। राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों पर भी साथ ही साथ भर्ती प्रारम्भ की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जाएगी। एक मिनट रुकना। एक बजट घोषणा। फिर आपका यह बजट है 9 मार्च, 2011, इसकी बजट घोषणा पेज नम्बर 39, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि हमारी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा हेतु 300 संस्कृत शिक्षक सहित 50 हजार शिक्षकों के पदों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। यह बजट घोषणा दो...

श्री अध्यक्ष: यह कौन से साल की बजट घोषणा है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह है वर्ष 2011, 9 मार्च, 2011 का बजट भाषण माननीय मुख्य मंत्रीजी का। उसके बाद फिर आइये 2012 में, 2012 में फिर आपकी जो घोषणा है, 41 हजार शिक्षकों की भर्ती के बारे में आपने लिखा है कि 41 हजार शिक्षक हम भर्ती करेंगे। अब ये आपके 41, 50 और 10 हजार, हर साल रिक्त होने वाले ये 4 साल में 40 हो गये, यह सारा मिलाकर आपका जोड़ है, मेरा नहीं। इसके अलावा तो अभी और सैकिण्ड ग्रेड की अलग हैं, व्याख्याताओं की अलग हैं...

श्री अध्यक्ष: अपने तो इसी पर आ लो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): और उन सबको जोड़ें...

श्री अध्यक्ष: इतना जोड़ा, इसी पर पूछ लो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अब आप जो बता रहे हैं, आपने जो कुछ भी अपना जवाब दिया है उस सारे जोड़ से ही जोड़ लो आप और जोड़ने के बाद मुझे बता दो। वास्तव में जो घोषणा आपकी थी उसकी तुलना में आपने आज की तारीख में जिला परिषद् के माध्यम से जो 34 हजार शिक्षकों की पूर्ति की, इसके अतिरिक्त कोई भर्ती आपका शासन आने के बाद विज्ञप्ति के आधार पर एक भी टीचर लगाया हो तो उस जगह का नाम बता दो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): एक प्रश्न...

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के, आपके दल के नेता ने...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, तो मैं भी तो एक, मेरा ही तो मूल प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्रतिपक्ष के नेता के जवाब आने दो पहले।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मूल प्रश्न का एक तो जवाब दे दो कि 1 लाख 17 हजार की घोषणा की है...

श्री अध्यक्ष: केवल माननीय कटारियाजी का जवाब।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता माननीय कटारियाजी ने जो बात पूछी है, उसमें इन्होंने एक ही परिपत्र पढ़ा है...

श्री अध्यक्ष: कोई दूसरा नहीं पढ़ा।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): जो एक प्रपत्र इन्होंने पढ़ा उसमें प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में ही जिक्र किया गया है...

श्री अध्यक्ष: आपने दूसरा भी इनको भेज दिया है? आपने दूसरा भी इनको भेज दिया है न?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): हां, भेजा हुआ है। दूसरा जो प्रपत्र है उसमें...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हां, बताओ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): उसमें 2010-11 में 1129 व्याख्याताओं को नियुक्ति दी गयी है। 2011-12 में 919 व्याख्याताओं को नियुक्ति दी गयी है और 2011-12 में 8836 द्वितीय श्रेणी के शिक्षकों को नियुक्ति दी गयी है। 2012-13 में 727 व्याख्याताओं को नियुक्ति दी जा चुकी है और 2012-13 में 10699 सैकिण्ड ग्रेड के शिक्षकों को नियुक्ति दी जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष: अब आप चाहो तो इनकी सारी सूची आपको भिजवाने का कह दूं इनसे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): और उसके अलावा 2093 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। व्याख्याताओं की नियुक्ति...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): वह तो हमने पढ़ ली, माननीय अध्यक्ष महोदय। बात तो सही...(व्यवधान) यह पढ़ ली हमने जवाब में। आप तो यह बताएं...

श्री अध्यक्ष: जवाब मिल गया आपका?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप तो यह बताएं कि आपकी जो

(श्री ओम बिरला)

बजट घोषणा थी वह 1 लाख 17 हजार 368 अध्यापकों की घोषणा थी या नहीं थी?

श्री अध्यक्ष: वह जवाब दे चुके हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): और उसकी एवज में कितनी भर्ती की आपने? जवाब दो सीधा-सीधा।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी ने सवाल किया था आप वाला ही, उसका जवाब उन्होंने दिया। आप सुनते तो हो नहीं। बार-बार रिपीट करते हो, मैं अलाउ नहीं करूंगा। बार-बार रिपीट अलाउ नहीं करूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड...

श्री अध्यक्ष: एक ही सवाल को बार-बार रिपीट करने से क्या मतलब?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल भी पूछा है और उसका जो उत्तर इनका था, वह भी मैंने पढ़ दिया। पता नहीं आप उसको पढ़ना चाह नहीं रहे हो। मेरा चौथा प्रश्न था, इसमें वर्ष 2008 से फरवरी, 2013 तक प्रावधानानुसार कितने शिक्षकों की नियुक्ति की गयी ? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें। इसका उत्तर आपने जो दिया है, वर्ष 2008 से फरवरी, 2013 तक बजट प्रावधानानुसार शिक्षकों के पदों पर दी गयी नियुक्तियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट 'घ' । यह मैंने परिशिष्ट 'घ' खोलकर आपको बताया जो आपने मुझे दिया। मैंने मेरी तरफ से कोई नया परिशिष्ट नहीं लगाया। जो परिशिष्ट आपने मुझे दिया 'घ', जो जवाब में आया है, यह है। इस 'घ' में जिसको आप उत्तर बता रहे हो, आपने परिशिष्ट 'घ' में लिखा, 2008-09- जीरो, 2009-10- जीरो, 2010-11- जीरो, 2011-12- जीरो, 2012-13, यह आपका परिशिष्ट संलग्न है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता चुका हूं यह प्रारम्भिक शिक्षा का है...

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): प्रारम्भिक यह नहीं है, अभी आप जो बता रहे हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया साहब, एक मिनट। इसमें जो परिशिष्ट

(श्री अध्यक्ष)

'घ' मेरे सामने है, यह 'घ' है या 'छ' यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन 2010-11 में तो 1129 व्याख्याताओं और...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह 'घ' घास वाला है। एक एलीमेण्टरी का है, दूसरा 'घ' सैकण्डरी वाला है। यह सैकण्डरी वाला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह देखिये। अध्यक्ष महोदय, यह है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है1

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह 'घ' के दो परिशिष्ट हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इन्होंने आपके मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणाएं की हैं, उनको पूरा नहीं किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 'घ' के दो हैं- एक एलीमेण्टरी है, एक सैकण्डरी है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी ने जो पढ़ा है, 'घ' पढ़ दिया है, यह आपके पास भी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मेरे पास क्या है?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। अंकित नहीं हो रहा है। प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं आपको इतना भी ध्यान नहीं है? प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं, आपको यह भी अनुशासन का ध्यान नहीं है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं जिस सवाल को खड़ा कर रहा हूं, जिस 'घ' का यह रेफरेंस दे रहे हैं उस 'घ' के दो चार्ट आपने लगाये...

श्री अध्यक्ष: तो आप पहला क्यों नहीं पढ़ते? आप दूसरा पढ़ रहे हो, आप पहला पढ़ो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक एलीमेण्टरी का है। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं देखकर फैसला कर दो, दोनों ही हैं। 'घ' के दो हैं। एक सैकण्डरी का है और एक एलीमेण्टरी का है। यह सैकण्डरी का पढ़ रहे हैं और यह बजट घोषणा नहीं है। यह सैकण्डरी तो जो पहले की सरकार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विज्ञप्तियां जारी कर चुकी थी, जो प्रोसेस में था, आर पी एस सी के पास जो गयी हुई थी रिक्वीजिशन, उसकी जो नियुक्तियां हुई थीं, वह मात्र है। आपके द्वारा कोई इन वर्षों में रिक्वीजिशन आर पी एस सी को गया हो और उसका क्या कोई...

श्री अध्यक्ष: पर यह 34,446 जो दिया है आप वाले परिपत्र में...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वह एलीमेण्टरी का इस साल का है 2012-13 में। 2012-13 में इन्होंने जिला परिषद् से भर्ती की है उसमें उन्होंने 34 हजार भर्ती की है। मैंने 2012-13 के 34 हजार भी पढ़े हैं लेकिन उसके पहले के 2008-09 से लेकर 2011-12 तक का जीरो-जीरो, जीरो-जीरो। ये घोषणाएं जो अभी मैंने पढ़ी हैं...

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री बहुत विद्वान हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं और अभी इन्होंने प्रतिपक्ष के नेता का पद लिया है। आपने...(व्यवधान) मेरी बात सुनिये। 2008 से पहले की नियुक्ति के बारे में, विज्ञप्ति के बारे में कहा है। मैं बहुत आथैंटिक रूप से कह रहा हूं कि इन्होंने 5590 की विज्ञप्ति 1/8/2008 को निकाली थी। यह विज्ञप्ति क्यों निकाली थी? कि एक स्कूल पर 3 अध्यापक दिये थे। हमने उसका फैसला किया कि हम 3 अध्यापक नहीं, 5 अध्यापक देंगे। अब उसके लिये 3356 की नियुक्ति के लिये आर पी एस सी को हमने लिखा। तब आर पी एस सी ने हमें कहा कि यह इसमें क्लब नहीं किया जा सकता। आर पी एस सी ने 16/4/2010 को हमें यह विज्ञप्ति वापस कर दी। उसकी एवज में 5590 और 3356, 8946 नयी विज्ञप्ति के आधार पर नौकरियां दी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड आपका और लेना चाहूंगा, एक सैकण्ड। एक सैकण्ड आपको तकलीफ दे रहा हूं मैं, तकलीफ मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि विषय को ठीक तरह से या तो समझ नहीं पा रहे हैं। यह जो चार्ट आप बजट का मुझे दे रहे हो, यह बजट के चार्ट पर चौथा क्वेश्चन था और उसके ऊपर मैंने उत्तर चाहा था।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपने इसमें घ के दो प्रपत्र दिये हैं, एक घ और एक दूसरा। यह जो आपका घ पहले वाला है, इसमें 2008-09 में शून्य, 2009-10 में शून्य, 2010-11 में 1129 व्याख्याता और उसके बाद 2011-12 में 919 व्याख्याता। बाकी सारे जितने पद हैं, ये सब जो अनुदानित शिक्षण संस्थाएं थीं, जिनको गवर्नमेंट में मर्जर किया, वे जो सारे टीचर्स एड लिस्ट में थे, उन एड लिस्ट वालों को इन्होंने अपनी संख्या में जोड़ा हुआ है। सारा का सारा यह आपका जवाब है, मेरा जवाब नहीं है। यह सारे अनुदानित स्कूलों का है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): नहीं सर, यह भी है। यह भी है मेरे पास। आप विराजें, आप विराजें। मैंने प्रपत्र ग में जो अभी इन्होंने कहा अनुदानित, 5 प्रधानाध्यापक अनुदानित थे जिनको नौकरी दी। 44 प्रधानाचार्य थे जो अलग दिये। 741 अनुदानित वरिष्ठ अध्यापकों को अलग से दी। 37 शारीरिक शिक्षकों को दी। 14 पुस्तकालय वालों को दी। 609 अध्यापक तृतीय श्रेणी को दी। 74 शारीरिक शिक्षक ग्रेड सैकण्ड को दी। 99 पुस्तकालय को दी और 123 प्रयोगशालाओं को दी। हमने अनुदानित तो ये ही दी हैं। बाकी तो विज्ञप्ति निकालकर सरकार ने दी हैं।

श्री अध्यक्ष: चलिये, अगला प्रश्न, श्री पानाचन्द, श्री पानाचन्द। श्री प्रमोद 'भाया'।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, इनका प्रगति प्रतिवेदन बता रहा है कि इन्होंने एक विधवा, परित्यक्ता को नौकरी नहीं दी,... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा, अंकित नहीं हो रहा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द को विलोपित कर दीजिये। श्री प्रमोद 'भाया'।

श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (अन्ता): मैं जवाब से संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आने दीजिये।

बारां जिले के स्थानीय निकायों द्वारा करवाये गये विकास कार्य

4. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) एवं **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (अन्ता): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2013 की अवधि में किस-किस नगरपालिका एवं नगर परिषद द्वारा किस-किस बस्ती में कितनी-कितनी लागत से कितने-कितने क्षेत्र में नाली एवं सी.सी. रोड निर्माण कार्य किस-किस दिनांक को स्वीकृत किये गये एवं इनमें से कौन-कौनसा कार्य किस-किस दिनांक को पूर्ण कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बारां जिले में उक्त अवधि में नगरपालिका एवं नगर परिषद क्षेत्रों की किन-किन बस्तियों में कितनी-कितनी लागत से नालियां एवं सी.सी. रोड के निर्माण कार्य कितने-कितने क्षेत्र में माह फरवरी, 2013 में निर्माणाधीन हैं एव इन्हें किस माह तक पूर्ण करवा लिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नगरपालिका मांगरोल, अन्ता एवं नगर परिषद बारां की किन-किन बस्तियों में कितनी-कितनी लागत से नालियां एवं सी.सी. रोड का निर्माण कार्य निविदा या स्वीकृति प्रक्रिया में है? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2013 तक की अवधि में नगर परिषद बारां, नगरपालिका अन्ता, मांगरोल एवं छबड़ा द्वारा करवाये गये कार्यों का नगरीय निकायवार विवरण परिशिष्ट 'ए-1' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: इससे वह संतुष्ट हैं। इससे वह संतुष्ट हैं।

स्वायत्त्त शासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): हां, इससे वह संतुष्ट हैं तो फिर कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष: चलिये।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (2) बारां जिले में उक्त अवधि में नगरीय निकायवार निर्माणाधीन नालियां व सी.सी. रोड एवं उनकी लागत व पूर्ण होने की संभावित अवधि का विवरण परिशिष्ट 'ए-2' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

(3) नगर परिषद बारां एवं नगरपालिका अन्ता की बस्तियों में नालियां एवं सी.सी. रोड के निर्माण कार्य की निविदा/स्वीकृति प्रक्रिया का बस्तीवार विवरण परिशिष्ट 'ए-3' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है। शेष नगरपालिकाओं में उक्त निर्माणों की निविदाएं/स्वीकृति की प्रक्रिया में कोई प्रकरण प्रक्रियाधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: कोई पूरक प्रश्न नहीं है? चलिये, अगला प्रश्न। श्री केसाराम चौधरी।

शराब तस्करी के दर्ज प्रकरण

5. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत चार वर्षों (2008-09 से 2012) में शराब तस्करी के कितने प्रकरण कहां-कहां दर्ज किये गये तथा उनमें कितनी-कितनी मात्रा में शराब पकड़ी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में कौन-कौन दोषी पाये गये और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा शराब तस्करी रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हर प्रश्न का यही जवाब देंगे क्या?

आबकारी मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) प्रदेश में विगत चार वर्षों में आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा शराब तस्करी के ...(व्यवधान) सुन तो लो।

श्री अध्यक्ष: मामला आबकारी से सम्बन्धित है, कोई खास बात नहीं है।

आबकारी मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल) : आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा शराब तस्करी के दर्ज प्रकरणों का स्थान एवं उनमें पकड़ी गई शराब की मात्रा का विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त प्रकरणों में दोषी पाये गये व्यक्तियों और जिन व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है, उनका विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर उपलब्ध है।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

(3) शराब की तस्करी को रोकने के लिये आबाकारी विभाग द्वारा ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आबाकारी क्या है, आबकारी बोल दो ...(व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): आबाकारी क्या है? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इसको लाभकारी बोल दो।

आबकारी मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): निम्न प्रयास किये गये हैं:-

1. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त को क्षेत्राधिकारी जिलों में आबकारी निरोधक दल की निरोधात्मक गतिविधियों हेतु नियंत्रक अधिकारी बनाया गया है, साथ ही इन्हें विशेष अभियानों के आयोजन के भी निर्देश हैं।

2. आबकारी थानों के लिये भवन उपलब्ध करवाने हेतु इनके निर्माण की स्वीकृतियां जारी करते हुये कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं तथा आबाकारी ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह आबाकारी क्या है?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आबाकारी क्या है? (व्यवधान)

आबकारी मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): इसमें आबाकारी ही लिखा हुआ है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

आबकारी मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): आबकारी निरोधक दलों को राजकीय/अनुबन्ध पर वाहन उपलब्ध करवाये गये हैं ...(व्यवधान)...

3. आबकारी निरोधक दल में 1739 सिपाही, 216 जमादार, 2 वाहन चालकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गयी हैं तथा सिपाही व जमादार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

4. आबकारी निरोधक दल के धावों व विशेष अभियानों के साथ-साथ पुलिस विभाग के समन्वय से संयुक्त अभियान भी चलाये जाते हैं।

5. शराब व मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन व बिक्री की रोकथाम हेतु विशेष मुखबिर प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009 से लागू की गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): मेरा एक प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने दीजिये। पहले मूल प्रश्नकर्ता।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बताया आबाकारी, आबकारी नहीं यह सरकार का लाभाकारी विभाग है। लाभाकारी विभाग द्वारा प्रदेश में 4 साल में 4030 मुकदमे दर्ज किये गये और पुलिस थानों द्वारा 4 वर्ष में 7115 मुकदमे, कुल मिलाकर 11445 शराब तस्करी के दर्ज हुए। इसमें भी बार्डर थानों के सबसे ज्यादा हैं, उसका क्या कारण है? क्या हरियाणा में टैक्स कम होने की वजह से और राजस्थान में टैक्स ज्यादा लगाया जा रहा है, वैट की परसन्टेज ज्यादा होने की वजह से तस्करी के ज्यादा मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? क्या सरकार इस वैट डिफरेंस को दूर करने का कोई विचार रखती है या नहीं, प्रश्न एक? दूसरा, मुखबिर प्रोत्साहन योजना बनायी, उसमें कुल मुखबिरों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी गयी उसका भी विवरण दें। तीसरा, आपने जोधपुर में और दूसरी जगह पर छोटे-मोटे 5 लीटर, 2 लीटर और हथकढ़ी शराब बनाने वालों के लिए नवजीवन योजना बनायी थी, उस योजना में कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया? मेरे मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के एक-दो केस भी बता दीजिये कि आपने उनके पुनर्वास के लिए नवजीवन योजना बनायी और उन्होंने शराब बनाने का धंधा छोड़ दिया और उनके पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था की हो। ये मेरे तीन सवाल हैं आप जवाब दे दीजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि हरियाणा में दाम कम हैं और राजस्थान में दाम ज्यादा हैं। हरियाणा में जो प्रणाली है वह राशनिंग प्रणाली है और हमारे यहां जो प्रणाली है उसमें डिफरेंस है। दाम में फर्क जरूर है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहां के राजस्व में वृद्धि हुई है। 2006 में तत्कालीन सरकार के द्वारा बनाई हुई जो योजना थी, वही इस सरकार के द्वारा अडाप्ट की गयी है।

यह प्रणाली बनिस्पत इसके कि वहां दाम कम हैं यहां दाम ज्यादा है, तो भी सक्सेसफुल है। दूसरा सवाल आपका यह था कि मुखबिर प्रोत्साहन की राशि कितनी दी गई, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले मुखबिर को रकम दी जाती थी 1 लाख से 5 लाख तक 7500 रुपये, 5 लाख से 10

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

लाख रुपये तक 15 हजार रुपये, 20 लाख से 25 लाख तक 35 हजार रुपये और 25 लाख से ज्यादा हो तो 50 हजार रुपये। अब उस योजना को बदला गया है, 2013 में जो योजना इस सरकार के द्वारा चालू की गई, इस विभाग के द्वारा चालू की गई, उसमें मुखबिर को प्रोत्साहन योजना के तहत जब्त मूल्य की 2 प्रतिशत राशि, मान लीजिए 1 लाख रुपये की शराब जब्त की जाती है तो उसको 2 हजार रुपये मिलेंगे। इसी के साथ-साथ वाहन का मूल्य जितना भी है, वाहन का मूल्य मान लीजिए 10 लाख रुपये है तो 8 प्रतिशत के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो यह पैसा बढ़ाया गया है और इसके रिजल्ट भी आये हैं। इसके रिजल्ट इस तरीके से आए हैं कि मुखबिरों की संख्या भी बढ़ी है। मुखबिर पालिसी के साथ और मुखबिरों के एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ सम्पर्क काफी अच्छे हुए हैं, इसके काफी अच्छे रिजल्ट रहे हैं।

तीसरी बात आपने नवजीवन योजना के बाबत बताई। नवजीवन योजना मोटे तौर पर पिछले साल जब ये दो हादसे हुए आपके जोधपुर और पाली में, तब यह घोषणा की गई थी। यह प्रक्रियाधीन है और निश्चित तौर पर इसमें लोगों को लाभ मिलता जा रहा है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि इससे बहुत ही लाभ मिला। क्या सरकार इस शराब से लाभ कमा कर राजस्थान की जनता को शराब में डुबोने की चेष्टा रखती है या क्या यह मंशा रखती है कि राजस्थान में शराबबंदी लागू की जाए? इस पर क्या सरकार विचार रखती है या नहीं? (व्यवधान) इनकी पार्टी और आपकी पार्टी, सभी पार्टियों के शराब पीते हैं। क्या राजस्थान में आप ऐसी व्यवस्था नहीं करना चाहते? शराबबंदी क्यों नहीं करना चाहते आप? शराब से पैसा कमा कर राजस्थान की जनता के लिए क्या करना चाह रहे हैं आप? (व्यवधान) जो इतना अत्याचार हो रहा है, जो इतना...

श्री अध्यक्ष: आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मेरा प्रश्न समाप्त कहां हुआ? शराबबंदी का जवाब दो।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

जो सुझाव दिया है कि शराबबंदी की जानी चाहिए, राजस्थान ही गवाह है कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, उस वक्त गोकुल भाई भट्ट की प्रेरणा से तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने यहां पर जो शराब बंदी की, उसके रिजल्ट्स देख लीजिए, उनका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इसलिए इस बात को सोचना आज की तारीख में सम्भव नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, कौनसी प्रणाली राज्य में लागू है, कौनसी प्रणाली हरियाणा में लागू है, यह तो जुदा बात है, सीधा-सा, स्पेसिफिक सवाल है कि शराब पर जो वैट की दर है वह हरियाणा में कितने प्रतिशत है और राजस्थान में कितने प्रतिशत है? क्या दरों में इतना बड़ा अंतर होने के कारण हरियाणा से शराब की तस्करी होकर राजस्थान में नहीं आ रही है? क्या यह भी सही नहीं है कि राजस्थान में सर्वाधिक शराब की तस्करी होकर हरियाणा से गुजरात तक जा रही है और आपके सारे अधिकारियों की इसमें मिलीभगत है?

श्री अध्यक्ष: चलिये, जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में देशी मदिरा की जो प्रणाली है वह गारण्टी प्रणाली है। इसके द्वारा देशी मदिरा की बिक्री की दर सस्ती भी है, दरें सस्ती होने की वजह से अन्य राज्यों को मदिरा तस्करी होकर ...(व्यवधान) आप सुन लीजिये, तसल्ली हो तो कहूं?

श्री अध्यक्ष: समय समाप्त होने जा रहा है, जल्दी करें। (व्यवधान) जल्दी करिये, जवाब दीजिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): धीरज रखें, वह उम्र नहीं रही आपकी।

श्री अध्यक्ष: दोनों की ही नहीं रही।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दरें सस्ती होने से अन्य राज्यों की मदिरा की तस्करी होकर राज्य में बिक्री नहीं होती है। स्पिरिट की नकली मदिरा बनाने की सम्भावना भी कम होती है और हथकढ़ शराब पर स्वत: ही कण्ट्रोल बन जाता है। जहां तक अंग्रेजी और बीयर का सवाल है, वर्तमान में लाइसेंसिंग प्रणाली है। पूर्व में गारण्टी प्रणाली थी

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

जिसे निम्न कारणों से बदला गया। ये कारण मैं बताता हूं। लेकिन बदला 2005 में था और हमने उस पालिसी को अच्छा समझ कर एडाप्ट किया है। गारण्टी प्रणाली से मदिरा तस्करी जिले और जिले के बाहर, मतलब राज्य के बाहर की सम्भावना रहती है। दूसरा कारण यह था कि भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के द्वारा राज्य की टैक्स प्रोविएंट प्रणाली को उचित माना गया। उपभोक्ताओं को मदिरा अच्छी गुणवत्ता की प्राप्त होने लगी और इसी के साथ-साथ पूर्व में जो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): शराबबंदी लाओ आप राजस्थान में। आप महात्मा गांधी के पुजारी हो, महात्मा गांधीजी देख रहे हैं और आप यह बयान दे रहे हो शराबबंदी के लिए! आप शराबबंदी की बात करें।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं जवाब दे चुका हूं आपकी बात का।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती किरण माहेश्वरी। (व्यवधान) कृपया समाप्त करें। हो गया। अगला प्रश्न ले लिया। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त हो रहा है। (व्यवधान) आप बैठें।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप मुझे एडमिट करें तो। माननीय मंत्रीजी ने सारी कुछ कवायद कर सूचना के माध्यम से, मुखबिरों के माध्यम से इतना किया लेकिन अभी तक भी शराब तस्करी बंद क्यों नहीं हुई है? हमारे नेशनल हाइवे पर सभी जगह पर सैकड़ों की तादाद में टोल लगे हुए हैं, ऐसी कोई प्रणाली विकसित की जाए कि वहां जाते ही ट्रक का एक्सरे हो जाए और पता लग जाए कि इसमें शराब है या नहीं। अगर मुखबिरों के भरोसे आप शराब तस्करी पर रोक लगाएंगे तो लग चुकी। मैंने अपनी बात कह दी, यही बात है।

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत नियम विरुद्ध शुल्क निर्धारण प्रकरण

6. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(1) सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन का शुल्क रुपये 1000/- प्रति उत्तर पुस्तिका किस आधार पर निर्धारित किया गया? क्या यह शुल्क बहुत ज्यादा एवं अवलोकन में होने वाले व्यय की तुलना में असंगत नहीं है?

(2) मण्डल के अन्य अभिलेखों के निरीक्षण का शुल्क क्या है? उत्तर पुस्तिकाओं एवं अन्य लेखों के शुल्क में भारी अंतर क्यों रखा गया है?

(3) क्या सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति सम्बन्धित छात्र को आवेदन करने पर उपलब्ध करवाई जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन केवल मण्डल मुख्यालय पर ही करवाया जाता है? इससे अन्यत्र रहने वाले छात्रों को होने वाली असुविधा एवं व्यय को देखते हुए क्या किसी अन्य व्यवस्था पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है?

राज्य मंत्री, तकनीकी व इंजीनियरिंग शिक्षा (श्री रामकिशोर सैनी): (1) प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन का शुल्क 1000/- रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के आधार पर निर्धारित किया गया है।

उक्त शुल्क उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता एवं महत्ता को देखते हुए बहुत ज्यादा एवं अवलोकन में होने वाले व्यय की तुलना में असंगत नहीं है।

(2) मण्डल के अन्य अभिलेखों के निरीक्षण का शुल्क सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अभिलेखों के निरीक्षण के लिए निर्धारित शुल्क समतुल्य है।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन का शुल्क रुपये 1000/- प्रति उत्तर पुस्तिका राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के आधार पर निर्धारित किया गया है।

(3) जी नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल बनाम आदित्य बन्द्योपाध्याय में सूचना का अधिकार अधिनियम,

(श्री रामकिशोर सैनी)

2005 की व्याख्या करते हुए परीक्षार्थी को केवल उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कराये जाने के निर्देश दिए गये हैं।

(4) उत्तर पुस्तिका का अवलोकन केवल मण्डल कार्यालय पर ही करवाया जाता है क्योंकि मण्डल का अन्यत्र किसी भी स्थान पर उप क्षेत्रीय कार्यालय एवं स्टाफ नियुक्त नहीं है। समस्त उत्तर पुस्तिकाएं मुख्यालय पर ही संग्रहित रहती हैं एवं मण्डल के स्टाफ के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को उत्तर पुस्तिकाएं सुपुर्द नहीं की जा सकती हैं।

यह व्यवस्था नवीन है एवं छह माह पूर्व ही लागू की गई है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि यह जो प्राविधिक शिक्षा मण्डल के द्वारा आयोजित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का एक हजार रुपये शुल्क है, यह कब से लागू हुआ और पूर्व में यह शुल्क कितना था? दूसरा, इन्होंने खण्ड 4 में जो जवाब दिया है, वह जवाब ही अपने आप में कण्ट्राडिक्ट्री जवाब है जो खण्ड 2 में दिया है उसके। इन्होंने कहा है खण्ड 4 में कि मण्डल कार्यालय पर ही उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन किया जा सकता है। हमने इनसे पूछा कि यह मुख्यालय पर ही क्यों किया जा सकता है, इसके नीचे के लेवल पर क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि छात्राओं को बहुत असुविधा होती है, आने-जाने में काफी उनका खर्च लगता है। उस जवाब में इन्होंने कहा कि यह केवल वहीं पर किया जा सकता है और हम लोगों का उप क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, स्टाफ नियुक्त नहीं है। जब मण्डल कार्यालय पर ही देखने आना है, अवलोकन करना है तो किस बात का खर्चा आ रहा है? पहले खण्ड में आपने जवाब में कहा कि गोपनीयता एवं महत्व को देखते हुए एवं अवलोकन में होने वाले व्यय की तुलना में असंगत नहीं हैं एक हजार रुपये। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा खर्चा वहन करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ आपका जवाब आ रहा है कि मण्डल कार्यालय से नीचे यह नहीं किया जा सकता। यदि नहीं हो सकता तो यह दूसरे खण्ड से कण्ट्राडिक्ट्री आंसर है जिसमें कहीं खर्चा नहीं है, केवल अवलोकन करना है उस पुस्तिका का। उसका एकदम से आपने 1000 रुपये कर दिया। यह कब से किया, पहले कितना था और यह करने के पीछे आपके क्या रीजन हैं? इसमें क्या आपने लगाया है ऐसा कि उसको जस्टिफाई कर रहे हो? क्या ऐसा खर्चा सरकार का

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

बढ़ रहा है जिसकी वजह से आप एक-एक हजार रुपया इनके अवलोकन का ले रहे हैं?

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आ जाए।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): आपका पहला प्रश्न यह है कि एक हजार रुपये क्यों निर्धारित किया गया। श्रीमान्, मैंने अभी यह निवेदन किया है कि सीबीएसई बनाम आदित्य बंद्योपाध्याय के मुकदमे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है कि एक हजार रुपये नान रिफण्डेबल फीस लेकर इनको उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन कराया जाए। उसके बाद आरटीयू, कोटा ने और प्राविधिक मण्डल, जोधपुर ने एक हजार रुपये फीस निर्धारित की। प्रत्येक परीक्षा के अन्दर लगभग 8 से 10 लाख उत्तर पुस्तिकाएं हमारे पास संकलित रहती हैं, उन पुस्तिकाओं में एक पुस्तिका निकालना और इनकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मण्डल स्तर पर ही इनको सुरक्षित रखना, इस वजह से इनकी एक हजार रुपये फीस तय की गई। इसलिए भी तय की गई कि उत्तर पुस्तिका की यदि बहुत साधारण-सी फीस भी रखी जाएगी... मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं ...(व्यवधान) सूचना के अधिकार के तहत कहीं भी यह चीज कवर नहीं होती। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया, उसके उपरांत उत्तर पुस्तिकाएं देखने का प्रावधान रखा गया और इस वजह से भी रखा गया कि एक सैंक्टिटी बनी रहे, जो जरूरतमंद लोग हैं, उसी को वह दे सकें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मेरा प्रश्न था, पहले कितनी थी।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): इसलिए एक हजार रुपये फीस रखी गई। आपका एक प्रश्न लास्ट में यह भी आया कि केवल मण्डल हैडक्वार्टर पर ही क्यों रखा जाता है। 8 से 10 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनको मण्डल स्तर पर इसलिए रखा जाता है कि यदि हम दूसरी जगह पर भी इनको रखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में, आने-जाने में लोगों को पहुंचने में असुविधा होगी। इसकी सैंक्टिटी, जो गोपनीयता है, वह ढंग से होने का अंदेशा रहता है, इस वजह से इनको मण्डल स्तर पर रखा जाता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, सभी सवालों के जवाब नहीं आये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने हमारा कि यह कब से लागू किया एक हजार रुपया।

अनुपस्थिति अनुमति

बीना काक, सदस्य, को 21 फरवरी, 2013 से सत्रांत तक

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि बीना काक, सदस्य, विधान सभा ने स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों से दिनांक 21 फरवरी, 2013 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

मकबूल मण्डेलिया, हाजी, सदस्य, को 21 फरवरी, 2013 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि हाजी मकबूल मण्डेलिया, सदस्य, विधान सभा ने स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों से दिनांक 21 फरवरी, 2013 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से जिला झालावाड़ में ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से रबी की फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री पेमाराम एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जिला सीकर सहित राज्य भर में माह फरवरी, 2013 में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में।

3. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं एक अन्य सदस्य की ओर से प्रदेश में जनवरी, 2013 में पाला पड़ने और गत दिनों ओलावृष्टि से किसानों की फसल को हुए भारी नुकसान के सम्बन्ध में।

4. श्री पवन कुमार दुग्गल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में माह फरवरी, 2013 में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में।

5. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से प्रदेश में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा। (व्यवधान)

आसन पांवों पर है ...(व्यवधान) व्यवस्था देने दीजिए, व्यवस्था देने दीजिए, माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। मुझे लगता है कि इतने सीनियर सदस्य होकर आपको जानकारी नहीं है नियमों की। (व्यवधान) आसन पांवों पर है।

6. श्री बाबूसिंह राठौड़ एवं एक अन्य सदस्य की ओर से प्रदेश में स्वाइन फ्लू रोग की महामारी से अनेकों मौतें होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

इसी विषय पर आज मा. सदस्य पर्ची के माध्यम से सदन में अपने विचार रखेंगे, अत: स्थगन प्रस्ताव के रूप में अनुमति देने में असमर्थ हूं।

7. श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से जैन समाज की रैली के दौरान पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करने के सम्बन्ध में।

8. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर के सावित्री कन्या महाविद्यालय में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों द्वारा इच्छा मृत्यु की मांग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राज्य में भारतीय नर्सिंग कौंसिल की मान्यता के बगैर चल रहे नर्सिंग स्कूल/कालेजों की एसीबी से जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

10. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से ब्यावर से पिंडवाड़ा बन रहे चार लेन राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु किसानों की अवाप्त की गई भूमि का 3 वर्ष बीत जाने पर मुआवजा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. डा. दिगम्बर सिंह एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते विकराल होते जाने के सम्बन्ध में।

12. श्री कालीचरण सराफ एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जयपुर शहर के 25 वार्डों में निजी फर्म द्वारा सफाई कार्य बन्द करने एवं यूजर चार्ज की वसूली के बाद भी सफाई नहीं होने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

13. श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर में सफाई एवं अन्य कार्यों के लिए यूजर चार्जेज लागू करने के उपरान्त भी सफाई व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी मा. सदस्य श्री ज्ञानचन्द पारख, डा. दिगम्बर सिंह, श्री कालीचरण सराफ एवं श्री मोहनलाल गुप्ता को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से शेखावाटी क्षेत्र में ओलावृष्टि से किसानों की फसल को हुए नुकसान का पर्याप्त मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गम्भीर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

3. श्री कानसिंह कोटडी, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवाना व समदड़ी में 30-30 शय्या के स्थान पर 50-50 शय्या स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

4. श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरसौर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

5. श्री रामहेत सिंह, सदस्य की ओर से जिला अलवर में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

6. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से राज्य में नकली मेहन्दी तैयार करने से मेहन्दी फसल पैदा करने से किसानों को हो रहे आर्थिक नुकसान के सम्बन्ध में।

7. श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की बिलाड़ा/पीपाड़ शहर तहसीलों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में।

8. श्री सुखाराम नेतड़िया, सदस्य की ओर से 100 से कम आबादी वाली चयनित ढाणियों को 5-5 के ग्रुप में घरेलू विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती कमला कस्वां, सदस्य की ओर से जिला चूरू में सादुलपुर-हनुमानगढ़ व रतनगढ-सरदारशहर रेल लाइनों पर अण्डरपास के व्यय का प्रावधान बजट में करने के सम्बन्ध में।

10. श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के सार्वजनिक पार्कों का सौन्दर्यकरण करने के सम्बन्ध में।

11. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से कोटा में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ, अपीलीय रैन्ट ट्रिब्यूनल व रेवेन्यू बोर्ड की दो सदस्यीय बैंच की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

12. डा. विश्वनाथ मेघवाल, सदस्य की ओर से जिला बीकानेर के ग्राम भानीपुरा, भणातपुरा, छोटारामसर, बान्दरवाल और सूरासर को डी कालोनाइज घोषित करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री ज्ञानचन्द पारख। (व्यवधान)

(12.07 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अनुरोध एवं मांग

ओलावृष्टि से नष्ट फसलों का मुआवजा

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार को पूरी जानकारी होने के बाद, जिस तरह से ओलावृष्टि से राजस्थान के किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, उसमें इन्होंने 50 प्रतिशत का राइडर लगाया है। पिछले साल भी शीतलहर से जिनका नुकसान हुआ, सरकार ने दो सौ करोड़ रुपये की घोषणा की लेकिन एक नया पैसा भी किसानों को नहीं मिला। अब की बार भी 50 प्रतिशत से अधिक का जो राइडर लगाया गया है, मैं समझता हूं कि .....

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें, एक-एक बोलेंगे तो मौका मिलेगा। (व्यवधान) आप बोलना चाहते हो? आप बोलना चाहते हो कि दिखाना चाहते हो? (व्यवधान) यह ऐसे नहीं चलेगा। (व्यवधान) केवल ज्ञानचन्दजी पारख का अंकित हो।

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, विषय की गम्भीरता सारा सदन ले रहा है और आसन ने भी विषय की गम्भीरता ली है, लेकिन मैं समझता हूं कि किसानों की जो फसलों का नुकसान हुआ है इतने दिन हो गये, आज दिन तक न गिरदावरी पूरी हुई, न उनको किसी प्रकार का लाभ मिला। ऐसे विषय पर अगर अपन डिस्कस नहीं करेंगे तो राजस्थान का किसान जन-प्रतिनिधियों के बारे में क्या विचार करेगा? इससे और इम्पोर्टेंट विषय इस हाउस के लिए आज की तारीख में क्या हो सकता है? हजारों किसानों के परिवार प्रभावित हो गये और हम और आप सब मानते हैं कि उनको राहत मिलनी चाहिए, सरकार की मंशा भी यह है कि उन्हें राहत मिलनी चाहिए, लेकिन जब तक इसका समय पर निस्तारण नहीं हो तो उस राहत का अर्थ ही नहीं रहेगा। इस विषय पर चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए ताकि अलग अलग व्यक्तियों को अलग-अलग बात नहीं कहनी पड़े। आसन इसकी व्यवस्था करे और सरकार को इस बात के लिए मजबूर करे कि सरकार स्वयं अपनी इच्छा से अपना वक्तव्य लेकर आए और उस वक्तव्य के आधार पर बताए कि आज तक हमने यह काम तो कर लिया और यह काम हम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करने जा रहे हैं। फिर कोई सवाल-जवाब होंगे, अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो हम उन विषयों को उठाएंगे लेकिन किसानों की इतनी बड़ी समस्या को केवल हम ऐसे ही कहकर चला जाने दें तो जिस प्रकार का विचार है। जन-प्रतिनिधियों के बारे में, उसमें कमी आएगी। मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूं कि आसन मंत्री महोदय को इस बात के लिए तैयार करे कि वह स्वयं अपनी तरफ से चलाकर .....

श्री उपाध्यक्ष: कोशिश की जाएगी आपकी भावनाओं के आधार पर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर नहीं आता है तो ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप निश्चित रहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं है ....

श्री उपाध्यक्ष: ...(व्यवधान) नहीं, नहीं, सरकार तैयार है, बात करेंगे अपन बैठकर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर आपकी तरफ से इसकी व्यवस्था हो जाएगी तो हम कोई सवाल नहीं उठाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: बिलकुल व्यवस्था होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन व्यवस्था नहीं हो और अगर इसको डिले करेंगे, दो दिन बाद, चार दिन बाद, तो फिर कोई मतलब नहीं है इस विषय का। मैं सोचता हूं कि इसको आप व्यवस्था के नाते लें और इसको प्राथमिकता देते हुए....

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार की तरफ से वक्तव्य आ जाएगा तो आधी समस्याओं का समाधान तो अपने आप हो जाएगा और कोई सवाल खड़े रह जाएंगे तो हम लोग उनको पूछकर पूरा कर देंगे। लेकिन इस विषय को केवल धक्का देकर आगे के लिए सरका देने और अनिश्चितता की स्थिति में राजस्थान को छोड़ देने से राजस्थान का किसान हमको माफ नहीं करेगा। मैं आपसे फिर प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर हम

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सदन को ठीक प्रकार से संचालित करना चाहते हैं तो न तो किसी जिद्द का सवाल है और न किसी और का है, आप बात करके जब भी वो आज या कल वक्तव्य देना चाहें, दे दें और उसके लिए तारीख निश्चित कर दें कि इस दिन वक्तव्य देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप नेता, प्रतिपक्ष हैं, आप जानते हैं कि यह प्रोसीजर में आएगा। केवल ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल ज्ञानचन्दजी पारख। अंकित नहीं होगा और किसी का।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अनिल जैन (खानपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराजें। एक मिनट, माननीय सचेतकजी। माननीय राजेन्दजी, एक मिनट विराजें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये। माननीय सदस्या, आप बैठिये। आप विराजो। देखिये, आप सब को ध्यान है, आपका प्रस्ताव है .... (व्यवधान) आप विराजें। आप विराजिए। किसी का अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजें। मेरी बात सुन लीजिए आप। आप विराजिए। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, यह अंकित नहीं हो रहा है। यह सदन है, नियमों से आप आइये। (व्यवधान) आप क्या चाहते हो? आपका प्रस्ताव रिजैक्ट नहीं हुआ है, सरकार को गया है। भावना को समझिये। आसन पर कोई भी हमारे बीच में से बैठे वो निश्चित तौर पर सदन की भावना की कद्र करेगा, ध्यान रखेगा और प्रोसीजर के तहत जो भी होना होगा, वह किया जाएगा। इसमें आप इतने उद्वेलित क्यों होते हो? (व्यवधान) अमरारामजी, आप तीनों का

(श्री उपाध्यक्ष)

भी अंकित नहीं हो रहा है। केवल मेरा अंकित हो रहा है, किसी का अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनना चाहते हो? मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट आप। कल बी.ए.सी. की मीटिंग थी, ओले तो कल से पहले गिर चुके हैं, फिर भी आसन की तरफ से आपकी भावना का ध्यान रखा जाएगा, समय पर सब होगा। माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो सदन को बताया है, उससे सबको ध्यान में है। किसानों के हक में, हित में, राजस्थान के हक में, हित में इस सदन के माध्यम से जो कुछ किया जा सकेगा, वह वार्ता करके, निर्णय करके, यहां तक कि सरकार को भी कम्पैल करना पड़े तो करके, लेकिन ऐसे नहीं, यह तरीका...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: देखिये, आप माफ करिये, आप विराजिए। ज्ञानचन्दजी पारख का अंकित होगा, और किसी का अंकित नहीं होगा। आप प्रोसीजर से आइये, मिल-बैठकर अपन बात करेंगे। (व्यवधान) केवल ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ज्ञानचन्दजी, आप अपनी बात कहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, हम आपकी भावना का, जो कुछ भी आपने यहां कहा....

श्री उपाध्यक्ष: आपकी भावना के मुताबिक चलेगा सबकी मिलाकर। पूरे सदन की भावना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी बात को सुनकर तो यह लगा कि निश्चित रूप से आप भी चाहते हैं कि किसानों के हक में यहां बात हो। लेकिन इसको टालने की अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। आप आसन से भले ही आधा घंटे बाद इसकी घोषणा कर दें, आज या कल, दोनों में से जो भी आपको उचित समय लगता है, कम से कम सरकार का वक्तव्य आ जाए। जो उन्होंने किया वो सामने आ जाएगा और हमें अगर कोई शंका रह गई तो हम बात कह देंगे और बात पूरी हो जाएगी। लेकिन इसको अगर अनिश्चितकाल के लिए पोस्टपोन कर देंगे तो वास्तव में यह उस किसान के हित में नहीं होगा। इसलिए कृपा करके एक बार फिर इस पर विचार करिये। हमारी कोई जिद्द नहीं हैं, हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान मिले और उसका उसको लाभ मिले। हमारा मन्तव्य एक ही है। मन्तव्य यह नहीं है कि इसके कारण से हमको कोई नाम मिलेगा या अख़बार में जाएगा, यह हमारा कोई मन्तव्य नहीं है। हमारा मन्तव्य यह है कि उस किसान को हम कैसे फायदा पहुंचाएं। सरकार स्वयं सोच रही है, सरकार ने गिरदावरी के लिए भी कहा है तो अब तक उन्होंने क्या कर लिया और आगे वो क्या करने जा रहे हैं, और अगर उसमें कहीं हमको संदेह लगेगा कि इस विषय पर हम एग्री नहीं करते हैं तो अपनी बात और कह देंगे। अच्छा तो यह होता, सरकार अगर आज नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, कल अपना वक्तव्य दे दे लेकिन इसको अनिश्चितकाल के लिए आप पोस्टपोन करेंगे तो सदस्यों के मन में एक आक्रोश बना रह जाएगा। मेरी फिर आसन से विनम्र प्रार्थना है कि वो इस पर विचार करे और विचार करके, सरकार से बात करके निश्चित रूप से इसका रास्ता निकाले।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ज्ञानचन्दजी पारख, डा. दिगम्बर सिंह। (व्यवधान) श्री कालीचरणजी सराफ।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम किसानों की समस्या को लेकर सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(भाजपा दल के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: क्या आप चाहते हो कि सदन नहीं चले? (व्यवधान) श्री मोहनलाल गुप्ता। आप नहीं बोले हो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहनलाल गुप्ता। (व्यवधान) आप नहीं बोले हो। (व्यवधान) आप नहीं बोले हो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया के तीनों माननीय सदस्यों से आसन की ओर से करबद्ध निवेदन है, इससे ज्यादा सिम्पल भाषा कोई नहीं बोल सकता, कि आप तीनों जिस तरह से इस सदन में बोलते हो, आखिरी सत्र है यह बड़ा... (व्यवधान) आप सुनिये, अमरारामजी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, इसको साधारणतया मत लीजिये। यह किसने कहा कि इस पर बहस नहीं होगी, इस पर चर्चा नहीं होगी? यह किसने कहा कि सरकार नहीं चाहती किसानों का हक? किसी ने यह शब्द कहा ही नहीं। सब कहते हैं कि किसानों का हक चाहिये। सरकार भी चाहती है, आप भी चाहते हो लेकिन इसको इस तरह का मुद्दा बनाकर डाइल्यूट मत करिये। आप जान-बूझकर डाइल्यूट कर रहे हो। सरकार को कटघरे में खड़ा करने का यह तरीका नहीं है। आसन न सरकार का पक्ष लेता है, न विपक्ष का पक्ष लेता है। यह हर माननीय सदस्य का सम्मान करता है, तभी आसन होता है। आप फिर भी ऐसी बात कर रहे हो। जब आपसे कह दिया। नहीं, आप जान-बूझकर किसानों के हक की बात को डाइल्यूट करके विरोध की बात मत करिये। मैं

(श्री उपाध्यक्ष)

आपसे हाथ जोड़ता हूं कि यह तरीका ठीक नहीं है। सदन को चलने दीजिये। वह सब काम होगा सदन में जो किसानों के और राजस्थान की जनता के हक में होता है। सरकार भी बराबर है, आप भी बराबर हो। किसने कह दिया कि यह डाइल्यूट हो रहा है? ऐसा करके, ज्यादा बोलने से, मैं यहां पर ज्यादा बोलूंगा तो दो अक्षर ज्यादा आ जाएंगे, इससे मतलब नहीं है। हमारा मकसद है कि सरकार भी जनता के हक में कोई कमी रह गई हो तो पूरी करे और नहीं करे तो आप पूरी कराओ। सदन के माध्यम से जो निर्णय होगा, वह सरकार भी मानेगी, हमें भी मानना चाहिए। आसन का निर्णय है, आपको भी मानना चाहिए, सरकार को मानना चाहिए। इसलिए, माफ करना, आप तीनों माननीय सदस्य एक साथ कभी खड़े नहीं हों। यदि आप तीनों माननीय सदस्य एक साथ खड़े होंगे तो आपका सदन में दोनों पक्ष ज्यादा सम्मान करते हैं, उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं विघ्न पैदा होता है, इसलिए माफ करना। माननीय ज्ञानचन्दजी पारख। माननीय ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस को आर्डर में लाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपके कहने से नहीं होगा। आपके कहने से नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आसन का स्वविवेक है। आप इसको पढ़कर नहीं आते हो, इसको पढ़कर आइये। आप तीनों माननीय सदस्य इसको पढ़कर आइये। नहीं तो मैं आ जाऊं इसको समझाने? छोटा आदमी हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल ज्ञानचन्दजी पारख का अंकित होगा। और किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप कर रहे हो। मुंह से कहने से स्वागत नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: किसने कहा कि सरकार नहीं चाहती किसानों का हक? किसने कहा, विपक्ष नहीं चाहता? यह कोई बात होती है, अमरारामजी?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। आप विराजिये। आपसे सदन सीखता है, लेकिन तीनों बोलते हो तो हमारी समझ में नहीं आता है। ज्ञानचन्दजी पारख।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

ब्यावर-पिण्डवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु अवाप्त भूमि का अदेय मुआवजा

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर से लेकर पिंडवाड़ा तक फोर लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य निर्माणाधीन है और 50 प्रतिशत से भी ज्यादा काम हो गया अब तक और आने वाले एक साल में यह काम पूर्ण भी हो जाएगा। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बनने से इसके ऊपर जितने भी ट्रक या और वाहन निकलते हैं, उनको तो बहुत सुविधा होगी। जिस कम्पनी ने निर्माण का ठेका लिया, जिस कम्पनी ने टोल वसूली का ठेका लिया, उसको भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जिस किसान की जमीन पर यह राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, उसको इस एवज में मुआवजा दिया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां की जो वास्तविक बाजार दर है और जिस दर पर मुआवजा राशि तय की गयी है, यदि दोनों का अन्तर आप देख लें तो आपकी अन्तरात्मा खुद ही इस बात को कह देगी कि वाकई में उस किसान का बड़ा भारी नुकसान इस जमीन की अवाप्ति से हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग बनते हैं, उसमें सरकार का एक भी पैसा नहीं जाता है, न उस कम्पनी का एक भी पैसा अपनी ओर से जाता है। वह सड़क बनाएगी और आने वाले समय में टोल के रूप में वापस अपनी लागत का पैसा और लाभ दोनों वसूल करेगी। जब किसी की जेब से एक पैसा जाने वाला नहीं है, लाभ ही लाभ मिलने वाला है, हर व्यक्ति को लाभ मिलने वाला है, चाहे वाहन वाले हों, चाहे सरकार हो, चाहे कम्पनी हो, सबको लाभ मिलने वाला है, तो फिर उस किसान को ही नुकसान में क्यों रखा जाए? तीन साल होने आ गये, किसानों ने एक बार नहीं, अनेकों बार प्रदर्शन करके अपनी व्यथा सरकार के समक्ष पहुंचाई कि हमको जो राशि मुआवजे के रूप में दी जा रही है, वह आज की बाजार दर की तुलना में बहुत कम है। वे यह भी नहीं

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

कह रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमको आज की बाजार दर दो, पर वे इतना जरूर कह रहे हैं कि हमको कम से कम सम्मानजनक राशि दे दो ताकि हमारा परिवार जो इस भूमि के चले जाने के बाद से बिलकुल बेरोजगार हो जाएगा, हम खेती नहीं कर पाएंगे, इतना पैसा तो हमको मिल जाए कि हम वापस कोई नया रोजगार अपनी ओर से खड़ा कर सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी इस बात को लेकर किसानों ने अनेक बार आन्दोलन किये...

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपको एक मिनट डिस्टर्ब करूं, मैं यह अर्ज करता हूं कि आपने केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम में जो संशोधन हुआ है, उसको पढ़ा है? नहीं, उसको पढ़ा है क्या आपने?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस बात पर आ रहा हूं। मैं उसी बात पर आ रहा हूं जो संशोधन आपने किया है राज्य सरकार ने किया है। जब मैंने पिछली बार यह स्थगन लगाया था, पर्ची के माध्यम से लगाया था तो राज्य सरकार ने कहा, उसके बाद से यह जारी होगा। जो नई अवाप्ति भूमि होगी, उस पर होगा। 2009 में जमीन अवाप्ति हो गई, उस पर यह जारी होने वाला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात एक और है। जब किसानों ने अनेक बार आन्दोलन किये, प्रदर्शन किये और अपनी बात सरकार को जिला कलक्टर के माध्यम से पहुंचाई तो मध्यस्थ की भूमिका में जिला कलक्टर ने दोनों पक्षों को सुना। जो कम्पनी बनाने जा रही है एल. एण्ड टी., उसको भी सुना और जो पीड़ित काश्तकार थे, उनको भी सुना। अनेक बार सुनवाई के बाद में मध्यस्थ के रूप में उन्होंने निर्णय दिया कि उस समय की जो डीएलसी दर थी, उससे दुगनी राशि मुआवजे के रूप में दी जाए। एक बार मध्यस्थ ने फैसला दे दिया लेकिन मध्यस्थ के फैसले को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। उसको भी एक साल हो गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद एक भी किसान को बढ़ी हुई दर से मुआवजा नहीं दिया गया। मेरा सरकार से यही आग्रह है कि मध्यस्थ भी सरकार का ही हिस्सा है और जो भूमि अवाप्ति अधिकारी है, जो दर तय करता है, वह भी सरकार का हिस्सा है, जब जिला कलक्टर ने आर्बिट्रेटर के तौर पर एक फैसला दे दिया तो जो भूमि अवाप्ति अधिकारी हैं उनको यह आप निर्देश दें कि वह उस फैसले को लागू करें और किसानों को जल्दी से जल्दी मुआवजा दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि इससे हजारों किसान प्रभावित हो रहे हैं, पाली में आग लगी हुई है। सरकार की ओर से कोई छोटा-मोटा आश्वासन ही मिल जाए तो ठीक रहेगा। आपको कुछ नहीं

(श्री ज्ञानचन्द पारख)
करना है, जो मध्यस्थ ने फैसला दिया है उसको लागू करवाना है। मैं नये फैसले की बात नहीं कर रहा हूं सरकार की ओर से। सरकार के ही एक अधिकारी हैं जिनको सरकार ने आर्बिट्रेटर का काम सौंपा। उसने फैसला दे दिया, उसको लागू करवाने की बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कर रहा हूं। आप सरकार से थोड़ा जवाब दिलवा दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितनी विडम्बना है कि आज सदन का पहला दिन है, माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव के जरिये इस सदन में कुछ आकर्षित करना चाहते हैं, सूचित करना चाहते हैं और मंत्री महोदय नहीं हैं। मतलब ट्रैजरी बैंचेज की हालत देख लें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जाएं तो जाएं कहां? इस सर्वोच्च सदन के अलावा हमारे पास जगह कहां है जहां हम व्यथा कह सकते हैं, पीड़ा कह सकते हैं? आप जैसा विद्वान व्यक्ति उपाध्यक्ष के पद पर विराजमान है, आसन पर विराजमान है और सरकार के मंत्री नहीं आएं? आपकी एक फटकार, उपाध्यक्ष महोदय, सारे मंत्रिमण्डल को खड़ा कर सकती है। मुझे आपकी क्षमता मालूम है इसलिए आप, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को बुलाएं और माननीय सदस्य को उत्तर दिलवाएं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप आगे मत बढ़ो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कोई फैसला कराने की बात नहीं कर रहा हूं। फैसला हो चुका है, उस फैसले को लागू करवाने की बात कहता हूं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एन.एच. 14 पर...

श्री उपाध्यक्ष: हर पाइंट पर बोलना जरूरी नहीं है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ...पक्के-पक्के मकान तोड़े जा रहे हैं और उनको 100-100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मुआवजा देने का काम सरकार कर कम रही है। क्या एक मकान, एक जमीन की वैल्यू इतनी भी नहीं होती है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एन.एच. 14 पर...

श्री उपाध्यक्ष: अब हर बात पर नहीं बोलते हैं। माननीय नेता, प्रतिपक्ष बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

महोदय, आपसे विनम्र प्रार्थना हमारी केवल यह है कि जब कभी भी किसी माननीय सदस्य का स्थगन स्वीकृत कर दो मिनट बोलने का समय देते हैं, सम्बन्धित मंत्री को हिदायत दें कि उसके उस स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जब चर्चा हो, वह स्वयं उपस्थित रहे। जवाब दें या नहीं दें, यह उनकी इच्छा पर निर्भर है लेकिन कम से कम उनकी उपस्थिति यहां जरूर होनी चाहिए, नहीं तो यहां स्थगन लगाने का कोई अर्थ नहीं है। इतनी व्यवस्था आसन से जरूर हो जाए कि स्थगन या परची जिस किसी भी माननीय सदस्य की लगती है, जिस डिपार्टमेंट से सम्बन्धित लगती है उस डिपार्टमेंट का मंत्री जरूर यहां हाउस में उपस्थित रहे और उस विषय पर जो भी उसे निर्णय लेना है, वह उसका निर्णय ले। तब तो उसका कोई लाभ मिलेगा, नहीं तो केवल बोलने के लिए बोलना हो जाएगा। आसन इसके बारे में गम्भीरता से विचार करे और आगे के लिए इस प्रकार की हिदायत दे कि वह उपस्थित रहे।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी भावना रिकार्ड हो गई है। निश्चित तौर पर (व्यवधान) आप एक मिनट। निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। (व्यवधान) आपका तो वह समाप्त हो गया न? मैं आपकी भावना....

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समाप्त नहीं हुआ है। (व्यवधान) मैंने स्थगन जो लगाया, मैं कम से कम जनता को बता तो दूं कि सरकार की ओर से यह जवाब आया है। वहां किसान आंदोलित हो रहे हैं। लोग मुआवजे के लिए दर-दर की ठोकरें लगा रहे हैं, अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं, आफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं करवाना, मैं तो यही करवाना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो आर्बिट्रेटर तय हुआ था उस आर्बिट्रेटर ने फैसला दे दिया....

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उसकी पालना की जाए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): उस फैसले को एक साल बाद भी लागू नहीं किया गया अभी तक, एक साल हो गया फैसला दिये हुए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मतलब जो फैसला हुआ उसकी पालना करवा दें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): उसकी पालना करवानी है, सरकार कह दे कि पालना करवा देंगे, बात खतम हो गई।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): पक्के मकान गिराये जा रहे हैं एन.एच. 14 पर।

श्री उपाध्यक्ष: आप शिक्षा मत दो । (व्यवधान) आप केवल ज्ञानचन्दजी पारख का अंकित करें। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपने प्रोसीजर से आये हैं, आप बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी बात समाप्त कीजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आप तो इतना बता दें कि पालना हो जाएगी और इतने दिन में हो जाएगी, कोई बड़ी बात तो है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: डा. दिगम्बर सिंहजी। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सदन में आज पहला दिन है...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: डा. दिगम्बर सिंहजी। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ××× (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: डा. दिगम्बर सिंह। (व्यवधान) आप दोनों इनसे सीनियर मैम्बर हो जो इनको इंटरवीन कर रहे हो?

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, हर बात में बोलने से कोई वह नहीं होता है। आप समझिये, सदन को चलने दीजिये आप। आप सदन को डिस्टर्ब मत करिये। (व्यवधान) कृपा करके इस तरह की आदत मत डालिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप आदत मत डालिये। श्री डा. दिगम्बर सिंहजी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो...

श्री उपाध्यक्ष: आपकी बात बहुत हो गई, वह देख लेंगे, बात करते हैं।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जब तक किसी और पाइण्ट से उठाइये न। सरकार...

स्वाइन फ्लू का कहर

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का दो मिनट का मौका दिया है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप, डा. दिगम्बर सिंहजी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): राजस्थान की जनता में चारों तरफ दहशत है, राजस्थान की जनता चारों तरफ से त्राहि-त्राहि कर रही है। स्वाइन फ्लू का प्रकोप राजस्थान में बढ़ रहा है। सन 2009 में जैसे ही सरकार का पदार्पण हुआ, स्वाइन फ्लू ने भी अपने पैर पसारना चालू कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 2009 में शुरू में सरकार सावचेत नहीं हुई, लेकिन आखिर में जब बहुत जबरदस्त स्वाइन फ्लू का प्रकोप हुआ तो सरकार को मजबूरन इसको महामारी घोषित करना पड़ा। 2009 से लगातार, 198 मौतें तो 2009 में हुईं, 2010 में 210 हुईं और अब 2013 की शुरूआत है, उपाध्यक्ष महोदय, 160 मौतें राजस्थान के अन्दर रिकार्ड पर हो चुकी हैं। मैं इसको कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आप कम से कम मेरी बात सुनने के लिए यहां आकर विराजे। मैं इसको राजनैतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता क्योंकि यह मुद्दा राजस्थान के स्वास्थ्य और राजस्थान के लोगों में दहशत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय, कि सरकार जिस तरह से इसकी रोकथाम में फेल हो रही है, इसकी जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने में फेल हो रही है, आप एक बार कम से कम सर्वदलीय बैठक बुला लें, सब लोगों से राय-मशविरा कर लें, किस तरह से हम इस महामारी से अपने राजस्थान की जनता को बचा सकेंगे, उनके उपाय हमको करने चाहिए। आज जोधपुर की हालत तो यह हो रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि दो डैथ पर डे, जो हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला है, वहां पर स्वाइन फ्लू से एवरेज दो डैथ पर डे हो रही हैं। अकेले

(डा. दिगम्बर सिंह)

जोधपुर जिले में ही 60 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है,हजारों की संख्या में पाजिटिव केस आज भी मौजूद हैं। एसएमएस मेडिकल कालेज में अगर आप इनवैस्टीगेशन की बात करें, जोधपुर, अजमेर के अन्दर बात करें, तो कितनी जगह आपने इनवैस्टीगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है? एक मशीन से एक दिन में ग्यारह-बारह टैस्ट हो सकते हैं, बारह नमूने ज्यादा से ज्यादा। रोजाना जो सैम्पल कलेक्शन है आउटडोर से, आब्जर्वेशन वार्ड से, यह कहते हैं कि हमने तीन टायर का सिस्टम बना रखा है, आब्जर्वेशन वार्ड बना रखा है, उसके बाद पाजिटिव केसेज के लिए अलग वार्ड बना रखा है, फिर जो सीरियस केस हैं उनके लिए आईसीयू बना रखा है। आपने किताबों में, कागजों में तो पूरी खानापूर्ति कर दी, परन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों के पाजिटिव केसेज हैं, स्वाइन फ्लू जिन बच्चों को पाजिटिव आया है उनके लिए सिरप तक अवेलेबल नहीं है सरकार के पास। गोलियों के टुकड़े करके देकर क्या उसको सही डोज दे सकते हैं? मैं चिकित्सक होने के नाते कह सकता हूं कि सरकार इस तरह का बर्ताव जनता के साथ नहीं करे। आपके वश का नहीं है, दिल्ली से टीम बुलाई। दिल्ली की टीम आई, दिल्ली की टीम ने इसका पूरा तामझाम देखा भी। दिल्ली की टीम जो भी आपको सजेशन देकर गई है, सरकार उसको लागू करे। बाहर से अगर डाक्टर्स की आवश्यकता है, इसके मैनेजमेंट के लिए बाहर से लोगों की आवश्यकता है तो बाहर से लोगों को बुलाना चाहिए, इतना मेरा निवेदन है। मैं कहना चाहूंगा आपको कि मेडिकल कालेज के स्तर यह स्थिति हो रही है। जोधपुर में सर्वे शुरू करवाया है, प्रिंसीपल सैक्रेटरी महोदय पधार गये जोधपुर के अन्दर और वहां उन्होंने बैठक लेकर सर्वे की कार्यवाही शुरू की। राजस्थान के कौन-कौन से जिलों में, कौन-कौन से कोने में सर्वे की कार्यवाही चल रही है, क्या मंत्री महोदय यह बताने का प्रयास करेंगे? मैं आपको यह निवेदन करूंगा, ऐसा नहीं है कि इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, बहुत आसानी से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, अगर आवश्यकता है तो एक दृढ़ विल पावर की, एक इच्छाशक्ति राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। और मैं कहता हूं कि आप डोर टू डोर सर्वे करवाइये, निश्चित रूप से पाजिटिव केसेज की संख्या हजारों में और बढ़ेगी। आज बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मां-बाप को डर रहता है कि शाम को बच्चा स्कूल से लौटेगा तो

(डा. दिगम्बर सिंह)

कहीं फ्लू का इन्फेक्शन तो बच्चा घर लेकर नहीं आ जाएगा। अब अखबारों में फोटो छपते हैं, वार्ड में जिनकी ड्यूटी है, डाक्टर्स बिना मास्क के उसमें राउंड कर ले तो इससे ज्यादा लापरवाही क्या हो सकती है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो पापुलेशन एक्सपोज्ड है और जो पापुलेशन एट रिस्क है, कम से कम उसको वैक्सीनेशन की व्यवस्था करानी चाहिए। आपकी कमेटी ने भी कहा बताते हैं, जो दिल्ली से आई थी, कि मास वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं है परन्तु जो एक्सपोज्ड पापुलेशन है उसको वैक्सीनेशन की व्यवस्था करवाएं और राजस्थान की जनता को बचाने का प्रयास करें। टेमी फ्लू का सिरप भी मिलता है, केवल गोलियां। सरकार वैसे तो बहुत जबरदस्त ढिढोरा पीट रही है कि मुफ्त दवा योजना हमने शुरू की है, मुफ्त दवाइयां दे रहे हैं। एक हजार रुपये अगर इसकी जांच का कर दिया तो बहुत बड़ी वाहवाही आपने लूट ली, कह रहे हैं कि स्वाइन फ्लू की जांच, इलाज फ्री कर रहे हैं। आज से स्वाइन फ्लू की दवाई फ्री नहीं दे रहे हैं, सन 2007 से इस स्वाइन फ्लू की जो दवाई है टेमी फ्लू, उस समय भी लोगों को मुफ्त दी जा रही थी। केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, राजनैतिक भाषण से काम नहीं चलेगा। आपको, मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि एक बार सर्वदलीय बैठक बुलाएं, एक बार राजनीति से ऊपर उठकर इसको जनहित में सोचकर, विचार कर हम क्या इस पर निर्णय ले सकते हैं कैसे जनता की इस दहशत को दूर कर सकते हैं, हम लोगों को मिलकर कार्यवाही करनी चाहिए। धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय कालीचरणजी सराफ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उत्तर तो दिलवाएं, साहब। स्वाइन फ्लू से लगातार मौतें हो रही हैं, राजस्थान में हाहाकार मचा है, मंत्री महोदय बैठे हैं, यह संवेदनशील सरकार का नमूना है? (व्यवधान) मतलब मंत्री महोदय बैठे हैं, जवाब देना नहीं चाहते, इनके पास जवाब नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें। कालीचरणजी, एक मिनट। माननीय सदस्य, हर मामले में खड़े नहीं होते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): स्वाइन फ्लू की बात नहीं करें क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं? आप जवाब नहीं

(श्री उपाध्यक्ष)

सुनना चाहते हो क्या? (व्यवधान) जवाब सुनना चाहते हैं तो खड़े रहकर क्या चाहते हैं आप? (व्यवधान) आप क्या चाहते हैं? केवल मंत्रीजी का अंकित होगा। मंत्रीजी खड़े हैं, आप तो सीनियर मैम्बर हो, प्रोसीजर पर तो आओ। दे रहे हैं जवाब। जरूरी नहीं है कम्पैल किया जाए। जवाब दे रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। केवल मंत्रीजी। आपसे तो आसन सीखता है, ऐसी शिक्षा मत दो आप।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से एक हमारे माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं, अगर आप आज्ञा दें तो पहले वह बोल लें। वह बोल लें उसके बाद मैं उसका जवाब दे दूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, यह बहस का मुद्दा नहीं है। आप चाहते हो तो वह भी कर दिया जाएगा प्रोसीजर में लाकर, मैं आपकी बात समझ गया हूं। यह पर्ची है। एक मिनट, आप विराजिए, वह भी शामिल कर लेते हैं। एक मिनट, मैं देख लेता हूं, सदन की राय हो तो पर्ची को भी साथ ले लें। माननीय बाबूसिंहजी राठौड़।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव पर अपने विचार रखें हैं। स्वाइन फ्लू पूरे राजस्थान में कहर बरपा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी पूरी बात आ गई है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 2009 में जोधपुर में पहले 80 मौतें हो जाने के बाद वायरल कम पड़ गया था। तापमान में कमी आई और वातावरण में नमी आई, उससे पूरे प्रशासन ने और चिकित्सा विभाग ने यह सोच लिया कि अब वायरल कम हो गया है और दुबारा स्वाइन फ्लू नहीं होगा। तो वह निश्चितता की नींद सो गया। उन्होंने न तो कोई जांच की और न ही कोई टैस्ट किया। डब्ल्यूएचओ की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ऐसा वायरल फ्लू तीन वर्ष तक वातावरण में वह रहता है, वह हटता नहीं है, कभी भी वापस आ सकता है। इसकी गम्भीरता को उन्होंने महसूस नहीं किया और हालात ये हो गये जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। पुणे में भी यह स्वाइन फ्लू फैला, दिल्ली में भी फैला। जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में 2009 में पाजिटिव कैसेज 8439 थे, 72 मौतें हुईं। राजस्थान में 3032 थे, 150 मौतें हुईं। 2010 में 2725 थे दिल्ली में, 77 मौतें हुईं। राजस्थान में 1710 थे, 153 मौतें हुईं। 2011 में 32

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

पाजिटिव थे, 2 मौतें हुईं और राजस्थान में 36 थे, 11 मौतें हुईं। 2012 में 78 थे, 1 मौत हुई और राजस्थान में 343 थे, 80 मौतें हुईं। 2013 में हालात ये बन गये कि दिल्ली में तो 27 में से 3 और यहां राजस्थान में पाजिटिव कैसेज तो हज़ारों की संख्या में हैं और 160 मौतें हो गईं। पूरे हिन्दुस्तान में जितनी मौतें हुईं, जोधपुर अकेले के अन्दर 40 मौतें हो गई और मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में 10 मौतें हो गईं। सबसे ज्यादा पाजिटिव उन गांवों में हैं। मेरी सगी दादीसा को पाजिटिव हुआ। स्वाइन फ्लू हुआ। उनको मिलने के लिए मैं अस्पताल गया, उनकी डैथ होने के बाद मैं उनके घर भी गया। यह वातावरण है, बहुत भयावह हालात बन गये हैं। हम कह रहे हैं, यहां पाजिटिव कम होने के बाद भी मौतें ज्यादा हुईं और दिल्ली और पुणे में ज्यादा पाजिटिव होने के बाद में भी कम मौतें हुईं। वहां तो मौतों से बचाया जा रहा था और यहां मौतें हो रही थीं। इसके लिए सरकार गम्भीर नहीं है। 2009 से यह मौतों का सिलसिला चल रहा है। जब से कांग्रेस की सरकार दिसम्बर, 2008 से आई है, तब से यह स्वाइन फ्लू साथ लेकर आई है। जोधपुर के मुख्य मंत्री हैं, चार बार जोधपुर गये लेकिन स्वाइन फ्लू के लिए एक बार भी मीटिंग उन्होंने अलग से अधिकारियों की नहीं ली। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों के हालात ये हैं कि गांवों में जब खांसी, बुखार या सिरदर्द होता है तो उनकी फ्री जांच करने के लिए कोई तैयार नहीं है। न तो वहां पीएचसी पर स्वाइन फ्लू की दवाई मिली, न उप स्वास्थ्य केन्द्र पर मिली। गांवों में दूरियां अधिक होने के कारण जब उनको जोधपुर मुख्यालय पर लाया जाता है तो वह बीमारी बढ़ जाती है और वेंटीलेटर पर लेते ही उनकी तीसरे दिन या दूसरे दिन मौत हो जाती है। अब जयपुर में ही एक प्रकरण आया है कि 19 तारीख को मरीज गया, उसने अपनी स्वाइन फ्लू के लिए जांच दी है। स्वाइन फ्लू की जांच देने के बाद उसको दूसरे दिन बुलाया गया। वह दूसरे दिन अपनी टैस्ट रिपोर्ट लेने गया तो कहा कि आपकी तो रिपोर्ट आई ही नहीं है। जबकि उन्होंने कहा कि मंगलवार को अपनी टैस्ट रिपोर्ट दी है और बुधवार शाम तक वहां आ गया था। वहां सही ढंग से जांच नहीं हो रही है, इसलिए मेरा निवेदन है कि मौतें बढ़ रही हैं, स्वाइन फ्लू बढ़ गया है। मेरी सरकार से विशेष मांग यह है, मैं सिर्फ और सिर्फ सुझाव देना चाहता हूं सरकार को कि इसको आप महामारी घोषित करें। इसके लिए विशेष अलर्ट घोषित करें। महामारी है सभी सम्भाग मुख्यालयों पर- अजमेर में चले जाओ, कोटा में चले जाओ, जयपुर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): इसके लिए मैं खास तौर से मांग करना चाहूंगा सरकार से कि आप एक तो पुणे का जो माडल बना था, ऐसा माडल आप लाएं। वहां ज्यादा मौतें हुई फिर भी वहां यह कंट्रोल हो गया। वहां मौतें बंद हो गई हैं, पाजिटिव मरीज नहीं मिल रहे हैं। जो पुणे माडल है, उस माडल को यहां राजस्थान में आपको लागू करना चाहिए और विशेष तौर से जोधपुर के अन्दर लागू करना चाहिए। महामारी घोषित कर अलर्ट जारी करें। प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करें। अस्पतालों में अलग से ओपीडी, उपचार, उपचार व्यवस्थाओं की प्रभावी मानिटरिंग करें। स्वाइन फ्लू की जांच हो, उसके लिए 1500 रुपए लगते हैं, आपने फैसला किया कि अब 1000 रुपए लगेंगे। क्यों लगेंगे? स्वाइन फ्लू के इलाज के लिए तो आप नि:शुल्क करें। इसकी सारी दवाइयां टेमी फ्लू, जांच, उसका ओपीडी सारी आपको अलग से व्यवस्थाएं करनी चाहिए। 24 घंटे के लिए इसका कंट्रोल रूम आपको करना चाहिए, अलग से आइसोलेशन वार्ड आपको खोलना चाहिए। अब जो पाजिटिव मरीज आ रहे हैं उनको सामान्य मरीजों के साथ रखते हैं, वहां पर संक्रमण फैल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: बाबूसिंहजी, समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: निवेदन तो हो गया है। एक ही चीज को रिपीट नहीं करें। जांच फ्री करें यह पांच दफा कर दिया है आपने, रिकार्ड देख लीजिए। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होनी है, आपकी सारी बातें आ गई हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जांच फ्री नहीं की है, इन्होंने 1500 से 1000 रुपए किया है। मैं तो यह कह रहा हूं कि इसकी जांच नि:शुल्क कीजिए। इतनी बीमारी फैल रही है, लोगों की मौत हो रही है, काल कवलित हो रहे हैं। स्वस्थ शरीर का व्यक्ति एकदम से इसकी चपेट में आता है और खतम हो जाता है। यहां तो बड़े-बड़े आईएएस को हुए। जब मंत्रियों को और विधायकों को स्वाइन फ्लू होगा तब एहसास होगा कि कितना बुरा और भयावह यह स्वाइन फ्लू है। इसलिए निवेदन है कि ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका सुझाव गम्भीर होता है ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): इस रोग से जो प्रभावित हैं, जो संक्रमित क्षेत्र हैं, वहां कीटनाशकों की छिड़काई की प्रभावी कार्रवाई आप वहां पर करें। गांवों में करने की ज्यादा जरूरत है। गांवों में स्वाइन फ्लू ज्यादा है। विधान

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सबसे ज्यादा पाजिटिव हैं। 10 मौतें हो गई हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में और मैं अपनी बात नहीं रखूं? वहां हालात ये है कि वहां पर प्राथमिक उपचार के लिए टेमी फ्लू नहीं मिल रहा है। टेमी फ्लू भी मिलना चाहिए गांवों के अन्दर। आप पूरे विभागों को जिम्मेदारी दीजिए कि वे सर्वे करें, गांवों के अन्दर ध्यान रखें। थोड़ा बुखार आया, सिरदर्द हुआ, सिरदर्द की गोली ले ली और ठीक हो गया। उसको पता ही नहीं है कि वह पाजिटिव है। स्वाइन फ्लू उसको हो गया है, उसको ध्यान ही नहीं है। जब एकदम से स्वाइन फ्लू उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है तब जाकर उसको हालात का पता चलता है। डायलिसिस पर लाते ही दूसरे दिन वह खतम हो जाता है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि सभी विभागों, सभी अधिकारी/कर्मचारियों की मानिटरिंग करने के लिए जिम्मेदारी आप फिक्स करें। इस बार फ्लू वायरस ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा फैल रहा है। राजस्थान में यह भयावह स्वाइन फ्लू है, ज्यादा महामारी फैलेगी, इसलिए इसको अलर्ट घोषित करें। सरकार इसमें विशेष व्यवस्था करे। सरकार सोई हुई है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ...(व्यवधान) आपके ज़िले में भी मौत हुई हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप शांत रहिए, हमारा जिला तो राजस्थान है। आप समाप्त करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जोधपुर में स्वाइन फ्लू से रोज मौतें हो रही हैं। मंत्री महोदय जोधपुर पधारे और वहां पर इन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली, लेकिन स्वाइन फ्लू के लिए उन्होंने प्रभावी कदम नहीं उठाये। आज भी वहां हालात ये हैं कि प्रति दिन दो मौतें हो रही हैं। मौतों को रोकने के लिए सरकार के प्रयास नाकाम रहे हैं। आप प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं। सरकार इसके लिए दोषी है। (व्यवधान) इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मंत्री महोदय, मेरा इसमें एक सुझाव है। मैंने तीन केसेज जो पाजिटिव थे स्वाइन फ्लू, पीबीएम हास्पिटल में भर्ती थे, गिलोय बेल आती है उसकी...

श्री उपाध्यक्ष: व्यक्तिगत बात नहीं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मैं इलाज बता रहा हूं, आप मार रहे हो लोगों को। एक मिनट, मैंने तीन पाजिटिव केसेज जो अस्पताल में भर्ती थे, आक्सीजन पर आ गये थे, उनको ठीक किया है। आपका वहां वैद्य भी बैठा है, मैंने सीएमएचओ को सुझाव भी दिया था कि आप एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करें और इनको कहो साथ में कि आप देशी जो औषधि हमारी है गिलोय, मैं निश्चित तौर पर गारंटी लेता हूं कि एक दिन में तीन टाइम उसको इसका काढ़ा पिला दो, मर जाए तो मेरी गारंटी। तीन दिन पिला दो तो बिलकुल क्लियर हो जाएगा। मैंने ठीक किया है तीन केसेज को।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, ...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, किसी का अंकित नहीं होगा। आप जवाब सुनना नहीं चाहते। यह बहस नहीं है। माननीय सदस्या, यह बहस नहीं है, आपको पांच साल सदन में हो गये हैं।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, किसी का अंकित नहीं होगा माननीय मंत्रीजी के अलावा। आप जवाब सुनना नहीं चाहते। देखिये, यह पर्ची का मामला है। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप हर पाइंट पर बोलते हैं। नहीं, बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलना चाहते हो क्या? नहीं बोलना चाहते?

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कालीचरणजी सराफ, नहीं सुनना चाहते हो तो मत सुनिये आप। नहीं, मंत्रीजी। आपको किसने अलाउ किया? आसन ने आपको अलाउ नहीं किया है। जब ये सुनना ही नहीं चाहते तो आप क्यों बोलते हो?

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनना ही नहीं चाहते। आप सुनना नहीं चाहते तो जवाब नहीं आएगा सरकार से। माननीय कालीचरणजी सराफ। यह करना पड़ेगा, डेढ़ महीने सदन चलाना है। सिस्टम से चलना है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये, दिगम्बर सिंहजी, माफ करना। मैं चाहता हूं कि इसमें सरकार का जवाब ही नहीं आए, व्यवस्था यदि कहीं गड़बड़ है, वैसे व्यवस्थाएं सब ठीक हैं लेकिन फिर भी कहीं कमी है, तो सरकार के ध्यान में आए। अब आप चार-चार, पांच-पांच बोलोगे, हर पाइंट पर बहस करोगे तो सदन कैसे चलेगा? अमरारामजी, आप जानते हो। माननीय मंत्रीजी।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनना ही नहीं चाहते।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वाइन फ्लू को लेकर माननीय सदस्यों का चिंतित होना वाजिब है। सारी दुनिया के देश इस रोग से त्रस्त हैं और हमारा देश और राज्य भी इससे अछूता नहीं रहा है। माननीय सदस्यों को याद होगा, जब 2009 में देश और राजस्थान में इस वायरस का प्रकोप फैला था, उससे पहले सर्दी-जुकाम के लिए कहावत थी कि अगर दवा लोगे तो एक सप्ताह में और नहीं लोगे तो सात दिन में ठीक हो जाओगे। लेकिन जुलाई, 2009 के बाद यह परिदृश्य बिलकुल बदल गया है और आज हम कहते हैं कि सर्दी-जुकाम, बुखार होने पर तुरन्त डाक्टर को दिखाएं, देरी जान के लिए घातक हो सकती है। स्वाइन फ्लू एच-1, एन-1 वायरस से फैलने वाला रोग है जो सामान्यत: सभी वर्ग के व्यक्तियों को प्रभावित करता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): किन्तु ज्यादा गम्भीर प्रभाव बच्चों, गर्भवती महिलाओं, वृद्ध रोगी व ऐसे मरीज जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है जैसे एड्स, कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा आदि के रोगी पर पड़ता है। राज्य में स्वाइन फ्लू का पहला रोगी 2009 में चिह्नित किया गया था, तब से 20 फरवरी, 2013 तक 21,525 संदिग्ध रोगियों की जांच करवाई गई जिसमें से 5,713 रोगी पाजिटिव पाये गये। इसमें से पाजिटिव प्राइवेट व सरकारी अस्पतालों में आये कुल 478 रोगियों की मृत्यु हो गयी। राजस्थान में रैपिड रेस्पांस सिस्टम व बेहतर डायग्नोस्टिक एवं क्यूरेटिव फैसिलिटीज के कारण सही इलाज हो रहा है। साथ ही जनता को जागरूक करने के प्रयासों के कारण भी ऐसा सम्भव हो पाया है। हमारे प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य के छह मेडिकल कालेज, ईएमआरसी, जोधपुर तथा तीन निजी लैब में

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां))

स्वाइन फ्लू जांच सुविधा उपलब्ध है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि स्वाइन फ्लू प्रदेश में महामारी के रूप में नहीं है, फिर भी एहतियात के तौर पर स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सरकार के स्तर पर हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य के सभी जिलास्तरीय सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स बनाये गये हैं एवं स्वाइन फ्लू की दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। करीब सत्तर हजार मरीजों को टेमी फ्लू टैबलेट्स उपलब्ध करायी गयी हैं। अधिकृत निजी अस्पतालों को उनकी मांग पर स्वाइन फ्लू के उपचार हेतु स्वाइन फ्लू की दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी अस्पतालों में सर्दी-जुकाम, खांसी, बुखार, गले में ख़राश जैसे लक्षण वाले मरीजों को सम्भावित रोगी मानते हुए स्वाइन फ्लू के उपचार हेतु टेमीफ्लू टैबलेट उपलब्ध करवायी जा रही हैं। वर्तमान में प्रदेश में टेमीफ्लू औषधि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। राज्य के सभी मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों, जिला अस्पतालों व अधिकृत निजी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के गम्भीर रोगियों हेतु 222 वेंटीलेटर अलग से आरक्षित किये गये हैं। सभी रैफर किये गये मरीजों की ट्रैकिंग करने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि पता चल सके कि मरीज मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में जाकर उपचार प्राप्त कर रहा है अथवा नहीं। सभी जिला अस्पतालों पर स्वाइन फ्लू सम्भावित मरीजों के नमूने संग्रहण की सुविधा है ताकि संदिग्ध स्वाइन फ्लू के रोगियों के सैम्पल लेकर सम्भागीय मेडिकल कालेजों में जांच हेतु भिजवाये जा सकें। सभी जिला स्तर व ब्लाक स्तर पर 309 रैपिड रेस्पांस टीम का गठन किया हुआ है जिसके माध्यम से प्रभावित रोगी के घर के आस-पास सर्वे कर इंफ्लुएंजा लाइक इलनैस लक्षण वाले मरीजों को स्वाइन फ्लू का उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर कंट्रोल रूम एवं टोल फ्री नंबर 104 कार्यरत है जिसके द्वारा भी स्वाइन फ्लू के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवायी जाती है। राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग, बीपीएल परिवार के सदस्यों को व अस्पताल में भर्ती मरीजों को जांच की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध करवायी जा रही है। इसके अलावा हैपेटिक फैलियर, किडनी फेलियर व कैंसर स्टेज टू के मरीजों के लिए भी जांच सुविधा नि:शुल्क है। इस वर्ष 1.1.2013 से अभी तक सरकारी अस्पतालों में कुल 2160 मरीजों की स्वाइन फ्लू जांच हुई जिनमें से 1437 मरीजों की जांच नि:शुल्क की गई जो

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां))
कुल जांचों का लगभग 67 प्रतिशत है। अन्य मरीजों के लिए जांच शुल्क शुरूआत में तीन हजार था जिसको अब पन्द्रह सौ से घटाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है। आम जन को जागरूक करने के प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि लक्षण दिखते ही समय पर सही इलाज शुरू हो सके। प्रमुख समाचार पत्रों, इलैक्ट्रोनिक मीडिया, एफ.एम. रेडियो, पैम्प्लेट्स व अन्य माध्यम से स्वाइन फ्लू के लक्षण, उपचार व बचाव के बारे में जनसाधारण को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के अन्तर्गत लगने वाले कैंपों में रैपिड रेस्पांस टीम के द्वारा भी सर्वेक्षण के समय जनसाधारण को स्वाइन फ्लू के बारे में आवश्यक जानकारी दी जा रही है। बेहतर मानिटरिंग व सुपरविजन के माध्यम से स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। स्वाइन फ्लू से ज्यादा प्रभावित जिलों में सर्वे करवाया गया व निदेशालय स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति पर निगरानी हेतु भेजा गया। समय-समय पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, माननीय शासन सचिव महोदया एवं मुख्य सचिव महोदय तथा स्वयं मेरे द्वारा भी स्वाइन फ्लू के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित कर स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। दिनांक 19.02.2013 एवं 20.02.2013 को केन्द्र से आईसीएमआर, डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल एवं एनसीडीसी की 6 सदस्यों की टीम द्वारा राज्य के चार जिलों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व अजमेर में चिकित्सा संस्थानों का दौरा किया गया। टीम के सदस्यों ने सरकार के प्रयासों को संतोषप्रद बताया। टीम की रिपोर्ट अपेक्षित है। मीजल्स कैचअप राउंड के दौरान बच्चों के इंफ्लुएंजा के लिए स्क्रीन करने का कार्यक्रम तथा आंगनबाड़ी केन्द्र एवं सब सेन्टर पर एंटी नेटल चैक अप के दौरान भी स्वाइन फ्लू के संभावित केसेज की स्क्रीनिंग की जा रही है।

मैं अंत में सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि स्वाइन फ्लू वैक्सीन की उपयोगिता अभी तक संदिग्ध है। अमेरिका में वैक्सीन के साइड इफैक्ट के कारण इसका उपयोग बंद करना पड़ा। यूरोप के देशों में बच्चों में इसके इस्तेमाल से नारकोलैप्सी की शिकायत की गई जिसके बाद वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया गया। इसलिए विशेषज्ञों की राय में वृहत् सामुदायिक स्तर पर वैक्सीन लगाने की योजना नहीं लायी जानी चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि सामुदायिक टीकाकरण नेशनल इम्युनाइजेशन गाइडलाइंस के

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां))

अनुसार होना चाहिये लेकिन अभी तक नेशनल गाइडलाइंस में स्वाइन फ्लू टीकाकरण के निर्देश नहीं दिये गये हैं, धन्यवाद।

(13.00 बजे)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): इतनी व्यवस्था के बाद स्वाइन फ्लू के पाजिटिव बढ़े हैं या घटे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, जिन गांवों में पाजिटिव मिले हैं, जहां मौतें हुई हैं वहां पर सर्वे नहीं हो रहा है। मेरे गांव में, पड़ौसी गांवों में गढ़ा में, बैलवा में, खिरजा में, जहां स्वाइन फ्लू से मौतें हो गई हैं, जहां पर पाजिटिव पाये गये हैं, उन गांवों का सर्वे करना, उन ढाणियों का सर्वे करना, उनको टेमी फ्लू देना, दवाइयां देना, अभी तक वहां पर कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। पीएचसी पर भी डाक्टर बैठता नहीं है, एड पोस्ट पर कम्पाउंडर बैठता नहीं है। गांवों में ये हालात हैं, आपको सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी ताकि डाक्टर वहां पर बैठे, एड पोस्ट पर कम्पाउंडर बैठे। वहां पर कोई दवाइयां नहीं बांट रहा है, वहां न कोई सर्वे हो रहा है। (व्यवधान) प्रति दिन दो मौतें हो रही हैं। मौतें घट नहीं रही हैं। पाजिटिव बढ़ रहे हैं, पाजिटिव नहीं घट रहे हैं। तो फिर किस प्रकार की ...(व्यवधान)

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): उपाध्यक्ष महोदय, जो केस सस्पैक्टेड है उस केस को ही आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ...(व्यवधान) मौतों का आंकड़ा घटना चाहिये। प्रति दिन मौतें हो रही हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): स्वास्थ्य व्यवस्था बिलकुल फैल्योर हो रखी है। डाक्टर्स अवेलेबल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जनरल हास्पिटल, राजसमन्द का हास्पिटल ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बिना मेरी इजाजत के बोलने वाले का अंकित नहीं होगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजेंगे। आप विराजेंगे क्या?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजेंगे क्या, किरणजी? आप रूल्स एण्ड

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रोसिजर को जानती हो, बिना आसन की इजाजत के जो बोलेगा उसका अंकित नहीं होता है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बात सुनिए पूरी। यदि किसी को बोलना है तो मैं तो नेता से कहूंगा जो सौभाग्य से मेरे पड़ौसी हैं, इनको मैं अर्ज करुंगा कि थोड़ा सा प्रोसिजर में लाएंगे तो सही रहेगा। 40-45 दिन सदन चलेगा, बहुत-सी समस्याओं का समाधान सरकार भी चाहती है। (व्यवधान) सुनिए आप, आपका हाथ मैंने देख लिया, मैं इजाजत दूं तो आप बोलें। आप तो पहले ही बहुत बोल लिये। जो ज्यादा बोलेगा उसको इजाजत कम होगी, माफ करना, यह सदन सबका है। आप विराजिए, ...(व्यवधान) आप सुनिए। इसमे तीन पाइंट हैं, यह बहस का मुद्दा नहीं है, जवाब दे दिया तो इसे सरकार की सहृदयता में लेना चाहिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: फिर वही बात आ रही है। आपसे तो बहुत से लोग सीखते हैं, पता नहीं आपको पीछे की सीट कैसे मिल गई। सुनिए आप, इसमें तीन पाइंट हैं, एक तो वैक्सीन फ्री ...(व्यवधान) आप सुनिए, वह बृज किशोर जी शर्मा हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इसलिए जो भी है, आप सारी बात जानते हो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप कृपा करके विराजो। आप विराजो, आपके बिना इस सदन में काम नहीं चलता, चर्चा हमेशा आनी चाहिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठो, फिर मैं आगे का लूंगा ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप तो विराजो, वह त्रुटि करें तो आप तो मत करो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप चाहते क्या हो?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: स्वाइन फ्लू से आगे मत जाओ। (व्यवधान) अब आप विराजो। तीन बात आई हैं, आप सुनिए। आप बात सुन नहीं रहे। प्रतिपक्ष नहीं चाहता कि सरकार व्यवस्था में जो कमी है, उसको दूर करे। यह चुनावों का साल है, ज्यादा बोलोगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। इसमें तीन बातें आई हैं- पहली तो नि:शुल्क जांच, दूसरी नि:शुल्क वैक्सीन और तीसरी है सर्वे। (व्यवधान) अब दो आदमी बोलेंगे, दो मिनट वह जवाब देना चाहेंगे, देंगे। माननीय राजवी साहब।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं तो सजेशन दे रहा हूं, मैं कोई एलीगेट नहीं कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में डैथ हुई हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष: आप मुद्दे की बात करो, यह नहीं होता है इसमें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मुद्दे से हटकर बात कर रहा हूं क्या?

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आ गया, वह काफी होता है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं बिलकुल मुद्दे की बात कह रहा हूं। मानिटरिंग नाम की चीज नहीं है, मरीज को वहां बैठे रहने के बाद में कोई डाक्टर देखता नहीं है उसके लिये क्या व्यवस्था है? उसके बारे में यह साइलेंट है, यह चौथा पाइंट है। बिना मानिटरिंग के चाहे वेंटीलेटर लगा दो, स्वाइन फ्लू का मरीज मरेगा। डाक्टर मास्क लगाकर बाहर बैठे रहते हैं डर के मारे कि हमारे खुद के नहीं हो जाए, यह है सबसे बड़ा लैप्स। उस लैप्स को अगर मंत्रीजी चाहेंगे तो बहुत साधारण-सी बात है। वहां पर क्लोज सर्किट मानिटरिंग टीवी सिस्टम लगा दें, मेडिकल कालेजेज का मामला है, थोड़ी ही कास्ट है। वह मानिटर होगा तो कम से कम डाक्टर रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय किरण जी, आपको कुछ कहना है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजसमन्द जिले में स्वाइन फ्लू में पाजिटिव रिपोर्ट आई हैं और दो लोगों की मौत हुई है। हमने बार-बार गांव में जाकर कहा कि जो वैक्सिनेशन करना है वह वैक्सिनेशन करें। आज तक इस बात की किसी ने चिंता नहीं की। इसके अलावा जांच के लिये जब जनरल हास्पिटल में जाते हैं तो वहां कोई डाक्टर अवेलेबल नहीं होता है, कोई जांचें नहीं होती हैं। राजसमन्द से उदयपुर पेशेंट को ले जाना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष: सारी बातें मंत्रीजी ने नोट कर ली हैं। माननीय कालीचरण जी सराफ। (व्यवधान) केवल कालीचरणजी सराफ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल कालीचरणजी सराफ। आगे बात कर लेंगे। किसी प्रस्ताव के तहत आना। कालीचरण जी सराफ।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल कालीचरणजी सराफ। (व्यवधान) आप बोलिए, केवल आपका अंकित होगा। केवल कालीचरणजी का अंकित होगा।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह सारी बातें आ गईं।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सरकार ने नोटिस में ले लिया है। कालीचरणजी सराफ।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपके सीनियर मैम्बर बोल रहे हैं, आप इनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? कालीचरणजी, आप बोलिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, पर इसके साथ-साथ हमारे प्रदेश का यह दुर्भाग्य है...

श्री उपाध्यक्ष: उत्तेजना फैलाने वाली बात मत बोलो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं कोई उत्तेजना नहीं फैला रहा, आप बात तो सुनो।

श्री उपाध्यक्ष: दुर्भाग्य-सौभाग्य छोड़ो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): दुर्भाग्य तो है ही।

श्री उपाध्यक्ष: जो भी है, दुर्भाग्य- सौभाग्य, दोनो चलते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जब भारतीय जनता पार्टी का राज था तो स्थगन प्रस्ताव और पर्ची के माध्यम से जो भी मुद्दे माननीय सदस्य उठाते थे तो उससे सम्बन्धित मंत्री यहां ट्रैजरी बैंचेज पर रहते थे और उसका जवाब देते थे। पर मुझे कहते हुए अफसोस है कि मैं जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था के मामले में बोलना चाहता हूं, यूजर्स चार्जेज के बारे में बोलना चाहता हूं पर मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं। माननीय, आप मुख्य सचेतकजी को इस बात के लिये निर्देश दीजिए। (व्यवधान) आप विराजो, मुख्य सचेतकजी को इस बात के लिये निर्देश दें कि वह सम्बन्धित मंत्रीजी को यहां पर बुलाएं।

श्री उपाध्यक्ष: वह आपकी बात समझ नहीं पाये मंत्रीजी, वह सम्बन्धित मंत्रीजी की बात कर रहे हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय विधायक महोदय, आपका जिससे रिलेटेड प्रश्न है वह क्योंकि बिजली के बिलों में इनक्लूडेड है, इसलिए उसका जवाब मैं दूंगा।

जयपुर शहर में सफाई शुल्क के रूप में यूजर चार्ज की वसूली

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ठीक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शांति धारीवालजी आ गये, बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका, पधारिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में दिलाना चाहता हूं।

ए टू जैड वेस्ट मैनेजमेंट एक कम्पनी है गुडगांव की, पिछले सत्र में मैंने कहा था कि इस कम्पनी को आप ठेका मत दीजिए क्योंकि यह कम्पनी इन्दौर में, रांची में, कानपुर में, पटना में फेल्योर हो गयी है। यदि इस कम्पनी को 20 साल का ठेका देंगे तो जयपुर शहर की सफाई-व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो माननीय मंत्रीजी ने खड़े होकर कहा था कि आपकी शंका बिलकुल निर्मूल है। हमारे पास भी उस कम्पनी की शिकायतें आयी हैं और हम उस कम्पनी को किसी भी आधार पर, मैरिट-डिमैरिट देखकर ही ठेका देंगे। उस कम्पनी को ठेका दे दिया गया। 24 सितम्बर को गुडगांव की फर्म ए टू जैड कम्पनी को उन्होंने ठेका दिया। अनुबंध के अनुसार पहले उनको 21 वार्ड दिये गये और फिर कहा कि दिसम्बर तक उसको पूरे जयपुर शहर के 77 वार्ड दे दिये जाएंगे, उनमें वह सफाई करेगी। परन्तु मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि उस कम्पनी ने पूरे वार्डों की सफाई करने की जगह 28 फरवरी को हाथ

(श्री कालीचरण सराफ)

खड़े कर दिये और कहा कि हम कोई सफाई नहीं कर सकते और वह कम्पनी भाग गई। आज उसके कारण पूरे जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है।

श्री उपाध्यक्ष: 28 फरवरी, सन? वर्ष कौनसा? आज तो 22 ही है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): फरवरी, अभी 2013 में।

श्री उपाध्यक्ष: 28 तो अब आ रही है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उसके बाद आप देखिये, जयपुर में जगह-जगह कचरे के ढेर लग गये, जगह-जगह नालियां भरी हुई हैं। स्वाइन फ्लू की बात डाक्टर साहब कर रहे थे, मैं यह कहना चाहूंगा कि सौ से ज्यादा मौतें केवल जयपुर शहर में स्वाइन फ्लू के कारण हो गयी हैं और ये मौतें केवल इस कारण हो रही हैं कि जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था बिलकुल चरमरा गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर नगर-निगम की सबसे पहली प्राथमिकता है कि जयपुर शहर में सफाई हो। 65 साल से जयपुर शहर में नगर-निगम हो या नगर-परिषद हो, सफाई व्यवस्था कर रही थी, पुरानी व्यवस्था चल रही थी। परन्तु क्या कारण रहे कि 4-4 शहरों में जो कम्पनी फेल्योर सिद्ध हो चुकी- कानपुर में, इन्दौर में, रांची में और पटना में, उसको ठेका दिया गया? मुझे तो लगता है, फिर आप कहेंगे कि उत्तेजना की बात करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से इसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, सफाई व्यवस्था एक कम्पनी को ठेके पर दे दी, अब उसका चार्ज वसूल करने के लिये इन्होंने जयपुर शहर की जनता पर यूजर चार्ज लगा दिया। यानी 6 लाख 78 हजार यहां पर उपभोक्ता हैं, उन पर यूजर चार्ज लगाया। रुपये 1001 से 2000 तक जिसका बिजली का बिल आएगा, उससे सौ रुपये लेंगे, जो कॉमर्शियल आएगा उसमें भी सौ रुपये लेंगे। रुपये 2001 से 5000 तक आएगा उससे डेढ़ सौ रुपये लेंगे घरेलू कनेक्शन के और दो सौ लेंगे कामर्शियल पर। पांच हजार से दस हजार तक दो सौ और तीन सौ लेंगे और दस हजार से ऊपर आया तो तीन सौ और पांच सौ रुपये लेंगे। इसी प्रकार से जो औद्योगिक उपभोक्ता हैं उनके दस हजार तक के बिल पर 500 रुपये और दस हजार से बीस हजार तक साढ़े सात सौ रुपये और बीस हजार से आगे के लिये एक हजार रुपये। इस हिसाब से इन्होंने पिछले चार महीने में यदि सौ रुपये भी 6 लाख 78 हजार उपभोक्ताओं से वसूल किये तो 15 करोड़ रुपये इन्होंने वसूल

(श्री कालीचरण सराफ)

कर लिये। अब मैं पूछना चाहता हूं कि सफाई व्यवस्था हो नहीं रही, वह कम्पनी भाग गई, इन्होंने सफाई व्यवस्था के नाम पर जो यूजर चार्ज वसूल किया है क्या ये जनता को ब्याज सहित वापस देंगे? यानि 15 करोड़ की ठगी इन्होंने जयपुर की जनता के साथ की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। आप पुरानी व्यवस्था सफाई की लागू करिये। सफाई शुल्क के नाम पर, यूजर चार्ज के नाम पर करोड़ों रुपये जो आपने जयपुर की जनता से लिये हैं, उसको निश्चित रूप से ब्याज सहित वापस करिये। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आएगी और आन्दोलन करेगी। सरकार को इस बात के लिये मजबूर कर देगी कि वह यूजर चार्ज वापस ले। (व्यवधान) यहां पर मंत्रीजी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि इस मामले पर आप जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें। हां, बैठे हैं। आप क्या कह रहे थे, माननीय सदस्य? कहना चाहते हैं इसमें कुछ?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हां, मैं बोलना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: देखिये, एक मिनट। एक मिनट। एक मिनट। आप सुनिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मेरे बाद बोल लेना।

श्री उपाध्यक्ष: उनके बाद में आप एक मिनट बोल लेना। (व्यवधान) सुनिये आप, खाचरियावास साहब कोई बात बोल रहे हैं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आपने मेरा नाम बोला है।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये तो सही।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): आपने मेरा नाम बोला है।

श्री उपाध्यक्ष: यह सब्जैक्ट नया है, फिर भी आप, देखिये, व्यवस्था बनाने के लिये ...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): विशेष प्रेम है?

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट विराजेंगे तभी बात समाप्त होगी इसमें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मेरे बाद में बोल लेना।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर वाले विधायक बोलेंगे।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यह अलग बात हो गई, साहब। (व्यवधान) इन्होंने कोई स्थगन दिया नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप सदन को चलने दें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपसे निवेदन है कि आप विराजिये। (व्यवधान) आप विराजिये तो सही।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): इन्होंने स्थगन दिया नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: इनका अंकित नहीं हो। केवल खाचरियावास साहब का अंकित होगा।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, तब डिसीजन होगा।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, तब निर्णय होगा।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वह पता नहीं है। यह पूरे सदन का सब्जैक्ट है, आप अकेले का नहीं है। अब आप बोलें, खाचरियावास साहब।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल प्रतापसिंह खाचरियावास, आप बोलें।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मेरे बाद बोल लेना। एक ही बात है।

श्री उपाध्यक्ष: केवल खाचरियावास साहब।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप ऐसे बोलेंगे तो बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जब कह दिया तो उनके बाद में बात होगी। आप फिर थोप रहे हो बात को। पहले दिन यह चीज करेंगे तो यह माना जाएगा कि सदन को डिस्टर्ब करने की कोशिश होती है। यह सदन के लिये ही नहीं, पूरे राजस्थान की जनता के लिये ठीक साइन नहीं है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, गुप्ता साहब, थोड़ा-सा बचकर चलिये। हम चाहते हैं, सारी बात का डिस्कसन हो। आसन की इच्छा यही है, फिर आप जैसे चाहो। थोपोगे तो फिर आपकी इच्छा कितनी चलेंगी, वह तो नियम से चलेंगे फिर। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बार-बार खड़े मत होइये, आप बैठ जाइये। बोलिये, खाचरियावास साहब।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपके साथी हैं, इसलिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आदरणीय उपाध्यक्षजी, जो मुद्दा मेरे विपक्ष के साथियों ने उठाया है, यह मुद्दा पार्टीबाजी से ऊपर उठकर है।

श्री उपाध्यक्ष: शार्ट में, शार्ट।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हां, शार्ट। अभी शुरू ही किया है, अभी दो शब्द ही बोले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मुद्दा विपक्ष के साथियों ने उठाया है, राजधानी जयपुर पूरे राजस्थान के आइने के रूप में नजर आता है और राजधानी जयपुर से पूरे राजस्थान का दर्शन होता है। राज किसी का भी हो, हमारी मोरल ड्यूटी है कि राजधानी जयपुर में हम कोई भी योजना लागू करें, कोई भी कानून लागू करें, कोई भी नई व्यवस्था लागू करें तो हम राजधानी के एम.पी. से बात करें, राजधानी के एम.एल.ए. से बात करें, राजधानी के जन-प्रतिनिधियों से बात करें। हम इनको बिना विश्वास में लिये बगैर अपनी तरफ से नीति बिना लें, अधिकारियों के कहने से नीति बना लें और जयपुर की जनता पर हम एक चार्ज लगा दें कि आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, बिजली के बिल में लगकर आएगा पैसा। ठीक है, आपने पैसा ले लिया। लेकिन जिस कम्पनी की आपने

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

गारण्टी दी थी जयपुर की जनता को, राजधानी जयपुर के लोग आज अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो स्वायत्त शासन विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जिन्होंने ए टू जैड कम्पनी को ठेका दिया। यूजर चार्ज वसूल कर लिया और वह कम्पनी बिना बताये भाग गई। झगड़ा इस बात का नहीं है। जयपुर की जनता पैसे देने को तैयार है, लेकिन सफाई तो हो। वह कम्पनी काम तो करे। अब आपने यूजर चार्ज लिया, पहले आपने रजिस्ट्री पर शुल्क लगा रखा है। यह नगर-निगम जयपुर की लाइफ-लाइन का काम करता है। यह मुद्दा पक्ष और विपक्ष का नहीं है, आरोप-प्रत्यारोप का भी नहीं है। आज हम निवेदन करेंगे मंत्रीजी से, आगे आपकी प्लानिंग क्या है? आप कम्पनी के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? आप इस यूजर चार्ज को जिसे कम्पनी के नाम पर वसूला गया, तुरन्त प्रभाव से वापस लो। नहीं कल जयपुर की जनता खड़ी हो गयी और बिजली के बिल जमा नहीं कराएगी और हाहाकार मच गया, एक अपील पर जयपुर की जनता एक साथ खड़ी हो जाएगी और उस पर तमाशा होगा। यह मुद्दा सिर्फ कांग्रेस और बी.जे.पी. का नहीं है, जयपुर के स्वाभिमान का मुद्दा है। जयपुर की जनता को जब-जब ठगा जाएगा, जयपुर का हर जन प्रतिनिधि पार्टीबाजी से ऊपर उठकर बात करेगा।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): जनता के मुद्दे पर मैं निवेदन करूंगा कि यह यूजर चार्ज इतना बड़ा मामला है कि आपने यूजर चार्ज लगा तो दिया लेकिन अब आपको यह बताना चाहिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है, मैं इस बात को नहीं कहता, इसमें कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इसमें ए टू जैड कम्पनी ने जो काम किया है, उसके बाद यूजर चार्ज तुरन्त प्रभाव से समाप्त करना चाहिए। यूजर चार्ज की वसूली बंद होनी चाहिए और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ए टू जैड कम्पनी के बाद में नगर निगम जो अभी तक काम कर रहा है, उसके लिए सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। जयपुर की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार लेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वाइन फ्लू जयपुर में भी फैला हुआ है, हमारी सबकी ड्यूटी है कि हम जयपुर की सफाई व्यवस्था को अपने हाथ में लें। लोगों में यह संदेश जाना चाहिए कि विधान सभा में पक्ष और विपक्ष के लोग राजधानी के मुद्दे पर सब एक हैं और यूजर चार्ज तुरन्त प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी दो मिनट बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, यह केवल जयपुर का मामला है। केवल श्री मोहनलालजी गुप्ता का अंकित होगा। हर पाइंट पर नहीं। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं मुख्य बात जो बोलना चाहता हूं वह है यूजर चार्जेज। सरकार ने यूजर चार्जेज लगाये हैं वे किस अधिकार के तहत लगाये हैं?

श्री उपाध्यक्ष: कोई नई बात कहना चाहते हो तो कहें, बाकी तो नालेज में आ गया। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यह स्वायत्तशासी संस्थाओं का अधिकार है कि अपनी जनता पर वे टैक्स लगाएं। आखिर नगर-निगम, नगरपालिकाओं के इलेक्शन क्यों होते हैं? क्यों आपने वहां पर उनके इलेक्शन करवाकर सभापति और मेयर्स को बैठाया है? आपने सारी पांचों नगरपालिकाओं की, नगर-निगमों की स्वीकृति ली है यूजर चार्जेज लगाने के लिए? यह अनकांस्टीट्यूशनल काम किया है। यह बिना अधिकार के काम किया गया है। इसमें कोई मिली-भगत लगती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ऐसे आप उत्तेजित मत होइए।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी को कांफिडेंस में नहीं लेकर, न प्रताप सिंहजी, एम.एल.ए. को लिया गया, न ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: परनामीजी। अब आप बैठिये। केवल माननीय परनामीजी। आपकी बात हो गयी। आप उत्तेजना की बात सदन में कह रहे हैं, वह नहीं सुनी जाएगी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट मेरी बात सुनिए। बिजली के बिलों में पहले से ही वसूली हो रही है। 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाई, 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से अरबन सैस ले रहे हैं, 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से वाटर कंजरवेशन चार्ज ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जो ले रहे हैं वह इन्होंने बता दिया न।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, किसी ने नहीं बताई यह बात।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें केवल कालीचरणजी का बोलने का था।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): नहीं, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था। मेरा भी था।

श्री उपाध्यक्ष: क्या कहना चाहते हो? (व्यवधान) परनामीजी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): एक मिनट। मेरा भी स्थगन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरा भी है। मेरा भी स्थगन है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा कालीचरणजी। (व्यवधान) एक मिनट, आप दोनों विराजिए। आप बोलिये लेकिन आप जल्दी ही समाप्त करें। बोलो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूजर चार्ज तो जोधपुर में भी लगाया है और मैं भी दो दफे नगरपालिका से आयी हूं।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मैं जोधपुर की बात भी कर रहा हूं। मैं जोधपुर की बात भी कर रहा हूं मैं पांचों शहरों की बात कर रहा हूं जहां पर यूजर चार्जेज लगे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जोधपुर की बात क्यों नहीं करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: केवल जयपुर।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यूजर चार्जेज ... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): यूजर चार्ज तो जोधपुर में भी लगा है न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल जयपुर। मोहनजी, कृपा करके समाप्त करिए।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): धन्यवाद। यूजर चार्ज बिना अधिकारों के लगाया गया है। बिना नगर-निगम की स्वीकृति के लगाया गया है। कोई भी टैक्स अगर जयपुर शहर की जनता पर, बीकानेर की जनता पर, जोधपुर की जनता पर लगाया जाए तो वहां की जो इलैक्टेड म्यूनिसिपैलिटीज

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

हैं, उनका एक प्रस्ताव आना चाहिए। उनके प्रस्ताव को राज्य सरकार स्वीकृत करके भेजे, तब जाकर लगाया जाना चाहिए। आपने अपना भी लगा दिया। राज्य सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। तो आप क्यों नहीं म्यूनिसिपैलिटीज को भंग कर दीजिए? आप ही चला लीजिए सरकार। आप ही चला लीजिए म्यूनिसिपैलिटीज। आप ही करा लीजिए सरकारी व्यवस्थाएं। राजस्थान की जनता ने जो 74वां संविधान संशोधन किया था कांस्टीट्यूशन में, उसके अधिकारों का आपने हनन किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के बिलों में पहले से ही तीन टैक्स वसूल हो रहे हैं- 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूल की जा रही है, 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से अरबन सैस वसूल किया जा रहा है और 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से वाटर कंजरवेशन चार्जेज वसूल किये जा रहे हैं। आखिर जनता से आप कितना टैक्स वसूल करना चाहते हैं? बिजली का टैक्स वसूल कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट का भी टैक्स वसूल कर रहे हैं, सफाई का टैक्स वसूल कर रहे हैं, अरबन सैस वसूल कर रहे हैं और फिर नगरीय विकास कर वसूल कर रहे हैं। आखिर यह क्या हो रहा है? इतना सारा टैक्स वसूल करने के बाद भी शहर में सफाई नहीं हो रही है। सफाई की व्यवस्था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि आज जयपुर शहर में अगर कोई व्यक्ति पैदल चलता है तो चलते समय ऊपर देखता है तो बंदर है, नीचे देखता है तो खड्डे हैं, सामने देखता है तो सूअर है और पीछे देखता है तो कुत्ते हैं। चारों तरफ यह इस प्रकार से है। क्या स्थिति है? खड्डे, बिल्ली, बंदर, कुत्ते और गाय! जयपुर शहर की जनता जाए तो आखिर कहां जाए? फिर ऊपर से यह हो रहा है कि कभी कोई कम्पनी आ रही है, कभी ए टू आ रही है, कभी जेड आ रही है, कभी क्या आ रही है, कभी क्या आ रही है। आखिर इन म्यूनिसिपैलिटीज का क्या होगा? आप डोर टू डोर कलेक्शन चाहते हैं? आप डोर टू डोर कलेक्शन चाहते हैं तो आप करिए डोर टू डोर कलेक्शन। उसकी व्यवस्था हमने भी लागू की थी। जब मैं महापौर था तब मैंने डोर टू डोर कलेक्शन की व्यवस्था चालू की थी। लोग स्वेच्छा से उस व्यक्ति को पैसा देते थे। टैक्स नहीं था। अपने घर का कचरा उठाने के लिए पैसा देते थे। ट्राई-साइकल की व्यवस्था की थी, घर-घर जाकर वह मांगता था अब ये कम्पनियां हैं? कभी नौ बजे आ रही है, कभी बारह बजे आ रही है, कभी एक बजे आ रही है, कभी पांच बजे आ रही है, कोई व्यवस्था ही नहीं है।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

स्वायत्त शासन मंत्री महोदय, आप यहां पर बैठे हैं। आप बहुत ही बुजुर्ग हैं, सीनियर मोस्ट आदमी हैं, आप हमसे राय ले लेते कि किस प्रकार से यह लगाया जाए और किस प्रकार से यह सफाई की जाए। हम भी महापौर रहे हैं। (व्यवधान) बस, आपने अपने आप ही, आटोमेटिक इस प्रकार से की है। मैं यह कहना चाहता हूं माननीय, जयपुर शहर की बहुत सारी कालोनियां हैं जहां पर सफाई की व्यवस्था ही नहीं है। जहां पर म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारी ही नहीं लगे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री गंगानगर। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): जहां पर म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारी लगे हुए नहीं हैं वहां पर भी लोगों से चार्जेज लिये जा रहे हैं। जयपुर शहर के 32 वार्ड ऐसे हैं जहां पर म्यूनिसिपैलिटी का कोई कर्मचारी काम नहीं करता। जहां पर म्यूनिसिपैलिटी की कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। जहां पर कोई कचरा नहीं उठता है। वहां पर भी आप यूजर चार्जेज लगा रहे हैं। अब तक आपने सात-आठ करोड़ रुपया वसूल कर लिया। यह जनता पर अन्याय है। यह लूट है। यह लूट का माल हम इस सरकार के खजाने में नहीं जाने देंगे। इसको वापस करवाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय परनामीजी, शुरू कीजिए। एक लाइन में। (व्यवधान) आपको कोई सजेशन हो तो आप सजेशन दे दीजिए क्योंकि यह बहस का मुद्दा नहीं है।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): इसको वापस कीजिए तब तक के लिए मैं इस सदन में धरना दूंगा। यूजर चार्जेज वापस लो।

(श्री मोहनलाल गुप्ता, माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री परनामीजी। (व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साढ़े तीन वर्षो से पूरा जयपुर शहर गंदगी से सड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप उधर विराजिए। वह सीट खाली है। नीचे मत बैठिए। (व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): माननीय मंत्री महोदय वहां पर बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले साढ़े तीन वर्षों से जयपुर की

(श्री अशोक परनामी)

सफाई व्यवस्था का ठेका क्यों नहीं हुआ? जो पहले ठेका हुआ, टेंडर हुए, फाइनेंशियल बिड खुली तो उसको रद्द क्यों कर दिया गया? यदि रद्द किसी कारण से किया गया तो उसको री-टेंडर क्यों नहीं किया गया? साढ़े तीन वर्षों तक जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था किसी प्राइवेट एजेंसी से नहीं करवाई गई इसलिए पूरा जयपुर शहर गंदगी से अटा रहा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। आपका नहीं है।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): यहां के मुख्य मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार कर चुके और आम सभा में कह चुके कि जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। यहां के मंत्री महोदय कह चुके कि जयपुर शहर नरक बन चुका है। उसके पश्चात् भी जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि साढ़े तीन वर्षों के बाद यह आपने ठेका क्यों किया? ठेका भी आपने ऐसा किया जो केवल मात्र दो महीने तक ही काम कर पाया। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इन दो महीनों के अन्दर ठेकेदार ने बिल कितना सबमिट किया और उस पर पैनल्टी कितनी लगाई गई?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था जो चरमरा रही है उसका एक ही कारण है कि महापौर महोदय और मंत्री महोदय का आपस में सामंजस्य नहीं है। दोनों की आपस में खींचातानी है इसलिए जयपुर शहर गंदगी से अटा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए, आप विराजिए।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप मंत्री महोदय से इस बात का जवाब दिलाएं कि जयपुर शहर की जनता को इस गंदगी से कब तक निजात दिलायी जाएगी?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को भी दो मिनट दीजिए आखिर मैं भी जयपुर शहर से ही विधायक हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपका नहीं है। नया सजेशन है क्या?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): हां, बिलकुल नया कहूंगा।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): जयपुर शहर में गंदगी फैली हुई

(श्री अशोक परनामी)

है, नालियां साफ नहीं हो रही हैं। कचरा फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए-विराजिए। वह बाद की बात है। आप कान्क्रीट कोई बात हो तो बोलो। इसने यह कर दिया, उसने यह कर दिया, यह नहीं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी वकील हैं और आप भी वकील हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप शांत बैठें। आप जवाब नहीं चाहते हो क्या?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, जवाब दिलवाओ।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। राजवीजी के सामने क्यों आ रहे हो आप?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ए टू जैड ... (व्यवधान) नहीं, मेरे सामने नहीं हैं। ए टू जैड कम्पनी ने कलेक्शन शुरू किया, कितने वार्ड्स में किया? बाकी वार्ड्स में यूजर चार्जेज क्यों वसूल कर रहे हैं? यह कोई एलिगेशन नहीं है। व्यवस्था है। इण्डस्ट्रीज का बिल कितना भारी रहता है, इण्डस्ट्रीज को एग्जम्प्ट किया है क्या? एक भी इण्डस्ट्रियल एरिया में आपने सफाई की है क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कालीचरणजी। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): इण्डस्ट्रीज को बंद करवाना चाह रहे हो। गलत कह रहा हूं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके एरिया में भी यूजर चार्ज लग जाएगा और लगेगा जब आपको दर्द महसूस होगा। जहां पर यूजर चार्ज नहीं लगना चाहिए उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: जहां से मैं हूं वहां पर मेरा मकान ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): कोई बात नहीं, वहां नैनवां में तो नहीं लगाया।

श्री उपाध्यक्ष: मैं तो आवासविहीन हूं, फिर भी इंदिरा आवास नहीं मंजूर हो रहा है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): लेकिन यूजर चार्जेज अब रिकंसीडर करने का टाइम आ गया।

श्री उपाध्यक्ष: अब विराजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): इसको कैंसिल करें, बंद करें और जो रिकवर किया है, उस राशि से सरकार अपने स्तर पर व्यवस्था करे। इस महापौर से कुछ नहीं होना।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं। श्री बंशीधर जी खण्डेला, सदस्य की ओर से शेखावाटी क्षेत्र में ओलावृष्टि से किसानों की फसल को हुए नुकसान का पर्याप्त मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइये मंत्रीजी से। यह क्या बात हुई?

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीधर जी खण्डेला। आप बोलिये।

(श्री अशोक परनामी, माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाने में क्या दिक्कत है? (व्यवधान) जयपुर का मामला है, जवाब तो देना ही पड़ेगा। जवाब दे दें तो कोई दिक्कत थोड़े ही है। (व्यवधान)

(श्री अशोक परनामी एवं श्री मोहनलाल गुप्ता, माननीय सदस्यों द्वारा धरना समाप्त)

श्री उपाध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): खाली जयपुर ही नहीं, जोधपुर पर भी विचार करना आप और हटाना है उसको। सफाई तो नाम मात्र नहीं करते हो और यूजर चार्ज ले लेते हो। यूजर चार्ज से बिजली का लेना-देना ही क्या है? नगर निगम का खुद का काम है कि वह सफाई करे। मैं भी दो दफे नगर पार्षद रही हूं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आपकी यह सरकार उलटे-सीधे काम करती है। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): चिन्ता मत करो, आप कुछ ही नहीं कर पाये। चार वर्ष तक आपका काम मुझे करना पड़ा, आप कुछ ही नहीं कर पाये। जो आपको करना चाहिये था, वह मुझे करना पड़ रहा है। आप नहीं कर पाये इसलिये मुझे करना पड़ रहा है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जहां देखो वहां ही गंदगी पड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सूर्यकान्ता जी, सदन को ज्ञान है कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपने कभी इनको बताया ही नहीं है। अब आप सुनिये इनकी बात।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय सदस्यों के द्वारा पर्ची के माध्यम से...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं, स्थगन के माध्यम से है।

श्री उपाध्यक्ष: दोनों आ गये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): स्थगन प्रस्ताव पर कोई हाथों-हाथ जवाब आता है क्या कभी?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं आता है, यह तो आप दे रहे हो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, मैं पूरा नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। मेरी बात सुनिये आप। अचानक यह प्रकरण यहां पर उठाया गया। मेरा यह निवेदन है कि मैं मोटे तौर पर दो-चार बातें ही नोट कर पाया हूं। पहली बात तो यह बताई गई कि साहब क्यों लगाया गया। कोई मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको 25 को हाउस बैठेगा, तो 26 से इसका विस्तार से जवाब दूंगा। आज तो मैं सिर्फ आपकी दो-चार बातें हैं, उन्हीं के बाबत बताना चाहूंगा। इसका विस्तार से जवाब बाद में दूंगा। कालीचरणजी ने सबसे पहले यह बात उठाई कि साहब फर्म को ठेका कैसे मिला। आप बता दो जिससे जांच करवा लेते हैं। जांचकर्ताओं के नाम भी आप बता दो, उन्हीं से जांच करवा देते हैं। 15 दिन के अन्दर-अन्दर इस बात का फैसला हो जाए कि साहब कैसे मिला, क्यों मिला। (व्यवधान) आप बीच में मत बोलिये, सुनिये आप।

श्री उपाध्यक्ष: कालीचरण जी, आप डिस्टर्ब मत करो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जहां तक मेरी जानकारी है, जहां-जहां पर भी जिस-जिस शहर में इस कम्पनी ने काम किया है, वहां पर न तो कभी यह ब्लैक लिस्ट हुई, एक बात। दूसरी बात कि टेण्डर में भी यह लोएस्ट थी, आप कैसे रोक लेते इसका काम? अगर टेण्डर में लोएस्ट थी तो आप कैसे मना कर देते? तीसरी बात यह कि न कभी यह कम्पनी कहीं ब्लैक लिस्ट हुई। यूजर चार्जेज सिर्फ दो जगह लग रहे हैं

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

जयपुर में और जोधपुर में, यह बात सही है। बाकी तो 183 म्यूनिसिपैलिटीज में कहीं पर भी नहीं लग रहे। (व्यवधान) फिर वही बात है। सुन लो। चौथी बात यह है ...(व्यवधान) गुप्ता जी बैठो, बैठो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): मंत्री महोदय, म्यूनिसिपैलिटीज का प्रस्ताव है क्या?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप बैठो, बैठो।

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब नहीं चाहते हो क्या? जवाब चाहते हो तो पूरा सुनिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह किस अधिकार से लगा? आपने बात उठायी कि किस अधिकार से लगा है। राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट इसी सदन के द्वारा पास किया गया, जिसमें आप भी शामिल हैं। और उन्हीं के अधिकारों के द्वारा अधिनियम 2009 की धारा 104, 104(2) के तहत में यूजर चार्जेज लगाये गये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): प्रस्ताव आये क्या?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब बहस मत करो, देखो, सुन लो मेरी बात। मैंने तसल्ली से आपकी बात सुनी है। मैंने यह भी सुना है कि इधर देखो तो कुत्ता, इधर देखो तो सूअर, इधर देखो तो गड्ढा और इधर देखो तो फिर आप कहां दिख रहे हो, आप भी तो जयपुर की जनता में हो। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): हम पैदल चल रहे हैं, पैदल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको कुछ नहीं दिख रहा क्या?

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): पैदल चल रहे हैं हम। इस चक्कर में हम दु:खी हैं। आपने नगर निगम को नरक निगम कहा है और चार्ज और लगा दिया। यह क्या व्यवस्था है इस प्रकार से?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर नगरपालिकाओं की, नगर परिषदों की, नगर निगमों की आर्थिक स्थिति के बारे में पूरा सदन और पूरे माननीय विधायक जानकारी रखते हैं और चिन्ता का विषय भी है। 1998 में जब चुंगी माफ हुई,

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

उसके बाद में यूडी टैक्स तत्कालीन सरकार के द्वारा लगाया गया, आप ही के द्वारा लगाया गया। इसके अलावा कोई और खास आमदनी इन लोगों की होती नहीं थी। शहर बढ़ता जा रहा है। सफाई मजदूरों की संख्या बढ़ेगी, व्हीकल्स की संख्या बढ़ेगी। सेनिटरी इंसपैक्टर की संख्या बढ़ेगी, वगैरह-वगैरह सब जगह बढ़ेगी। लेकिन चुंगी के पेटे सरकार जो पैसा देती है, वह एक निश्चित तौर तक पैसा देती है। तो कुछ न कुछ तो इन्तजाम अपन को करना पड़ेगा। हालात ये हैं कि 2011 और 2012 में जयपुर की कुल आय 790 करोड़ 78 लाख रुपये की थी, जबकि खर्च 808 करोड़ का हुआ। ठीक इसी तरह से जोधपुर में ले लें आप, जोधपुर में भी 2011-12 में नगर निगम की आमदनी सिर्फ 229 करोड़ की थी और खर्चा 294 रुपये का हुआ। (व्यवधान) माताजी, सुनो तो सही। इस प्रकार मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता, यह बात सही है।

राजवी साहब ने यह बात उठाई कि 21 वार्डों में इस कम्पनी को काम दिया गया था, आपने यूजर चार्जेज क्यों लगाये। निश्चित तौर मैं 26 तारीख को इसका विस्तार से आपको जवाब दूंगा और इस उम्मीद के साथ दूंगा कि आप सैटिस्फाई हो सकें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बंशीधरजी खण्डेला। बहस नहीं। केवल माननीय बंशीधरजी खण्डेला अंकित होगा। केवल बंशीधरजी खण्डेला। (व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब 26 तारीख दे दी, बता दी बात। केवल बंशीधरजी खण्डेला। आप सुनिये, मोहनजी, अब जब 26 की बात हो गयी, उसके बाद करना।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको इसलिये नहीं बुलाया था कि आप बहस करो। आप विराजिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीधर खण्डेला, 295 पढें।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

शेखावाटी क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान का पर्याप्त मुआवजा

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मैं राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करना चाहता हूं। मेरे शेखावाटी क्षेत्र सहित सम्पूर्ण राज्य में अभी हाल ही में भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे काश्तकारों की रबी की खड़ी फसल चौपट हो गई। काश्तकारों के जीवन-यापन का एकमात्र सहारा उनकी फसल ही होती है और प्रकृति की मार के आगे किसान बेबस हो जाता है। राज्य सरकार की ओर से जो मुआवजे की घोषणा की गई है, वह नाकाफी है एवं इससे राज्य के किसानों को नाममात्र का भी सहारा नहीं मिल पाएगा। यदि राज्य सरकार वाकई में किसानों की हमदर्द है तो किसानों की खड़ी फसल के वास्तविक लागत मूल्य की गणना करवाकर उससे अधिक जो मुआवजा राशि देगी, वास्तव में वही राशि होगी जिससे किसान को अपना जीवन-यापन करना है। लागत राशि तो किसान वर्ग कर्ज लेकर खर्च कर चुका है, जो उसे चुकानी ही चुकानी है।

इसके अतिरिक्त मेरी यह भी मांग है कि जो किसान संयुक्त रूप से रहते हैं, उनके परिवार के मुखिया के अकेले के नाम ज्यादा भूमि होने से वे मुआवजे से वंचित रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी कई किसान बिना मुआवजा प्राप्त किये दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर होते हैं। सरकार को चाहिये कि मुआवजा देने की सीमा को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर समस्त किसानों की सारी बुवाई की हुई जमीन के हिसाब से मुआवजा राशि देने के आदेश आज ही प्रदान कर राज्य के किसानों की खुशहाली में सहयोग देने का काम करे।

मैं पुन: किसानों की हमदर्द होने का दावा करने वाली सरकार से मांग कर रहा हूं कि वह मेरी इस न्यायोचित मांग को तुरन्त प्रभाव से स्वीकार करे। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मान्यवर, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में शिक्षक

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

भर्ती प्रक्रिया में गम्भीर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। मेरा अनुरोध है कि:-

1. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में विज्ञापित पदों के लिए पात्रता शर्तों में यूजीसी के दिशा-निर्देशों और प्रावधानों के विपरीत जाकर अपने चहेते पीएचडी उपाधिधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए मनमाने संशोधन किये गये।

2. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अपने हितबद्ध लोगों को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बार-बार आगे बढ़ाया गया ताकि संशोधित प्रावधानों के अनुरूप लाभ उठाने के लिए कतिपय हितबद्ध लोगों को सुविधा हो सके।

3. विज्ञापित पदों से दस गुना से भी अधिक आवेदन प्राप्त होने के बावजूद भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया और सीधे ही साक्षात्कार कराया गया। साक्षात्कार में भी पीएचडी उपाधिधारक सभी आवेदकों को नहीं बुलाकर केवल दस गुना आवेदकों को ही बुलाया गया।

4. साक्षात्कार से पूर्व आवेदकों की कोई वरीयता सूची नहीं बनाई गई। इस कारण कई गोल्ड मैडलिस्ट और उच्च योग्यताधारक आवेदक तो नियुक्ति से वंचित रह गये और हितबद्ध कई कमजोर शैक्षणिक योग्यता वालों को साक्षात्कार के बहाने बिना अंक प्रदान किये ही नियुक्तियां दे दी गई।

5. साक्षात्कार प्रक्रिया भी विश्वविद्यालय में पर्याप्त परिसर और सुविधा होते हुए भी अन्य किराये पर लिये गये स्थान पर की गई और एक ही दिन में भारी संख्या में साक्षात्कार लेकर आनन-फानन में नियुक्तियां दे दी गई।

6. उक्त समस्त प्रक्रिया के बारे में अनेक शिकायतें सरकार के सभी स्तर पर प्रस्तुत की गई परन्तु किसी भी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उक्त समस्त प्रक्रिया केवल और केवल कतिपय हितबद्ध और रसूखदारों के रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने व नियुक्तियां देने के एकमेव उद्देश्य से की गई है जिसमें समस्त नियम, प्रक्रिया और परम्पराओं की अवहेलना कर हठधर्मितापूर्वक समस्त विरोधों को दरकिनार किया गया है। इससे पात्र एवं सुयोग्य उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले छात्रों में गजब का असंतोष है जो कि

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

बाहर प्रकट हुआ तो समाज में हिंसा फैलेगी और अन्दर दबा तो आत्महत्या जैसी स्थितियां सामने आएंगी जो कि समाज के लिए गम्भीर स्थिति होगी। मेरा अनुरोध है कि उक्त समस्त प्रक्रिया को अविलम्ब निरस्त किया जाए। समस्त दस्तावेज सीज कर सीबीआई से जांच कराई जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कानसिंह कोटड़ी।

सिवाना एवं समदड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शैयाएं बढ़ाने की स्वीकृति

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना): उपाध्यक्ष महोदय, संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवाना व समदड़ी को 30 शैया से बढ़ाकर 50 शैया स्वीकृत कराने बाबत।

महोदय, मैं राज्य सरकार एवं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के उप खण्ड सिवाना व समदड़ी की क्रमश: 40000 व 35000 के लगभग जनसंख्या है। इस उप खण्ड क्षेत्र में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आये हुए हैं। सिवाना व समदड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मात्र 30-30 शैया ही स्वीकृत हैं जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति व जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही कम है। इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कम शैया स्वीकृत होने से पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से इस क्षेत्र की महिलाओं को महिला रोग की समस्या व डिलीवरी प्रकरणों के लिए व मरीजों को इलाज के लिए बालोतरा 40 किलोमीटर, जोधपुर 115 किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़कों के माध्यम से जाना पड़ता है जिससे धन व समय का भी नुकसान होता है एवं मरीज के गन्तव्य स्थल तक पहुंचने से पूर्व ही अनहोनी होने की संभावना रहती है। कभी-कभी तो गम्भीर बीमारी होने पर मरीजों को जोधपुर रैफर कर दिया जाता है जिससे उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। उक्त समस्याएं प्रेस समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी रहती हैं।

अत: जन मांग व महिलाओं के हितों को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवाना व समदड़ी में 30-30 शैया के स्थान पर 50-50 शैया स्वीकृत करवाकर उपखण्ड क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अजय सिंह।

हरसौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

श्री अजय सिंह (डेगाना): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं डेगाना विधान सभा क्षेत्र के हरसौर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता को सदन के सामने लाना चाहता हूं। कृपया अनुमति प्रदान करें।

महोदय, डेगाना विधान सभा क्षेत्र के हरसौर कस्बे में चिकित्सा सुविधाओं हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। कस्बे की आबादी व आसपास के गांवों/ढाणियों के लोगों की मांग एवं चिकित्सा सुविधा के अभाव को देखते हुए यहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना अति आवश्यक है। हरसौर कस्बे के समान एवं न्यूनतम मापदण्ड रखने वाले राज्य के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किया जा चुका है। कस्बे की 30 किलोमीटर परिधि में एक भी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है जबकि कस्बा राज्य उच्च मार्ग 59 पर स्थित है। कस्बे में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर परबतसर विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों के मरीज भी आते हैं।

अत: माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से आग्रह है कि इसी वित्तीय वर्ष में डेगाना विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरसौर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत कर 108 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह यादव।

अलवर जिले में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। अलवर जिले में ओले गिरने से फसलों में हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा दिलाने बाबत।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि गत दिनों अलवर जिले में हुई ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल, मकान, पशु, कृषि उपकरण आदि का भारी नुकसान हुआ है परन्तु एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा किसानों के हुए सम्पूर्ण नुकसान का आकलन नहीं किया गया। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम ढांकाहेड़ी, मांचा, जाटका, कांकरा,

(श्री रामहेत सिंह)

बासकृपानगर, ओदरा, जैस्तिका, मीरका, बसई, देवता, मोठूका, साहुवास, लगड़बास दयालपुर, खोजाका, मंदगवापुर, भटकोल, खरोला, बगथला, चामरोदा, नंगली पठान आदि लगभग 50 गांवों में 100 प्रतिशत फसलों का नुकसान है। किसानों के खेतों में लगे फव्वारे व पाइप लाइनों में भी काफी नुकसान हुआ है। किसानों की फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण आज भी लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी यह बताने में प्रशासन असमर्थ है कि किस-किस ग्राम में कितना-कितना नुकसान हुआ है जिसका कारण है कि पूरी जिम्मेदारी सर्किल पटवारियों को दी गई है। जबकि कई स्थानों पर एक से अधिक सर्किल का पटवारियों पर भार है। ऐसे में किसानों की फसलों के नुकसान का मूल्यांकन करने में प्रत्येक ग्राम में तीन राजस्व कर्मचारियों की टीम बनाकर प्रत्येक पीड़ित किसान की फसल का नुकसान का आकलन करें तथा मुआवजे के रूप में पीड़ित किसानों को प्रति बीघा के हिसाब से 15000 रुपये सरसों, 12000 रुपये गेहूं, 10000 रुपये जौ, चना अन्य फसलों व एक वर्ष के विद्युत कृषि कनेक्शनों का बिल माफ किया जाए तथा एक वर्ष के लिए किसान क्रेडिट कार्ड या फसली ऋणों का ब्याज माफ किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

मेहंदी की फसल के समर्थन मूल्य का निर्धारण

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचना।

महोदय, पाली जिला एक बहुत बड़ा क्षेत्र मेहंदी का उत्पादन क्षेत्र रहा है जिसमें सोजत व मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र के किसान इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मेहंदी का उत्पादन कई वर्षों से करते आ रहे हैं, जिस कारण इस क्षेत्र का नाम न केवल देश में अपितु विदेशों में भी रहा है।

आज किसानों को मेहंदी की फसल पैदा करने में बहुत ही श्रम की जरूरत पड़ती है और मेहंदी का उत्पादन होने पर बाजार में लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। इस कारण किसान की दशा, उसकी माली हालत खराब हो गई है। वो आत्महत्या को उतारू है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कुछ कतिपय स्वार्थी तत्व अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए बाजार में नकली मेहंदी तैयार करते हैं। नीम, खेजड़ी, आंवली की पत्तियों में रसायन मिलाकर मेहंदी के कोन तैयार करते हैं जो कि न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते

(श्री केसाराम चौधरी)

हैं अपितु मेहंदी को उपयोग में लेने वाले उपभोक्ताओं के त्वचा व सिर में इन्फेक्शन हो जाता है और त्वचा सम्बन्धी रोग हो जाता है। इस संदर्भ में क्षेत्र के किसानों ने जगह-जगह आन्दोलन किए जिससे कारखानों पर छापे पड़े व रसायन से भरे टैंकरों को बाहरी क्षेत्रों में खाली करवाया गया। लेकिन अभी स्थिति ज्यों की त्यों है। नकली मेहंदी तैयार हो रही है व किसानों की दुर्दशा हो रही है।

अगर सही मायने में सरकार किसानों का हित चाहती है तो मेहंदी का लागत मूल्य कम से कम 4000 रुपये प्रति मण (40 के.जी.) करे जिससे किसानों को लागत मूल्य मिल सके। क्षेत्र के किसानों का जीविकोपार्जन हो सके और वो अपने परिवार से बिछुड़ने या आत्महत्या की ओर प्रेरित न हों। इस धर्मप्रेमी देश में तीज-त्यौहार, होली, दीपावली, ईद, वैशाखी, लोहड़ी पर अपनी संस्कृति की पहचान मेहंदी का प्राकृतिक रूप असली मेहंदी मिले, भारत की बहू -बेटियों को रसायनयुक्त नकली मेहंदी, व त्वचा सम्बन्धी बीमारियों से बचाया जा सके। धरती पुत्र को भी जीने का हक मिल सके, वो भी समाज में सम्मान के साथ जी सके। इस कृषि प्रधान देश में उसे भी राज से, सरकार से यह उम्मीद रहती है कि उसकी फसल को भी उचित समर्थन मूल्य मिले। अगर सही मायनों में सरकार किसानों के हितों का सोचती है तो तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही करके किसानों को मेहंदी की फसल का समर्थन मूल्य 100 रुपये प्रति किलो मेहंदी पत्ता तय करे।

साथ ही यह भी उल्लेख है कि राज्य में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक खाद्य सामग्री की जांच हो रही है किन्तु हाथों में लगाने के लिए एकमात्र उपयोग में आने वाली मेहंदी में मिलावट की जांच हेतु उपाय नहीं किये जा रहे हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अर्जुन लाल जी बिलाड़ा।

बिलाड़ा की बिलाड़ा/पीपाड़ शहर तहसीलों में अकाल की घोषणा

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत उठाये जाने वाले लोक महत्व के विशेष उल्लेख बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष समस्त जोधपुर जिले में अकाल घोषित किया जा चुका है जिसमें बिलाड़ा/पीपाड़ शहर तहसीलों को जानबूझकर राजनीतिक दुर्भावनावश अकालग्रस्त होने के बावजूद वंचित रखा गया है।

(श्री अर्जुन लाल)

तहसील में 5 अगस्त, 2012 के बाद एवं पाछत की बुवाई में औसत से कम व कम अन्तराल में बारिश होने से खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, ग्वार, तिल, मूंग, मोठ की फसल चौपट हो चुकी तथा पशुधन के लिए पर्याप्त चारा भी उत्पादित नहीं हो सका है जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की दोनों बिलाड़ा/पीपाड़ शहर तहसील में अकाल की भयावह स्थिति बनी हुई है। सम्बन्धित पटवारियों ने एक बार भी मौके पर जाकर गिरदावरी को अंजाम नहीं दिया। इससे पूर्व माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जुलाई माह में ही इस क्षेत्र को बिना गिरदावरी करवाये ही अभावग्रस्त घोषित कर केन्द्रीय सरकार से राहत की राशि भी प्रस्तावित की जा चुकी है जिसका समस्त समाचार पत्रों में जुलाई-अगस्त, 2012 में प्रकाशन हो चुका है तथा सर्वविदित है।

उपाध्यक्ष महोदय, तत्पश्चात् माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बिना गिरदावरी किये ही जोधपुर जिले को अकालग्रस्त घोषित करने के बाद सम्बन्धित पटवारियों ने ऊहापोह की स्थिति में तहसील कार्यालय में बैठकर गिरदावरी की मात्र औपचारिकता पूरी की व 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबे का आकलन कर जिला कलक्टर जोधपुर को भिजवाया...

श्री उपाध्यक्ष: कृपया जो इसमें लिखा है वो वर्ड टू वर्ड पढ़ना है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): वही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं बोल रहे हो आप, आप या तो दोबारा उसको करो।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): लेकिन पुन: अधिकारियों ने दबाववश आनन-फानन में जोधपुर जिला कलक्टर के माध्यम से 50 प्रतिशत से कम फसल खराबे की रिपोर्ट राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन सहायता विभाग को प्रेषित करवाकर जानबूझकर अकालग्रस्त होते हुए भी बिलाड़ा/पीपाड़ शहर तहसील को अकालग्रस्त होने से वंचित कर दिया गया है जिसकी पुन: समीक्षा की जाकर जिला कलक्टर जोधपुर के माध्यम से पुन: निष्पक्ष गिरदावरी रिपोर्ट एवं फसलों के खराबे का आकलन मौका स्थिति अनुसार उत्पादित धान (स्थानीय कृषि मण्डी में आवक रिपोर्ट से एवं ग्रामों के बड़े काश्तकारों के घरों में भण्डारण के आधार पर), तथा चारे एवं ग्रामों में तालाबों में उपलब्ध महीने भर के लिए पीने के पानी की स्थिति को देखते हुए मंगवाई जाकर उक्त दोनों तहसीलों को अकालग्रस्त क्षेत्र की सूची में स्थान देकर आम जनता को राहत दिलवाई जावे। अन्यथा राजस्थान सरकार के विरोध में विधान सभा क्षेत्र

(श्री अर्जुन लाल)

बिलाड़ा के लोगों को द्वारा जन आन्दोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसकी तमाम जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की रहेगी। दोषी राजस्व अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध मिथ्या गिरदावरी एवं फसल खराबे की रिपोर्ट भिजवाये जाने व राजस्थान सरकार को गलत तथ्यों की जानकारी दिलाने के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही करवाकर दण्डित किया जाने का आदेश फरमाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री सुखाराम जी नेतड़िया, मेड़ता।

100 से कम आबादी वाली चयनित ढाणियों को 5-5 के ग्रुप में घरेलू कनेक्शन

श्री सुखाराम नेतड़िया (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत उठाये जाने वाले लोक महत्व के विशेष उल्लेख बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री विद्युत सबके लिए योजना के अन्तर्गत प्रावधान है कि 100 से कम आबादी वाले 2002 की चयनित ढाणियों में पांच-पांच के ग्रुप में आवेदकों को घरेलू कनेक्शन दिया जाए। इससे खेतों में बसे ढाणी वालों को पूर्णत: लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि आवेदकों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया जटिल है। यदि सरकार ढाणियों के पांच-पांच के ग्रुप में आवेदन प्रक्रिया को सरल कर देवे जिससे कोई ढाणी चाहे चिह्नित हो या नहीं, पांच आवेदक ग्रुप में कनेक्शन दे दिया जावे। तो समस्त वांछित आवेदकों को कनेक्शन मिल जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि कनेक्शन, ट्यूबवैल, कुआं फेल होने के कारण से या पानी सिंचाई योग्य नहीं होने के कारण पंचायत समिति में अन्यत्र शिफ्ट करवाना चाहता है उससे, दूसरी जगह दो वर्ष पूर्व की खातेदारी की जमीन होनी चाहिए, यह पाबन्दी हटायी जाए ताकि बन्द/फेल हुए कुओं के कनेक्शन को किसान पंचायत समिति में अन्यत्र जमीन खरीद कर स्थानान्तरण करवा सके। विद्युत मण्डल में पूर्व में ऐसे ही नियम थे लेकिन किसानों के हितों को देखते हुए यह दो वर्ष की पाबन्दी हटायी जाए।

कृषकों के लिए ऐसी योजना बनायी जाए कि उनको तुरन्त कनेक्शन मिल जाएं। जो किसान कनेक्शन नहीं मिलने के कारण अवैध रूप से बिजली चोरी करते हैं उन पर पाबन्दी लगायी जाए। ऐसे ही शहरी क्षेत्र में भी बसी

(श्री सुखाराम नेतड़िया)

कालोनियों एवं ढाणियों में जहां विद्युत तंत्र उपलब्ध है, उसमें भी शहरी आबादी के नियमानुसार कनेक्शन देने का प्रावधान लागू किया जाए। राज्य सरकार को विद्युत निगमों की मांग के अनुसार सामान की उपलब्धता करानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कमला जी कस्वां।

चूरू में सादुलपुर-हनुमानगढ़ व रतनगढ़-सरदारशहर रेल लाइनों पर अंडरपास के व्यय का बजटरी प्रावधान

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले में सादुलपुर-हनुमानगढ़ व रतनगढ़-सरदारशहर रेल लाइन पर ब्राड गेज का कार्य किया जा रहा है, ग्रामीण रेल अन्डर ब्रिज की मांग को लेकर जगह-जगह धरने पर बैठे हैं, कार्य बन्द है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह लुहारू-रतनगढ़, सादुलपुर-हिसार रेल खण्ड पर भी ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में सादुलपुर-सिद्धमुख में जहां आमान परिवर्तन का कार्य चालू है, मीटर गेज लाइन को हटा दिया गया है और लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण ब्राड गेज लाइन डालने का कार्य भी बन्द है। इस रेल मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी तक एक भी रेलवे क्रासिंग नहीं है। ग्रामीण सिद्धमुख-भादरा सड़क मार्ग पर भाढी मोड़, सिद्धमुख-धांगड़ा, धांगड़ा-चुबकियाताल, सिद्धमुख-चुबकीयाताल, चुबकीयाताल-ढिगारला, घणाऊ-ढिगारला, ख्याली-भगेला, चैनपुराछोटा-हांसियावास, गुलपुरा-पहाड़सर, पहाड़सर-नरवासी, गुलपुरा-मिठीरेडुवान-लुदीझाबर तथा सादुलपुर-हिसार रेल खण्ड पर 20 किलोमीटर तक एक भी रेल अन्डरपास नहीं है। एन.एच. 65 से लुटाणा सदासुख-लुटाणा अमिचन्द-लुटाणा पूर्ण व लसेड़ी-मिठी रेडुवान, लोहारू -रतनगढ़ रेल मार्ग पर रामपुरा-शेहर, गुगलवा-रामपुरा, किरतान-बेवड़/भैंसली, भोजान-बेवड़, कालरी-बेवड़, रड़वा-कान्द्राण, सिरसला गांव के उत्तर साइड में एन.एच. 65 से बुटियां, जुहारपुरा गांव, जान्दवा-रतनसरा आदि रास्तों पर रोड अन्डरब्रिज निर्माण की मांग कर रहे हैं। अधिकांश रास्तों पर वे धरने पर बैठे हैं। मीटरगेज लाइन के समय से ही किसान अनधिकृत रूप से लाइन पार करते आ रहे हैं। ब्राडगेज होने के पश्चात् तो किसान बड़ी गाड़ी की बात छोड़िये, वह अपना ऊंट-गाड़ा, ट्रैक्टर आदि को भी अपने खेत में नहीं ले जा पाएगा।

(श्री कमला कस्वां)

उपरोक्त सभी स्थानों पर गांव की आबादी एक तरफ है तथा कृषि भूमि रेल लाइन के दूसरी साइड में है। किसानों के सामने अपने खेतों में आवागमन एवं फसल ढुलाई का विकट संकट है, उनके सामने जीवन-मरण का प्रश्न है। ऐसी स्थिति में वे जाएं तो जाएं कहां? रेलवे नियमों का हवाला देकर इन अन्डरपासों के निर्माण पर होने वाले व्यय की राशि राज्य सरकार से मांग रही है। राज्य सरकार इसके लिए आनाकानी कर रही है। मेरे जिले में विशेष रूप से सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में उक्त संकट और भी गहरा है। चूरू जिले में 400 किलोमीटर के एरिया में रेल लाइन है जहां मात्र 50-60 रेलवे क्रासिंग हैं तथा वे भी शहरों के दोनों तरफ हैं, 40-40 किलोमीटर तक एक भी रेलवे अन्डरपास अथवा रेल फाटक नहीं है। चूरू जिले में इन अन्डर पासों के निर्माण हेतु 50-60 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी।

अतएव मेरा सरकार से आग्रह है कि इन रेल अन्डरपासों पर होने वाले व्यय का प्रावधान राजस्थान के बजट में कर जनता को राहत प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

(14.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री कैलाश चन्द जी भंसाली!

(अनुपस्थित)

माननीय श्री ओम जी बिरला।

कोटा में उच्च न्यायालय व रेवेन्यू बोर्ड की खण्डपीठ तथा अपीलीय रैन्ट ट्रिब्यूनल की स्थापना

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, कोटा में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना तथा सरकार द्वारा घोषित रेवेन्यू बोर्ड की दो सदस्यीय बैंच, अपीलीय रैन्ट ट्रिब्यूनल की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत में इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। कोटा में वर्ष 2003 से हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। उक्त आंदोलन में आम आवाम सहित समस्त छात्र, अभिभाषक, सामाजिक संस्थाएं, राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं व जन प्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। पूरा कोटा संभाग उक्त मांग को लेकर एक मत है। वर्ष 1938 में ही तत्कालीन कोटा रियासत में हाई कोर्ट की स्थापना कर दी गयी थी जो कि वर्ष 1948 तक संचालित थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ

(श्री ओम बिरला)

जयपुर में स्थापित है। उक्त खण्डपीठ में लगभग एक लाख साठ हजार से अधिक मुकदमे विचाराधीन हैं जिसमें से चालीस प्रतिशत से अधिक मुकदमे कोटा सम्भाग के हैं। कोटा सम्भाग में बारां, झालावाड़ के सुदूर आदिवासी क्षेत्र सम्मिलित हैं जिन्हें न्याय हेतु जयपुर आने में 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है। लॉ कमीशन आफ इण्डिया की रिपोर्ट संख्या 230 के अन्तर्गत भी उच्च न्यायालय का विकेन्द्रीकरण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

यदि सरकार की मंशा हो तो राजस्थान हाई कोर्ट आर्डिनेंस की धारा-10 में दिये गये प्रावधानों के तहत माननीय जोधपुर राजस्थान उच्च न्यायालय की बैंच कोटा में स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की जा सकती है। भारत संविधान के अनुच्छेद 214 में भी इस सम्बन्ध में प्रावधान हैं। केवल सरकार की इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

राज्य सरकार द्वारा कोटा में रेवेन्यू बोर्ड की दो सदस्यीय बैंच की स्थापना तथा अपीलीय रैन्ट ट्रिब्यूनल की स्थापना की घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा अभी तक अधूरी है। इतना ही नहीं, कोटा में स्थापित की गई उपभोक्ता फोरम की राज्य स्तरीय बैंच में अभी तक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जा रही है।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि कोटा की जनता को सुलभ व सस्ता न्याय दिलाने के लिए हाई कोर्ट की खण्डपीठ की स्थापना की जाए, सरकार की घोषणानुसार अपीलीय रैन्ट ट्रिब्यूनल व रेवेन्यू की दो सदस्यीय बैंच की स्थापना की जाए। उपभोक्ता फोरम की राज्य स्तरीय बैंच में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति सहित सम्भाग में रिक्त पड़े विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के पदों को अविलम्ब भरा जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डाक्टर विश्वनाथ खाजूवाला।

बीकानेर जिले के कतिपय गांवों को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर किये जाने की घोषणा

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि बीकानेर जिले के ग्राम भानीपुरा, भणातवाला, छोटारामसर, बान्दरवाला और सूरासर में राजस्व विभाग द्वारा बारानी भूमि का

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

आबंटन राज्य सरकार के आबंटन नियम 1970 के अन्तर्गत किया गया था जिसके खातेदारी अधिकारी भी दस वर्ष पश्चात दिये जा चुके हैं। परन्तु तत्पश्चात उक्त ग्रामों में उपनिवेशन क्षेत्र घोषित कर दिये जाने के कारण राजस्व विभाग द्वारा दी गई खातेदारी भी समाप्त कर पुन: 1971 के आवंटियान की भूमि गैर खातेदारी दर्ज कर दी गई है।

उक्त ग्राम उपनिवेशन क्षेत्र से राजस्व विभाग को हस्तांतरित किये जा चुके हैं तथा उक्त ग्राम में कभी भी पानी लगने की कोई संभावना नहीं होने के बावजूद कालोनी ग्राम माना जा रहा है जिससे ग्रामवासियों की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं।

अत:, उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर उक्त ग्रामों को डी-कालोनाइज घोषित करने के आदेश प्रदान कर कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राव राजेन्द्र सिंह जी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र व परमाणु ईंधन का भण्डारण

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जिस विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं यह किसी एक विभाग तक सीमित विषय नहीं है। मैं बात जब एनर्जी की करूंगा तो ऊर्जा के साथ स्वास्थ्य की भी बात होगी, जब मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा तो उसके साथ पर्यावरण की भी बात होगी और जब मैं इन तीनों की बात करूंगा तो सामान्य प्रशासन की भी बात होगी।

हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लीयर पावर प्लांट की। मैं यह मानता हूं कि राजस्थान के अन्दर एनर्जी रिसोर्सेज का क्राइसिस है। एनर्जी स्टार्व्ड स्टेट है। हमें यहां विद्युत क्षेत्र में कारखानों की आवश्यकता है। लेकिन मैं यह बात अभी तक नहीं समझ पाया कि रावतभाटा जैसा एक न्यूक्लीयर प्लाण्ट होने के उपरान्त आज आपको दूसरा न्यूक्लीयर प्लाण्ट बांसवाड़ा में लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। यह राजस्थान की धरती है, आदरणीय मंत्री महोदय। यहां सैन्य कार्यवाही के लिए, सशस्त्र सुदृढ़ीकरण के लिए परमाणु हथियारों की आवश्यकता पड़ती है तो राजस्थान का नागरिक अपनी धरती पर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

परमाणु विस्फोट करने की इजाजत देता है। लेकिन राजस्थान साथ में इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश भी है, हमारे पास में वैकल्पिक ऊर्जा के जब संसाधन हैं तो हम परमाणु ऊर्जा का संयंत्र क्यों यहां स्थापित करने जा रहे हैं, यह एक प्रश्न है।

मैं इससे पहले कि आपसे यह बात पूछूं, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप परमाणु संयंत्र ही नहीं स्थापित कर रहे, यहां परमाणु फ्यूल का काम्प्लैक्स भी स्थापित करने जा रहे हैं। जो आप कोटा में कर रहे हैं, एक ही काम्पलैक्स है पूरे के पूरे राष्ट्र में। वह हैदराबाद में है। हैदराबाद के बाद आप दूसरा कोटा में करने जा रहे हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप बांसवाड़ा के अन्दर जो न्यूक्लीयर प्लाण्ट लगा रहे हैं, उससे पहले आप रावतभाटा का इतिहास देखिए।

मैं आपके माध्यम से ध्यान में लाना चाहता हूं एम्सस्टर्डम ....

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, सिस्टम आप तो ध्यान रखें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): I have personally repo with him. He does not get disturbed anyway.

श्री उपाध्यक्ष: हाउस के बाहर आप कमरे में बैठो, कहीं बैठो, हाउस में हाउस के सिस्टम से।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह ध्यान में लाना चाहता हूं, वर्ल्ड स्टेट एनर्जी की एक वाच एजेन्सी है which is established in Amsterdum. मैं उस एजेन्सी की वह रिपोर्ट पढ़ने जा रहा हूं जो उन्होंने रावतभाटा के सम्बन्ध में लिखी है। उन्होंने यह बात कही है कि Rawatbhata is the site of two existing reactors. Work began in 1972. It got commissioned in 1973. अब आपको यह याद रखना पड़ेगा कि 1974 में आदरणीय स्वर्गीय इन्दिरा जी गांधी के समय हमने पोकरण का पहला विस्फोट किया था। जैसे ही हमने पोकरण का पहला विस्फोट किया, न्यूक्लीयर रिएक्टर जो 1973 में हमने इम्पोर्ट किया था कनाडा से, हमारे ऊपर यू एस और यूरोप दोनों ने फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा दीं। सैंक्शंस लगते ही, इस रिएक्टर का काम करने का तरीका हमारे हिन्दुस्तान में अवेलेबल नहीं था, दस साल में ढाई सौ बार यह रिएक्टर बन्द हुआ है। दस साल में ढाई सौ बार रिएक्टर बन्द हुआ, और रिएक्टर बन्द किस वजह से हुआ? क्योंकि रिएक्टर में

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

रिसाव हुआ। रिसाव होने से क्या हुआ? रिसाव इस धरती के अन्दर गया। आपका यह रिएक्टर कहां स्थित है? चम्बल के किनारे, पानी के स्रोत पर जहां से कंटेमिनेटेड यूरिनेयिम, टाइटेनियम पानी में गया।

आप दूसरा संयंत्र लगाने जा रहे हैं, आप दूसरा संयंत्र लगाने जा रहे हैं उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौनसा संयंत्र लगवा रहे हैं वहां? आप यूरोपियन टैक्नोलोजी पर, फ्रांस पर बेस लगाने जा रहे हैं। लगाने जा रहे हैं तो आप इजाजत क्यों दे रहे हैं ? आपके पास में सोलर एनर्जी की इतनी व्यापक व्यवस्था है। दूसरे प्रदेशों में और किसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, जिनके पास में हाइडल या हाइड्रो नहीं हो, जिनके पास में और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो वहां तो वे प्रदेश एनर्जी के लिये इस प्रकार की रिस्क ले सकते हैं। लेकिन राजस्थान जैसा इतना विशाल प्रान्त, कल ही के अख़बार में आपके उद्योग मंत्री ने छपवाया कि यहां अमेरिका सोलर एनर्जी में निवेश करने को तैयार है। आज के अख़बार में आया, बॉयोमास से संचालित एक संयंत्र आपके झालावाड़ में लगने जा रहा है। आखिर आप इसको क्यों लगा रहे हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि रावतभाटा का न्यूक्लीयर रिएक्टर डर्टीएस्ट न्यूक्लीयर रिएक्टर है। यह मैं नहीं कह रहा, बी जे पी का एक सदस्य होने के नाते नहीं कह रहा हूं। यह विषय न्यूक्लियर एजेन्सी का है, केन्द्र का है। लेकिन स्वास्थ्य पर इसका जो प्रतिकूल असर पड़ता है वह स्टेट का सब्जैक्ट है। वह स्टेट का विभाग है। आज अगर पर्यावरण का प्रदूषण होता है, रेडिएशन होता है, आपने टेलीफोन के तो सैल्यूलर टावर्स हटवा दिये कि टावर्स से, रेडिएशन से कैंसर हो रहा है, और आप एक दूसरा संयंत्र लगाना चाह रहे हैं। आखिर इसके पीछे ऐसी कौनसी मानसिकता है? अगर मैं आपसे निवेदन करूं, एक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा है कि आपको इससे कितनी एनर्जी मिलेगी, आपका हिस्सा क्या है। आपने कहा है, 700 मेगावाट के चार लगेंगे और चार में भी जो एक 1000 मेगावाट का लगेगा उसमें पचास परसेण्ट हमारा हिस्सा है। भारत सरकार के उपक्रम, आपने उसका जो परन्तुक है उसमें लिखा है 1400 मेगावाट का आधा, तो मैं तो हजार बोल गया था, यह तो 700 ही हुआ। आपको मैंने यह पूछा कि वहां आपके पास में इंडिपेंडेंट एजेन्सी की जांच एजेंसीज के क्या हैं ? आप समय के अभाव में मुझे बोलने नहीं देंगे, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं आपको यह बता दूं, मैं सिर्फ एक पैरा पढ़ना चाहता हूं। पैरा मैं इसलिये पढ़ना चाहता हूं क्योंकि यह

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पैरा कोटा के उन 5 गांवों से सम्बन्धित है जो इस रावतभाटा के ईर्द-गिर्द हैं। उसमें साफ लिखा है, नाम बता रहा हूं, आपका लोकल जो वहां आदमी काम करता है, झराणी, इन विलेज में 40 से 50 डिफॉर्म्ड ओएसिस बेबी बोर्न हुए हैं। यह एक बार का सैम्पल टैस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें बाद में श्यामलाल का सन जब वह पैदा हुआ एक कान नहीं था। रेडिएशन के कंटामिनेशन से तुरन्त नहीं परिणाम आता। नैक्सट जनरेशन 15 साल बाद, 20 साल बाद। किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षित करने जा रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है।

मैं इसके अलावा भी आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं जो हाल ही के अन्दर हुआ आपके रेडिएशन से सम्बन्धित। 26 अगस्त, 2012 को लेटेस्ट रेडिएशन का सीपेज हुआ है इसी प्लाण्ट में। गुलाब सिंह नाम का एक वर्कर है, मुझे एक बात बताइये डा. साहब, आपके रेडिएशन को नापने का क्या मापदण्ड है? आप यह कहेंगे कि अभी हमने यू एन ओ वाली टीम बुलायी थी। यू एन ओ वाली टीम आपकी चौथी और पांचवीं यूनिट जांच कर गयी है, आपने छठा यूनिट नहीं जंचवाया है उनसे। छठा यूनिट क्यों नहीं जंचवाया? रिसाव तो छठे यूनिट में भी हुआ था। न जंचवाने के बाद में आपको मालूम है, क्या है? अगर एक परसेण्ट आफ टाइटेनियम भी बाडी में चला जाता है तो वह सीधा रिप्रोडक्टिव सैल को इनफ्लुएंस करता है और इनफैक्ट करता है, तो जो न्यू बोर्न बेबी पैदा होता है वह उससे कंटेमिनेटेड फार्म में पैदा होता है, किसी के कान नहीं होंगे, किसी की आंख नहीं होगी, किसी का बाडी मास रेशो गड़बड़ाएगा।

आखिर में मैं यह बात पूछना चाहता हूं, न्यूक्लीयर फैसिलिटी देने के बाद आप बार-बार चिल्ला रहे हैं कि हमें पानी दीजिये, पानी के लिये हमें पैकेज दीजिये। आपकी छाती पर न्यूक्लीयर काम्प्लैक्स लगाने जा रहे हैं तो कम से कम यह तो पूछो कि पूरे राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य को रिस्क पर डालकर आखिर केन्द्र आपको क्या दे रहा है ? आखिर केन्द्र के पास में कौनसी योजना है? अगर यह बात है तो सदन को एकमत होना पड़ेगा। यह किसी दल विशेष की बात नहीं है, सदन को एकमत होना पड़ेगा कि जब वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत इस राजस्थान में हैं तो बार-बार राजस्थान की छाती पर न्यूक्लीयर विस्फोट क्यों किये जा रहे हैं। सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिये राजस्थान का प्रत्येक नागरिक कौशल का बलिदान कर सकता है लेकिन सिर्फ

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

ईंधन के लिये न्यूक्लीयर प्लाण्ट लगे और उसमें भी बाकी लोग बाग़ इसका शेयर ले जाएं तो हम यह चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार दुबारा इस विषय पर सोचे। न्यूक्लीयर एनर्जी भी आपको 10 रुपये प्रति यूनिट में मिलेगी, अगर आप चाहो तो उसका आंकड़ा दे दूं। यह आप यूरोपियन हैवी वाटर से जो ओकलाहोमा में भी लग रहा है, जो फ्रांस में लग रहा है उसकी लागत...

श्री उपाध्यक्ष: 13 रुपये...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आदरणीय, 10 रुपये प्रति यूनिट से ऊपर जा चुकी है। वह कमीशंड अभी एक ही जगह हुआ है, दूसरा जैतपुरा में होने वाला है जिसका आप आन्दोलन देख रहे हैं। अगर यह कमीशंड होगा तो इनको ग्रीन एनर्जी भी 10 रुपये में नहीं मिलेगी। 15 रुपये प्रति यूनिट से कम में नहीं बैठेगी। तो आखिर किस इकोनोमिक्स की बात कर रहे हैं? यह सारी व्यवस्था को हमें ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि समय का अभाव है, आदरणीय, इसलिये मैं यह चाहता हूं, लेकिन, मंत्री महोदय, अगर आप जवाब देंगे तो मैं वापस सप्लीमेण्टरी भी करूंगा। मैं आसन की इजाजत चाहता हूं क्योंकि यहां इस बात को मैं नहीं छोड़ना चाहता इसलिये आप इस बात के लिये हो जाएं। आपके बाद पर्यावरण वाला भी देगा, पर्यावरण वालों को भी देना पड़ेगा। आदरणीय ब्रज किशोर जी ने आपको कहा कि आप बैठ जाइये। पंडित जी का काम ही बैठाने का है। वह तो मंत्र बोलना जानते हैं। आप मंत्र बोलिये जिससे कम से कम यह राजस्थान रेडिएशन से तो विमुक्त हो जाए। बाकी वायरस और स्वाइन फ्लू से तो कब होगा, यह हम नहीं जानते।

अब आप हमें जवाब दिलाइये तीन मंत्रालयों से। पर्यावरण से भी कि आखिर किससे इन्होंने करवायी? हैल्थ की किससे करवायी? यह तो प्लाण्ट में कितने मेगावाट बिजली पैदा होगी, उसका जवाब देंगे। बाकी का कौन देगा? आप चाहें, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजो।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अगर आप चाहें तो मैं एक निवेदन करता हूं, इस विषय को आधे घण्टे की चर्चा के लिये रखवा दीजिये, हम खुलकर इस पर बात कर सकते हैं यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष: प्रोसीजर है इसका। नियमों में प्रोसीजर है, उसमें आइये। आप विराजेंगे तब पता चलेगा, मंत्रीजी जवाब भी देना चाहते हैं कि नहीं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने न्यूक्लीयर पावर यूनिट्स के जो हमारे जनरेटर्स हैं, उनके बारे में एक बड़ा भयावह दृश्य प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, आज फ्यूल चार्जेज में कोयले का दाम आसमान को छू रहा है, Gas is not available. उन परिस्थितयों को देखते हुए वर्ल्ड में सेफ तरीके से अगर इन यूनिट्स को लगाया जाता है उसके अन्दर इससे बैस्ट नहीं हो सकता। आज हमारे पास अकेले आर ए पी पी में 6 यूनिट्स हैं जो 1080 मेगावाट पैदा कर रही हैं। जो आप फर्मा रहे थे कनाडा से यूनिट आयी थी 1972 में और जो अभी नयी यूनिट्स लग रही हैं सैवन हंडरेड ईच की, उसके अन्दर हमारा फिफ्टी परसेण्ट शेयर है, Overall we will be getting almost 2000 MW, नम्बर वन।

सिक्योरिटी के पाइण्ट आफ व्यू से मैं बताना चाहता हूं, Accidents are everywhere. You can talk about accident. What happened in Tsunami, सुनामी वेव्ज आयी थीं जापान में? यह दुर्घटना है। स्पेसिफिक जोन में हो सकती हैं कहीं भी। लेकिन मोस्ट सेफ हमारी आर ए पी पी की यूनिट्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां पर जो वेस्ट है, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, All the employees have got Dosi-meter on their breast. जो रेडिएशन का जो हाइएस्ट लेवल है That should be below 2000. 300-400 वह कहीं नहीं होता है। जैसे एक्सरे यूनिट्स में Radiation is always there. एक्सरे यूनिट्स हैं या सीटी स्कैन्स हैं, वहां भी रेडिएशन होगा। रेडिएशन में आपने देखा होगा कि हरेक डाक्टर के एक स्ट्रिप लगा रहता है दैट मैजर्स। वह ट्राम्बे में जाकर उसको एनालाइज करते हैं। जिस मजदूर का लेवल हाई होता है उसको वहां से चेंज कर दिया जाता है, नम्बर वन। यूरेनियम जो यूज हो रहा है वहां पर, उसका जो फ्यूल है, जैसा कि आप स्वयं बता रहे थे, फ्यूल फैब्रीकेशन फैसिलिटी वहां पर कर रहे हैं हम रावतभाटा में। मैं आपको निश्चित रुप से कह सकता हूं कि thousand accidents can be possible everywhere. सिर्फ न्यूक्लीयर की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिस भयावह तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति नहीं है। राजस्थान को बिजली की बहुत जरूरत है, कोयला बहुत बड़ी प्राब्लम है, गैस मिल नहीं रही है। सोलर के लिए आप कह रहे हैं कि Rajasthan is number one in solar, हम अभी 1100 में से 900 मेगावाट कर रहे हैं और क्यू में हैं। लेकिन जो हमारी डिमांड हैं उसको देखते हुए We will need further more generation. 200 लाख यूनिट की कमी है।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपने इसके बारे में जो चिंता प्रकट की है, वह जायज है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि it is so sensitive a matter न्यूक्लीयर पावर स्टेशनों के ईंधन का भंडारण हो, यह गवर्नमेंट आफ इंडिया का अपना कार्य है। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि राजस्थान में इस तरह की पूर्ण व्यवस्था कंट्रोल्ड रहेगी और किसी तरह की दुर्घटना की गुंजाइश नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष: विराजें, माननीय सदस्य।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आपने यूजर चार्ज और नगरपालिका पर एक घंटा खराब कराया है ...(व्यवधान) आपने एक घंटा कराया। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आप यह फरमा रहे हैं कि 2000 मेगावाट आपको मिलेगी। आपका खुद का उत्तर आया हुआ है कि आपको मिलनी ही 700 मेगावाट है 50 परसेंट पर। चलिये, फिर भी छोड़ देते हैं, 2000 होगी। मुझे आप यह बात बताइये कि आपका लीकेज खोलने वाला जो कर्मचारी वहां पर था, आप आधा घंटे से ज्यादा रेडिएशन लीकेज में आदमी को नहीं रख सकते हैं, आपने 5 घंटे तक आदमी को रखा है, It is on record. आप रेडिएशन लीकेज होने के बाद में नहीं रख सकते हैं। आप चाहें तो ये पेपर मैं टेबल कर देता हूं, उसमें यह साफ लिखा है। "till 1000 MSV" जो काउंट होते हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं दी आपने। नन्दकिशोर को रिपोर्ट नहीं मिली, गोपाल सिंह को रिपोर्ट नहीं मिली। ये वे लोग-बाग़ हैं जिन्होंने 5 महीने पहले इसी रिएक्टर के अन्दर, पुराने रिएक्टर के अन्दर, आदरणीय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने यह बात क्यों गोल कर दी कि एक्सीडेंट होते हैं, अगर एक्सीडेंट होते हैं तो एक्सीडेंट वाली चीज ला क्यों रहे हो? इसमें एक्सीडेंट नहीं होगा होलोकास्ट होगा, होलोकास्ट। आज जापान और आप जहां से रिएक्टर लेकर आ रहे हो न यूरोप वालों से, अगर आप देखना चाहो तो यह चांसलर आफ जर्मनी का लिखा हुआ है, "They are shutting down all 22 nuclear reactors which were in Germany. Now even if you want ki...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त, करें माननीय सदस्य।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): वे तो अपना रिएक्टर शट करें और आप वह टैक्नोलोजी यहां इस्तेमाल करो!

श्री उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): करिये, यह तो राजस्थान की जनता है, भूखी-प्यासी जनता है, गरीब जनता है, नौकरी के बहाने रेडिएशन में बुलाकर काम करा लेंगे और रेडियोएक्टिव वायरस को लेकर वह चला जाएगा। अगर राजस्थान की यही बहबूदी है तो इस बलिदान को भी हो जाने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती किरण माहेश्वरी।

राजसमन्द में RUIDP के कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू यहां पर उठाना चाह रही हूं, सम्बन्धित मंत्रीजी भी यहां पर विराजमान हैं। राजसमन्द नगरपालिका क्षेत्र में आरयूआईडीपी को सीवरेज, वाटर सप्लाई का, फिल्टर प्लांट बनाने का, ठोस कचरा निस्तारण का ऐसे सारे काम दिनांक 20.05.2010 को दिये गये थे। उसका शिलान्यास स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने किया था, उसमें केन्द्र के भी मंत्री आये थे। शिलान्यास के बाद में उस काम को कम्प्लीट करना था 19.05.2012 को, यह वर्क कम्प्लीशन की डेट थी। माननीय मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, 2010 को शिलान्यास करने के बाद में विद ड्यू रैस्पेक्ट, उन्होंने आज तक कभी इस बात की चिंता वहां आकर नहीं की कि उस काम की क्या प्रगति है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए आपके माध्यम से इस विषय को यहां पर उठा रही हूं कि राजसमन्द नगरपालिका क्षेत्र में जो सीवरेज का काम शुरू किया गया, दो साल से सारी सड़कें खुदी हुई हैं, लोगों को आने-जाने में भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दो दीवाली इस बीच में निकल गयीं लेकिन हालत इतनी खराब है कि व्यापारी अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। पूरे राजसमन्द नगरपालिका क्षेत्र में सड़कें सारी खुदी हुई हैं, सीवरेज का काम आधा-अधूरा पड़ा हुआ है। जब कभी भी मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में यही कहा जाता है कि अब पूरा होने वाला है। अभी लेटेस्ट हुई है कलक्टर के यहां पर सीएलसी की मीटिंग, जो सिटी लेवल कमेटी की मीटिंग है, उस मीटिंग में भी आरयूआईडीपी के अधिकारियों ने आकर कहा कि 15 फरवरी तक हम सड़कों पर डामरीकरण का काम शुरू कर देंगे। लेकिन आज तक भी वह डामरीकरण का काम शुरू नहीं हुआ। 70 करोड़ का यह खर्चा आरयूआईडीपी के माध्यम से होना था जिसमें ये सारे ही काम होने हैं, उसमें से 35 करोड़ का पेमेंट हो चुका है आरयूआईडीपी को। 50 प्रतिशत पेमेंट होने के बावजूद वहां पर आज भी न सड़कें हैं, न सीवरेज है, न वाटर फिल्टर प्लांट अभी तक बना

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है, न वाटर सप्लाई अभी तक शुरू हुई है, और न ठोस कचरा निस्तारण के लिए साइट तैयार हुई है। आधा पैसा उनको देने के बाद भी अभी तक वे सुविधाएं नहीं मिलीं जो जनता को मिलनी चाहिए थीं आज से दो साल पहले। 2012 में इस काम को कम्प्लीट होना था और आज अगर आरयूआईडीपी के अधिकारियों से पूछा जाये, खुद पी.डी. से मेरी बात हुई, प्रोजैक्ट डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि 2014 तक इस काम को हम कम्प्लीट करेंगे। डिले आफ वर्क, 2012 के मई में जो पूरा होना था, वह अब 2014 के मई तक पूरा होगा। इसमें माननीय मंत्रीजी किस तरह का जुर्माना करेंगे? काम कम्प्लीट नहीं हुआ, जुर्माना हो नहीं रहा है, जनता वहां परेशान हो रही है लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। सरकार पूर्णतया सो रही है। आरयूआईडीपी को काम देने के बाद में न गवर्नमेंट का मिनिस्टर वहां पर आता है, न प्रोजैक्ट डायरेक्टर्स वहां पर आते हैं देखने के लिए। इस इश्यु को दो-तीन बार प्रश्न के माध्यम से- तारांकित में, अतारांकित में हर बार उठाया गया, हर बार जवाब में यही आता है कि काम को शीघ्र पूर्ण कर दिया जाएगा। अब यह शीघ्र कब पूर्ण कर लिया जाएगा, यह तो स्वयं मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, वह जवाब देंगे तो पता चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के निर्माण में जो घोटाले हुए हैं, वह भी मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं। इन्होंने 13.12 करोड़ का सड़क निर्माण का कार्य सैंक्शन किया। यह काम सैंक्शन किया 19.07.2012 को और यह कम्प्लीट होना है 18.07.2014 को। सीवरेज का वर्क आर्डर 20.05.2010 को दिया गया और 19.05.2012 को इस वर्क को कम्प्लीट हो जाना चाहिए था। सीवरेज के लिए जो सड़कें खोदेंगे, वहीं पर उनका पैचवर्क भी होगा। वह सड़क भी बनेगी जो सीवरेज से खोदी गयी सड़क है। यह जो वर्क आर्डर सड़क निर्माण का दिया गया है, यह तो अभी दिया है 7. 2012 में। यानी सीवरेज के लिए जो खोदा है उस पर पैचवर्क हो जाए, कम्प्लीट हो जाए और उसके बाद में पूरा ही री-कारपेटिंग आफ रोड हो जाए, यह इसके पीछे की धारणा है। लेकिन हुआ क्या? सीवरेज की सारी सड़कें खुदी हुई हैं और उसको उसके साथ में क्लब कर रहे हैं 2012 का जो सड़क निर्माण का काम दिया है। सीवरेज की पैक करनी थी सड़कें, वह पैसा इसके साथ में एडजेस्ट किया जा रहा है। जब लोगों को

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

परेशानी हो रही है तो कहा जा रहा है कि हम क्या करें, ठेकेदार नहीं आ रहा है। जब ठेकेदार से पूछा जाता है तो वह ठेकेदार है एपीआर कम्पनी, हैदराबाद की एक कम्पनी है जिस कम्पनी को सीवरेज का यह काम दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस कम्पनी की यह रिपोर्ट है कि न केवल राजसमन्द जिले बल्कि राजस्थान के और भी बहुत सारे नगरपालिका क्षेत्र हैं जहां पर सीवरेज के काम अधूरे पड़े हैं। एपीआर कहता है कि नगरपालिका में मेरे 40 करोड़ रुपये का पेमेंट बाकी है, जब तक वह पेमेंट नहीं आएगा, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं आगे काम नहीं कर सकता। यानी ये जो सारी जटिलताएं हैं वे जटिलताएं प्रशासनिक स्तर पर हैं। ये पेमेंट नहीं करें उसकी वजह से हम लोगों को जो परेशानी हो रही है, उसे कौन देखेगा? यानि भ्रष्टाचार हो रहा है- जो सीवरेज का काम करने वाले हैं, सीवरेज की लाइन बिछाने वाली और कवर करने वाली कम्पनी है, वह काम नहीं करेगी तो नगरपालिका राजसमन्द वह पैचवर्क करेगी और रोड बनाएगी। पेमेंट कौन उठाएगा? आरयूआईडीपी उठाएगी। काम तो करेगी नगरपरिषद वहां की और लोकल एजेंसी वहां की। इस तरीके के घपले वहां पर हो रहे हैं। आरयूआईडीपी के नाम पर कांट्रेक्ट देने के बाद दो-दो साल तक डिले आफ वर्क होता है, उस पर किसी तरीके की कोई कार्यवाही उन अधिकारियों के खिलाफ नहीं हुई है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि न तो आपने आरयूआईडीपी को किसी तरीके से पनिश किया, न उन्होंने उन अधिकारियों को सस्पेंड किया, न किसी तरीके की कोई संतोषप्रद कार्यवाही की कि वे स्वयं वहां पर आते और जिले में आकर उन सड़कों पर घूमते तो उन्हें पता चलता कि राजसमन्द की जनता किस तरीके से परेशानी का सामना उठा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं चाहती हूं, विद ड्यू रैस्पैक्ट, आपके माध्यम से, कि माननीय मंत्रीजी कृपा करके मुझे इस बात से संतुष्ट करें कि मैं जाकर जनता को क्या जवाब दूं, आज आप इस बात को मुझे बताएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अब्दुल सगीर खां, धौलपुर।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्षजी, आपसे

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ऐसी तो कम से कम उम्मीद नहीं थी। मैं चाहती हूं कि आप माननीय मंत्रीजी से रिक्वैस्ट करें कि आरयूआईडीपी के इस इश्यू को, वह खुद शिलान्यास करके आये उसके बाद में एक बार भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा कि वहां काम कैसा चल रहा है। आज वह सदन में बैठे हैं तो कम से कम इस बात का जवाब दे दीजिए कि हम क्या जवाब दें लोगों को।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या द्वारा आरयूआईडीपी के कामों के बाबत जो शिकायत यहां पर उठाई गई है, उसमें काफी कुछ सत्यता है। निश्चित तौर पर इस काम में डिले हुए हैं लेकिन डिले के साथ-साथ कुछ काम भी हुआ है। 5 काम हैं- जलप्रदाय योजना, सीवरेज योजना, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठोस कचरा प्रबन्धन और सड़क विकास कार्य। जलप्रदाय योजना के बाबत 78 प्रतिशत काम हो चुका है। 78 प्रतिशत के काम में करीब-करीब आप देखिये, 2 उच्च जलाशय, 2 भूतल जलाशय, 3 स्वच्छ जलाशय का सिविल का वर्क कमप्लीट हो चुका है और करीब 90 किलोमीटर की लाइन-ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रिब्यूशन लाइन बिछ चुकी है।

दूसरा आपने सीवरेज के मामले में बात उठाई। सीवरेज के काम जहां-जहां पर भी राजस्थान में चल रहे हैं, निश्चित तौर पर इसमें शिकायतें आती हैं। मोटे तौर पर जितने भी ठेकेदार हैं, कई बार यह देखा गया है कि वे सड़क खोद देते हैं, हल्ला होता है, मोहल्ले वाले परेशान होते हैं, बाद में पाइप लाइन डालते हैं, फिर वे इधर-उधर हो जाते हैं, फिर जाकर हल्ला होता है तो उसको पाटते हैं, उसको पाटने के बाद थोड़ी सड़क जो तोड़ी गई है वह अधूरी की अधूरी ही छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार की शिकायतें आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें 53 प्रतिशत काम पूरे हो चुके हैं। सीवरेज का काम काफी डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इसलिए होता है कि चारों तरफ बस्ती है, और बस्ती के बीच में जाकर सड़क की खुदाई होती है तो निश्चित तौर पर मकान में चढ़ने वाले या दुकान में चढ़ने वाले व्यक्ति उसकी आलोचना करते रहते हैं। इसलिए यह हमेशा डिले होता है। कभी भी यह काम कितनी ही मानिटरिंग कर लें, वक्त पर कभी पूरा नहीं होता है। (व्यवधान) अब आप बैठिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): दो साल डिले हो गया, दो साल यह।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब आप बैठिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): दो साल डिले यह भी हो गया। पाइप का आपने जो कहा है 78 प्रतिशत, वह भी एक साल डिले हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: बहस नहीं, इसमें जवाब नहीं होता है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको संतुष्ट करूं। मैं सैटिस्फाई करूं आपको इस कोशिश में हूं।

श्री उपाध्यक्ष: एडवांस की बात है, एडवांस दे दिया, काम नहीं किया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सालिड वेस्ट मैनेजमेंट की जहां तक बात है, इसका निर्धारित समय 22.5.2013 है, नजदीक है। और सड़कों की बाबत जो आपने निवेदन किया, सड़कों की बाबत भी 7.30 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बिछ चुकी हैं और 13 करोड़ 12 लाख रुपये का काम आलरैडी इसमें हो चुका है। लेकिन कार्य की प्रगति निश्चित तौर पर संतोषजनक नहीं कही जा सकती। आपने यह जो बात उठाई है कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, क्या कार्यवाही नहीं हुई, इसी मार्च के महीने में मैं आरयूआईडीपी की बैठक लूंगा। इसकी पिछली बैठक जब मैंने ली थी तो मैंने जो सारे कंसीसनर्स थे, उनसे पूरी चीजें अपनी हैण्डराइटिंग में लिखवाकर लिया था कि ये काम कब तक पूरे होंगे। जहां-जहां भी उन्होंने आरयूआईडीपी के इंजीनियर्स को ब्लेम किया कि इनकी वजह से डिले हुआ है, उनसे मैंने अलग दिखवाया था और कंसीसनर्स ने अपनी तरफ से जो डिले की उसको अलग से दिखवाया था। अब जो नैक्स्ट मीटिंग मैं मार्च में करने वाला हूं, उसमें कंसीसनर्स की तरफ से या किसी भी तरफ से या आरयूआईडीपी के इंजीनियर्स की तरफ से जिस पार्ट पर भी डिले पाई गई है, उनके खिलाफ एक्शन होगा। मेरी कोशिश यह रहेगी कि यह काम जल्दी से जल्दी सम्पन्न हो सके।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): राजसमन्द आकर करेंगे मीटिंग?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा खयाल है कि आप संतुष्ट हो गई होंगी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मेरे संतुष्ट होने या नहीं संतुष्ट

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

होने की बात नहीं है, ये काम तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। मीटिंग जो आप लेंगे, आप राजसमन्द आकर मीटिंग लें, वहां आप वस्तुस्थिति देखें। क्योंकि जब-जब लिखवाते हैं अधिकारियों से कि इतनी तारीख को ये काम कम्प्लीट कर देंगे तो वे लिख देते हैं, वे हमें भी लिख देते हैं लेकिन काम कमप्लीट नहीं करते हैं, वह कागज खो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये। उम्मीद है मंत्रीजी आपको भी आमंत्रित करेंगे।

माननीय अब्दुल सगीर खांजी, धौलपुर, बोलिये।

धौलपुर में कानून-व्यवस्था की चरमराई स्थिति

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा ममनून कि आपने मुझे पर्ची के माध्यम से जीरो आवर में बोलने का मौका दिया, मैं धौलपुर जिले में कानून व्यवस्था पर माननीय मंत्रीजी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में कहें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): बहुत संक्षेप में।

श्री उपाध्यक्ष: धौलपुर जैसा नहीं, सदन जैसा।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): जी हां।

हजारों सरहदों की बेड़ियां लिपटी हैं पैरों से,
पर हमारे पैरों को भी पर बना देता तो अच्छा था।
परिन्दों ने कभी रोका नहीं रास्ता परिन्दों का,
खुदा दुनिया को चिड़ियाघर बना देता तो अच्छा था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 वर्ष के अन्दर धौलपुर जिले की जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है, माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने व्यक्तिगत रूप से जाकर मंत्रीजी को संक्षेप में धौलपुर जिले की कानून व्यवस्था के बारे में अवगत कराया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011 से 2012 और जनवरी-फरवरी, कोई दिन ऐसा नहीं है, मेरे पास पूरी फेहरिस्त है धौलपुर जिले के सारे अख़बार रंगे हुए हैं, एक-एक दिन में तीन-तीन, चार-चार चोरियां हुईं, राहजनी हुई है, लूट हुई है, और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत शर्म की बात है कि धौलपुर जिले के अन्दर यह

(श्री अब्दुल सगीर खां)

कीर्तिमान स्थापित हुआ है कि पुलिसकर्मियों का किडनैप करके बदमाश ले गये, तीन दिन के अन्दर उनको बरामद किया गया। यह हाल है धौलपुर का।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां के एक महेन्द्र सिंह कांस्टेबल को वहां का माफिया सरेआम, दिनदहाड़े, उसकी हत्या होती है और हत्यारे आज तक फरार हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार करने में नाकामयाब है।

27 जनवरी, 2013 को दिनदहाड़े कुशवाहा समाज के एक नौजवान नरेश की हत्या कराई जाती है। वह हत्या हार्ड किलर से जो बड़ी ऐतिहासिक घटना धौलपुर के अन्दर हुई है, कराई जाती है। हत्या कराने वाले का नाम मृतक के पिता ज्ञापन के माध्यम से पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारियों को देते हैं। वह ज्ञापन भी इन-एफआईआर, सारी परिस्थितियां, सारे सच आपके मोबाइल के अन्दर, धमकियां, प्रेम प्रसंग जिस कन्या के साथ था, उसका स्टेटमेंट, पिता का स्टेटमेंट, पूरा कुशवाहा समाज प्रदर्शन करता है, धरने देता है, बार-बार पुलिस को गुहार लगाता है कि एक नौजवान की हत्या हुई है। उस हत्या में जिसका नाम, बहुत ही बड़ा पूंजीपति अपने आपको युवा उद्योगपति लिखने वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ के हजारों लोगों को लूटकर आया, पुलिस के ज्ञान में है, बड़े-बड़े संरक्षण उसको प्राप्त हैं, 6-6 प्राइवेट बाडीगार्ड, गनमैन को लेकर चुनौती से पुलिस के दफ्तरों में वह जाता है और पुलिस ने उसको पूरा मौका दिया। अण्डरग्राउण्ड है, पता नहीं है, कोई जवाब देने में पुलिस असमर्थ है। यह चुनौती है। एफआईआर दर्ज कराने जाओ, कोर्ट के जजमेंट हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रावधान है, Repeatedly, the Supreme Court has reiterated in number of judgments और अभी लेटेस्ट जजमेंट आया कि आप तो एफआईआर दर्ज कीजिए, असत्य है, तो उसके खिलाफ आप कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन पुलिस यह जहमत नहीं करती कि उन लोगों की एफआईआर ले, कार्यवाही करे। 4-5 अल्पसंख्यक महिलाओं का, बच्चियों का अपहरण हुआ, गुहार लगा-लगाकर उनके मां-बाप हार गये, बड़ी मुश्किल से एक-दो बच्चियों की बरामदगी हुई है। राजाखेड़ा के अन्दर दिसम्बर में नामजद रिपोर्ट कि ये मुल्जिम हैं और ये हमारी बच्चियों को उठाकर ले गये हैं। पूरी की पूरी पुलिस जिले में असहाय है। राजनीतिक कारण हों, कोई भी कारण हों लेकिन इस जिले के अन्दर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। आईजी हों, डीआईजी हों, उनको पड़ी नहीं। अखबारों की सुर्खियां मात्र एक एंटरटेनमेंट का साधन बन

(श्री अब्दुल सगीर खां)

गया है पुलिस के लिए। यह आम बात है। एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ दिल्ली के अन्दर, पूरा हिन्दुस्तान खड़ा हो गया और यहां कम से कम 7-8 बच्चियां दो महीने के पीरियड में चली जाएं, पुलिस को इसकी पड़ी नहीं है। हम इतना सख्त कानून बना रहे हैं कि हम यह करेंगे, हम सज़ा-ए-मौत देंगे लेकिन जब तक इस देश में, इस मुल्क में, इस प्रांत में पुलिस कानून का आदर नहीं करेगी, अपने आकाओं के इशारों पर चलना बंद नहीं करेगी, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अदालतों में भी लेकूना होने की वजह से उनको सज़ा से बचाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह फ़ेहरिस्त है, गृह मंत्रीजी 69 एफआईआर जो सुर्खियां बनी हैं पूरे धौलपुर नगर में। इसमें पूरे धौलपुर जिले का चित्रण नहीं है, मात्र धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आये दिन बच्चियों का किडनेप, एब्डक्शन। मैं किसी भी पुलिस अधिकारी पर किसी चीज का आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। मेरी शिकायत नहीं है कोई एसपी से या आईजी से या डीआईजी से। मेरी शिकायत है इस प्रदेश की व्यवस्था से, प्रशासन से। कैसा निदान है। हम बड़े कामयाबी के डंके पुजाते हैं और हम यह देखते हैं कि एक-एक जिले में आपकी यह हालत है।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं, उपाध्यक्षजी, आपने एक एक घंटा दिया है, यह एक अल्पसंख्यक है, इसे भी आप बरदाश्त करें।

श्री उपाध्यक्ष: आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूं। गृह मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी यहां तशरीफ नहीं रखते, बड़े गांधीवादी हैं, प्रदेश में सेंसिटिव सरकार है आपकी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर जिले के अन्दर राहुल एसपी भी रहे, हमने अच्छे पुलिस अधिकारियों की इज्जत की है। हमने उनकी इज्जत की, बहुत अच्छे अधिकारी थे। उसके बाद में विकास कुमार भी रहे, बहुत अच्छा काम किया। पूरे नागरिकों ने अभिनंदन किया। वर्तमान एसपी साहब बहुत ही सज्जन हैं, विनम्र हैं। हमें व्यवहार की शिकायत नहीं, किसी भी अधिकारी के व्यवहार की शिकायत नहीं है, शिकायत इस बात की है कि जब हमें इंसाफ नहीं मिले, हम धरना प्रदर्शन करें और उसके बावजूद भी हमारी बच्चियों को घर से किडनैप करके ले जाया जाए और

(श्री अब्दुल सगीर खां)

पुलिस उसके सिर्फ हमको आश्वासन देती रहे। मैं आखिर में इतनी-सी बात कहता हूं कि, मंत्रीजी, आप बहुत स्वभाव के विनम्र हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं,

'तू इधर उधर की न बात कर, बता ये काफिले क्यों लुटे
तुमको रहजनों की गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।'

मंत्रीजी, कृपया, वहां तो आपने जवाब नहीं दिया, इसका दें जरा। (व्यवधान) मैं क्या करूं, साहब, उर्दू भी समझ में नहीं आती, हिन्दी भी समझ में नहीं आती, किसी को अंग्रेजी भी समझ में नहीं आती, मैंने तो बड़ी शुद्ध हिन्दी में बात की है तो कृपया हिन्दी में ही जवाब दिलवा दें। उपाध्यक्षजी, बहुत मशरूफ नजर आ रहे हैं। कृपया इतना संवेदनशील मामला है, 8-9 लड़कियों का एब्डक्शन हुआ है। राजाखेड़ा की एक लड़की 14 वर्ष की जो छात्रा है, उसका नाम है सोनी, उसके पिता का नाम है रामचरण शर्मा, दिसम्बर की घटना, नामजद रिपोर्ट और आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, क्या मजबूरी है पुलिस की? मैं पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, क्या मजबूरी है, जहां उनका नाम है, इतने दिन क्या कार्यवाही की, उसको बताएं मंत्रीजी। यह बी एल कुशवाहा जो पूरे मध्य प्रदेश को लूट कर आया है, बसपा का नेता है ...(व्यवधान) और धौलपुर के अन्दर उसको शरण मिली हुई है।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): देखिए, उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के द्वारा सगीर साहब ने उठाया है, धौलपुर जिला बड़ा विचलित है, चिंतित है, मैं माननीय मंत्री से न्याय मांगता हूं कि राजाखेड़ा का प्रश्न है, धौलपुर का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जब मंत्रीजी खड़े हो गये तो डिस्टर्ब क्यों करते हो?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): माननीय सदस्य ने धौलपुर जिले की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। पूर्व के वर्षों की स्थिति के बारे में आपने ही फर्माया, गत वर्षों का आपने जिक्र किया कि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति काफी खराब थी जिसमें कि गत वर्ष में सुधार आया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रकरण विशेष के बारे में जो आपने फर्माया, इसको भी इस बार अपनी ओर से गम्भीरता से लिया है। आपने आज वापस जिन बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षण किया है, उन

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी और उससे आपको अवगत भी कराया जाएगा। जहां तक आपने बात फर्मायी वर्ष 2012-13 में कानून और व्यवस्था की स्थिति धौलपुर की, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति नियंत्रण में हो रही है, उक्त अवधि में जिले में कोई साम्प्रदायिक, जातीय तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष: सुनिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): भारतीय दण्ड संहिता में कुल 3743 अपराधों की तुलना में 3739 अपराध दर्ज हुए हैं। इस प्रकार वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराधों में 0.11 प्रतिशत की कमी हुई है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह तो होम की जब ग्रांट आए तब सुना देना, माननीय मंत्रीजी। माननीय उपाध्यक्षजी, एक महीने से एफ.आई.आर. लाज हुई है और एक महीने तक भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, उस पर क्या कहना चाहते हैं मंत्रीजी?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): आप विराज जाएं। जिले में गम्भीर अपराधों जैसे हत्या के अपराध....

श्री उपाध्यक्ष: उनकी बात तो सुनें कि वो क्या कहना चाहते हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): वो तो रिपोर्ट रख रहे हैं। (व्यवधान) सवाल सिर्फ उन्होंने यह किया है कि जो मुकदमा दर्ज हुए एक महीना हुआ..... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पुलिस मिली हुई है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आज तक उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई। उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, किसके संरक्षण में है वह अपराधी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी के बोलने के बाद बोलना न आप। आप बाद में नहीं बोलना चाहते? (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): किसके दबाव की वजह से उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में बताइये? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. दर्ज ही नहीं होती।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एफ.आई.आर. लाज हुए एक महीना हो गया तो आप उस पर कहिये कि उस एफ.आई.आर. पर क्या कार्यवाही कर रही है आपकी पुलिस। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): एफ.आई.आर. दर्ज कराने वाला, पिटने वाला जाता है, 151 में बन्द किया जाता है। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, यह मात्र एक प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने का है.... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जो एफ.आई.आर. में कमियां हैं, एफ.आई.आर. में कमी का कारण यह है कि थाने में रिपोर्ट दर्ज करते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): एफ.आई.आर. जो दर्ज कराने जा रहा है वह पिटकर आ रहा है, उसके खिलाफ 151 की कार्यवाही की जा रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं। आप जवाब नहीं सुनना चाहते, बीच में डिस्टर्ब करना चाहते हो तो करिये आप। (व्यवधान) देखिये, राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या, ...

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): सब लोग इधर ही बैठे हैं क्या कि जो सुनना नहीं चाहते? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम पीड़ा में हैं, हम पीड़ा में हैं हमारी पीड़ा सुनी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: वो सब ठीक है। अब आप कुछ भी करिये, जब जवाब सुनना नहीं चाहते। आप गाइड करना चाहते हैं। जवाब सुनने के बाद उनसे क्वेश्चन पूछते। आप सगीर साहब के प्रश्न को डायल्यूट कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मैं डायल्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं भुक्तभोगी हूं। मेरा नम्बर नहीं आया। इनकी पर्ची निकली थी, शांति से सुना है मैंने।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी मर्जी कोई बात नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. लाज नहीं होती इसलिए एफ.आई.आर. की कमी है। (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री महोदय का बताना चाहता हूं कि 20 तारीख के बाद किसी थाने में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): हमें जवाब चाहिए। (व्यवधान) सुरक्षा चाहिए, न्याय चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये। आप जवाब सुनना चाहते हो या नहीं सुनना चाहते? (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): जवाब में कोई तंत ही नहीं है। न्याय की तो बात हो।

श्री उपाध्यक्ष: कोई बात नहीं आप नहीं सुनना चाहते तो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जवाब दिलवाइये माननीय मंत्री जी का।

श्री उपाध्यक्ष: आप नहीं सुनना चाहते न इसलिए मैं आगे का बिजनस ले रहा हूं। आपने क्यों डिस्टर्ब किया?

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): उपाध्यक्षजी, जवाब दिलवाइये आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हम जवाब सुनने के लिए बैठे हैं न। हम जवाब सुनना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ये विराज रहे हैं, आप जवाब दिलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: सचेतकजी, आपके सदस्यों को आप बहुत ट्रेंड करते हो, सदन में पांच साल हो गये, और कुछ सदस्य तो बड़े हाउस को भी देख चुके हैं, तो ये जब बोल रहे थे तो बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे थे? क्वेश्चन तो बाद में भी कर सकते थे। आप पूरा करना चाहें तो कर दीजिये लेकिन ऐसे नहीं चलेगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो जिला धौलपुर में बढ़ते अपराधों की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया था जिसके क्रम में मैंने निवेदन किया कि 2011 की तुलना में 2012 में अपराधों में कमी आई है। मैं उसी क्रम में माननीय सदस्य और जानकारी चाहें तो निवेदन करना चाहूंगा कि जिले में अनुसूचित जाति के विरुद्ध दर्ज अपराधों में भी गत वर्ष की तुलना में 10.84 प्रतिशत की कमी आई है, दस्यु उन्मूलन के क्षेत्र में पूर्व के वर्षों में...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): एफ.आई.आर. दर्ज ही नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष: आप नहीं चाहते हो सुनना? बाद में बोलना, किसी को

(श्री उपाध्यक्ष)

बोलना है तो। माननीय सदस्य बैठे हैं। आप बीच में डिस्टर्ब करते हैं। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री शांतीकुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री वित्त विभाग की 33 एवं उद्योग विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित वित्त विभाग की 33 एवं उद्योग विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

वित्त विभाग

1- अधिसूचना संख्या : एफ.5(25)वित्त/कर/2012-65 दिनांक 28.9.2012 जिसके द्वारा वक्फ के पक्ष में सम्पादित कन्वेंस डीड पर मुद्रांक शुल्क की छूट प्रदान की गई है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.7(8)वित्त/कर/9-66 दिनांक 12.10.2012 जिसके द्वारा कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, धौलपुर कार्यालय के रास्ते हेतु भूमि अधिग्रहित की गई है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.12(102)वित्त/कर/10-67 दिनांक 15.10.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(102)वित्त/कर/10-87 दिनांक 2.2.2012 में संशोधन किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.12(18)वित्त/कर/2012-68 दिनांक 15.10.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.12(18)वित्त/कर/2012-69 दिनांक 15.10.2012 जिसके द्वारा मैसर्स राजस्थान स्टेट बेवरीज कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8(3) के अन्तर्गत कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.12(91)वित्त/कर/2011-71 दिनांक 17.10.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(91)वित्त/कर/2011-49 दिनांक 20.9.2011 को अधिक्रमित किया गया है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

7- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-72 दिनांक 18.10.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्थानीय निकाय द्वारा कृषि भूमि के नियमितीकरण दस्तावेज की लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-73 दिनांक 18.10.2012 जिसके द्वारा पुनर्वेध एवं पुनर्जारी लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-74 दिनांक 18.10.2012 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा जारी लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.2(70)वित्त/कर/12-75 दिनांक 18.10.2012 जिसके द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012 के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्रों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

11- अधिसूचना संख्या : एफ.12(65)वित्त/कर/12-76 दिनांक 1.11.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

12 अधिसूचना संख्या : एफ.12(65)वित्त/कर/2012-77 दिनांक 1.11.2012 जिसके द्वारा भगवान महावीर कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जयपुर को सशर्त कर से छूट प्रदान की गई है;

13- अधिसूचना संख्या : एफ.2(23)वित्त/कर/11-78 दिनांक 21.11.2012 जिसके द्वारा राजस्थान रजिस्ट्रेशन (लाइसेंसिंग आफ डाक्यूमेन्ट राइटर्स) रूल्स, 1956 में संशोधन किया गया है;

14- अधिसूचना संख्या : एफ.2(75)वित्त/कर/12-79 दिनांक 21.11.2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कारपोरेशन के आर्टिकल आफ एसोसियेशन के दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;

15- अधिसूचना संख्या : एफ.2(15)वित्त/कर/2010-80 दिनांक 21.11.2012 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा जारी अपरिवर्तनीय बाण्ड्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

16- अधिसूचना संख्या : एफ.12(49)वित्त/कर/2011-81 दिनांक 23.11.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

17- अधिसूचना संख्या : एफ.12(49)वित्त/कर/2011-82 दिनांक 23.11.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(49)वित्त/कर/2011-66 दिनांक 4.11.2011 को विखण्डित किया गया है;

18- अधिसूचना संख्या : एफ.11(1)वित्त/कर/2004-85 दिनांक 23.11.2012 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत (शुल्क) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है;

19- अधिसूचना संख्या : एफ.5(13)वित्त/कर/2012-86 दिनांक 10.12.2012 जिसके द्वारा मुस्लिम समाज सुधार एवं विकास संस्था धवा, तहसील-लूणी, जिला जोधपुर के पक्ष में सम्पादित गिफ्ट डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

20- अधिसूचना संख्या : एफ.12(30)वित्त/कर/11-87 दिनांक 12.12.2012 जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली मेट्रो रेल निगम लि. को अवार्डेड अजमेर रोड पर ओवर ब्रिज से क्वीन्स रोड क्रोसिंग से आगे तक एलीवेटेड रोड की कार्य संविदा पर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत उदग्रहणीय कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई है;

21- अधिसूचना संख्या : एफ.12(30)वित्त/कर/11-88 दिनांक 12.12.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-81 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

22- अधिसूचना संख्या : एफ.12(30)वित्त/कर/11-89 दिनांक 12.12.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(100)वित्त/कर/10-78 दिनांक 6.10.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

23- अधिसूचना संख्या : एफ.12(30)वित्त/कर/11-90 दिनांक 12.12.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(100)वित्त/कर/10-79 दिनांक 6.10.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

24- अधिसूचना संख्या: एफ.12(30)वित्त/कर/11-91 दिनांक 12.12.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(100)वित्त/कर/10-81 दिनांक 6.10.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है,

25- अधिसूचना संख्या : एफ.2(5)वित्त/कर/2009-92 दिनांक 13.12.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भण्डार व्यवस्था निगम के पक्ष में सम्पादित इंस्ट्रूमेंट्स आफ लीज डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

26- अधिसूचना संख्या : एफ.2(42)वित्त/कर/2009-93 दिनांक 13.12.2012 जिसके द्वारा राज्य विद्युत कम्पनियों को आबंटित या उनके द्वारा क्रय की गई भूमि के सम्बन्ध में निष्पादित दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;

27- अधिसूचना संख्या : एफ.12(29)वित्त/कर/2012-94 दिनांक 14.12.2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में मोटर वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को किराया आधार पर प्रदान करने हेतु स्थानीय क्षेत्रों में बसें लाने पर कर से छूट प्रदान की गई है;

28- अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)वित्त/कर/2007-96 दिनांक 31.12.2012 जिसके द्वारा इंटरमीडियेटरी इंस्ट्रूमेंट्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

29- अधिसूचना संख्या : एफ.2(98)वित्त/कर/10.पार्ट-97 दिनांक 3.1.2013 जिसके द्वारा राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा जारी शेयर प्रभाव पत्रों पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;

30- अधिसूचना संख्या : एफ.2(49)वित्त/कर/12-98 दिनांक 3.1.2013 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम द्वारा जारी नान एसएलआर बाण्ड पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;

31- अधिसूचना संख्या : एफ.12(81)वित्त/कर/2012-99 दिनांक 10.1.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;

32- अधिसूचना संख्या : एफ.2(11)वित्त/कर/2011-100 दिनांक 17.1.2013 जिसके द्वारा नगरपालिका के अधिकारी को पंजीकरण हेतु पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थिति से छूट प्रदान की गई है; एवं

33- अधिसूचना संख्या : एफ.12(30)वित्त/कर/2012-101 दिनांक 21.1.2013 जिसके द्वारा मंगलम सीमेंट लिमिटेड द्वारा सीमेंट प्लान्ट की स्थापना हेतु कतिपय माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

उद्योग विभाग

1- अधिसूचना संख्या : आरएफसी/एफपीए-23(8) दिनांक 8.12.2011, जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम स्टाफ रेग्युलेशन, 1958 के रेग्युलेशन्स में कतिपय संशोधन किये गये हैं;

2- अधिसूचना संख्या : आरएफसी/एफपीए-23(8) दिनांक 8.6.2012, जिसके द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी किया गया हैं; एवं

3- अधिसूचना संख्या : एफ.5(2)इण्ड/1/2012 दिनांक 5.10.2012, जिसके द्वारा डायरेक्ट सेलिंग (मल्टी लेवल मार्केटिंग) सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री राजस्व विभाग की 27 एवं उपनिवेशन विभाग की 5 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित राजस्व विभाग की 27 एवं उपनिवेशन विभाग की पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्व विभाग

1- अधिसूचना संख्या : एफ.9(68)राज-6/10/पार्ट/29 दिनांक 4.10.2012 जिसके द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अलाटमेंट आफ लैण्ड फार सैटिंग अप एग्रो प्रोसेसिंग एण्ड एग्री-बिजनेस एन्टरप्राइजेज) नियम, 2011 में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.9(15)राज-6/05-पार्ट/30 दिनांक 18.10.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.9(126)राज/6/2012/32 दिनांक 23.10.2012 जिसके द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012 के कार्य हेतु नियुक्त समस्त नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पर अधिरोपित समस्त कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार में करने हेतु अधिकृत किया गया है;

(श्री हेमाराम चौधरी)

4- अधिसूचना संख्या : एफ.9(126)राज/6/2012/33 दिनांक 23.10.2012 जिसके द्वारा भूमि बंटवारे के लिये तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों व शक्तियों को 90-ए के तहत नियुक्त अधिकारियों को प्रशासन शहरों के संग, 2012 अभियान की अवधि हेतु अधिकृत किया गया है;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.9(80)राज-6/12/पार्ट/34 दिनांक 29.10.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि से अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किये गये हैं;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/35 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 के सम्बन्ध में सीमाज्ञान के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियां तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को दी गई हैं;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/36 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 के नामान्तरणकरण के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायतों की शक्तियां तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को दी गई हैं;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/37 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आबंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियां अभियान में नियुक्त समस्त आईएएस/आरएएस को दी गई हैं;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/38 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 में समस्त जिलों हेतु भूमि आवंटन प्रयोजन के लिये भूमि आबंटन सलाहकार समिति की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/39 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 में राजस्थान भू-राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआ खोदने एवं पंपिंग सैट लगाने के लिये भूमि आबंटन) नियम, 1979 के अन्तर्गत जिला कलक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियां राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त आईएएस/आरएएस जिनको अभियान में नियुक्त किया गया है, को दी गई हैं;

(श्री हेमाराम चौधरी)

11- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/40 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 में राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य लोकोपयोगी भवन निर्माण हेतु अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आबंटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियां राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त आईएएस/आरएएस जिनको अभियान में नियुक्त किया गया है, को दी गई हैं;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/41 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आबंटन) नियम, 1970 के नियम-7 में भूमि आबंटन के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिये जारी उद् घोषणा के लिये निर्धारित 15 दिवस की कार्यवाही को कम कर 7 दिन किया गया है;

13- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज/6/2012/42 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 में रास्ते तथा अन्य निजी सुखाचार के तहसीलदार के अधिकार समस्त नायब तहसीलदार जिनको अभियान में नियुक्त किया गया है, को शक्तियां प्रदान की गई हैं;

14- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/43 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी जिन्हें कलक्टर द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 के लिये नियुक्त किया गया है, के द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आबंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियां को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु प्रदान की गई हैं;

15- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/44 दिनांक 29.11.2012 जिसके द्वारा राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी, जिन्हें कलक्टर द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 के लिये नियुक्त किया गया है, के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-53 की उपधारा (2) (1) एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत भूमि के बंटवारे की तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियां को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु प्रदान की गई हैं;

(श्री हेमाराम चौधरी)

16- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज/6/06/पार्ट/45 दिनांक 7.12.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत तहसील-चौमूं, जिला-जयपुर को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है;

17- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज/6/06/पार्ट/46 दिनांक 8.12.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत 20 जिलों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है;

18- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज/6/06/पार्ट/47 दिनांक 12.12.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत तहसील-गिर्वा, जिला- उदयपुर को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हैं;

19- अधिसूचना संख्या : एफ.5(2)राज-6/12/48 दिनांक 12.12.2012 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि ऋणता अवमुक्ति अधिनियम, 1957 के नियम-5 के उप नियम-(1) के अनुसरण में प्रतापगढ़ न्यायालय के क्र.सं.-11 पर अंकित सिविल जज-क, ख के स्थान पर सिविल न्यायालय प्रतिस्थापित किया गया है;

20- अधिसूचना संख्या : एफ.9(126)राज/6/2012/49 दिनांक 21.12.2012 जिसके द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012 में आयोजित शिविरों में धारा-90-ए के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 के अन्तर्गत तहसीलदार पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया गया है;

21- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/50 दिनांक 28.12.2012 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत कतिपय तहसीलों को आनलाइन कम्प्यूटराइज्ड करने हेतु अधिसूचित किया गया है;

22- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/1 दिनांक 1.1.2013 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत तहसील-बूंदी, बारां को कम्प्यूटराइज्ड आनलाइन करने हेतु अधिसूचित किया गया है;

23- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/2 दिनांक 11.1.2013 जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-92 के अन्तर्गत अभियान में नियुक्त समस्त आईएएस/आरएएस को, उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु शक्तियां प्रदान की गई हैं;

(श्री हेमाराम चौधरी)

24- अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/3 दिनांक 11.1.2013 जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-136 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियां, उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु, अभियान में नियुक्त समस्त आईएएस/आरएएस को दी गई हैं;

25- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/4 दिनांक 16.1.2013 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत तहसील-नागौर (ग्रामदानी गांव सुखवासी को छोड़कर) संगरिया, अलवर को कम्प्यूटराइज्ड आनलाइन करने हेतु अधिसूचित किया गया है;

26- अधिसूचना संख्या : एफ.9(60)राज-6/12/5 दिनांक 22.1.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.6(12)राज-6/99/पार्ट/23 दिनांक 13.10.2005 में संशोधन किया गया है; एवं

27- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज-6/06/पार्ट/6 दिनांक 31.1.2013 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के अन्तर्गत तहसील-झालरापाटन को कम्प्यूटराइज्ड आनलाइन करने हेतु अधिसूचित किया गया है।

उपनिवेशन विभाग

1- अधिसूचना संख्या : एफ.4(2)कोल/2008 दिनांक 6.11.2012, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.19(12)कोल/05 दिनांक 19.11.2012, जिसके द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र में स्थित राजकीय भूमि को स्थानीय निकायों को आवंटन/हस्तान्तरण करने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गये हैं;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)कोल/2010 दिनांक 30.11.2012, जिसके द्वारा कलक्टर द्वारा अधिरोपित कर्तव्य एवं शक्तियों का प्रयोग, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 में राजस्थान के जिलों में कार्यरत आईएएस/आरएएस सेवा के शिविर प्रभारी अधिकारियों को, उनके निर्धारित कार्य क्षेत्र में किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है;

(श्री हेमाराम चौधरी)

4- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)कोल/2010 दिनांक 30.11.2012, जिसके द्वारा तहसीलों में पदस्थापित नायब तहसीलदार को प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 की अवधि के दौरान उपनिवेशन तहसीलदार की समस्त शक्तियां प्रदान की गई हैं; एवं

5- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)कोल/2010 दिनांक 30.11.2012, जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2013 हेतु राजस्थान के जिलों में कार्यरत आईएएस/आरएएस सेवा के शिविर प्रभारी अधिकारियों को, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग एवं भाखड़ा नहर परियोजना क्षेत्र में उद्भुत होने वाले मामलों के सम्बन्ध में कलक्टर एवं भू-अभिलेख अधिकारी की शक्तियों का, उनके निर्धारित कार्य क्षेत्र में प्रयोग किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री शांतीकुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री जयपुर विकास प्राधिकरण के वर्ष 2011-2012 के लेखा विवरण, राजस्थान आवासन मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2011-12, हाइटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 एवं राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कार्पोरेशन लिमिटेड का 7वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखेंगे।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित लेखा विवरण एवं वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

जयपुर विकास प्राधिकरण का वर्ष 2011-12 का लेखा विवरण

1. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा-64 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के वर्ष 2011-2012 के लेखा विवरण;

राजस्थान आवासन मण्डल के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे

2. राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

हाइटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अन्तर्गत हाइटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड़, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12;

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12

4. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12; एवं

राजस्थान स्टेट ब्रेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का 7वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12

5. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड का 7वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12.

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरजीराम बुरड़क, कृषि मंत्री राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 एवं राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12

1- दी वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 ; एवं

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12

2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए)(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12.

श्री उपाध्यक्ष: डा. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2009-10 सदन की मेज पर रखेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रतिवेदन व लेखे विलम्ब से सदन पटल पर रखना संसदीय परम्परा का उल्लंघन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय अभी जयपुर विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन रख रहे हैं। प्रतिवेदन है वर्ष 2009-10 का और हम चल रहे हैं 2012-13 में। उपाध्यक्ष महोदय, दो-दो वर्ष पुराने हैं। इसी तरह से सहकारिता मंत्री भी राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेंट कार्पोरेशन का रख रहे हैं वो भी 2009-10 का है। इसके अलावा खादी मंत्री जो लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रख रहे हैं वो 2001-02 का, 2004-05 है।

श्री उपाध्यक्ष: उसी टाइम बोल देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, उस परम्परा को, किसने क्या किया, किसने नहीं किया, पर सदन की एक परम्परा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कई अध्यक्षीय व्यवस्थाओ की तरफ दिला सकता हूं जिसमें कई बार सरकार को मजबूर किया गया है। वार्षिक प्रतिवेदन उससे पिछले वित्तीय वर्ष का हो तो उसको तो हम देख भी लें, पर इसका मतलब यह है कि सदन को एक तरह से मजाक बना दिया गया है। अभी 2009-10 और वो भी विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रतिवेदन है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि आप माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से सरकार को प्रताड़ित करें और इन्हें मजबूर करें कि अब जो प्रीवियस ईयर का है, वो रखें।

व्यवस्था

प्रतिवेदन व लेखे सदन पटल पर समय पर रखे जाने चाहिए

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, वैसे तो समय पर रखना चाहिए। (व्यवधान) डा. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2009-1010 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप रखवा सकते हैं, आसन सर्वोपरि है पर उपाध्यक्ष महोदय, अच्छी परम्परा कायम नहीं हो रही है। आपको कम से कम कुछ तो कहना चाहिए उनको। वो क्षमा तो मांगें, क्षमा मांगने से छोटे नहीं हो जाएंगे वो।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, आप एक बात तो निश्चित करवाएं इनकी व्यवस्था से पहले, कि राजस्थान के कम्पनी अधिनियम में इनकी आडिट अनिवार्य है और समय पर अगर आडिट हो गई थी तो ये प्रतिवेदन समय पर सदन में क्यों नहीं आया। जिस राजस्थान कम्पनीज एक्ट, 1956 की बात आप कर रहे हैं, राजस्थान कम्पनीज एक्ट में अनिवार्य है कि इनकी आडिट होनी चाहिए और अगर इनका अकाउंट्स आडिट हुआ था तो फिर सदन की मेज पर उस समय क्यों नहीं आया और आज क्यों आ रहा है, कम से कम यह तो आप बताइये।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2009-10

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2009-10 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह 619 (ए) क्या कहता है....

(15.00 बजे)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अब एक यही है। (व्यवधान) इनसे आप 156 पढ़वा दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 156 क्या कहता है, मंत्री महोदय इसको पढ़ दें। इसमें बाध्यकारी है। इसमें बाध्यकारी है कि प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर यह प्रगति प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे। यह हो क्या रहा है? मजाक हो रही है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): तमाशा हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर आपके आसन पर विराजते हुए, आप जैसे विद्वान उपाध्यक्ष हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, उनके आसन पर विराजते हुए अगर इस तरह की व्यवस्था रहेगी, कितनी ही अध्यक्षीय व्यवस्था इसमें दी गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह आसन सर्वोपरि है, आप इनको प्रताड़ित कीजिये। इनको कहिये, जब तक ये रीसेंट ईयर का लेकर नहीं आएंगे, तब तक आप इनको अनुमति मत दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री परसादी लाल मीणा, सहकारिता मंत्री, राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, परिवहन राज्य मंत्री, लोकायुक्त की विशेष रिपोर्ट पर राज्य सरकार की ओर से एक्सप्लेनेटरी मेमोरण्डम सदन की मेज पर रखेंगे।

लोकायुक्त की विशेष रिपोर्ट पर राज्य सरकार की ओर से एक्सप्लेनेटरी मेमोरण्डम

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12(5) के अन्तर्गत लोकायुक्त की विशेष रिपोर्ट पर राज्य सरकार की ओर से एक्सप्लेनेटरी मेमोरण्डम सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री परसादी लाल मीणा, सहकारिता मंत्री, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2001-02 से 2004-05, 2005-06 से 2006-07 तथा 2007-08 से 2009-10 सदन की मेज पर रखेंगे। मंत्रीजी, इनका एतराज है, वाजिब है। इसका आइंदा सरकार ध्यान रखे।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2001-02 से 2009-10

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2001-02 से 2004-05, 2005-06 से 2006-07 तथा 2007-08 से 2009-10 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। डाक्टर रघु शर्मा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अगर आपने वह प्रतिवेदन स्वीकार ही कर लिया तो फिर व्यवस्था का प्रश्न आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसमें दो चीजें हैं, सर। एक तो व्यवस्था का प्रश्न है जो तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है। सर, रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज के इनकम टैक्स एक्ट में अगर समय पर यह आडिट नहीं हुआ तो इकोनोमिक आफेंस माना जाता है और इकोनोमिक आफेंस में जेल तक का प्रावधान है। तो कम से कम चेयर इस बात को तो सुनिश्चित करे कि आर.ओ.सी. की गाइडलाइन के मुताबिक समय पर इसका आडिट हुआ था क्या। अगर हुआ था तो फिर सदन की मेज पर आज क्यों रखा जा रहा है? और नहीं हुआ तो 10 साल का आडिट या पांच साल का आडिट आज आप करा रहे हैं तो इनकम टैक्स के अधिनियम के अन्दर जहां यह क्रिमिनल इकोनोमिक आफेंस है, उसके बारे में आपकी क्या व्यवस्था है?

दूसरा मेरा सवाल है आपसे गवर्नर साहब के अभिभाषण की व्यवस्था से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष: तो उस टाइम करना आप।

व्यवस्था का प्रश्न

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के मसौदे की भाषा

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अगर आप इनका प्रतिवेदन, कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन स्वीकार ही कर लेंगे तो फिर मेरा करना, न करना बेकार है। फिर तो सदन सर्वोच्च है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मैं आपका ध्यान, आदरणीय, 175 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कल हमारे वरिष्ठ नेता ने 176 का तो कहा लेकिन 175 क्या कहता है? 175 है, Right of the Governor to address the House. 176 में तो आपको प्रथम सैशन को एड्रेस करने का राइट है लेकिन 175 में उनको स्वयं भी राइट है। और उसमें स्वयं के राइट को यहां लाकर आपने इस आशय पर कि कैबिनेट ने जो मसौदा एप्रूव किया, वह हिन्दी भाषा में था, आपने गवर्नर को यहां बुलाकर उनके राइट को कर्टेल किया है। एक कांस्टीट्यूशनल अथोरिटी को कल शर्मसार होना पड़ा है। अगर आप दोनों के दोनों वर्जन कैबिनेट से एप्रूव करवाते, फिर अगर वह यहां आतीं और अगर हमारे नेता या प्रतिपक्ष को एतराज होता और उस एतराज को ध्यान में रखकर वह उसको पढ़ा हुआ मान लेतीं तो ठीक है। लेकिन सरकार से एक इतनी बड़ी चूक हुई है कि संविधान के सर्वोच्च पद पर रहने वाली महामहिम राज्यपाल महोदया को शर्मसार होकर उस अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया गया है। उनके अधिकार 175 व आर्टिकल आफ इण्डियन कांस्टीट्यूशन का खुला उल्लंघन वर्तमान सरकार ने किया है। वर्तमान सरकार को नैतिक और वैधानिक दोनों ही दायित्व का, अपने कर्त्तव्य पूरा नहीं करने की वजह से आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि सर्वोच्च संविधान के उस मर्यादित पद को आज आपने शर्मसार किया है, यह मेरा आपके सामने व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न एक बार आसन के सम्मुख आ गया तो उसके ऊपर आप अपनी व्यवस्था अब देंगे या बाद में देंगे? दो व्यवस्थाओं के प्रश्न अनुत्तरित रह जाएं आपके विराजते हुए! मैं यह नहीं कहता हूं आप अभी दो। हालांकि देना तो आपको अभी चाहिए। शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने ऐसी गम्भीर टिप्पणी सरकार पर की है। मेरी प्रार्थना है आपसे कि यह व्यवस्था आप कब देंगे? आप हमें बता दें, सदन को जरा, बड़ी मेहरबानी होगी।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर आने से पहले आप नहीं खड़े रह सकते।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मेरा नाम पुकारा है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): श्रीमान्, आप मुख्य सचेतक हैं, मुख्य मंत्री नहीं हैं। हां तो आप विराजिये। व्यवस्था के प्रश्न के जवाब में या तो वह नकारेंगे...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आसन ने मेरा नाम पुकारा है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): वह मौन नहीं रह सकते। आसन मौन नहीं रह सकता।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आसन ने मेरा नाम पुकारा है तो मुझे मेरा काम करना है कि नहीं? आसन व्यवस्था दे दे। इस सदन को मजाक क्यों बनाया जा रहा है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषा है मुख्य सचेतक की? मुख्य सचेतक ऐसी भाषा बोल रहे हैं? (व्यवधान) ये एक तरह से आसन को गाइड कर रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, अगर आसन से कोई निवेदन करना सदन को मजाक बनाना है तो...(व्यवधान) पहले यह सदन से माफी मांगें कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। (व्यवधान) या तो ये अंकित नहीं होगा, ये जो बोले हैं, उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष: क्या नहीं होगा। आप आदेशित मत करिये। आप थोड़ा विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पर जिस भाषा में, जिस तरह आसन को इंगित करके टिप्पणी की है, यह सदन का अपमान है। यह आसन का ही अपमान नहीं है, मुख्य सचेतक महोदय ने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है, यह आपकी तरफ अंगुली करके किया है।

श्री उपाध्यक्ष: आप व्यवस्था चाहते हो? आप इस पर व्यवस्था चाहते हो?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): यह इनका मुख्य सचेतक है। आप हमारे मुख्य सचेतक को और इनके मुख्य सचेतक को, दोनों एक दूसरे को आप क्या मानते हो?

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिये, विराजिये। विराजिये। एक को सरकारी मानता हूं और एक को प्रतिपक्ष का मानता हूं। दोनों सम्मनित हैं इस सदन में।

(श्री उपाध्यक्ष)

व्यवस्था

अभिभाषण के मसौदे के की भाषा के विषय में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न का सरकार नोटिस लेगी

माननीय सदस्य ने बहुत गम्भीर बात उठाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मंत्रिमण्डल का निर्णय जो भी था, पेपर में क्या आया, पेपर के आधार पर इस सदन में चर्चा नहीं की जाए तो अच्छा होता है। यह अच्छी परिपाटी है। फिर भी हम लोग करते हैं, वह बात मैं नहीं कहना चाहता। आपने 175 के तहत इसको उठाया है, कांस्टीट्यूशन के 175 के तहत, और यह तब उठाया है जब माननीय मुख्य सचेतकजी कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करने जा रहे थे। उपस्थापन के बाद आब्जेक्शन होना चाहिए था। आपका कहना है कि एक बार सदन में रख दिया तो फिर उपस्थापन की बात समाप्त हो जाती है। आपकी भावना का सम्मान आसन करता है। साथ ही इसको आपने पढ़ा होगा, मैं इसको थोड़ा-सा रिफ्रेश कर दूं सदन की इजाजत हो तो।

सदन या सदनों में अभिभाषण का या उसके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। कांस्टीट्यूशन में साफ है कि सदन में अभिभाषण रखें या उसका संदेश भेजें, जो भी परिपाटी है। तो यह एक प्रोसीजरल चीज है और इसको नहीं बनाएं। कल मैं भी सदन में था और जिस प्रकार से गवर्नर को सजैस्ट किया सदन के किसी भी माननीय सदस्य ने, सत्ता पक्ष का नहीं है, सदन में हम 200 सदस्य हैं, आसन ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। जब माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने कहा था कि आप इसकी ऊपर की पांच लाइन पढ़ दीजिये और नीचे की पढ़ दीजिये, जो भी सदन में आया। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि इसके बारे में बहुत सी रूलिंग हैं, वे शायद आप पढ़ लेते। आप तो बहुत विद्वान माननीय सदस्य हैं। मैं आपको 22 फरवरी, 1991 का वह अभिभाषण है, माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत उस सदन के नेता हुआ करते थे। उसमें था कि आज का दिन, इसका यह है, उसको पढ़ा हुआ माना गया था। वह भी दो लाइनें, चार लाइनें पढ़ी गई थीं। आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, वैसे यह मामला उठाया नहीं जाना चाहिए था लेकिन प्रोसीजर की बात है। इसको हम हमेशा उठाएं तो सदन का समय लगेगा। तो मैं तो इसमें यहीं कहूंगा, उन्होंने जो व्यवस्था दी है 22

(श्री उपाध्यक्ष)

फरवरी, 1991 को, उसमें भी साफ है कि सदन में कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कल भी माननीय सदस्य बोल रहे थे, जो भी जिस तरह से बोले। गवर्नर स्पीच पढ़ेगे, राष्ट्रपति अभिभाषण पढ़ेंगे। बिलकुल पूर्ण होता है। सबसे बड़ा सम्मान हमारा, इस आसन से बड़ा सम्मान प्रदेश में गवर्नर का और भारत में राष्ट्रपति का होता है।

तो चूंकि उन्होंने अभिभाषण पढ़ा है और कल इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया था और सजेशन आया था, बल्कि इसी पक्ष के द्वारा आया था, इसलिए उसके बारे में मेरा जहां तक है, आब्जेक्शन उठाने की कोई वह नहीं है। बाकी फिर भी आपने चूंकि महत्ता इसको दी उसके लिए तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन उसको पूरा, हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें कांस्टीट्यूशन को, ...(व्यवधान) आप एक मिनट, मेरी बात सुन लें। आप मेरी बात सुन लीजिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप दो मिनट विराज जाएं, मेरा आपसे इतना आग्रह है। एक मिनट...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कमाल हो गया। कमाल हो गया। आसन को कह रहे हैं, विराज जाओ। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): क्या खतम हो गया, खतम नहीं हुआ।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आसन को कह रहे हैं विराज जाओ और मुझे कह रहे हैं अपमान कर रहा हूं। अपमान आप कर रहे हैं माननीय सदस्य, मैं नहीं कर रहा हूं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): खतम हुआ नहीं है, खतम तो अब हम करेंगे। अब आप करोगे खतम।

एक माननीय सदस्य: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम खुद ढूंढ रहे हैं और नियम का हवाला दे रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं इस बात पर कुछ कह लूं तो कोई अनर्थ हो जाएगा? मैं सिर्फ इतना-सा निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय से इतना निवेदन कर रहा हूं कि आइन्दा...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है, अब आगे क्या व्यवस्था है आपकी, बताइये मुझे? या बहस करानी है किसी और विषय पर?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मुख्य सचेतक महोदय, मैं सिर्फ आपसे यह निवेदन कर रहा हूं, क्या आसन आज वहां से यह निर्देश नहीं जारी कर सकता क्या कि आइन्दा जब भी गवर्नर का अभिभाषण कैबिनेट में पारित हो, अंग्रेजी और हिन्दी दोनों मसौदों में पारित हो? आप पढ़ने दें या नहीं पढ़ने दें, यह सदन का अधिकार है लेकिन वहां से आप यह व्यवस्था तो कर सकते हैं। आपने व्यवस्था नहीं की है इसलिए वह शर्मसार हुई हैं। वरना होना या न होना, वह आप पर था। मत करो, अगली बार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप पूरी बात सुनते तो शायद यही बात सामने आ रही थी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): फिर यह पर्चियां देते हैं न आपको...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। आप कृपा करके विराजिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अब यह पर्चियां देते हैं, वही गड़बड़ा करते हैं, आप अपने पास से पढ़ लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: गवर्नर के अभिभाषण पर बहस का समय है, तो मेरा जहां तक वह है...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सदन की कार्यवाही भी तो चलाओ आगे।

श्री उपाध्यक्ष: यही तो मेरा अर्ज करना है, कोई भी सदन में प्रकरण आता है, मामला आता है, तो सदन में सत्ता पक्ष जरूर उसको नोटिस करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। गवर्नमेंट भी राजस्थान में है, वह भी इसको नोटिस कर रही है। अब उसको लम्बे प्रोसीजर में नहीं जाते हुए, मैं चूंकि सारी बात इसमें साफ है, रूलिंग्स भी हैं, कांस्टीट्यूशन की भावना है और जिस प्रकार से कल विपक्ष की तरफ से आया, सत्ता पक्ष ने भी कोई आब्जेक्शन नहीं किया, सत्ता पक्ष भी कर सकता है। गवर्नर सभी का है, पूरे स्टेट का है, इसलिए मैं, माननीय, इसको, आपका जो आब्जेक्शन है, उसको सरकार जरूर नोट करेगी आइन्दा के लिए। इसी के साथ में डा. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 28वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति खड़ी की उस पर तो व्यवस्था दी ही नहीं आपने।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र सं. 28)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 28वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 21 फरवरी, 2013 को मध्याह्न पश्चात् 12.15 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 22 फरवरी, 2013 से 27 फरवरी, 2013 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2013	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद
दिनांक 23 फरवरी और 24 फरवरी, 2013	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2013 मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2013 और बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2013	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की तरफ से उत्तर।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 28वें प्रतिवेदन पर....

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट मैं बोलूंगा तब।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, मैं बोलूंगा एक मिनट।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव मेरी तरफ से आता है। यह प्रस्ताव मेरी ही तरफ से आता है और यह मैं ही कर रहा हूं। अब जो काम करना है वह अब आप आगे करो।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 28वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012

श्री हेमाराम चौधरी, सभापति, प्रवर समिति प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महादेय, यह सचेतक महोदय क्या कर रहे हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री परसादीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री उपाध्यक्ष: डा. दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

जो पक्ष में हों, हां कहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, पक्ष में नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: नजर तो आता है, दोबारा पूछ लूं। जो पक्ष में हों, हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री उपाध्यक्ष: जो पक्ष में हों, ना कहें।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-12) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक-12) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिए समय का बंटवारा

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

इंडियन नेशनल कांग्रेस	-8 घंटे 8 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	- 6 घंटे 19 मिनट
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी),	– 15 मिनट
गायब है?	
जनता दल	- 5 मिनट
समाजवादी पार्टी	- 5 मिनट
लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	- 5 मिनट
निर्दलीय	- 1 घंटे 3 मिनट

	कुल समय – 16 घंटे

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (विभाजन संख्या 54) सदस्य, विधान सभा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

रूप में धन्यवाद (समावेदन) प्रस्तुत किया जाए- 'इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।'

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार का गठन वहां के आदरणीय मतदाताओं के द्वारा किया जाता है, मतदाता इसमें विश्वास व्यक्त करता है कि वह ट्रस्टी के रूप में हमारी सेवा करेंगे, उनको सरकार में बैठाता है। सरकार की अपनी जो मंशा है, वह गरीब के लिए क्या करना चाहती है, वह मजदूर के लिए क्या करना चाहती है, वह किसान के लिए क्या करना चाहती है, एस.सी., एस.टी., माइनोरिटी, कर्मचारी, व्यापारी, इन सब वर्गों के लिए किस प्रकार से सोच रखती है, उनके कल्याण के लिए, आम जनता के लिए काम करना चाहती है, इसका विजन आदरणीय महामहिम राज्यपाल के द्वारा, जो भी कार्य किये जाते हैं उनको यहां पर पढ़ा जाता है। हमारा पांचवां राज्यपाल का अभिभाषण माननीय महामहिम द्वारा कल दिनांक 21 को पढ़ा गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार जिसके मुखिया माननीय अशोकजी गहलोत हैं उन्होंने चार साल में गरीब को, मजदूर को, व्यापारी को, किसान को, अल्पसंख्यक को, एससी/एसटी, मायनोरिटी कर्मचारी को, सभी वर्गों को साथ लेते हुए उनके कल्याण के लिए कार्य किये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक समरसता किस प्रकार से बनी रहे, समाज में गरीब व्यक्ति किस प्रकार से ऊपर उठे, समाज में ग्रामीण परिवेश में किसान के लिए क्या किया जाए, व्यापारी के लिए क्या किया जाएं, आम आदमी के लिए किस प्रकार से किस क्षेत्र में क्या किया जाए, विद्यार्थियों के लिए क्या किया जाए, युवाओं के लिए किस प्रकार से कल्याण के कार्य किए जाएं, ये सारे के सारे कार्य जो भी सरकार का मुखिया होता है उसके नेतृत्व में सरकार करती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अशोकजी गहलोत जब मुख्य मंत्री बने तो सबसे पहले उस गरीब के आंसू पोंछने का काम किया जो पूर्ववर्ती सरकार में प्रताड़ित था। उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सबसे पहले बीपी एल का दो रुपए किलो गेहूं के माध्यम से अन्न उपलब्ध कराने का काम किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो सर्वे हुआ था बी पी एल का, उसमें हमारे काफी लोग छूट गये थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शुरूआत होते ही स्टेट बी पी एल मानते हुए वे जो बी पी एल के लोग छूट गये थे, उनके कल्याण के लिए काम करने का

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

काम किया और उनको वे सारी सुविधाएं दीं जो आज बी पी एल के लोगों को मिलती हैं।

दो रुपए किलो गेहूं के साथ-साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आम लोगों की असुरक्षा की भावना थी, व्यक्ति आमदनी कम होने के कारण से अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहता था, वह इलाज नहीं करा पाता था, उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सोचा। जो बीपीएल के हमारे भाई थे, जो इलाज नहीं करा पाते थे, जो गरीब थे, जिनकी वार्षिक आय साठ हजार रुपए से कम थी, उनको भी किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाने के कारण वे दम तोड़ देते थे। उनके कल्याण के लिए काम करने का काम किया और मुख्य मंत्री बी पी एल सहायता कोष बनाया। प्रत्येक बी पी एल का व्यक्ति, प्रत्येक स्टेट बी पी एल का व्यक्ति जो बीमार हुआ तो उसके चाहे एक लाख रुपए लगे, चाहे एक रुपया लगे, चाहे दस लाख रुपए लगे, उन सबको उपलब्ध कराकर उसके माध्यम से उन सबका फ्री में पूरा का पूरा इलाज कराने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में केवल 10,216 व्यक्तियों को 35 करोड़ रुपए की मुख्य मंत्री सहायता कोष के माध्यम से मदद दी गई थी। लेकिन इस चार साल में कांग्रेस की सरकार से 1 करोड़ 36 लाख लोगों को 141 करोड़ रुपए की सहायता पहुंचाई गयी। उसके साथ में 7 करोड़ जनता को 300 रुपए प्रति वर्ष नि:शुल्क दवा ताकि सबको स्वस्थ चिकित्सा मिले। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, वह इलाज के लिए नहीं तड़पे, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, इस कांग्रेस की सरकार ने व्यवस्था की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो वृद्धा, विधवा, विकलांग थे, जिनका कोई सहारा नहीं था, उनको नाम मात्र की पेंशन पूर्ववर्ती सरकार दे रही थी। आप देखिए, यह आंकड़ा मेरे पास में है, बीजेपी के शासन में 240 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिया जाता था। उन लोगों को चार गुणा राशि बढ़ाकर 810 करोड़ रुपए की। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो विधवाएं थीं, जो विकलांग थे, वृद्ध थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब की पेंशन बढ़ाने का काम राजस्थान की सरकार और मुखिया अशोकजी गहलोत ने किया है। ये जो पैसा देते थे 240 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, उसको 810 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का काम माननीय

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मुख्य मंत्रीजी और हमारी सरकार ने किया है। यह वही व्यक्ति कर सकता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो गरीब की सोचता है, आम लोगों की सोचता है, सबको साथ लेकर चलता है, सारे मज़हबों को जोड़ने का काम करता है और जो गरीब और अमीर की खाई है उसको पाटने की ओर चलता है। यह वही व्यक्ति कर सकता है, वही सरकार कर सकती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, 15-15 फ्लैगशिप कार्यक्रम हमारी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिए। आप देखिए, जो मां अपना बच्चा जन्म देना चाहती थी, डिलीवरी के समय या तो बच्चा खतम हो जाता था या उस महिला को तकलीफ हो जाती थी। माननीय सोनिया गांधीजी ने, मनमोहन सिंहजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह काम किया कि जननी शिशु सुरक्षा योजना चालू की, वह प्रत्येक मां जो बच्चे को जन्म देना चाहती है, घर से उसको गाड़ी लाएगी, उसका इलाज कराएगी और तीस दिन तक उसकी सुरक्षा करेगी। अगर बीच में बच्चा बीमार हो गया तो उसको वापस लाएगी। अगर खून की दरकार हो गई तो उसको खून उपलब्ध कराया जाएगा, ब्लड दिया जाएगा। अगर उसको किसी प्रकार के आपरेशन की दरकार हुई, किसी खाने की दरकार हुई तो वह सारी की सारी व्यवस्था जननी शिशु सुरक्षा योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने करने का काम किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीब लोग जो बिना छत थे, उनको छत उपलब्ध नहीं थी, उन ग़रीब दस लाख परिवारों को छत उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। 3400 करोड़ रुपए हुडको से लोन लिया ताकि उन गरीबों को छत मिले। गरीब बिना छत के नहीं रह सके, गरीब इलाज के बिना कहीं दम नहीं तोड़ दे, गरीब अन्न के बिना भूखा नहीं सो सके, यह सारी की सारी व्यवस्था कांग्रेस की सरकार और माननीय अशोकजी गहलोत की सोच के कारण सम्भव हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोगों की भूख से मौतें हुई हैं, इलाज में लोगों ने दम तोड़ा है। इस चार साल में आप देख सकते हैं, दो रुपए किलो गेहूं कोई सोच नहीं सकता था। पूरी की पूरी सात करोड़ जनता को नि:शुल्क चिकित्सा मिलेगी यह कोई सोच नहीं सकता था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर रखी है कि आने वाले समय में अप्रैल के माह से हम नि:शुल्क जांच भी कराएंगे। एक गरीब आदमी असुरक्षा की भावना से जी रहा है, वह यह देख रहा है कि पैसा नहीं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

है, पता नहीं मेरा कब दम निकल जाए, मैं सही हूं या नहीं हूं, मैं स्वस्थ हूं या नहीं हूं, उसके लिए सारी की सारी व्यवस्थाएं करने का काम हमारी सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी संविदाकर्मी थे, चाहे वे एनआरएचएम के थे या और कोई, सबके पैसे बढ़ाने का काम किया। उनको ज्यादा से ज्यादा वेतन मिले, जिससे वे सुरक्षा की भावना के साथ अपना जीवनयापन आराम से कर सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के हित के लिए, नीतियां बनाईं, योजनाएं प्रारम्भ की। किसानों के पांच साल तक विद्युत बिल नहीं बढ़े, यह व्यवस्था राजस्थान की सरकार में माननीय अशोकजी गहलोत ने की है। किसानों को इनाम मिले, उनको भी प्रोत्साहन मिले। एनजीओज हैं उनको तो इनाम मिल जाता है लेकिन किसान की कोई सुध लेने वाला नहीं था। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पशुपालकों को भी अब इनाम मिलेगा। पंचायत मुख्यालय पर बैठा गरीब है पेंशन के लिए तरस रहा था, वह अपने खेत का बंटवारा कराने के लिए तरस रहा था, अपने पट्टे लेने के लिए तरस रहा था। ये सारी की सारी सुविधाएं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन गांवों के संग भेजकर किसानों के लिए, ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए काम करने का काम किया है, उनको राहत पहुंचाने का काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, साठ साल में किसान शीतलहर और पाले से प्रताड़ित था। उसको किसी प्रकार से रिलीफ नहीं मिलती थी क्योंकि इसे प्राकृतिक आपदा में नहीं गिना जाता था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहल की, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने माननीय प्रधान मंत्रीजी से आग्रह किया, माननीय सोनिया गांधीजी से आग्रह किया, और आपको पता होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि चार माह पहले शीतलहर और पाले को प्राकृतिक आपदा में शामिल कर लिया गया है। इस वर्ष ख़रीफ़ और रबी में 7 लाख 78 हजार काश्तकारों को 129 लाख की सहायता इसके माध्यम से मिल पाई है। शीतलहर और पाला अगर प्राकृतिक आपदा में नहीं होता तो कभी यह सहायता उन किसानों को नहीं मिलती।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसानों के लिए रास्ते की समस्या थी, आये दिन झगड़े होते थे। हर खेत को रास्ता मिले, इस बात का कानून माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया है। जिससे किसान

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

को लाभ मिल सके, किसान प्रताड़ित नहीं हो, किसान अनावश्यक मुक़दमों में नहीं फंसे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि मण्डी में कृषि उपज मण्डी के माध्यम से पचास हजार रुपये किसान को जो खेत में काम करते हुए खतम हो जाता था, मिलते थे सहायता के, उसको बढ़ाकर एक लाख रुपये किया। विद्युत की दुर्घटना से कोई व्यक्ति खतम हो जाता था तो उसको पच्चीस हजार रुपये से ज्यादा नहीं मिलते थे, उसको ढाई लाख रुपये करने का काम राजस्थान की सरकार में माननीय अशोकजी गहलोत ने किया। यह वो ही व्यक्ति कर सकता है जो गरीब के प्रति सोच रखता है, प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलता है। किसानों के लिए किसान आयोग का गठन किया है। किसान आयोग के माध्यम से किसानों की समस्याओं की रिपोर्ट सरकार के पास आएगी और सरकार किसान के हित में फैसला करेगी। पशुपालकों के लिए पिछली सरकार ने एक भी उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला, क्योंकि जो सरकार थी पांच साल तक भारतीय जनता पार्टी की वो किसान विरोधी सरकार थी, मजदूर विरोधी थी। वो किसी भी दलित को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। किसान के प्रति उनका कोई सोच नहीं था। केवल भू-माफिया को पनपाने का काम उन्होंने किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान प्रताड़ित था, उसको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही थी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक फैसला किया हमारी सरकार ने एक फैसला किया। वो फैसला यह किया कि एक लाख रुपये तक उसको फ़सली ऋण मिलेगा और वो ऋण अगर समय पर आप चुकाते हो तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2008-09 में 2,464 करोड़ का क्राप लोन दिया गया था, उसे आगे बढ़ा करके हमारी कांग्रेस सरकार ने 10,600 करोड़ रुपये का क्राप लोन कर दिया। वो भी 18 और 20 हजार रुपये किसान को कर्ज के मिलते थे ब्याज पर मिलते थे। एक लाख रुपये तक सीमा बढ़ाकर उसको भी ब्याज मुक्त कर दिया। यह फैसला वो ही सरकार कर सकती है जो किसान की है और आम जन को साथ लेकर गांवों का विकास करने की सोचती है, जो किसान को आगे बढ़ाने की बात करती है।

सरकार ने एक फैसला किया कि सहकारिता के माध्यम से हम गांव

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

के लोगों की सेवा कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस फैसले के साथ में प्रत्येक ग्राम पंचायत के ऊपर केवीजीएसएस खोलने का निर्णय किया। पंचायत समिति स्तर पर केवीजीएसएस खोलने का निर्णय किया और उसके साथ में वहां गोदाम बने, पैसा दिया। क्रय-विक्रय जीएसएस जो खुलते थे उसमें क्षेत्रफल का भी राइडर था तथा और भी कई राइडर थे, वो सब राइडर खोलने का काम किया। 15 लाख रुपये जो साख सीमा थी, उसको घटाकर पांच लाख रुपये किया और क्षेत्रफल का जो आधार था वो बिलकुल खतम कर दिया। सरकार का एकमात्र अभिप्राय है कि सब ग्राम पंचायतों में खुले और ज्यादा से ज्यादा किसान आएं और सहकारिता के माध्यम से जो किसान का अपना बैंक होता है उससे एक लाख रुपये तक बिना ब्याज के ऋण ले सकें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने गांवों में जो नामान्तरण पैंडिंग पड़े थे, जो पेंशन के प्रकरण पैंडिंग पड़े थे, उनको सबको प्रशासन गांवों के संग दो दफा चलाया। पहले भी चलाया और आज वर्तमान में भी चल रहा है। कल तक चल रहा था। अभी जो प्रशासन गांवों के संग अभियान चल रहा है उसमें दो लाख बानवे हजार तीन सौ बीस नामान्तरण खुलने का काम हुआ है। 57,900 प्रकरण कृषि जोतों का आपसी सहमति से बंटवारे का काम हुआ है, 3,900 प्रकरणों में जनोपयोगी प्रयोजनार्थ जमीनें आरक्षित हुई हैं। 1,98,699 पेंशन प्रकरण जिसमें पेंशन लोगों को नहीं मिल रही थी, उनकी पेंशन का काम हुआ है। 54,246 प्रकरणों में नि:शुल्क आवासीय भूखण्डों का आबंटन हुआ है। एक फैसला किया सरकार ने। जिस किसान का खेत है अगर वो वहां ढाणी बनाकर रह रहा है, उसको घरेलू विद्युत कनेक्शन नहीं मिल रहा था। वहां पर पांच सौ वर्गमीटर तक नि:शुल्क पट्टा देने का काम कांग्रेस की सरकार में माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने किया। 6,38,338 व्यक्तियों को नि:शुल्क दवा भी दी गई, प्रशासन गांवों के संग शिविर के माध्यम से 5,29,691 पशुओं का टीकाकरण भी किया गया और 3,51,700 पशुओं को दवाइयों का वितरण भी किया गया।

(15.34 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, सरकार ने सबको साथ लेते हुए कानून बनाये, नि:शुल्क दवा योजना चालू की, जननी शिशु सुरक्षा की, पशुधन के लिए भी नि:शुल्क दवा योजना की। राजस्थान में ग्रामीण सड़क विकास योजना की और उच्च शिक्षा में छात्रों को छात्रवृत्ति योजना भी प्रारम्भ की, अनुकृति योजना भी प्रारम्भ की। अल्पसंख्यक भाइयों के लिए मदरसों के आधुनीकरण का काम किया। पालनहार योजना प्रारम्भ की, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारम्भ की। ये सारी की सारी योजनाएं वो ही सरकार कर सकती है जो गरीब को साथ लेकर चलती है।

छोटे-छोटे आंकड़े मैं निवेदन करना चाहता हूं, चिकित्सा के क्षेत्र में ग्रामीण परिवेश में लोग दवाइयों के अभाव में दम तोड़ देते थे क्योंकि सब सेन्टर नहीं हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में केवल मात्र चौदह सौ-पन्द्रह सौ हुआ करते थे। कांग्रेस की सरकार में 3592 सब सेंटर खोले गये। प्रत्येक गांव में एएनएम की नियुक्ति की गई। सब सेन्टर पर दो-दो एएनएम की गई ताकि गांव के लोग स्वस्थ रह सकें, उनको ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शासन में पांच साल में, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने केवल 14,140 नान गजेटेड्स को नियुक्ति दी जबकि हमारी सरकार ने चार साल में 15,625 को नियुक्ति दे दी और 31,353 कर्मचारियों को नियुक्ति देना प्रक्रियाधीन है। एक बहुत बड़ा गैप है, डाक्टर्स के बारे में ले लीजिये या और में ले लीजिये। भारतीय जनता पार्टी के शासन में चिकित्सकों की केवल 2,242 की नियुक्ति हुई थी और अराजपत्रित 1,805 की नियुक्ति हुई थी। कांग्रेस की सरकार में 3,291 चिकित्सकों की नियुक्ति हो चुकी है और 8,375 अराजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी। यह एक बहुत बड़ा गैप है, कहां 14,000 और कहां 47,000 । कहां 1,500 से कम सब सेन्टर और कहां 4,000 के लगभग सब सेन्टर! आपने केवल एक चिकित्सालय भवन का निर्माण करवाया था, यहां पर नागौर, केकड़ी, करौली, सूरसागर में, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर में औषधि परीक्षण प्रयोगशालाएं। चिकित्सा के क्षेत्र में इतना बड़ा भारी अन्तर इसलिए है कि कांग्रेस की सरकार यह चाहती है कि प्रत्येक गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा मिले, वो स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहकर आगे बढ़ने का काम करे।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय सभापति महोदय, आप देखिये, एक आंकड़ा मैं रखने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र एक भी नहीं खुला था। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं, एक भी सब सेन्टर पशुओं के लिए नहीं खोलने के पीछे इनकी केवल एक मंशा थी कि किसान पशुपालन के आधार पर कहीं सबल नहीं बन जाए, वो कहीं आगे नहीं बढ़ जाए। हमारी सरकार ने चार साल में 700 उप स्वास्थ्य केन्द्र पशुओं के लिए खोले हैं। और भी बहुत हैं। पशुधन सहायक इन्होंने 392 नियमित किये थे, कांग्रेस ने चार साल में 593 नियमित कर दिये और 1,500 की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति भी इन्होंने 109 की की थी और कांग्रेस की सरकार ने 214 मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने का काम किया है। वो सबको साथ लेकर चलना चाहती है। यह सरकार यह चाहती है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जो भी गरीब व्यक्ति है वो आगे बढ़े, वो हमारे साथ आए। माननीय नेता प्रतिपक्ष को मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो बने हैं। उनको मैंने काफी बार सुना है। उनके मन में गरीबों के प्रति दर्द है, उनके मन में गरीबों के प्रति सोच है कि उनको कैसे आगे बढाया जाए तो इसमें सहयोग करेंगे। जब इनका अभिभाषण होगा तो पहले भी इन्होंने सरकार ने जो अच्छे काम किये हैं, जो अच्छी योजनाएं की हैं, उनको सराहा है, मैं चाहूंगा कि अबकी बार भी यह उनको सराहने का काम करेंगे।

आप देखिए, आई ए एस का कोई प्रमोशन नहीं, आर ए एस का 17 साल से कोई प्रमोशन नहीं। शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड का मास्टर थर्ड ग्रेड में, हैड मास्टर हैड मास्टर में। उनको प्रमोशन देने का काम, एक बहुत बड़ा काम 17 साल से नहीं हो रहा था, माननीय सभापति महोदय, वह राजस्थान की सरकार ने किया। यह इतना बड़ा काम है कि अकेले शिक्षा विभाग में 45 हजार, जो आई ए एस थे, 750 के लगभग आर ए एस थे, उन सबको प्रमोशन देने का काम किया है। नरेगा में जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको नियमित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। एनआरएचएम में जो संविदा पर थे, उनको नियमित करने का काम प्रारम्भ हो चुका है।

पेयजल के बारे में मैं एक छोटा-सा उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं कि केवल लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और सुजानगढ़ तीन विधान सभा क्षेत्रों में फ्लोराइड से मुक्ति दिलाने के लिये कांग्रेस की सरकार ने जिसके मुखिया

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय अशोकजी गहलोत हैं, 2 हजार करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट सैंक्शन किया। सैंक्शन ही नहीं उसके टेण्डर कराये, शिलान्यास हो चुके हैं, उसका काम आरम्भ हो चुका है। कम्पनियां आ गई हैं, काम कर रही है। पूरे राजस्थान में एससी, एसटी, माइनोरिटी की ऐसी कोई ढाणी नहीं है जहां पर पेयजल की व्यवस्था नहीं हो। शुद्ध पानी मिले, इस बात की व्यवस्था की गई है।

विद्युतीकरण भारतीय जनता पार्टी के शासन में गांवों में पांच साल में 2 हजार गांवों में हुआ था, वह अभी चार साल भी पूरे नहीं हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, चार साल में ढाई हजार से ज्यादा गांवों में विद्युतीकरण हो गया है। इन्होंने कोई बिजली पैदा नहीं की थी, किसान को इनको देनी नहीं थी, गरीब के यहां लट्टू लगाना नहीं था, इनको देना कुछ नहीं था। उद्योगों को देते थे उतनी बिजली इनके पास थी। इनका आंकड़ा कह रहा है, इनका जो प्रतिवेदन है, महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो पढा गया था उसमें इन्होंने कहा कि हमने पांच साल में 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। हमने 4100 मेगावाट से भी ज्यादा का उत्पादन किया है। सभापति महोदय, ये आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। इन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि हमने 733 केवी के जीएसएस बनाये, क्योंकि इन्होंने 220, 440 के तो बनाये ही नहीं थे। इन्होंने 733 केवी के 700 जीएसएस बनाये थे, हमने 1100 का आंकड़ा तो तीन-सवा तीन साल में ही पार कर लिया था। यह एक बहुत बड़ा गैप है जो यह दर्शाता है कि हम किसान को बिजली देना चाहते हैं, उद्योगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल कैबिनेट में फैसला किया है, साढ़े तीन हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश आ रहा है, सिंगल विंडो सिस्टम आ रहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, पंचायती राज में इतना काम हुआ है कि भारतवर्ष में जिन तीन राज्यों को इनाम मिला उनमें हमारा राजस्थान राज्य भी आया है। यह हमारे लिये खुशी की और गर्व की बात है। समयबद्ध तरीके से सारे विभागों में सुनवाई हो, उसका जवाब मिले, समयबद्ध तरीके, चरणबद्ध रूप से प्रत्येक व्यक्ति का काम हो, इसके लिये राजस्थान में लोक सेवाओं की गारंटी प्रदान करने वाला कानून बना। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम भी बना, विशेष योग्यजन निदेशालय भी बना।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा काम राजस्थान के मुखिया अशोकजी गहलोत ने किया था, पर्यावरण के लिये पेड़ बहुत जरूरी है, हरित

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

राजस्थान के माध्यम से डेढ़ लाख से भी ज्यादा वृक्षारोपण का काम राजस्थान की सरकार ने किया। सभापति महोदय, सरकार ने एक व्यवस्था की, गांव का बच्चा जिसको इंटरव्यू में आरपीएससी फेल कर देती थी, उस गांव के बच्चे को अशोक जी गहलोत की सरकार ने एक अधिकार दिया कि बेटा तू रिटन में पास होगा, तेरा कोई इंटरव्यू नहीं होगा चाहे तू व्याख्याता बने, चाहे सैकिण्ड ग्रेड का अध्यापक बने, चाहे तू थर्ड ग्रेड का अध्यापक बने। यह वही व्यक्ति कर सकते हैं। शहर के लोगों को आगे बढ़ाने का काम था, अशोकजी गहलोतजी की सरकार का काम गांव के लोगों को आगे बढ़ाने का है कि गांव का बच्चा भी जाए, वह भी तरक्की करे। वह भी सरकार में नौकरी लेने का पूरा का पूरा अधिकारी है, इस बात की व्यवस्था की। आज जो भी गजेटेड आफिसर हैं, चाहे प्रमोशन के हों चाहे बिना प्रमोशन के हों, उनको अपनी सम्पत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी। यह व्यवस्था हर कोई नहीं कर सकता। जो लोग पांच साल तक भ्रष्टाचार करते रहे, वे क्या तो यह नियम बनाएंगे! उनकी कल्पना में भी यह बात नहीं थी। आज जयपुर में मैट्रो चल रही है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। चाहते तो यह भी कर सकते थे लेकिन इनको तो महिन्द्रा सिटी, सन सिटी और पता नहीं क्या-क्या थीं, उनको बढ़ाने में समय लग गया। दूसरा काम जो गरीब के लिये था, गरीब को आगे बढ़ाने का था, वह काम ये नहीं कर सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कुछ आंकड़े मेरे पास हैं, कांग्रेस की सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी 2009 में बनाई। वह पालिसी इसलिए बनाई कि गरीब जिसके पास छत नहीं है, उसको छत किस प्रकार से मिले। एक लाख आवास अब तक बन चुके हैं। 50 हजार से ज्यादा गरीबों को आबंटित हो चुके हैं, शेष आबंटन की प्रक्रिया में हैं, पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में केवल 29 हजार आवासों का निर्माण कराने का इनका लक्ष्य था। सभापति महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बोल रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इनका जो पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, वह आंकड़ा बोलता है। जो बात उन्होंने बोली, वही बात मैं बोल रहा हूं। आप देखिए, कितना अंतर है, कहां 29 हजार का आंकड़ा और कहां 10 लाख। 34 सौ करोड़ ऋण लिया ताकि एक भी बी पी एल का आदमी यह नहीं कह सके, वह बिना छत के नहीं बच सके। इस प्रकार की व्यवस्था अशोक जी गहलोत ने की है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सड़कों के मामलों में इनका रिकार्ड था कि 27 हजार किलोमीटर का नवीनीकरण किया, हमारा चार साल में ही 33 हजार किलोमीटर का आंकड़ा पार कर चुका है। इन्होंने 73 हजार नियुक्तियां दी थीं, हमारे द्वारा 136289 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 104000 के लगभग नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। इनके आंकड़े से तिगुणी संख्या पार कर रही है। आप देखिए, जो गरीब विद्यार्थी सरकारी स्कूल में पढ़ता था उसको छात्रवृत्ति नाम मात्र की मिलती थी, कोई इनाम नहीं मिलता था। उनको लैपटाप देने का काम भी सरकार कर रही है। जो बच्चा बाहर पढने जाएगा, आई आई एम करेगा, अल्पसंख्यक का बच्चा आई आई टी में जाएगा, उसकी अगर ढाई लाख रुपये तक की इनकम है तो एक लाख रुपये तक की उसकी फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। यह वह सरकार कर सकती है जो सबको साथ लेकर चलती है। इन्होंने तो एक हज हाउस की घोषणा क्या कर दी, भारतीय जनता पार्टी के सारे के सारे नेता उसके विरोध में हो गये। एक हज हाउस नहीं बनना देना चाहते थे तो कहां से मदरसों में सहयोगी लगाते, कहां टीचर लगाते, कहां उनमें कम्प्यूटर लगाने का काम करते, कहां उनको आधुनिक करने का काम करते, नवीन भवन बनाने का काम कहां से करते! इनका काम केवल जातिगत नफरत फैलाने का है- उनको आपस में लड़ाना, जातियों का सम्मेलन करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं रह गया था।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान) आप देखते जाइए। आप यहां रहते तो सही देखते, वहां आपको कुछ भी नहीं दिखता। आप गलत रास्ते चले गये इसलिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा।

सभापति महोदय, हमारे जो नि:शक्तजन भाई हैं उनको प्रशासन गांवों के संग में चिह्नित किया गया। यह काम ये भी कर सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं किया। इसके पीछे हमारी सरकार की, माननीय अशोकजी गहलोत की एक मंशा रही है कि जो भी नि:शक्तजन हैं उसको मोटर साइकिल चाहिये, उनको स्कूटर चाहिये, उनको जो भी व्यवस्था चाहिये वह सारी की सारी उनको मिले, वे आराम से रह सकें। उनको दवाई फ्री मिले, आने-जाने में उनको रियायत मिले, पास मिले इस प्रकार की व्यवस्था माननीय अशोकजी गहलोत ने और हमारी सरकार ने की है।

माननीय सभापति महोदय, 2-3 बातें और पढूंगा। मैं माननीय मुख्य

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मंत्री महोदय का और इस सरकार का धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि फ्लोराइड मुक्ति के लिये मेरे निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में इन्होंने 832 करोड़ रुपये की योजना शुभारम्भ की है, वहां मीठा पानी मिलेगा। जब वे शिलान्यास करने गये तो, जो प्राकृतिक आपदा आई थी पिछले दिनों, राजस्थान में सबसे ज्यादा लक्ष्मणगढ़ के लोग प्रभावित हुए थे, शहर में पानी भर गया था, बेघर हो गये थे। उनको मुआवजा दिलाया और मुआवजे के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि 74 करोड़ रुपये हम पास करेंगे और वहां पर सीवरेज बनेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारा का सारा काम वही सरकार कर सकती है जिसका मुखिया सबको साथ लेकर गांधीवादी सोच का व्यक्ति होता है।

मैं अंत में एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, जिन्होंने 5 साल तक नफरत की आंधियां चलाईं। उन्होंने भाई-भाई को आपस में लड़ाया। गुर्जरों को मारा। घड़साना में किसानों को मारा। उनसे एक बात कहना चाहता हूं 'नफरत के सैंसेक्स ने देई लुटिया डुबोय। शेयर खरीदो प्रेम का, कभी न घाटा होय'। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रेम बढ़ाइये जो अशोकजी गहलोत बढ़ा रहे हैं। सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है- मजदूरों को साइकिल चाहिए, साइकिल। नरेगा में काम चाहिए, मजदूरी बढ़ाने का काम भी किया। जो संविदा पर हैं उनको नियमित करने का काम कर रहे हैं। पेंशन भी बढ़ा रहे हैं। सबको साथ लेकर। आज इतना पैसा खर्च हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, सब वर्गों को साथ लेकर चार साल में सरकार ने जो काम किया है, जो अपना एक विजन पेश किया है, राज्यपाल महोदय का यह अभिभाषण उस विजन का एक मुखौटा है। सबको साथ लेकर काम कर रहे हैं। मैं राज्यपाल महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शानदार अभिभाषण किया। वास्तव में आम जन के लिये कि आमजन किस प्रकार से सुरक्षित रह सकता है, आम व्यक्ति किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, किस प्रकार से युवा विद्यार्थी आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले। अगर नौकरी नहीं दे सकें तो उनको भत्ता दें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आप देखिये, माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा, 6-7 विश्वविद्यालय। आपने सोचा भी नहीं होगा। शेखावाटी विश्वविद्यालय के लिये पूर्ववर्ती सरकार ने एक नौटंकी की थी। एक पैसा दिया नहीं, एक आदमी बैठाया नहीं, कुछ काम नहीं किया। 6-7 विश्वविद्यालय एक साथ खुल रहे हैं, आप देखिये। वेटसिटी विश्वविद्यालय, बीकानेर में खोला गया। सीकर में शेखावाटी खुल रहा है। भरतपुर में खुल रहा है। जयपुर में अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय खुल रहा है। आपके जोधपुर में खुल रहा है, पुलिस सुरक्षा के लिये जो भी प्रशिक्षण है, उसके लिये खुल रहा है। सारे के सारे काम, राजस्थान की सरकार इस प्रकार से लगी हुई है कि आम जन ऊपर उठे। सब को साथ लेकर राजस्थान में खुशहाली हो। इन्होंने तो एक नारा दिया था, खुशहाल है जय-जय राजस्थान। यह जनता जानती है, वह जय-जय राजस्थान नहीं चाहिए। कभी राजपूतों का सम्मेलन कराया, कभी जाटों का सम्मेलन कराया। कभी ब्राह्मणों का सम्मेलन कराया, कभी गुर्जरों का सम्मेलन कराया। वहां एक-दूसरे को, किसी को भाई, किसी को भतीजा और एक-दूसरों को लड़ाने का काम करके पुन: सत्ता में आना चाहते थे। लेकिन अशोक गहलोत की दूरदर्शिता के कारण से कांग्रेस पार्टी की माननीय सोनिया गांधी के नेतृत्व में हम सबने गरीबों का विश्वास जीता और राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता स्थापित की। पुन:, जिस प्रकार का अभिभाषण महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा पढ़ा गया है उससे यह लगता है कि राजस्थान की जनता खुश है। सब वर्गों के लिये सब क्षेत्रों में, सब विभागों में अच्छा काम हो रहा है। पुन: राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार देखना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री ओमप्रकाश जोशी, माननीय सदस्य, प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। राजस्थान की महामहिम राज्यपाल श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा द्वारा 13वीं विधान सभा के दशम् सत्र में जो 91 बिंदुओं का सरकार के किये गये कार्यों के सन्दर्भ में एक पुख्ता दस्तावेज पेश किया गया और इस सम्बन्ध में प्रस्तावक श्री गोविन्दसिंहजी डोटासरा द्वारा आधार सहित विस्तार से विवेचन किया गया, वह अपने आप में स्पष्ट

(श्री ओम जोशी)

करता है कि राजस्थान की वर्तमान सरकार पूरी तौर से उन मुद्दों पर राजनीति कर रही है जो लोक-कल्याणकारी हों। विकेन्द्रीकरण करने वाली जो नीति है, उन बिंदुओं का खास तौर से राजस्थान सरकार ने अपने पूरे चार साल के कार्यकाल में बजट के माध्यम से और अपने कार्यकलापों के माध्यम से समावेश किया है। वे सभी बिंदु, जैसा कि आपको अभी बताया गया, पूरी तौर से दृष्टिपात कराते हैं कि आम आदमी, गरीब आदमी, गांव के आदमी और किसान, सभी को उसका लाभ मिले।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार की योजना निरन्तर बढ़ती गयी और वर्ष 2012-13 की योजना केन्द्र द्वारा 33 हजार 5 सौ करोड़ की पास की गयी। इस योजना के अन्तर्गत उन सभी बातों का समावेश था जो हमारे इस मरु प्रदेश राजस्थान को खुशहाल, उन्नत, प्रगतिशील और विकासशील राज्य के रूप में अवतरित कर सकें। माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत जो कि हमारी सरकार के मुखिया हैं, चुनाव के दौरान गये जनता के सामने। तो निश्चित है कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में राजनीतिक दल जब जनता के सामने जाते हैं तो अपने घोषणा-पत्रों को प्रस्तुत करते हैं और वायदे करते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे, तो अमुक कार्य लेकर आपको राहत प्रदान करेंगे। कांग्रेस सरकार निश्चित बिंदुओं को लेकर, घोषणाओं को लेकर जनता के बीच में गई। उन घोषणाओं के अक्षरश: परिपालन के लिये जब राजस्थान की जनता ने आशीर्वाद दिया तो सत्ता में आने के पश्चात राज्य के मुखिया चीफ सैक्रेटरी को इस बात का आदेश दिया कि जो घोषणा पत्र के बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं की पूर्ति करते हुए 5 साल में किस तरीके से कार्य योजना हो, उसको लागू किया जाए। उसका यह परिणाम रहा कि निरन्तर उन बिंदुओं पर जिन पर कि सरकार ने लोगों का विश्वास प्राप्त किया था, कार्य करना प्रारम्भ हुआ। एक बहुत बड़ी लोकतंत्रीय प्रक्रिया साबित हुई। सरकार ने सत्ता में आने के पश्चात सबसे पहला जो महत्वपूर्ण निर्णय किया, वह आदरणीय अशोक गहलोतजी की सोच में एक लोकतंत्रीय प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण था। हमारे विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व के मामलों में, तहसीलें नहीं थीं, उप तहसीलें नहीं थीं, उप खण्ड कार्यालय नहीं थे, अन्य एडिशनल एस.पी. वगैरह के कार्यालय नहीं थे, इन सभी कार्यालयों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। गत सरकार के समय इन सब बातों को नहीं किया गया था। इन चार वर्षों में उन्होंने सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते हुए विभिन्न स्थानों पर

(श्री ओम जोशी)

विभिन्न प्रकार के तहसील, उप तहसील, ए.सी.एम. और अन्य प्रकार के कार्यालय खोले। डी.टी.ओ., ए.सी.टी.ओ., सभी विभागों का समावेश किया गया। जिस तरीके से एक पूरे कढ़ाव में चावल पकाये जाते हैं और एक चावल को हम देख लें तो उससे पता लग जाता है कि चावल की सिकाई अच्छी हुई है, उसी तरीके से मैं यह कह सकता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इन चार सालों में जिस शानदार तरीके से, हर विभाग के काम हुए हैं, वह साबित करता है कि पूरे राजस्थान में हर एक विधायक यह महसूस करता है, चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, अन्दरखाने तो विपक्ष के लोग भी कहेंगे, कि साहब, काम तो हुआ है। काम में तो कोई कमी नहीं है। यह भी कहेंगे कि जो योजनाएं लागू की गयीं, ये योजनाएं वास्तव में लोक-कल्याणकारी हैं। लेकिन जिनका छिद्र ढूंढने का काम है और जो हमेशा गलती निकालने में माहिर हैं और गलती निकालकर जनता की अक्ल निकालने की कोशिश करते हैं, वे यह कह सकते हैं कि हां, योजनाएं तो अच्छी हैं लेकिन कार्यान्वयन में कहीं न कहीं कमी है। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में जो भी नियम बनाये जाते हैं, जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निश्चित रूप से कार्यपालिका की है, लेकिन उसके साथ ही उसका पर्यवेक्षण, उसकी मानिटरिंग का दायित्व जन प्रतिनिधियों पर भी बनता है।

(16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, इस दृष्टिकोण से जो छिद्र बताये गये वे छिद्र नगण्य थे, नकारात्मक थे इसलिए इससे उनका कोई महत्व नहीं। मैं दावे के साथ यह बात कह सकता हूं कि योजनाओं के संदर्भ में जैसा कि आपको डोटासरा साहब ने बताया, पूरे तौर से चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे सड़क निर्माण की बात हो, चाहे आम गरीब आदमी को गेहूं देने की बात हो, चाहे बी.पी.एल. के आदमी को दो रुपये किलो अनाज देने की बात हो, सभी बिन्दुओं पर इस तरीके से प्रयास किया गया कि कोई आदमी भूखा नहीं रहे, हर आदमी को छत मिले, हर आदमी को इस तरीके की व्यवस्था प्राप्त हो जिससे कि वह अपना जीवन आसानी से बसर कर सके।

पंचायती राज का विकेन्द्रीकरण का काम, बहुत ही बड़ा काम इस क्षेत्र के अन्दर हुआ। पंचायती राज को पांच विभाग कार्य, कृत्य और धनराशि के

(श्री ओम जोशी)

साथ सौंपे गये और उनको काम सौंपने के साथ में इस बात की कोशिश की गई जिसके माध्यम से गांव में रहने वाला व्यक्ति भी यह महसूस करे कि उसको सचिवालय जैसा काम उनके गांव में ही बैठे-बैठे प्राप्त हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केन्द्र पंचायत स्तर पर बनाये गये, करीब 9172 केन्द्र निर्मित हुए। आने वाले दिनों में इन केन्द्रों में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जनता को प्राप्त होंगी-चाहे पानी-बिजली के बिल जमा करवाने की बात हो, चाहे खाताबंदी/जमाबंदी की नकल प्राप्त करने की बात हो और चाहे अन्य कोई और विषय हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 'प्रशासन शहरों के संग' और 'प्रशासन गांवों के संग' दो शानदार अभियान अशोक गहलोतजी की सोच का परिचायक है। यह महसूस किया गया कि आम आदमी को, शहर के आम आदमी को, गांव के आम आदमी को उसका वाजिब हक कैसे मिले। 21-21 विभाग, 2010 में भी गये और 2013 में भी अभी जनवरी से लगाकर कल तक, परसों तक उन विभागों ने अपना काम किया, इतनी बड़ी यह उपलब्धि हासिल हुई है। मैं समझता हूं कि देश में ये दोनों अभियान अपने आप में अनुकरणीय साबित होंगे। जो योजनाएं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लागू कीं, एक तरह से पूरे देश के लिए माडल योजनाएं रहीं। इन अभियानों के माध्यम से उन सभी योजनाओं की न केवल जानकारी दी गई बल्कि उन योजनाओं को किस तरीके से आम आदमी तक पहुंचाया जाए, यह व्यवस्था भी की गई। उसका यह प्रतिफल है कि लाखों लोगों ने 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान के माध्यम से और 'प्रशासन गांवों के संग' अभियान के माध्यम से लाभ प्राप्त किया।

माननीय सभापति महोदय, 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान के तहत जिस तरीके से नियमों में शिथिलता प्रदान की गई, वह अपने आप में लोकतंत्रीय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा उदाहरण साबित है- स्टेट ग्रांट के तहत चाहे एक रुपये में पट्टा देने की बात हो, चाहे एक गरीब आदमी को गांव के अन्दर 500 वर्ग गज जमीन का नि:शुल्क पट्टा देने की बात हो। ये सब बातें यह साबित करती हैं कि हर क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि आदमी दवा प्राप्त करे, आदमी आवास प्राप्त करे, आदमी रोटी प्राप्त करे और यह महसूस करे कि वह राजस्थान में सुरक्षित है।

(श्री ओम जोशी)

शिक्षा के क्षेत्र में यहां का युवा अध्ययन करके आगे बढ़े, उसके लिए सात-सात विश्वविद्यालय एक ही साल में स्थापित करना, अपने आप में एक बहुत बड़ी कवायद कही जा सकती है। न केवल घोषणा बल्कि उन सात विश्वविद्यालयों में अधिकांश विश्वविद्यालयों ने अपना काम भी चालू कर दिया। जोधपुर में पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्यायिक विश्वविद्यालय के भवन का हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री महोदय के कर कमलों से शिलान्यास हुआ। अस्थाई परिसर में, वहां पर काम भी चालू किया जा चुका है। जोधपुर में आई.आई.टी., उदयपुर में आई.आई.एम., कोटा में ट्रिपल आई. टी., जोधपुर में एफ.डी.डी.आई. इंस्टिट्यूशंस इंटरनेशनल लेवल के हैं और देश के स्तर पर युवाओं को एक बहुत बड़ी शिक्षा दे सकते हैं, युवाओं को रोजगार के लिए आने वाले समय में साधन दे सकते हैं। उन इंस्टिट्यूशंस की स्थापना करने में माननीय अशोक गहलोतजी, मुख्य मंत्री महोदय की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। इस भूमिका के पीछे उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता है। आज वे सदन में नहीं हैं, मैं उनकी परोक्ष रूप से प्रशंसा करना चाहूंगा। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि अगर कोई व्यक्ति विराजा हो, किसी भी व्यक्ति की उसके सम्मुख प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति की उसकी पीठ के पीछे निन्दा नहीं करनी चाहिए इसलिए मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं, माननीय अशोक गहलोत जी राजनीति में रहते हुए भी सफेद कपड़ों में संत के रूप में अपना काम करते हुए इस राजस्थान को एक नई दिशा दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, गहलोत साहब ने लगातार 35 साल की राजनीति में अनुभव किया, धरातल के आधार पर, गांवों के आधार पर, गरीब के आशियाने को उन्होंने देखा, एक-एक चीज को करीब से देखा और जाना। वही धरातल उनकी योजनाओं के रूप में हमारे सामने निरन्तर परिलक्षित हो रहा है। नित्य-प्रतिदिन वे एक नई योजना राजस्थान प्रदेशवासियों को दे रहे हैं। आवश्यकता इस बात की हो गई है कि उन योजनाओं का क्रियान्वयन आने वाले लम्बे समय तक अगर किया जाता रहेगा तो राजस्थान की जनता निश्चित रूप से खुशहाल और समृद्धि की ओर अग्रसर होगी।

माननीय सभापति महोदय, आज बिजली के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित हुए हैं, और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम राजस्थान में स्थापित हुआ है। जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन के तहत देश के एक अग्रणी प्रदेश के रूप में राजस्थान का

(श्री ओम जोशी)

1100 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए चयन किया गया है। मुझे तो इस बात का सौभाग्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी सौर ऊर्जा के माध्यम से करीब 150 मेगावाट बिजली का उत्पादन चालू हो गया है। मुझे एक अधिकारी ने यह बात बताई। जब पिछले दिनों उत्तरी ग्रिड में बिजली फेल हो गयी थी तो राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के अधिकांश भागों में अंधेरा था लेकिन सूर्य भगवान की कृपा, आदरणीय आदित्य की मेहरबानी की वजह से सूर्य भगवान की रोशनी से, ऊर्जा से जो सोना उगल रहा था, उससे राजस्थान के पश्चिमी इलाके का बाप क्षेत्र था, फलौदी क्षेत्र था, वहां पर बराबर बिजली आ रही थी। यह सबसे बड़ा उदाहरण साबित करता है कि जिस तरीके से विकास किया गया वह आने वाले समय में अपने परिणाम देगा।

कोई जमाना था जब 33X11 केवीए के जीएसएस बनाने में भी बहुत ही दिक्कत होती थी लेकिन आज 250 केवीए के जीएसएस ही नहीं बल्कि 400 केवीए के जीएसएस का निर्माण भी हो रहा है। मेरे क्षेत्र में ही भड़ला गांव में 400 केवीए के जीएसएस का निर्माण करने का निर्णय करना यह साबित करता है कि चाहे पूर्वी क्षेत्र हो, चाहे पश्चिमी क्षेत्र हो, चाहे उत्तरी क्षेत्र हो, सभी लोगों को आने वाले समय में समुचित बिजली मिले, इस बात को सुदृढ़ किया जाए। 400 मेगावाट का बिजली घर वहां पर स्वीकृत किया, अन्ता में आने वाले समय में 765 मेगावाट का बिजली घर स्थापित होने वाला है।

हमारा राजस्थान पेयजल से महरूम है, पेयजल की समस्या को भुगत रहा है, उस समस्या को देखते हुए चार सालों से समयबद्ध तरीके से, पेयजल की योजनाएं बनाईं। उन योजनाओं को न केवल बनाया, बल्कि उन योजनाओं को लागू भी किया। वह अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करता है।

पिछली सरकार ने योजनाएं बनाईं, सात सौ करोड़ रुपये के कई प्रस्ताव तैयार किए। मेरे क्षेत्र के लिए भी चार प्रस्ताव तैयार हुए थे लेकिन न तो उनकी कोई ए.एस. जारी हुई, न उनका कोई बजट प्रोविजन था। इन्होंने जनता की अक्ल निकालकर एक बार वोट तो प्राप्त कर लिये लेकिन आज जब जनता उन सब योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा करती है तो उनके खून के आंसू बहते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि वर्तमान में हमारी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की विभिन्न योजनाएं तैयार कीं और उनको लागू करवाया।

(श्री ओम जोशी)

मेरे क्षेत्र में 36-36 करोड़ की दो बड़ी महती योजनाएं स्वीकृत करते हुए शिलान्यास की कार्यवाही हो रही है, आने वाले समय में ऐसे करीब 100 गांव जहां पर खारा पानी है, जहां पर ग्राउण्ड वाटर नहीं है, वहां पर पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। पेयजल की सुविधा ही नहीं, बल्कि वहां पर सड़क का कैसे विकास हो...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप प्रस्ताव का अनुमोदन कर रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा संक्षेप में करें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): मैं प्रस्ताव का अनुमोदन कर रहा हूं और प्रस्ताव के जो बिन्दु मोटे रूप में इसमें दिये गये हैं, उनका विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, जैसा मैं एक क्षेत्र में महसूस करता हूं, पूरे राजस्थान में विकास की गंगा बही है, और इस प्रस्ताव में उसका पूरा संकलन है। उनको अलग-अलग आंकड़ों में नहीं बांटते हुए समग्र रूप से आपके समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सत्य के पथ पर चलते हुए, सत्य की राह पर आगे बढ़ते हुए, हमेशा सत्य को आधार मानकर जो अपना कर्तव्य निर्वहन किया है, वह स्तुत्य है और जिसका उल्लेख महामहिम राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। लगातार चार सालों से और पिछले साल में राजस्थान की इन योजनाओं के माध्यम से जो खुशहाली आई है, जो प्रगति हुई है, जो उन्नति आई है, जो विकास की दर आगे बढ़ी है, वह अपने आप में उल्लेखनीय है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल विकास की बात, न केवल गांव, गरीब और किसान के भले की बात, बल्कि यह कोशिश भी की गयी है कि सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी धर्मों के लोगों को इज्जत दी जाए। उसी दृष्टि से अभी 12 जनवरी को एक शानदार कार्यक्रम हुआ और हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी विवेकानन्दजी की 125वीं जयन्ती राज्य सरकार के द्वारा मनाई गई। न केवल यह जयन्ती बल्कि अपने पूर्ववर्ती बजटों में राजस्थान सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले लोगों को 20 हजार रुपये की सहायता राशि भी देने के प्रावधान किये हुए थे। मेरा कहने का आशय यह है कि न केवल हिन्दू के लिये, न केवल मुस्लिम के

(श्री ओम जोशी)

लिये, न केवल सिक्ख के लिये, बल्कि सभी जातियों के लिय चाहे अनुसूचित जाति का भाई हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, सभी का समग्र विकास किस तरीके से हो, यह अशोक गहलोतजी की नेतृत्व की सरकार का मुख्य मुद्दा रहा है। उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा है, हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम निरन्तर प्रयासरत हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में एक लाख तक की मैरिट में आने वाले छात्रों को जिनके परिवार की आय ढाई लाख रुपये से कम है, पांच वर्ष तक अथवा अध्ययन करने तक 500 रुपये का प्रति माह वजीफा देना, यह बहुत ही बड़ा निर्णय आज देश में साबित हो चुका है। इसी तरीके से दसवीं में, बारहवीं में जो बच्चे पहले 10 हजार की मैरिट में आएंगे, उनको और जो बच्चे मिडिल स्कूलों में प्रथम 24 हजार में आएंगे, उनको लैपटाप और लर्निंग लैपटाप देने की जो बात कही गयी है, वह अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है, बहुत बड़ा कदम है जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे युवाओं को प्रेरित करेगा। न केवल शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रोत्साहन दिये गये, बल्कि खिलाड़ियों के लिये भी दस-दस गुणा राशि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में बढ़ाई। जहां 20 हजार रुपये थे, वहां दो लाख रुपये किये। जहां 50 हजार रुपये थे वहां 5 लाख रुपये किये और जहां पर एक लाख रुपये थे, वहां पर 10 लाख रुपये किये। इस तरह से जो राशि की वृद्धि की, न केवल खिलाड़ी बल्कि हमारे स्वतन्त्रता सेनानी....

श्री सभापति: कृपया सम-अप करें। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): नवम्बर में पता लग जाएगा।

श्री सभापति: आप कृपया शांत रहिये।

श्री ओम जोशी (फलौदी): नवम्बर में पता लगा हुआ है, दादा भाई।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि आप प्रस्ताव का अनुमोदन कर रहे हैं इसलिये उनको बोलने देना चाहिये। बाकी मैंने उनसे कहा है कि आप थोड़ा संक्षेप में करें।

श्री ओम जोशी : दादा भाई, जिनके आप चेले हैं, उनका मैं भी चेला हूं। वह गुरु अपन दोनों को अच्छी बातें देकर गये हैं। मैं तो आऊंगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, फलौदी की धरती ....

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आप तो आओगे, परिणाम भी आएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री ओम जोशी (फलौदी): यही नहीं, पहली सरकार गई उसने कुछ दसवीं की, बारहवीं की स्कूलें खोल दीं। लेकिन अध्यापक नहीं थे, हम अध्यापकों की कमी भुगत रहे थे। आज शिक्षा मंत्रीजी जब उत्तर दे रहे थे, एक चित्र स्पष्ट हो गया। मैं महसूस करता हूं कि हमारे क्षेत्र में जब हम चुनाव जीतकर आये थे, हमारे सामने दो मुद्दे थे कि पढ़ाई के लिये अध्यापक आने चाहिये और पानी की व्यवस्था होनी चाहिये। उन दोनों मुद्दों को राजस्थान सरकार ने बखूबी निभाते हुए अध्यापकों को भेजा। दूरस्थ इलाकों में भेजा और ऐसी नीति लागू की जिसमें कि स्थानान्तरण कम से कम हों। अध्यापकों को भेजने के साथ में प्राथमिक शिक्षा का विकास किस तरीके से हो, आर टी ई लागू हुआ है, उसको कैसे प्रभावी किया जा सके, उसके लिये एक हजार स्कूलों का प्रावधान करते हुए अधिकांश स्कूलें प्रारम्भ की जा चुकी हैं- मिडिल स्कूलें खोली जा चुकी हैं, दसवीं की स्कूलें क्रमोन्नत की जा चुकी हैं, बारहवीं की स्कूलें क्रमोन्नत की जा चुकी हैं। न केवल स्कूलें क्रमोन्नत की गयीं बल्कि उन महाविद्यालयों में जहां पर स्नातकोत्तर अध्ययन की आवश्यकता थी, वहां पर पी जी कालेज खोले गये और पी.जी. के विषय भी खोले गये। यह बहुत ही बड़ी बात है।

सड़कों के क्षेत्र में निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने समस्त सम्मानित सदस्यों का एक कार्य करने के लिये, उनको मान-सम्मान देने के लिये ताकि वे अपने क्षेत्र की पीड़ा का निवारण कर सकें, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सात-सात करोड़ रुपये के मिसिंग लिंक, धार्मिक सड़क और मरम्मत के कार्य वहां करवाये। वह अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है और स्तुत्य है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में रामदेवरा मंदिर के लिये यात्री आते थे, पंजाब से, गुजरात से, लाखों की संख्या में यात्री आते थे। 18-18 किलोमीटर के ऐसे रास्ते थे जहां पर आदमी पैदल भी नहीं चल सके। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोतजी की नीतियों की वजह से, इनकी सोच की वजह से, इनके द्वारा दिये गये बजट के कारण, इनके द्वारा दिये गये अधिकारियों की वजह से सड़कों का निर्माण हुआ और इसे वहां लाखों की संख्या में चलने वाले यात्री महसूस करते हैं। जो यह कार्य हुआ है, निश्चितरूपेण उसका आशीर्वाद मिलेगा, उसकी वे आशीष दिल से देते

(श्री ओम जोशी)

हैं। मैं आपके समक्ष जो यह निवेदन कर रहा हूं यह केवल मात्र औपचारिकता नहीं है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं केवल अनुमोदन कर रहा हूं, बल्कि मैं प्रथम बार इस विधान सभा में चुनकर आया हूं, मैं मेरे मन से, मेरे दिल से बात कर रहा हूं। मैं कटारियाजी की जब बात सुनता था, लगातार सदन में सुना तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि वह जो बात कहते हैं, अपने आदमी की ढाणी की जब बात कहते हैं उनकी बात में कशिश है, उनकी बात में कुछ दम है, उनकी बात करने का जो तरीका है, वह अपने मन से, दिल से कहने की बात है। मैं भी उसी तरीके से मेरी बात आपके समक्ष रख रहा हूं। निश्चितरूपेण आज पूरे राजस्थान की जनता यह कह रही है कि चार साल में जो विकास हुआ है, 'चार साल बेमिसाल', यह जो नारा लगा है, यह अपने आप में वास्तविक नारा है, एक कीर्तिमान है और यह साबित कर दिखाया है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको कि छोड़ा गया हो।

इन योजनाओं में मेरे विपक्ष के साथी छिद्र ढूंढते हैं, कहते हैं कि क्रियान्वयन में कमी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कैसे पुख्ता क्रियान्वयन हो, उस क्रियान्वयन के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लोक सेवा गारण्टी एक्ट बनाया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सूचना का अधिकार राजस्थान में लागू किया है। साथ ही ऐसे-ऐसे नियम लागू किये हैं जिससे कि राज्य के कर्मचारियों को, कार्य पालिका को बाध्य होना पड़ा कि जो लागू की हुई योजनाएं हैं, उन समस्त योजनाओं को प्रभावी तरीके से आमजन तक पहुंचाएं। न केवल योजनाएं लागू करने के लिये कानून बनाये बल्कि जो बजट पेश किया गया था 2012-13 का, उस बजट के एक-एक बिन्दु का क्रियान्वयन, एक-एक बिन्दु को लेकर हर विभाग के माध्यम से, चाहे वह पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की बात हो, चाहे सी एच सी खोलने की बात हो, चाहे पी एच सी खोलने की बात हो, हर आदमी को गांव-गांव तक दवाई पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की बात हो, ये जो फैसले किये गये वे फैसले आने वाले समय के लिए मैं समझता हूं कि मील के पत्थर साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी निवेदन

(श्री ओम जोशी)

करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने न केवल गांव, गरीब और किसान बल्कि सहरिया जाति के लोगों को, आदिवासी भाई को, किसी भी वर्ग को अछूता नहीं रखा। जिस क्षेत्र में भी कार्य किये गये, उन कार्यों के संदर्भ में जनता का उनके प्रति जो स्नेह और लगाव है, वह पूरी तौर पर प्रदर्शित हो रहा है। मैं तो केवल यही कह सकता हूं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। निवेदन है मेरा। आप प्रस्ताव का अनुमोदन कर रहे हैं। (व्यवधान) कृपया शांति बनाये रखें। आप इन्हें बोलने दीजिए।

श्री ओम जोशी (फलौदी): मेजर साहब, कड़क भाषा बोल दी। प्लीज थोड़ा तो लिबरल होइएगा। मैं निवेदन यही करना चाहता था कि चाहे खनिज हो, चाहे खादी हो, किस तरीके से क्षेत्रों में विकास हो, इस बात का पूरा खयाल रखा गया है। प्रशासन शहरों की ओर जो अभियान है, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने दिल पर हाथ रखकर कह दें कि वास्तव में यह कार्य अनुकरणीय और प्रशंसनीय है या नहीं। माननीय मुख्य मुख्य मंत्रीजी की सहृदयता, पारदर्शिता और सहनशीलता का परिचायक है।

अभी चर्चा हो रही थी, मार्क्सवादी पार्टी के सदस्य आ गये थे। आप अशोक गहलोतजी की सहृदयता और संवेदनशीलता देखिएगा, एक उदाहरण देता हूं। प्रकृति ने प्रदेश में कहर बरपा दिया है। राजस्थान में ओले पड़े हैं, राजस्थान में फसलों को नुकसान हुआ है। उन्होंने जयपुर आकर निर्णय लेने की बात नहीं की बल्कि उन्होंने दिल्ली बैठे-बैठे ही यह फैसला किया कि राजस्थान के किसान को उसका हक आने वाले समय में मिलेगा। केवल मात्र राजनीति करने से, केवल मात्र लच्छेदार आलोचनात्मक भाषण देने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक आप अपने किये हुए विकास कार्यों को लेकर नहीं जाएंगे। प्रशासन गांवों के संग गया, विपक्ष के नेतागण हैं, वह किसी कैम्प में जाते तो सही। इनको निर्देश देना चाहिए था कि स्थानीय नेता हैं उनको प्रशासन गांवों के संग में जहां-जहां काम हो रहा है, उसको जाकर देखें, उसमें कमियां निकालें। हम तो चाहते थे कि कमियां निकलें। जिस तरीके से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फैसले किये हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अनुमोदन पर बोल रहे हैं।

श्री ओम जोशी (फलौदी): .... जो कमी सामने आयी, उस कमी को दूर करने के लिए अध्यादेश जारी किया। उस कमी को पूरा करने के लिए परिपत्र जारी किये और कोशिश यह की गई कि हर आदमी को अपनी जमीन का हक मिले और हर आदमी को अपनी खातेदारी का हक मिले। उसका अपना पट्टा मिले। हर आदमी को उसकी पास बुक मिले। हर आदमी को वह बंटवारा हो जो कि उसका हक बनता है। इस तरीके के फैसले करना राजस्थान की लोक कल्याणकारी सरकार, अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार, एक सन्त के नेतृत्व की सरकार, मैं उनको सन्त ही नहीं बल्कि मैं अवतार पुरुष कहता हूं कि गांव, गरीब और किसान के लिए बहुत बड़ी योग्यता रखने वाले आज हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, जिन्होंने इस प्रदेश को नयी दिशा और राह दी है। मैं आशा करता हूं कि निरन्तर इसी तरीके से जनता का स्नेह राजस्थान की कांग्रेस सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी को मिलता रहेगा।

आपने मुझे टोकते हुए भी समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: अग्रेत्तर वाद-विवाद हेतु श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, इस अभिभाषण के प्रति, इस सदन के प्रति सरकार कितनी गम्भीर है, यह तो आप ट्रैजरी बैंचेज की तरफ देखकर सोच सकते हैं। सारे मंत्री आराम फरमा रहे हैं। मैं, सभापति महोदय, महामहिम महोदय को इस बात के लिये तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने इस संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए इस सदन के अन्दर अब तक के सबसे छोटे अभिभाषण का वाचन किया और मैं इसके लिये अतिरिक्त धन्यवाद भी महामहिम महोदय को देना चाहूंगा कि सरकार की असफलता, नकारापन और असत्य आंकड़ों के पुलिन्दे के सच को जानते हुए भी उन्होंने इस अभिभाषण की चन्द लाइनों को पढ़ने का काम किया। मैं हिम्मत की दाद देता हूं लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य और फलौदी से आने वाले सदस्य को कि, उन्होंने इस अभिभाषण के माध्यम से अपने नेता की इतनी शब्दावली गा दी, कि एक मनुष्य कब अवतार हो जाए, देवतुल्य हो जाए, यह इस सदन में मुझे पहली बार सुनने को मिला।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार की उम्र पांच साल है। इन पांच वर्षो में पांच बार महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से सरकार जिक्र करती है अपनी उपलब्धियों का, अपने भावी कायक्रमों का। अगर संसदीय परम्परा में कहें तो यह अभिभाषण सरकार के नीति कार्यक्रम का दस्तावेज है। मैंने इस 46 पृष्ठीय अभिभाषण को अच्छी तरह पढ़ा है, मुझे इसमें न तो सरकार की नीति नजर आयी, न कोई भावी कार्यक्रम नजर आया। अगर संक्षेप में कहूं तो पिछले चार अभिभाषणों के पैराज को संकलित करके इस सदन के अन्दर सरकार ने यह अभिभाषण प्रस्तुत किया है। कि पिछले चार वर्ष इस राजस्थान का हर क्षेत्र में पिछड़ने का कीर्तिमान इस सरकार में हुआ है- चाहे ढांचागत सुविधा हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो और सामाजिक सुरक्षा हो, दिशाहीन, गतिहीन और भ्रमित नेतृत्व ने इस राजस्थान को फिर एक बार पिछड़े राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। यह वही राजस्थान है जो वसुन्धराजी के नेतृत्व में विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा था। आज फिर कलंकित है पिछड़ेपन के साथ।

सभापति महोदय, मैं घोषणा पत्र का जिक्र करूं या बजटीय घोषणा का जिक्र करूं, फ्लैगशिप योजनाओं का जिक्र करते हुए मैं यह कह सकता हूं कि ये सारी घोषणाएं ढपोरशंख साबित हुईं। कहने को कहते हैं कि एक मांगो दो देंगे, निकलता है शून्य। वायदे एवरेस्ट के हैं और देने को ठेंगा। सभापति महोदय, मैं मेरी बात उस घोषणा पत्र से प्रारम्भ करना चाहूंगा जिसका जिक्र अभी फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने किया। उस घोषणा पत्र को माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने विराजते ही मंत्रिमण्डल से अनुमोदित करवाकर जनता में यह कहा था कि यह मेरे शासन का आधार है। यह मेरी बाइबल है, यह मेरी गीता है। इसमें जो मैंने वायदे किये, उन वायदों को पूरा करना मेरी सरकार का पहला कार्य है। जब-जब इस सदन के अन्दर हम लोगों ने बात कही, घोषणा पत्र की घोषणाओं का जिक्र किया तो एक टका-सा जवाब आया कि पांच साल में ये घोषणाएं पूरी करनी हैं, अभी सरकार के पास समय है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, अभी इस सरकार की उम्र सिर्फ साढ़े छह महीने है। वह भी मैंने ज्यादा बता दी। अगर पिछले सालों का हम आकलन करें, मैंने मुख्य मंत्री महोदय के राज्यपाल अभिभाषण के उत्तर और सार्वजनिक सभा में दिये गये भाषण को पढ़ा है। वसुन्धराजी से शुरू करके वसुन्धराजी पर ही खतम करना, पूरे चार साल यह सरकार वसुन्धरा फोबिया से ग्रसित रही। आज इस मोड़ पर हमारा यह जानने का अधिकार है कि जिस शासन के आधार की बात मुख्य मंत्रीजी ने कही कि मेरे शासन का आधार मेरा घोषणा पत्र है, उसके कितने पाये खण्डित हो गये। उसका मूल्यांकन करने का भी हमारा अधिकार है। उस घोषणा पत्र के अन्दर केन्द्र सरकार की भी भूरि-भूरि प्रशंसा की गई और यह कहा गया कि केन्द्र सरकार ने 76 हजार करोड़ रुपये का किसान का ऋण माफ करके हिन्दुस्तान के किसानों को राहत प्रदान की। सभापति महोदय, आप जैसे विद्वान आदमी से कोई बात छिपी हुई नहीं है। अभी सीएजी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और वह अखबारों में साया हुई। उसमें यह कहा गया कि ऋण माफी योजना के माध्यम से घोटाला हुआ। सिर्फ 9 या 10 परसेंट किसानों को फायदा हुआ। अभी किसानों की हिमायत की बात बड़ी लम्बी चौड़ी चली। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने तो, मैं लिख रहा था, गहलोत साहब का, एक साथ 72 बार नाम लिया अपने भाषण में और किसान का रहनुमा बताया। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि वह बात कहां चली गई जो आपने फसल बीमा की इकाई ग्राम पंचायत को बनाने की घोषणा की थी? 29 लाख किसानों ने बीमे की राशि जमा करायी है, आज सवा चार साल बाद वो सवाल अनुत्तरित है कि किसान की फसल बीमा योजना इकाई ग्राम पंचायत क्यों नहीं बनी?

आपने कहा था कि हम अनाज के अतिरिक्त भण्डारण की व्यवस्था करेंगे। सभापति महोदय, अनाज के अतिरिक्त भण्डारण की व्यवस्था बखूबी की। राजस्थान वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन 27 वर्षों से लाभ पर है, 900 करोड़ की मिल्कियत है इसकी, सिर्फ दो करोड़ की बैंक गारंटी में शुभम लोजिस्टिक, जो कल्पतरु कम्पनी की सब्सीडरी कम्पनियां हैं, हमारे ऊर्जा मंत्रीजी अच्छी तरह से जानते हैं, कल्पतरु मफतलाल महणोत की कम्पनी, उसको सौंप दी। सभापति महोदय, सौंपने के लिए स्विस चैनल पर जो एम.ओ.यू. किया, वेयरहाउस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

डवलपमेंट एक्ट को आधार बनाया। भारत सरकार के गजट में साया हुआ 25 अक्टूबर, 2010 को और इन्होंने उसकी आड़ में 10 महीने पहले ही 29 दिसम्बर, 2009 को उस एक्ट का सहारा लेकर एम.ओ.यू. कर लिया, शुभम लोजिस्टिक को सारी चीजें सौंप दीं।

आज सुबह सदन के सारे लोग कह रहे थे कि किसान की रबी की फसल बर्बाद हो गयी, ओलावृष्टि से किसान बर्बाद हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने किसान की ओलावृष्टि में जो फसल नष्ट हुई उसके लिए घोषणा क्यों की थी कि हम उचित मुआवजा नीति बनायेंगे? चार महीने का बिजली का बिल आपने माफ किया, हमारी सरकार ने भी माफ किया। इनपुट सब्सिडी के तौर पर तीन हजार और छह हजार रुपये की पर हैक्टेयर सहायता देने की बात, वो भी सिर्फ दो हैक्टेयर की, ऊंट के मुंह में जीरा, पर आपकी वो नीति कहां चली गयी जिस नीति की घोषणा आपने अपने घोषणा पत्र में की थी?

सभापति महोदय, इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, अब सरकार को अंतिम बजट में यह कहने का अधिकार नहीं है, अंतिम बजट सत्र में हम खड़े हैं, अब तो आपको बताना पड़ेगा कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। अब यह बात कहने से काम नहीं चलेगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों का यह कर दिया, वो कर दिया। हम तो आपकी रिपोर्ट कार्ड देखना चाहते हैं। आपने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम हर साल एक लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र बनाएंगे। सभापति महोदय, इसी अभिभाषण के पैरा 15 में स्वयं सरकार ने स्वीकार किया है कि दिसम्बर, 2012 तक मात्र 9196 हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गयी है। कहां एक साल में चार लाख हैक्टेयर होना चाहिए था, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, और कहां यह 9000 । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों वादा किया था घोषणा पत्र में लिखकर कि चूरू जिले के अन्दर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अधूरे काम को पूरा करोगे? आप कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल को पूरा करोगे? आपने इन वर्षों में अगर एक पैसा दिया हो तो मुझे बताओ।

फिर आपने कहा कि पिछली सरकार, वसुन्धराजी की सरकार कमजोर सरकार थी। अन्तरराष्ट्रीय जल विवादों में जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार को लेने के लिए हम रणनीति बनाएंगे, उस पानी को लेंगे जो 1981 के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समझौते के अनुसार हमारा रावी-व्यास का .6 एम.ए.एफ.टी. पानी पंजाब इस्तेमाल कर रहा है। चार वर्ष तीन महीने में वो रणनीति कहां चली गयी? एन.डी.सी. की बैठक हो, उस बैठक में आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि बी.बी.एम.बी. में हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए? आपने क्यों नहीं कहा? 1994 के उस समझौते पर हरियाणा सरकार के हस्ताक्षर क्यों नहीं कराये जिसके तहत ताजेवाला हैड से चूरू, झुन्झुनूं और भरतपुर को 1970 क्यूसेक्स पानी मिलना चाहिए था? यानी हमारी सरकार कमजोर सरकार, आपकी सरकार मजबूत सरकार!

आप चाहे कितने ही चिन्तन शिविर करके मिजाजपुर्सी कर लें, आप चाहे कितने ही एन.आर.आई. के सम्मेलन कर लें, चिन्तन शिविर में प्रधानमंत्री के सामने हमारा नेतृत्व इतना कमजोर निकलना कि अपनी बात नहीं कह सका। न रिफाइनरी की बात कह सके, न स्पेशल पैकेज की बात कह सके मिज़ाजपुर्सी में करोड़ों रुपये के एडवरटाइजमेंट और अपने होर्डिंग्स लगाने के अलावा सरकार ने कुछ नहीं किया है।

अभी मुझ से पहले बोलते हुए लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस सरकार ने पीने के पानी का बड़ा अच्छा प्रबन्धन किया है। हमारी सरकार पर आरोप भी लगाया था कि प्रदूषित पानी से बी.जे.पी. की सरकार में मौत हुई। सभापति महोदय, मेरे पास वो डाकूमेंट हैं जो 2010-11 में राजस्थान की सरकार ने 35 हजार करोड़ का स्पेशल पैकेज पानी के लिए मांगा, तब भारत सरकार को दिया। वो भी डाकूमेंट है जो 2011-12 में 55 हजार करोड़ रुपये मांगे। आज हमें कहते हुए शर्म है, सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि पूरे देश में सर्वाधिक फ्लोराइडयुक्त पानी अगर कोई पी रहा है तो राजस्थान का अवाम पी रहा है। यह हालत है हमारी।

अभी मुझ से पहले विद्युत उत्पादन की बहुत बात हुई सभापति महोदय, बड़ी लम्बी-चौड़ी बिरदावली गायी गयी। कोई ऐसा अभिभाषण नहीं, इस अभिभाषण में भी पैरा 13 में इस बात को दोहराया गया कि राजस्थान विद्युत की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनेगा। घोषणा पत्र हो, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो, बजट हो, कभी कहा गया कि हमने वार्षिक योजना का 56 फीसदी विद्युत उत्पादन के लिए आबंटित कर दिया, कभी 42 फीसदी। फिर दौर चला कई संयंत्रों को स्थापित करने की घोषणा करने का भी। मेरा दावा है, मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गम्भीरता से कह रहा हूं, ऊर्जा मंत्रीजी, जिन संयंत्र की घोषणा आपने की उसमें से एक मेगावाट का उत्पादन अगर आप मुझे बता दो तो आप कहोगे वो मैं करने को तैयार हूं।

दिसम्बर, 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आयी थी, तब इस राज्य का स्वयं का उत्पादन था 4984 मेगावाट और नवम्बर, 2008 में जब शासन आपके हाथ में गया तो उत्पादन था 6540। मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, न झूठे आंकड़े दे रहा, 1556 मेगावाट बिजली उत्पादित हुई थी राजस्थान में भा.ज.पा. के कार्यकाल में। और आप जो 1070 मेगावाट बिजली उत्पादन की बात कर रहे हो वो चाहे छबड़ा एक हो, छबड़ा दो हो, गिराल हो, सूरतगढ़ हो, कोटा हो, ये सारे संयंत्र वो हैं, सभापति महोदय, जिनमें मार्च, 2009 तक काम पूरा हो जाना चाहिए था, सिर्फ इस सरकार की अकर्मण्यता के कारण दो से ढाई वर्ष तक विलम्ब हुआ। छबड़ा जो मार्च में आना था, सितम्बर, 2010 में आया। छबड़ा की सैकण्ड यूनिट जनवरी, 2011 में आयी, गिराल की सैकण्ड यूनिट मार्च, 2011 में आयी, सूरतगढ़ की पांचवीं यूनिट जून, 2011 में आयी और कोटा की सातवीं यूनिट जनवरी, 2010 में आयी।

इसी अभिभाषण में आपने जिक्र किया है कि हम 1860 मेगावाट के विद्युत संयंत्रों से वाणिज्यिक उत्पादन शीघ्र शुरू कर देंगे। मंत्री महोदय, क्या 2011-12 के अन्दर आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उनके मुख से यह नहीं कहलवाया था कि आप मार्च, 2011 में इस उत्पादन को प्रारम्भ कर देंगे? क्या यह सही नहीं है कि चाहे कालीसिंध हो, चाहे छबड़ा तीसरी और चौथी यूनिट हो, चाहे रामगढ़ की हो, ये सारे के सारे वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में स्वीकृत हुए? काम प्रारम्भ हुआ और 2011-12 में पूर्ण हो जाना चाहिए था पर आपकी अकर्मण्यता के कारण यह सारा काम पूरा नहीं हुआ। हां आपने छबड़ा की पांचवीं और छठी यूनिट और सूरतगढ़ की सातवीं और आठवीं यूनिट की 2 मार्च, 2009 को घोषणा की, 1320 मेगावाट की इकाई, नवम्बर, 2009 में निविदाएं आमंत्रित की गयी और अप्रैल, 2010 में निविदाएं खोली गयीं।

भारत सरकार का उपक्रम है भेल, वह एल वन आया, पर यह वी आर जी कम्पनी कहां से आ गयी? यह वी आर जी कम्पनी के माध्यम से फिर कल्पतरु कम्पनी आ गयी। कल्पतरु कम्पनी काम लेना चाहती थी, तीन साल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तक, मंत्री महोदय, आपने नेगोशिएशन के नाम पर समय खराब किया, फिर टेण्डर निरस्त किये आपने। टेण्डर निरस्त करने के बाद पुन: जो निविदाएं आमंत्रित की गयीं, शर्तें बदली गयीं, एक कम्पनी एक काम और फिर भेल आ गयी। अब तक आप वर्क आर्डर इसलिए नहीं दे रहे हो कि राजस्थान की सरकार विद्युत उत्पादन के माध्यम से चांदी कूटने का काम कर रही है। आपका काम सिर्फ एक ही था कि किस तरह वी आर जी कम्पनी को काम मिले। सभापति महोदय, आज इसी सदन के अन्दर प्रतिवेदन रखे गये थे, विद्युत कम्पनियों की हालत क्या है? 1008 में 15643 करोड़ का घाटा था, 40 से 50 परसेंट घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत दरों की वृद्धि करने के पश्चात् भी आज यह घाटा 60 हजार करोड़ को पार कर रहा है। और छीजत की बात तो मैं क्या करूं? जब भारतीय जनता पार्टी शासन में आयी थी तब, टी एण्ड डी लास थे 42.64 परसेंट और जब गयी तो 26.59 परसेंट। अभी मैं आपके विद्युत नियामक आयोग के आंकड़े एक अख़बार में साया हुए उसमें पढ़ रहा था, 9 परसेंट की दर से आपके टी एण्ड डी लास फिर बढ़ रहे हैं। एक परसेंट बढ़ता है तो ढाई सो करोड़ की चपत लगती है। आपका सुशासन और विद्युत दरें, जिनके लिए आप बार-बार कहते हो कि किसान की विद्युत दरें अशोकजी गहलोत ने नहीं बढ़ायीं, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था,

वसुन्धराजी के शासन में कौन से किसान की विद्युत दरों में कब-कब बढ़ोतरी हुई? एक नया पैसा नहीं बढ़ा। आपको सिर्फ अपनी छाती थपथपानी आती है। परन्तु आपकी पुरानी संस्कृति रही है, विद्युत दरें बढ़ाओ, उपभोक्ता की जेब पर डाका मारो। जुलाई, 1999, नवम्बर 1999, 2001 में आप ही की सरकार थी, आपने विद्युत दरों में बढ़ोतरी की थी। यहां आन्दोलन हुए थे। पचास पैसे प्रति यूनिट जो किसान को बिजली मिला करती थी उसको नब्बे पैसे ले जाने का श्रेय अगर किसी को है तो अशोक गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार को है। फ्लैट रेट जो पहले साढ़े सैंतीस रुपया हार्स पावर था, उसको 85 रुपया करने का श्रेय अगर किसी को है तो आपको है। घरेलू दरें जो 1 रुपया 12 पैसे थीं, उसको बढ़ाकर 1 रुपया 70 पैसा करने का श्रेय है तो आपको है।

भाजपा शासनकाल की यह बात तो बता देते कि बी पी एल को 1

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रुपया 70 पैसे में पचास यूनिट तक की जो दर थी, उसको आधा करने का काम, 85 पैसे प्रति यूनिट करने का काम वसुन्धराजी ने किया। आपने सितम्बर, 2011 में साढ़े बाइस परसेंट विद्युत दरों में बढ़ोतरी की, 2600 करोड़ का उपभोक्ता पर भार डाला। अक्टूबर, 2012 में साढ़े 18 परसेंट बढ़ोतरी की, 2700 करोड़ का भार डाला। नवम्बर, 2012 में आपकी याचिका नियामक आयोग में विचाराधीन है, मंत्री महोदय एक बार फिर साढ़े बारह परसेंट की बढ़ोतरी कर रहे हैं, 1 अप्रैल से लागू करोगे। अगर यह सारा जोड़ लें तो 53.3 फीसदी विद्युत दरों में बढ़ोतरी की, आठ हजार करोड़ का भार डाला और अब आप कह रहे हो कि हमने विद्युत में बड़ा लम्बा-चौड़ा इस तरह का काम कर दिया कि राजस्थान की जनता बड़ी खुश है।

यहां शिक्षा की बात कही गयी, शिक्षकों की भर्ती की बात कही गयी। सभापति महोदय, इन्होंने कहा तो ऐसा था घोषणा पत्र में कि राजस्थान शत प्रतिशत साक्षर हो जाएगा, यानि नरेगा के अन्दर अंगूठा नहीं लगेगा दस्तखत होंगे। पर आज हालात क्या हैं? सत्र 2012 के लिए जो गैर सरकारी संस्था है असर प्रथम, शिक्षा की वार्षिक स्थिति का प्रतिवेदन, जिसको केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री पी राजू ने जारी किया, उसने राजस्थान के लिए क्या-क्या अंकित किया, मैं कुछ ही बातें बताना चाहता हूं। उसमें लिखा, राजस्थान में ग्यारह प्रतिशत बालिकाओं ने विद्यालय का मुंह नहीं देखा। सरकारी विद्यालयों में नामांकन 53.4 फीसदी रह गया जो गत वर्ष 63.06 प्रतिशत था। कक्षा 1 से 2 में 64.5 फीसदी बच्चे 1 से 9 तक के अंकों को नहीं पहचानते। कक्षा-5 में 46.9 प्रतिशत बच्चे कक्षा-2 की हिन्दी की किताब नहीं पढ़ सकते। कक्षा-5 में 78.9 प्रतिशत बच्चे कक्षा-2 की गणित के सवाल नहीं कर सकते। यह हालत है शिक्षा की, जिस राजस्थान को साक्षर करने की बात आपने कही।

मंत्री महोदय, बाकी तो यहां हैं नहीं, पर मानव संसाधन मंत्रालय की 2012-13 की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट अखबारों में आयी है, उसमें यह कहा गया है कि मिड-डे मील में सबसे रद्दी अगर कहीं है तो हम 31वें नम्बर पर खड़े हैं और आज कक्षा 1 से 8 नामांकित बच्चों में सिर्फ 62 प्रतिशत को मिड-डे मील मिलता है, 38 प्रतिशत टुकर-टुकर करके देख रहे हैं।

सभापति महोदय, अभी मेरे से पहले वक्ता बोल रहे थे कि उच्च शिक्षा के अन्दर हमने नये कीर्तिमान स्थापित किये। मैं मानता हूं आज

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान में पचपन विश्वविद्यालय हैं और 1552 महाविद्यालय हैं। पर अभी प्रदेश के वाइस चांसलर की कोआर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने ली, उन्होंने चिन्ता व्यक्त की कि उच्च शिक्षा का स्तर कहां जा रहा है। सभापति महोदय, देश के पांच फिसड्डी राज्यों में राजस्थान की उच्च शिक्षा सम्मिलित है।

नेशनल असैसमेंट एण्ड एक्रीडिएशन कौंसिल है (नैक) जो देश में गुणवत्ता की दृष्टि से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को ग्रेडिंग देती है। हमारे पचपन विश्वविद्यालय और 1552 महाविद्यालयों में ए ग्रेड में सिर्फ पांच, बी और सी में 92 और बाकी सबके लिए मना कर दिया कि आप यू जी सी के मापदण्ड पूरे नहीं करते इसलिए आपको ग्रेडिंग नहीं दे सकते।

इण्डियन हायर एजुकेशन का ट्वैल्थ प्लान में ग्रास एनरोलमेंट रेशो, (जी ई आर) था 9.6, यानी राजस्थान में सिर्फ 9.6 फीसदी बच्चे ही उच्च शिक्षा में पहुंच पाते हैं। इस तरह की शिक्षा और उच्च शिक्षा की स्थिति हमारे सामने है।

अभी यहां बहुत बड़ी चिकित्सा की बात हुई, मुफ्त दवाई की बात हुई और यह कहा गया कि यह तो वरदान साबित हो गयी। देव तुल्य, कहा गया कि वह तो मानव नहीं अवतारी हैं। मुझे मालूम नहीं था। अशोक गहलोतजी अवतारी हैं तो फोटो लगाकर उनकी पूजा प्रारम्भ कर दें। मैं पूछना चाहता हूं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य मित्र लगाने की घोषणा आपने की थी साढ़े चार वर्ष पहले।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में। आपको पूरे बाइस मिनट मिल चुके हैं। पर्याप्त समय आपको दिया जा चुका है। (व्यवधान) वह सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे और धन्यवाद प्रस्तुत कर रहे थे। यह डिबेट में भाग ले रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जी, जी, आपकी आज्ञा की पालना करना मेरा कर्तव्य है। मैं निवेदन कर रहा था...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देवासी (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: समय का यह निवेदन हुआ है, अगर सदन की इजाजत हो तो सदन का टाइम बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि घोषणा पत्र में आपने यह घोषणा की थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्राइमरी हैल्थ वर्कर लगाएंगे। आज सवा चार साल बाद इस सदन में कोई माननीय सदस्य कह सकता है क्या कि प्राइमरी हैल्थ वर्कर किसी के यहां लगे? स्वास्थ्य के मापदण्ड के अनुसार चाहे प्रजनन दर हो, चाहे शिशु मृत्यु दर हो, चाहे मातृ मृत्यु दर हो, हम देश के पैमाने पर इन सब में पिछड़े हुए हैं और हम फिर बीमारू प्रदेशों की श्रेणी में आकर खड़े हो गये। यह हमारी चिकित्सा का हाल है।

मैं क्या कहूं सभापति महोदय, प्लानिंग कमीशन में हमारी प्रभारी हैं सईदा हमीद, उनका एक वक्तव्य पढ़कर सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे खराब राज्यों में राजस्थान का शुमार हो गया है। सभापति महोदय, इससे बुरी और क्या बात हो सकती है। बारहवीं वार्षिक योजना का जो प्रारूप लेकर गये, हमारे सोशल इंडिकेटर इतने खराब थे- यह जो कह रहे हैं न कि राजस्थान को हमने बहुत ऊंचाइयां दे दीं, खराब सोशल इंडिकेटर के कारण से प्रारूप वापस आया कि इन इंडिकेटरों को ठीक करने के लिहाज से इसको देखें। हमने प्रथम स्थान जरूर प्राप्त किया, लेकिन स्वाइन फ्लू के अन्दर देश के अन्दर पहला स्थान मौतों में, 160 मौतें हो गयीं। दूसरा हमने स्थान प्राप्त किया, अभी एस आर एस का सर्वे हुआ 7 जुलाई 2011 को, प्रधान मंत्रीजी द्वारा घोषित राष्ट्रीय शर्म, कुपोषण के अन्दर राजस्थान का प्रदर्शन सबसे खराब।

मुख्य मंत्री दवा योजना की बात बड़ी लम्बी-चौड़ी कही गयी, मेरा दावा है, आज भी 400 दवाइयों में से 200 दवाइयां राजस्थान के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में नहीं हैं। सभापति महोदय, जो पी एच सी में दवाई है वही सवाई मानसिंह चिकित्सालय में दवाई है। एक रिकार्ड हमने जरूर बनाया,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अक्टूबर, 2011 को यह योजना प्रारम्भ हुई, 63 करोड़ पैरासिटामोल टेबलेट डिस्ट्रीब्यूट की गयीं और इन सोलह महीने में 23 करोड़ पैरासिटामोल टेबलेट पेशेंट खा गये। साढ़े छह करोड़ की हमारी जनसंख्या, दस करोड़ सेट्रिजन खा गये। गरीब के नाम पर ये दवाइयां कहां जा रही हैं?

अभी इस अभिभाषण के पैरा-4 में कहा गया कि 14,737 दवा वितरण केन्द्र हैं। सभापति महोदय, आप तो विद्वान हैं, मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया ने नियम बना रखे हैं कि दवाई वितरण केन्द्र पर योग्यताधारी फार्मासिस्ट ही दवाई वितरित करेगा। क्या इन 14,737 दवा वितरण केन्द्रों पर फार्मासिस्ट आपके पास हैं?

सभापति महोदय, जोधपुर के अन्दर संक्रमित ग्लूकोज से 17-17 प्रसूताएं मर जाएं, इस कलंक से हमें मुक्ति मिली भी नहीं थी कि जनवरी, 2013 में राजस्थान मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन के माध्यम से एंटीबायोटिक टेबलेट बायोसिप जो जिलों में भेज दी थी; वे नकली पाई गईं। कुछ जिलों से वापस मंगा लिया गया। छह महीने पहले जिन दवाइयों को वितरित किया गया था उन पांच फर्मों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। यानी छह महीने पहले जिन फर्मों ने दवाई दे दी, दवाई आपके चिकित्सालय में चली गयी, दवाई नकली पाई गई, अमानक पाई गई। उस गरीब के साथ क्या हुआ जिसने दवाई खा ली विश्वास करके? मुफ्त दवा वितरण योजना में एक तरह से मौत बांटने का काम यह सरकार कर रही है।

सभापति महोदय, प्रदेश में किस चीज का जिक्र करूं- न कानून है न व्यवस्था है। कानून और व्यवस्था दोनों माफियाओं के चंगुल में हैं। या अशोक जी गहलोत अपने श्रीमुख से कह दें, वही कानून व्यवस्था है। 12 फरवरी को अखबारों में बयान दे दिया कि पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री तमिलनाडु और हरियाणा के मुख्य मंत्री के तरीके से जेल में जा सकती हैं। यह तो वो हैं जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगाड़ना नहीं चाहते, इसलिए उनकी कृपा से वो आज जेल से बाहर हैं । अगर आज आई पी सी का राज है, आप कह रहे हो, हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिये हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हो, इस तरह आंख तरेर कर बेबुनियाद बयान जारी करने से पहले यथार्थ को देखना चाहिये। मेरी चुनौती है हमारे सारे विधायक दल से कि अगर हिम्मत है तो सदन को बताएं किस हाई कोर्ट ने, किस सुप्रीम कोर्ट ने कब-कब उनको नोटिस जारी किया?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

+++ बयान जारी करना उस देवतुल्य मुख्य मंत्रीजी के लिये जिनको उपाधि आपने दी है, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य, यह ठीक है? सभापति महोदय, एस पी, अजमेर जेल गये। सभापति महोदय....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट। +++ शब्द नहीं रखा जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, एस पी, अजमेर को जेल भेजा गया। यथार्थ यह है, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, +++ क्या हालत बन गयी है राजस्थान की?

सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है राजस्थान में पुलिस का इकबाल समाप्त कर दिया, पुलिस माफियाओं के गिरवी रख दी गयी। यही कारण है, मैंने एक सवाल किया था तारांकित प्रश्न संख्या 59; मैंने पूछा था जनवरी, 2009 से जनवरी, 2012 तक पुलिस पर कितने हमले और पिटाई हुई? उत्तर आया, 1013 बार पुलिस की पिटाई हुई और 1013 बार में जो चालान पेश हुआ वह सिर्फ 256 का। यानी पुलिस पिटे भी और पुलिस को पीटने वालों का चालान भी पेश नहीं करो।

सभापति महोदय, मैंने एक और प्रश्न किया था कि राजस्थान में वांछित अपराधी कितने हैं जो पुलिस की पकड़ से दूर हैं। आज राजस्थान अपराधियों की सैरगाह बन गया है। मेरे उत्तर में इन्होंने कहा, 31/1/2012, मेरे पास लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है, 48244 वांछित अपराधी राजस्थान में ऐसे हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और उसी उत्तर में लिखा, 18446 अपराधी ऐसे हैं जो अपराध करके पड़ौस के राज्य में चले गये। मैं नहीं कह रहा, सभापति महोदय, हिन्दुस्तान का नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो यह कह रहा है कि अपराध की दृष्टि से राजस्थान की राजधानी जयपुर महानगरों में तीसरे नम्बर पर खड़ी हो गयी और चेन स्नेचिंग में हमने पहला स्थान प्राप्त किया है।

सभापति महोदय, इस क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का दूसरा रिकार्ड यह कह रहा है कि बच्चों के अपराध में हम देश में आठवें स्थान पर हैं। 2010 में 1318 अपराध हुए, 2011 में 1491 अपराध हुए। और राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों को तो मैं असत्य कैसे मानूं? वह आंकड़ा यह कह रहा है कि 2010 में महिलाओं पर दुष्कर्म के अपराध 43 फीसदी बढ़े हैं राजस्थान में और पूरे देश

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में हम चौथे स्थान पर खड़े हैं। यह है राजस्थान के देवतुल्य अशोकजी गहलोत की कानून व्यवस्था...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें अब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं करता हूं...

श्री सभापति: पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अब केवल मात्र दो मिनट में आप समाप्त करें। (व्यवस्था) अच्छा, ठीक बात है। आप कृपया शांति बनाये रखिये, उनको बोलने दीजिये। दो मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि आज देश की अर्थव्यवस्था पर चोट करने वाले कामों का नकली नोट हो, अफीम हो, शराब हो, राजस्थान ट्रांजिट रूट बन गया है, पाकिस्तान की सीमा से लाओ और पूरे देश में बांटो।

अवैध हथियारों की सप्लाई की बात आज सुबह सदन में चल रही थी। अवैध हथियार क्या, सभापति महोदय, अब तो हमारे राजस्थानी जहाज के नाम से प्रसिद्ध ऊंट की तस्करी होने लग गयी। दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह हजार में बांग्लादेश जाने लग गये हैं। हमारी पाक सीमा जो 10,046 किलोमीटर लम्बी है, अभी दिसम्बर में 25 करोड़ रुपये की हेरोइन पकड़ी गयी। सैटेलाइट फोन से सामरिक महत्व के सारे समाचार पाकिस्तान में जाने लग गये। और विडम्बना देखिये, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सी आई डी इंटेलिजेंस की 22 चौकियों को समाप्त कर दिया।

समाज के कमजोर वर्ग पर तो जो अत्याचार है, मैं नहीं कहूंगा, हमारे मुख्य सचेतकजी बैठे हैं, इनके सखा मुकुल वासनिक जी राजस्थान में आये थे, उन्होंने यह कहा था समीक्षा करने के बाद कि उत्तर प्रदेश के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति पर सर्वाधिक अत्याचार हुए हैं...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मुकुल वासनिकजी इस सदन के मैम्बर नहीं हैं, कृपया जो सदन के मैम्बर नहीं हैं उनका तो नाम नहीं लेवें।

श्री सभापति: ठीक बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): चलो नहीं करेंगे। उन्होंने यह कहा था कि राजस्थान के अन्दर उत्तर प्रदेश के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए और 6078 मामलों में 4992 का चालान हुआ।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, अभी जो गवर्नर कान्फ्रेंस हुई है उसमें महामहिम गवर्नर यह कहकर आयी हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान ठीक नहीं है।

अब, सभापति महोदय, आपने मुझे यह कहा कि समय कम है....

श्री सभापति: नहीं, कृपया समाप्त करें, यह निवेदन किया है मैंने आपसे। बहुत किया है आपने। और लोग भी बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं, सभापति महोदय, एक मामले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। हमारे मुख्य मंत्रीजी सादगी का प्रतीक हैं। महंगी शादियों में जाना उन्हें अपमानजनक लगता है। मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं बड़ी जिम्मेवारी से कि यह क्रियोन्स कम्पनी है, मैंने सूचना के अधिकार के तहत मांगा है, जनवरी, 2009 से लेकर 31 मार्च, 2012 तक इस कम्पनी को 50 करोड़ 75 लाख रुपये के विज्ञापन जारी किये गये, 48 लाख के विज्ञापन, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं सभापति महोदय। एन आर आई का जो सम्मेलन हुआ, मुख्य मंत्रीजी ने अपनी मुस्कराते हुए फोटो लगाकर सारे जयपुर में जारी कर दिये। बिना टेण्डर के ये साढ़े तीन करोड़ के विज्ञापन। चिंतन शिविर में, रघुजी, चिंतन शिविर आपकी पार्टी का था, दो सौ लोगों को आपने स्टेट गैस्ट बना दिया, राजस्थान की गरीब जनता के खजाने का पैसा लूटा। इसमें साढ़े तीन करोड़ के विज्ञापन, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, बिना निविदा के आपने, अशोकजी गहलोत ने और उसमें मुझे अफसोस इस बात का है आपकी फोटो कहीं नहीं थी। साढ़े तीन करोड़ रुपये के विज्ञापन बिना निविदा के हो जाएं, यह हमारे गांधीवादी माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें अब ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, चलाकर पंचायतों को सशक्त कर दिया इन्होंने। हमारे मालपुरा से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि इन्होंने नौ हजार से ज्यादा सरपंचों को सशक्त जरूर कर दिया। सरपंच यहां आये अपनी बात को कहने, उनके मन में कितना दम है, कितनी लाठियां कौन सरपंच खा सकता है, इसका काम जरूर किया।

पूर्ववर्ती सरकार पर नरेगा में 18 से 20 रुपये मजदूरी का आरोप तो लगाया था इन्होंने। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 2008 में नरेगा राष्ट्र के पैमाने पर प्रथम पायदान पर था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पांच साल में 171 करोड़ रुपये की औसत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मजदूरी वितरित हुई थी और इन चार सालों में सिर्फ 71 करोड़ रुपये ही रह गयी। 2008-09 में सौ दिन का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या थी 17 लाख और दिसम्बर, 2012 में यह घटकर रह गयी 1 लाख 31 हजार। और खर्च की स्थिति देखें तो चार साल में कमी आयी है 35 प्रतिशत की, रोजगार में 60 प्रतिशत की कमी, सौ दिन रोजगार पाने वालों की संख्या में 17 गुणा कमी, मानव दिवस सृजित करने में 60 परसेंट कम। यह नमूना है इस संवेदनशील सरकार का। दूदू के अन्दर...

श्री सभापति: माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें। मैं अगला नाम बोलने जा रहा हूं। प्लीज समाप्त करें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जब-जब इस सरकार के पाये हिले इन्होंने अपने आलाकमान को खुश करने के लिये राजस्थान को लुटाने का काम किया। भीलवाड़ा के अन्दर जिंदल शाह कम्पनी है नवीन जिंदल की, 2010-11 में भीलवाड़ा की नगरीय परिधि के अन्दर 20 किलोमीटर एरिया 30 वर्ष के लिये लीज पर दे दिया। न यह देखा कि नियमों के अन्दर राजपत्र में सूचना का प्रकाशन होता है, कितना खनिज है, कितना उस कम्पनी को अनुभव है। कम्पनी बिना बिक्री कर चुकाये 6 करोड़ 22 लाख 626 टन सोना अन्य खरीद प्रोसेसिंग के नाम पर गुजरात ले गयी क्योंकि घर का राज है। 20 किलोमीटर एरिया स्थानीय किसानों से खाली करवा लिया बिना मुआवजे के, काश्त अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबन्ध के बावजूद। चरागाह की जमीन सौंप दी इस कम्पनी को। नदी में जाकर सौंप दी, बाल पाल की सौंप दी, जलग्रहण सौप दिया, स्कूल सौंप दिया, कब्रिस्तान सौंप दिया। और तो और, तीन सौ वर्ष पुरानी मस्जिद गिरा दी। यह हालत है इस सरकार की।

आपने मुझे कहा इसलिये मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा। एक बात जरूर कहूंगा कि अब समय आ रहा है, समय का कालचक्र घूम रहा है। समय के कालचक्र के साथ इस +++ का अंत होना निश्चित है। सभापति महोदय, दीवार पर लिखा साफ दिख रहा है, वसुन्धरा मेल की यात्रा प्रारम्भ हो गयी है और कांग्रेस के लिए इस मेल के ब्रेक फेल हैं। सामने जो आएगा, परखच्चे उड़ेंगे और राजस्थान में वसुन्धराजी का शासन कायम होगा..।

श्री सभापति: कृपया अब समाप्त।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रतिशोध की राजनीति करने वाले लोगों का अंत होगा। आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री रणवीरजी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, एक लड़की ने दो घण्टा टेलीफोन करके टेलीफोन रख दिया। उसकी मां बोली बहुत अच्छी बेटी बन गयी। बोली, मम्मी रांग नम्बर था। बोली, बेटी पहले चार-चार घण्टे बात करती थी, आज दो ही घण्टे में रख दिया। बोली, मम्मी रांग नम्बर था। यहां क्या भाषण दिया, किसी ने सुना नहीं, उस पर हमें भाषण तो देना पड़ रहा है। राजस्थान की जनता सुनती...

श्री करणसिंह (छबड़ा): कटारिया साहब, आप कब पधार रहे हो?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आपने चार साल में क्या कार्य किया उसको यहां पर गवर्नर महोदया बतातीं, पूरा राजस्थान सुनता। लेकिन पता नहीं +++ करके वह खतम हो गया। परन्तु अभी हमारे भाई गोविन्दजी कह रहे थे कि किसानों का इतना भला किया, शिक्षा में यह किया, फलां किया। बस में दवाई बेचने वाले आते हैं, पता नहीं कितनी दवाइयों का नाम लेते हैं, समझ में आती नहीं।

(17.00 बजे)

सभापति महोदय, पक्ष का विपक्ष द्वारा विरोध करना धर्म करना बनता है लेकिन बेबुनियाद अगर विरोध किया जाए तो भी गन्दा है। हम विपक्ष में हैं, सबके सब किसानों के हितों से जुडे हुए हैं। हम कोई अमेरिका से और इटली से तो आये भी नहीं हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, क्षमा करें, भाई। सभापति महोदय, मैं सन 1970 में खाद का कट्टा लेकर आया था, किसान का बेटा हूं, 15 रुपये में आया था। वही 2000 तक बढ़ता-बढ़ता 500 रुपये का हो गया था। किसान एक किलो सरसों एक एकड़ में बीजता है तो वहां दो कट्टे खाद के बीजे जाते हैं, एक पहले और एक बाद में, तब वह सरसों होती है। 2010 में न तो परमाणु बम गिरा था और न हमारे राष्ट्र की किसी दूसरे राष्ट्र से लड़ाई हुई थी, एकदम 750 रुपये बढ़ाकर 1250 रुपये का खाद का कट्टा कर दिया। क्या किसान की भलाई इसे कहते हैं? जिस किसान के यहां खाद 20 हजार की आती थी वह 50 हजार की खाद खरीदने पर मजबूर हो गया। प्रत्येक घर से 30 हजार रुपये की डकैती करके इस सरकार ने किसानों की भलाई शुरू की थी।

(श्री रणवीर पहलवान)

सभापति महोदय, बिजली के नाम पर कहा कि बिजली का रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। पहली बात तो बिजली आयी ही नहीं। बीजेपी के राज में 2007 तक के जो किसानों के कनेक्शन थे, वे पूरे कर दिये थे। इस 4 साल में 2009 तक के किसानों के बिजली के कनेक्शन पूरे किये गये हैं। आपके कार्यकाल का कोई एक भी कनेक्शन किसानों के खेत में लगा नहीं है।

सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो इतना बड़ा जुल्म शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है कि जानकर यह सदन स्तब्ध रह जाएगा। आपने कच्चे मकान के ऊपर कभी पक्का मकान बनता नहीं देखा होगा। पक्के मकान के ऊपर तो कच्चा मकान बन सकता है। एक आदेश पारित करके कह दिया कि आठवीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि उसे पहले ही दिन आठवीं क्लास में दाखिला दे दें। आठवीं के बच्चों को हिन्दी तक नहीं आती है। किसी भी नौकरी के लिए अगर काम्पिटिशन होगा, शहर के 5 स्टार स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा और ग्रामीण किसान, मजदूर का बेटा एक साथ एग्जाम देंगे तो वह कभी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्योंकि वहां आठवीं तक तो फेल करने का था ही नहीं, उसे पास करने का आदेश है। हम जाकर स्कूलों में अध्यापकों से पूछते हैं कि इस बच्चे को हिन्दी नहीं आती तो वह अध्यापक कहता है आई नो वैरी वैल, लेकिन इस आदेश का क्या करूं, मुझे पास करना ही पड़ता है। वे इस तरह से पास करके आ जाएंगे। कच्चा मकान कभी पक्का नहीं बन पाएगा इसके ऊपर। वे बच्चे एक दिन नक्सलवादी बनेंगे, चोर, डाकू बनेंगे और डकैतियां मारेंगे, क्योंकि वह अनपढ़ नौजवान और उस पर पढ़े-लिखे की मोहर लग गयी। किसी राष्ट्र में आज तक ऐसा हुआ नहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो इतना बड़ा कल्याण आपने किया है।

सभापति महोदय, अब कानून की बात करें। कानून की क्या, इससे पहले तो आपने एक लाख नौकरी का राजस्थान की साढ़े 6 करोड़ जनता से वादा किया था। उस बात से राजस्थान की जनता ने, प्रत्येक किसान, मजदूर ने सोचा था कि पढ़ा-लिखा लड़का, अगर माननीय गहलोत साहब की सरकार आ गयी तो नौकरी लग जाएगा। बी.ए. कर रखी है, एम.ए. कर रखी है, एक लाख दबादब भर्ती करेंगे, नौकरी की लाइन लग जाएगी और तनख्वाह आनी शुरू हो जाएगी। आज पता चला। 2200 पटवारी, 1300 नर्स, 400 मास्टर, यह करके कुल 20-22-23 हजार हुए हैं इन 4 साल में, 4 लाख भर्ती होने चाहिए थे।

(श्री रणवीर पहलवान)

और यह आखिरी साल है। पूरे राजस्थान की जनता से झूठ बोलने के आरोप में पहली बात तो +++ सीबीआई की आत्मा मर गयी क्या अब की बार? हमको तो रोज डराता है कि सीबीआई जांच करवा दूंगा। वसुन्धरा की करवा दूंगा, फलानां की करवा दूंगा। +++ फांसी तुड़वा दे हमारे को। मैंने 2003 में पूरी सरकार की फिल्म बनाकर दिखायी थी, जिसमें इनका गृह मंत्री, यूडीएच मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री, +++ सबकी फिल्में इस सदन को दिखा सकता हूं, मुख्य मंत्री के नाम से दस-दस करोड़ रुपये मांग रखे हैं। क्या सीबीआई और +++ अब की बार जांच करवाने के लिए? और मेरा एक कागज ढूंढ कर लाये कि सन 1994 से रणवीर फरार है। उसका चालान पेश किया, 13 दिन में कोर्ट ने बरी कर दिया। यह मेरा चालान कौनसा था, हम बताएं इस सदन को कानून-व्यवस्था। जुल्म तो इस बात का है कि इसी पार्टी का एक महान नेता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज किस तरह बना रहा था, कानून के रखवालों को भी यह किस तरह से बनाते हैं, वह भी देखा होगा। अगर ये जज सब इनके ही बनाये हुए हैं और सीबीआई चालान पेश करेगी तो निःसंदेह हम तो फांसी टूटने ही हैं। +++ जज किस तरह बना रहा था दिल्ली के अन्दर, देखा होगा। वह सारा भारत देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अगर इस तरह से बनाते हैं। और इनकी प्रणाली, कौनसा टैस्ट बंद कमरों में कपड़े उतरवा करके महिलाओं का लिया जाता है? यह भारत के कानून से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है?

सभापति महोदय, ऐसी बात भी नहीं है, आपका बहुत बड़ा एहसान भी है राष्ट्र के ऊपर। कांग्रेस ने अच्छे काम भी किये हैं, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा। आज से 40 वर्ष पहले की फिल्में देखें तो डाकुओं पर आधारित फिल्में आती थीं- डाकू लाखन सिंह, डाकू जगन सिंह, डाकू फलानां सिंह, आजकल वे पिक्चरें खतम हो गयीं। चम्बल घाटी डाकुओं से भरी रहती थी। आज चम्बल घाटी के अन्दर बहन-बेटियों को गहना पहनाकर भेज दो, अगर एक भी लूट जाये तो मेरी गारंटी है और दिल्ली भेज दो, वह इस राष्ट्र की राजधानी है, इज्जत और गहना दोनों बच जाए तो मेरी गारंटी है। सारे डाकू चम्बल घाटी से ले जाकर फिट कर दिये, इस राजनीति के अन्दर सैट हो गये। यहां एक विधायक कह रहे थे कि हमारी कांग्रेस पार्टी राष्ट्र को आजाद कराने वाली पार्टी है। मैं भी कहता हूं बिलकुल है, हमारे दादा-पड़दादा भी कांग्रेस में होते थे। उस कांग्रेस में सुभाष चन्द्र बोस, उस कांग्रेस में सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री।

(श्री रणवीर पहलवान)

और इस कांग्रेस में कनिमोजी, ए.राजा, कलमाड़ी, भंवरी देवी। यह कांग्रेस रह गयी क्या? यह तो +++ एक पनाहगाह बन गयी। इस पार्टी पर बैन लगना चाहिए और सब +++ वापस चम्बल घाटी भेजना चाहिए, यह मैं प्रार्थना करता हूं। राष्ट्र की जनता से खिलवाड़ करना, आज दिल्ली के अन्दर गहना तो छोड़ो, इज्जत बचाकर बहन-बेटी वापस नहीं आ सकती। वहां मेरा राज नहीं है। आपने इतने बड़े-बड़े काम किये हैं कि जिनका परिणाम निकला कि उत्तर भारत में सफाया हो गया है कांग्रेस का। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, मुर्दा वेंटिलेटर पर है और हरियाणा और राजस्थान में सीधा श्मशान में ही जाएगा वोट पड़ते ही, मेरी गारंटी है इस बात की। सीधा श्मशान में नहीं जाए तो हम गारंटर हैं।

सभापति महोदय, कितना बड़ा खिलवाड़ इस राष्ट्र के गरीबों के साथ किया जाता है। हमारे राष्ट्र के भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर दिया गया राहुल गांधी को। जिस राज्य में वह जाते हैं नरेगा में एक टोकरी सिर पर धरकर डालते हैं और पत्रकार बंधु छापते हैं कि राहुल बाबा ने श्रम कार्य किया। शर्म करो। नरेगा में काम करने वालों के तन पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है। 400 करोड़ के प्लेन में यह गरीब चल रहा है इस राष्ट्र में। अगर नरेगा में काम करना है तो सोनियाजी और राहुलजी दोनों का जाब कार्ड मालपुरा से मैं बनवा देता हूं, वहां आकर कर लो, कौन मना करता है। यह नरेगा में नहीं, यह गरीबों के साथ खिलवाड़ है और उसी का परिणाम आया कि बिहार में चार सीट आयीं। उत्तर प्रदेश में खतम हो गयी। वहां कहते हैं जब चुनाव होता है तो, कि हमारी कड़ी से कड़ी जोड़िये। पंजाब, बिहार और गुजरात की कोई कड़ी नहीं जुडी हुई है, क्या बिगाड़ लिया कांग्रेस ने? वे बराबर दुबारा राज ले आये, तीसरी बार राज ले आये। और जहां कड़ियां जोड़ लेते हैं वहां ऐसा मिलकर लूटते हैं कि इनको याद रखती है जनता। फिर दस-बीस वर्ष तक आ नहीं जाएं, नहीं तो मार ही देंगे अब की बार। जनता में भी हाहाकार मचा हुआ है।

सभापति महोदय, अब मेरे सामने चन्द्रभानजी चुनाव लड़े, वह हार गये। मैं मालपुरा में जाकर यह कहूंगा क्या कि मैं काम तो तब करवाऊं जब चन्द्रभानजी हों? वसुन्धराजी कुछ दिन के लिए चली गयी थीं- राजस्थान की रोडों में एक-एक फीट के गढ्ढे हैं, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, एक लाख नौजवान भर्ती कब करोगे, फ्रंट पेज के ऊपर न्यूज आती है, गहलोत साहब कह

(श्री रणवीर पहलवान)

रहे हैं कि मैं यह काम कर तो दूं लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं। अब आ गयीं वसुन्धराजी, सारी फाइलों पर दस्तखत करवा लो, कौन-कौनसी भर्ती करेंगे एक लाख की और कौन-कौनसी रोड ठीक करानी है। करवा लो दस्तखत। भले आदमियों, विपक्ष वालों के फाइलों पर साइन होते हैं या आपके साइन होते हैं? जनता के सामने इतना बड़ा नाटक करना, और जो बोले उसको सीबीआई, वह आपकी मुट्ठी में है ही। मैं दावे से कहता हूं कि राष्ट्र में एक दिन आपके पास सीबीआई ही बचेगी, वोट तो बचने हैं नहीं, क्योंकि सीबीआई बहुत चहेती हो गयी।

सभापति महोदय, अभी वह कह रहे थे कि खेतों के रास्तों के ऐसे कानून बना दिये कि प्रत्येक खेत तक रास्ता जाएगा। सभापति महोदय, मैं मालपुरा से विधायक हूं, 60 वर्ष में आज तक मालपुरा का सैटलमेंट हुआ हो तो मैं गर्दन कटवा लूं। वहां रोज जूत बाजते हैं और हर किसान की लड़ाई होती है। 100 में से 70 मुकदमे किसान के रास्ते के हो रहे हैं। इन्होंने आज इतनी उपलब्धियां सुनाईं, यह जनता को तो क्या पता, 200 में से 199 विधायकों को ही नहीं पता कि कहां-कहां, क्या-क्या कानून बना दिये। सिर्फ गहलोत साहब या फिर गोविन्दजी से ही सुना कि यह कौन-कौन से नियम बना दिये। बैंगन फ्री, गाजर फ्री, दवाई फ्री, कच्छा-बनियान फ्री, यह कहां दुकान खोल रखी है, हमें तो पता ही नहीं चला। इतनी-इतनी चीजें फ्री। देखो, कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो, घुटने में दर्द तो वही गोली, सिर में दर्द हो तो वही गोली, कैंसर हो तो वही गोली, एड्स हो तो वही गोली। वह मरीज ठीक से अपना इलाज करवा लेगा और कोई बढ़िया दवाई ले लेगा। अगर इस नाटक को बंद कर दो तो वह सही डाक्टर को दिखाकर सही दवाई ले ले। सिर्फ डब्बे रख रखे हैं और इनके नाम पर राष्ट्र में लूट खोल रखी है।

सभापति महोदय, अब चुनाव आएंगे, इस बजट भाषण को देख लेना, इतना असत्य इस संसार में और बुलेगा नहीं, इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोली जाएंगी। फिर जाकर खड़े हो जाएंगे कि हमने यह भी फ्री दिया था और वह भी फ्री दिया था। राजस्थान की साढ़े 6 करोड़ जनता पूछ रही है कि सबसे पहले वह लाख कहां भर्ती करे आपने और आगे कब तक करोगे। अभी थोड़े दिन पहले महाराजा कालेज के अन्दर एक फंक्शन हुआ, उस फंक्शन में बताया गया कि हमारे प्रिंसिपल महोदय कलकत्ता गये कांग्रेस विज्ञान में। वैज्ञानिक,

(श्री रणवीर पहलवान)

आविष्कारक तो आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो, फोर्ड, एडीसन, बहुत-से हुए, वे किसी पार्टी के नहीं थे। पार्टियों का और विज्ञान का क्या लेना देना? विज्ञान तो अपने आप में एक सब्जैक्ट है। लेकिन कांग्रेस ने भी कांग्रेस विज्ञान में बड़े-बड़े आविष्कार किए हैं, इज्जत लूटने के, भ्रष्टाचार के आयाम कायम किए हैं। अंग्रेज कहते हैं कि 250 वर्ष में हम इस राष्ट्र से इतना पैसा लूट कर नहीं ले गये जो कांग्रेस की इस सरकार ने 1 लाख 76 हजार करोड़, 60 हजार करोड़, आसमान घोटाला, जमीन घोटाला, कोयला घोटाला, पानी घोटाला, इज्जत घोटाला, घोटालों का आविष्कार इतना सुन्दर किया। यह भी जनता देख रही है कि जज बनाने का आविष्कार आपने नया किया है अबकी बार, कि जज किस तरह बनते हैं। वह भाई बना रहा था जोधपुर वाला +++ तो एक आविष्कार यह भी शामिल है। अब आप माफ करें।

बास, ऐसा है कि बहुत ज्यादा नहीं बोलकर प्रार्थना करता हूं कि गलती मैं करूं, मेरे लिए भी वैसा ही लागू हो, गलती सरकार करे...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं अब बास नहीं हूं आपका, मैं अब सभापति हूं। बास मैं उस टाइम था।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आई एम सारी, और भी अंग्रेजी का बड़ा शब्द है। आजकल आप सभी को अंग्रेजी लगती भी बहुत अच्छी है इसलिए आप माफ करें, आप इसको चुटकला नहीं समझें। मैं जून के उस भाषण का जिक्र कर रहा था जिसको माननीय सोनियाजी ने बिहार में पढ़ा था। कोई बात नहीं, वह हमारे देश की लैंग्वेज नहीं जानतीं तो उनका भाषण लिख दिया जाता है। पर देश की भावना जो व्यक्ति की है, पढ़ती तो वही हैं। तो उसमें आखिरी में लिखा था कि मैं आपका तहेदिल से स्वागत करती हूं कि इस कड़कती हुई धूप में आये। वह भाषण पैक कर दिया गया। अगले दिन प्लेन में बैठकर सोनियाजी बिहार पहुंची और उन्होंने जब भाषण शुरू किया उस दिन सुबह तेज बारिश के साथ बादल छाये हुए थे, मौसम बहुत ठण्डा था। उसमें उन्होंने भाषण पढ़ा कि कड़कती हुई धूप में आये। पूरा राष्ट्र हंसा होगा। क्या भलाई करेंगी जब उनको यह पता नहीं? अब वह तो वैदर समझती हैं, वैदर का मतलब तो जान जाएं, मौसम का मतलब जानती नहीं। धूप दिखाई देती है लंदन में भी, यहां भी। उसको तो यह हीट बोलती हैं, कूल बोलती हैं। वह इसमें धूप नहीं रोमन शब्दों में था। तो मैं इंग्लिश में बास बोल गया था इसलिए आई एम सारी, सर।

(श्री रणवीर पहलवान)

अब बताया कि प्रत्येक को पानी दे दिया गया। माननीय सभापति महोदय, सच्चाई तो यह है कि हमारे पास राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा डैम है, बीसलपुर डैम, जिसकी भराव क्षमता 38 टीएमसी है और उससे बड़ा माही डैम है जिसकी भराव क्षमता करीब 70-74-75-76 टीएमसी है। उस बांध के लिए जितनी टौंक जिले ने कुर्बानी दी है आज तक किसी ने नहीं दी। करीब 250 गांव उस बांध की तलहटी से यह कहकर उठा दिये गये थे कि हर घर में फोर व्हीलर होगी, हर घर में ट्रैक्टर होगा, प्रत्येक खेत लहलहाएगा। मेरे भाइयों, आप यहां से उठ जाओ, इतना बड़ा बांध बनेगा, वहां तक का पानी आएगा और यहां इकट्ठा होगा, सिंचाई और पीने का पानी, आप पवित्र पानी पीएंगे। उन्होंने उठने से मना कर दिया। बाहर अखबारबाजी इतनी करवाई कि उन्हीं के रिश्तेदार उनको जा-जाकर मनाने लगे कि हमारे लिए, भगवान के वास्ते आप यहां से खाली कर दो। वे लोग खाली करने पर राज़ी हो गये। हुआ यह कि उसके बदले में पूरे टौंक जिले का चरागाह उनको अलाट कर दिया गया। उस चरागाह के अन्दर उनको विस्थापित कर दिया गया जिसके कारण टौंक जिले का पशु धन बरबाद हो गया। उनका चारा तो उस चरागाह से ही आता था न। अब बांध बना, बांध भरा, बांध में पानी इकट्ठा हुआ, प्रत्येक किसान उस पानी का इन्तजार करने लगा। लेकिन जयपुर के केकड़ी, दूदू, भीलवाड़ा और नागौर तक उस पानी की मांग हो गई। हमारे एक भी घर को अगर पानी आज तक भी दिया हो तो। आज 27 वर्ष उस बांध को बने हो गये, सभापति महोदय, यह कर दिया था इन्होंने। ...(व्यवधान) आप बोलें, बड़े प्रेम से बोलें, ...(व्यवधान) इनको आज्ञा दे दो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): केकड़ी की तो छाती पर बना हुआ है वह बांध। आप आकर देखना अच्छी तरह से। मेरी कांस्टीट्युएंसी की छाती पर बना हुआ है वह।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): वह भी इन्होंने ही बनवाया था उसका मैप-मूप। यह वहीं पर थे, यही आर्किटैक्ट थे उस बांध के। एक बार एमएलए बने हो, सन् 1970 से चुनाव लड़ रहे हो। सभापति महोदय, मैं तो डाइरेक्ट एमएलए हूं। आप बात ऐसी कर रहे हो जैसे ज्योति बसु की तरह 6 बार मुख्य मंत्री रहकर इस्तीफा दे दिया हो। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपकी सारी बातों को जिस तरह से लिया जाता है वह पूरा सदन हंस रहा है। आप खुद ही देख लो इस बात को।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मेरी बात को हंसते हुए ही लो, रोते हुए क्यों लो? मेरी बात सच है तो हंसते हुए ही लेना चाहिए। मैं कोई उग्रवादी हूं, डाकू हूं, मेरे काम गंदे हैं क्या? जो काम हंसते हुए हो जाए, सभापति महोदय वह रोते-रोते कभी हो ही नहीं सकता। तो मेरी बात को हंसते हुए ही लेना चाहिए। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, उसमें असत्य, तूफान होता तो हुल्लड़ हो जाता।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह तो भूल से विधान सभा में आ गये, यह तो सर्कस में जाने थे।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): हां, +++ थी यह विधान सभा। यह पट्टा लिखवा दो, इनके नाम करवा दो। इन्हें पार्टी से निकलवा कर इनके घर में एमएलए बनवा दो। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा, सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपना वक्तव्य जारी रखें। आप अग्रेतर वाद-विवाद हेतु बोल रहे हैं, कोई मनोरंजन वाला यहां माहौल नहीं है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं निर्दलीय एमएलए हूं, इनको पार्टी ने जितवाया है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, जिन-जिन लोगों के नाम यहां लिए हैं, जो सदन के सदस्य नहीं है वह कार्यवाही से आप निकलवाने की कृपा करें कम से कम, क्योंकि यह मजाक का केन्द्र नहीं है, यह विधान सभा है। यह तो बहुत ज्ञानी हैं लेकिन यह जो चाहे यहां थोड़े ही बोल सकते हैं?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): नहीं, नहीं, नहीं बोल सकते।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह बड़ी चौपड़ नहीं है, यह विधान सभा है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): यह विधान सभा है, यह तो रघुजी ने बता दिया, आज मुझे पता चल गया।

श्री सभापति: उन शब्दों को डिलीट करें जो अमर्यादित हों।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): यह विधान सभा है, यह तो मुझे पहली बार पता चल गया, पर इस विधान सभा में आपके अध्यक्ष को पहले बताकर आया हूं कि मैं विधान सभा में जा रहा हूं। मैं उनको वहां पर पानी पिलाकर आया था, तब यहां आया हूं। इनके अध्यक्ष थे वहां पर हमारे मालपुरा

(श्री रणवीर पहलवान)

से। तो, सभापति महोदय, मुझे यह भी पता चल गया, इस भाई ने वेंटिलेटर पर टिकट से जीता है, यह निर्दलीय तो क्या जीतेगा? 25 बार में मुश्किल से गिर पड़ के। (व्यवधान) इस विधान सभा के पहले सारे नेताओं की फिल्म बनाकर दिखाई थी, मुझे पता था न, वह यहीं बैठते थे, फिर आया हूं यहां पर जीतकर, वहां पर तीन-चार को पानी पिलाकर आया हूं। ऐसी बात नहीं है।

मैं बात कर रहा हूं वह सच्ची है, इसमें असत्य है? अब भंवरी देवी का और जो जज बना रहा था, उसका जिक्र यहां नहीं चलेगा तो रोडों पर जिक्र करूं कि किस तरह जज बनाते हो, किस तरह से सीबीआई की जांच करवाते हो? हम कहते हैं कि हमारी जांच करे सीबीआई। गंदे हैं तो हमें गिरफ्तार करो। हम आपको सबूत देते हैं, उसके बाद जांच करे सीबीआई। क्योंकि सीबीआई आपके हाथ में है, हमारे कहने से जांच थोड़े ही करेगी। वह तो आप निर्देशित करते हो सीबीआई को कि आपको इसमें रिजल्ट यह देना है और उसे वह देना पड़ता है, बिकाज प्रमोशन और डिमोशन का मामला है उनका। किसी को भी लालच दिखा दो, डाकुओं का भी काम कर रहे हैं वह। मैं कहता हूं कि आपके सारे सदन के नेता रिश्वत में पकड़े थे वह तो डाक्यूमेंट्री फिल्म है, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूं, वह इस सदन में चलवाई जाए। +++ तो मैं जहर खाने को तैयार हूं। इसमें सीबीआई क्या करेगी? आपके वे रिश्वतखोर नेता अपने मुंह से ही रिश्वत मांग रहे थे, वे तो इसी सदन के थे न? वह पार्लियामेंट के नहीं थे। सीबीआई की और उनकी सबकी आत्मा मर गई? भष्ट व्यक्ति मेरा बाप भी है तो उसका भी वध करो। और व्यक्ति चरित्रवान दुश्मन भी हो तो उसके सम्मान में खड़ा होना जानता हूं, भले मेरा दुश्मन हो। सच्चा और चरित्रवान, ईमानदार है तो हम उसका सम्मान भी करना जानते हैं। वे इसी सदन के थे। वसुन्धरा राजे के खिलाफ भी बड़े सबूत हैं, पकड़ लेंगे, +++ पकड़वा न, जल्दी कर। आपके सबूत देने लग रहे हैं वह तो सबूत आंख बंद कर लेते हो, जो पूरी की पूरी सरकार रिश्वत में पकड़ी गई और पूरे के पूरे नेता पकड़े गये। और +++ यह तीर्थंकर हो गये, 25वें, 24वें, महावीर स्वामी, राम और कृष्ण, ये देवता हो गये।

सभापति महोदय, क्या करें, बताओ? सीबीआई जांच की कहते हो? क्या आप देते हो? क्या दिया है मेरी जांच करवाने का निर्देश? यह भी आप करवा लो सीबीआई की जांच, कल सत्ता बदली हो जाएगी। एक कसाई मीट बेचता था तो रात को एक आदमी मीट लेने गया। उसने कहा कि मुझे एक

(श्री रणवीर पहलवान)

किलो मीट चाहिए। अब उस समय उसने सोचा कि बकरे की गर्दन काटूंगा तो यह सुबह तक सड़ जाएगा, उसने कुछ ऐसे अंगों को काटना चाहा कि वह बचा भी रहे। तो उस बकरे ने कहा कि सुन रे कसाई, कई जन्मों से तो तू बकरा बनता आया है और कई जन्मों से ही मैं। तू मेरी गर्दन काटता है और मैं तेरी। यह नई बर्छी मत चढ़ा, कल मैं भी कसाई बनूंगा और तू बकरा, फिर मैं भी तेरे साथ यही करूंगा, तू पूरी रात तड़फेगा। काटना है तो मेरी गर्दन काट।

यह हक, यह सत्ता आने वाले कल में दूसरों के हाथ में भी आएगी, यह सीबीआई दूसरे ढंग की नजर आएगी। आपकी मैंने सबकी फिल्म दिखाई थी तब कहा था गहलोत साहब ने कि यह तो सत्ता बीजेपी की है, उसके ऊपर पुलिस कार्यवाही करेगी ही नहीं। तो आपकी सरकार जो कार्यवाही कर रही है, वह कैसे वैध हो गई? सीबीआई भारत सरकार की बीजेपी के साथ में थी तब वह सीबीआई गंदी थी और आज वह सीबीआई सही हो गई? कल यह सीबीआई भी बदलेगी। फिर कोई चीज है तो राजस्थान की 6 करोड़ जनता के सामने असत्य बोलने के आरोप में उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए और कल सदन में सारे सबूतों को उजागर करना चाहिए। हम स्वीकार करेंगे, हमारी यह गलती है, हमने यह-यह गुनाह किया है। उसमें कहीं भी असत्य हो, कोई सीबीआई की जरूरत नहीं है, हम हां भरेंगे उसमें। परन्तु राजस्थान की जनता को गुमराह करके राज हासिल करना, ये पांच वर्ष में अमर नहीं हो जाते। सभापति महोदय, ये 5 वर्ष आते हैं, टप्प से चले जाते हैं। 9-9 बार एमएलए बन गये, वे भी अमर नहीं हुए हैं। 5-5, 6-6 बार मुख्य मंत्री बन गये, वे भी अमर नहीं हुए। लेकिन सच्चा चरित्र एक पल का जीवन काफी होता है, क्योंकि इस संसार से लौटना सबको ही पड़ेगा। काफी है वह एक पल का जीवन बनिस्पत कि असत्य और ठगी के सौ वर्ष का जीवन हो।

मैं आपको धन्यवाद बोलता हूं। कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा करें। मैं फौज में सिपाही रहा, आप कम्पनी कमाण्डर थे हमारे। तब भी मेरा काम आपने देखा ही होगा न, वैसे ही रोड पर रोलर की तरह अब कर रहा हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापति: अब मैं यहां कम्पनी कमाण्डर नहीं हूं और न आप मेरे वह हो। अब हम दोनों विधायक यहां पर हैं। मैं सभापति की हैसियत से हूं, आपने धन्यवाद दिया इतना टाइम देने के लिए, धन्यवाद।

डाक्टर जसवन्त यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ...(व्यवधान) अब पहलवान के भाषण के बाद बचा तो कुछ है नहीं।

सम्माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण में सच्चाई में तो यह है, जैसा पहलवान साहब ने कहा, कि वेंटिलेटर पर है। आईसीयू में हो, वेंटिलेटर पर हो, बचा जाए तो बच लो, गिने चुने दिन रह गये सरकार के। जो पहलवान साहब की बातों को आप मजाक में ले रहे थे, उन्होंने बातें सत्य कही हैं। आंकड़े हमारे राजेन्द्रजी ने सारे प्रस्तुत कर दिये। अब जो धरातल के ऊपर है, उसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं तो देखता हूं बिजली मंत्रीजी चले गये, भाई अभी बोल रहे थे जो फलौदी से आने वाले हैं, मेरे यहां तो, विधायक महोदयजी, यह हाल है कि 6-6 महीने ट्रांसफार्मर नहीं मिलते, ट्रांसफार्मर मिल जाए तो मीटर नहीं मिलता और मीटर मिल जाए तो तार नहीं मिलते और तार मिल जाए तो लगाने वाले नहीं मिलते। इतने बुरे हालात। किसान के लिए, गांव के लिए इतने साल की उम्र में बिजली की जो दुर्दशा हो रही है, जो गांव की दुर्दशा हो रही है, किसान की जो दुर्दशा हो रही है, मेरे जिले की मैं जानता हूं, पूरे राजस्थान का तो मुझे ज्ञान नहीं है। आज हमारे पास सुबह से शाम तक अगर किसी का फोन आता है तो किसी विकास कार्य के लिए नहीं आता, यह आता है कि, साहब, मुझे ट्रांसफार्मर दिलवा दो या मुझे मीटर दिलवा दो, मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, दस दिन से ट्रांसफार्मर फुंका पड़ा है, महीने से फुंका पड़ा है। डिमांड नोटिस जमा करा रखे हैं, लोगों को आज तक कनेक्शन नहीं दिये। वैसे मर्जी में आवे जैसे आप कहते रहो कि हमने इतना उत्पादन किया। जनता जो उपभोक्ता है, वह आपको साढ़े चार महीने बाद बताएगी, पांच-छह महीने के बाद बताएगी कि आपने इतनी बिजली उत्पादित की और इतने हमारे साथ ये अत्याचार किये। यह तो है सत्यता।

और पुलिस के, गृह मंत्रीजी चले गये, जब पहला अभिभाषण हुआ राज्यपालजी का तो सरकार ने सबसे पहले यह पढ़ाया था कि वसुंधराजी के राज में महिलाओं की चेन छीन ले जाते थे। अब आज तो महिलाओं को ही छीन ले जाते हैं। गृह मंत्रीजी यहां हैं नहीं, वह बीच में एक जवाब दे रहे थे कि कितना परसेंट बढ़ा है, घटा है क्राइम। अलवर जैसा जिला जो एक अच्छा जिला था, आज मंत्री महोदय की छत्र छाया के अन्दर डेली तो बछड़ों की स्मगलिंग पकड़ी जाती है। लोग पकड़ते हैं, पुलिस नहीं पक़ड़ती है गायों की स्मगलिंग। डेली अख़बार भरे रहते हैं, इतनी गोलियां चलीं, उनको पकड़ते हुए पुलिस के

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

लोग भी मर गये। नकली सोना वहां बनता है, आईएसआई के एजेंट वहां पैदा हो गये हैं, रोज पुलिस पिटती है। रोज इतने क्राइम वहां बढ़ गये कि शायद कभी यह सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। और वह केवल सरकार के संरक्षण के अन्दर है। एक सैकण्ड के अन्दर मोटर साइकिल उठती है, एक मिनट के अन्दर बोलेरो उठ जाती है, एक मिनट में आदमी उठ जाते हैं, एक मिनट में ट्रक उठ जाते हैं। आज के दिन हालात ये हो रहे हैं, यह हकीकत है, कि कोई भी वहां सुरक्षित नहीं है। हम जो बात कह रहे हैं, यह तो आपको मौका है, हमारी बात पर आप करो, शायद आपकी कुछ सीटें आ जाएं। आप अपनी बिग़ाते रहो तो खाचरियावासजी चले गये और रघुजी को बना दिया चीफ व्हिप, अगर सरकार के अच्छे दिन होते तो या तो खाचरियावासजी को खड़ा करते या रघुजी को खड़ा करते क्योंकि ये सच बोले बिना मानते नहीं, इन्हें पता है कि अगर इनको खड़ा कर दिया तो ये सच्चाई बयान करेंगे और रही सही सरकार का मामला भी खतम हो जाएगा। जितना क्राइम अब बढ़ा हुआ है, लग ही नहीं रहा कि अब सरकार है, कोई मानने को ही तैयार नहीं है। जनता हाथ जोड़ती है, रोजाना भजन कीर्तन कर रही है कि किस तरह से पीछा छूटे। यह सत्यता है, इस बात को याद रखना। जो मर्जी में आए वो कहो, जितना आपसे आए, आप गुणगान करो। गहलोतजी के नाम से मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं भी सम्मान करता हूं, वह भले आदमी हैं, पर जनता को उनके नाम से नफरत हो गई है। यह कटु सत्यता है। इस सत्यता को मानो या नहीं मानो। नहीं मानोगे तो आपको रिजल्ट कुछ दिनों के बाद मिलेगा। और यह भी सत्यता है, यह गुणगान नहीं कर रहा हूं, लोग तो एक ही बात कहते हैं, कोई कांग्रेस बीजेपी की तो बात ही नहीं कर रहा आजकल, कि गहलोत गया वसुंधरा आई, गहलोत गया वसुंधरा आई। अब भाई, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो जनता यह बात क्यों कहने लग गई? और जब जनता यह बात कह रही है, फिर भी आप नहीं सुधरना चाहते हो तो मत सुधरो। अब सुधरने का टाइम भी नहीं है, जब आईसीयू में ही है तो भगवान भरोसे है।

माननीय हमारे पंडितजी शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, हमारे यहां कई राजीव गांधी भवनों का उद्घाटन करके आए हैं, लोगों ने खूब बाजा बजाया, गुणगान किया, सारा कुछ किया, बोला कि साइंस फैकल्टी क्यों करा लिया आपने। तो बोला साहब, एक तो आर्डर आया हुआ था, प्रभारी मंत्री करेगा। तो

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

मैंने कहा, आप डरते तो हो नहीं, पांच साल क्यों नहीं कराया? तो बोले, कि साहब इसलिए कराया कि हमारे यहां साइंस फैकल्टी खुल जाए। अब वे रो रहे हैं। दो-तीन जगह तो पत्थर तोड़ दिये। पंडितजी आप देख लेना, आप तो प्रभारी हो उस क्षेत्र के, अपना चैक कर लो जाकर, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। केवल इस लालच में कराया। एक भी स्कूल मेरे क्षेत्र की बात करता हूं, अलवर जिले की बात कर रहा हूं, शिक्षा मंत्री के सामने बात कर रहा हूं, एक भी स्कूल चुन लें जिसके अन्दर कि शिक्षकों की कमी नहीं हो या शिक्षकों के पद सारे के सारे भरे हुए हों। अलवर जिले में तो हैं नहीं। यही काम था। पहले दिन तो आप कह रहे थे कि स्कूल खोल दिये वसुंधराजी ने, शिक्षक लगाये नहीं, हम पहले दिन ही भर देंगे। अब तो निकल गया समय, आपने खूब भर्ती कर दी? पर जो लोग प्रैक्टिकली कहते हैं, बात तो वो होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि वसुंधराजी के राज में नौजवानों को नौकरी मिली, अब आपने इतनी नौकरियां दीं तो लोग क्यों नहीं कहते? नौजवानों को यह बात कहनी चाहिए। इसका मतलब कहीं न कहीं बहुत ज्यादा लोग आपसे असंतुष्ट हैं। अभी आगे भी यह बात कहोगे, अभी भी कह रहे हो कि साहब, हमारे यहां पर प्रशासन गांवों के संग लगा है। दो-तीन दिन पहले तो मेरी भी अख़बार में छपी हुई थी, मैं भी चला गया गलती से तो उन्होंने मुझको ही सरकार मान लिया कि साहब, यह क्यों हमको परेशान किया, क्यों हमको बुलाया, जब काम नहीं होना था तो क्यों तमाशा बनाया। अधिकारी आते ही नहीं, अधिकारी काम करके नहीं लाते। अगर एक बार सरकार यह सोचे कि साहब, नामान्तरण हुए या जाति प्रमाण पत्र बने, आप यह बात बताइए कि एक साल बाद आपका शिविर लग रहा है, एक साल तक आपके अधिकारी क्या करते रहे? खाली बैठे रहे, क्या इसी को सरकार की उपलब्धि कहते हो? क्या सरकार का स्तर यह रह गया कि जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र जो डेली बनने चाहिए, वे शिविर में बनते हैं? इसको उपलब्धि मानने लग गये तो सरकार की क्या इतनी ही सोच रह गई है? इतना बड़ा तमाशा यह प्रशासन गांवों के संग जो आपने कराया है, यह आपके लिए फांसी का फंदा बन गया क्योंकि लोगों में आपकी किरकिरी इससे हुई है, लोग दुःखी होकर गये हैं। पेंशन की बात के लिए आये, उनसे फार्म भरवा लिये। उनको मिलेगी कहां, कौन देगा उनको पेंशन? ऐसे-ऐसे तमाशे हुए हैं कि हाय-हाय के नारे लगे हैं। 50 परसेंट तो हमारे यहां लोगों ने बीच में बायकाट

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

किया है। यह आपकी उपलब्धि है, जिसका आप बहुत ज्यादा गुणगान कर रहे हो। नरेगा की बात जब आप करते हो तो या तो गरीबी मिट गई या नरेगा मिट गया। हमारे यहां तो हर पंचायत में नरेगा के काम बंद हुए पड़े हैं, प्रशासन उनको सहयोग नहीं करता है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है, तकते फिरते हैं, काम सारे बंद पड़े हैं।

सड़क मंत्रीजी, एक कहावत है, जैसे अभी पहलवान साहब ने कही, कि पहले जैसा भी था आपका सड़क मंत्री, कुछ तो काम हो रहे थे। अब सड़क मंत्री आया, वह जैसे एक बार शेर अपना राज कर रहा था, तो बन्दर चालाक था, उसने भी सोचा कि इस शेर को हटाकर मैं ही राज कर लूं। ऐसे ही आप शेर का सब कहना मानते थे। बन्दर बन गया राजा और राजा बनने के बाद बोला भाई, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब रक्षा करने की बारी आई तो एक मेमना पकड़ लिया, बकरी का बच्चा। बकरी दौड़ती हुई गई कि भाई, राजा, बचा इसे। तो बन्दर चढ़ गया पेड़ पर- कभी इधर कूदे, कभी उधर कूदे, उछल कूद करे। बकरी कह रही है कि भाई क्या करेगा? तो बोला कि करेगा तो शेर, मेरी मेहनत में तो कोई कमी है नहीं। तो यही कर रहे हैं सड़क मंत्रीजी, इधर उछला, उधर उछला। पर जो सड़कों की हालत है, गांवों की सड़कों की हालत देखो। मेरे यहां जिन्हें लाइफ लाइन सड़कें कहते हैं, उनकी हालत देखो। किसी भी क्षेत्र में जाकर देखो, अगर यही हाल रहा तो ऐसी ही हालत आप लोगों की जनता बनाएगी। सड़कों की इतनी दुर्दशा है और ईमानदारी का चोला पहन लो। कौन कह रहा है कि आप ईमानदार नहीं हो? सारी दुनिया ईमानदार है, पर काम तो करके दिखाओ। सैकिण्ड फेज की लिंक रोड कब दी थी, चालू नहीं हुई। फर्स्ट फेज की पूरी हुई नहीं और सैकिण्ड फेज की चालू नहीं हुई तो फिर सरकार की क्या एफिशिएंसी हुई? क्या मानिटरिंग हुई? सरकार का क्या कंट्रोल हुआ? ईमानदारी का ढिंढोरा तो तब पीटते जब टाइम पर काम पूरा कराकर दिखाते कि मैंने यह घोषणा की थी और यह सड़क मैंने टाइम पर बनवा दी। अब हालत यह है कि लोग हमसे पूछते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, इनको सुधरवा सको तो सुधरवा लेना। यह आपकी बुराई नहीं, हकीकत है और जनता आप लोगों पर रो रही है।

आपने 100 मीटर का सिंगल फेज बोरिंग कर दिया, मैंने कहा था कि 200 मीटर का करो। 100 मीटर का क्या फायदा हुआ? गवर्नमेंट का पैसा भी गया, वो ट्यूबवैल भी बेकार गया और लोगों को पानी भी नहीं मिला। मंत्री कम से कम यह तो मानिटरिंग करें कि मैंने जो ट्यूबवैल दिया, इससे लोगों

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

को पानी मिल भी रहा है या खाली आंकड़ों में ही चढ़ गया। आपके ज्यादातर महकमे फेल हो रहे हैं। रघुजी, इस सरकार को बचाना है तो खुलकर बोलना शुरू करो, छोड़ो इस चीफ व्हिप में कुछ भी नहीं रखा है। पहले जब बोले थे तो ये कम से कम चेत तो जाया करते थे। अब तो आपके मुंह पर भी ताला लग गया तो अब बोले कौन? एक ही तो मर्द आदमी था जो सही बात बोला करता था और उसकी भी बोलती बंद कर दी इस सरकार ने। आज हमारे सभापति महोदयजी यहां बैठे हुए हैं, ये सच्चाइयां हैं।

आपने नि:शुल्क दवा योजना चालू की, अगर रियल डैथ रेट लिये जाएं तो सबसे ज्यादा जब से आपकी नि:शुल्क दवा योजना शुरू हुई है तो लोगों की मौत हुई है। साधारण बुखार से लोग मरे हैं। डाक्टर कहते हैं कि हमारे पास चार दवाइयां ही नहीं हैं, नहीं तो हम दे देते। पर अब क्या करें? साहब, यह तो मैं आपको ही सुना रहा हूं। आपको कह रहा हूं कि आपके 30 आदमी जीतने हैं इसलिए आप अपना नम्बर तो ले लो। जो आप 30 आदमी बैठे हो ये तो अपना नम्बर ले लो, अपने आपको बचा लो सरकार को सही बात दिखाकर। मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं। मैंने यह सब प्रैक्टिकल देखा है। मेरे यहां स्वास्थ्य मंत्री हैं, पहली बात तो ये विभाग कैसे बंटते हैं, यह मुझे पता नहीं। बिना पढ़े-लिखे लोगों को तो हम स्वास्थ्य मंत्री बना देते हैं और उन्हें यह ही नहीं पता कि कौनसी मशीन कैसे ठीक होगी या क्या होगा या क्या स्वास्थ्य का मतलब होता है। ज्यादातर जगह स्थिति यह है कि कहीं एक्सरे मशीन खराब है, कहीं 108 एम्बुलेंस के टायर नहीं हैं, कहीं ड्राइवर नहीं हैं, कहीं लेबोरेटरी के अन्दर इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं। अस्पतालों का बूचड़खाने जैसा हाल हो रहा है, कोई सम्भालने वाला नहीं है। कहीं डाक्टर नहीं हैं। हमारे जिले के प्रभारी मंत्रीजी बैठे हुए हैं, सच कह रहा हूं कि मांडण के अन्दर सफाई करने वाले ने डिलीवरी कराई और उसके हाथ से उसकी डैथ हो गई। वहां न डाक्टर था, न नर्स थी। इनके खुद के यहां, हमारे स्वास्थ्य मंत्री के यहां अस्पताल में रोजाना पिटाई होती है। कभी डाक्टर पिटता है, कभी कम्पाउण्डर पिटता है। स्वास्थ्य मंत्रीजी कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरी तो कोई मानता ही नहीं है। जब कोई मानता ही नहीं है, यह भी कोई जनता का जवाब है क्या? इतने लाचार स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं, अगर आज वो यहां होते तो मैं उनसे बात करता, पर वो अभी हैं नहीं।

पंचायती राज का, नरेगा का बुरा हाल है और उसमें कुछ लेना-देना नहीं है।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

इसी तरह से एक बात और है जो हमने नहीं कही थी, हो सकता है कि आपकी पंचायतें जुड़ गई हों, पर यातायात मंत्रीजी ने कहा था.... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जो बैठे हैं उनके बारे में तो बोलो कुछ।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ब्राह्मणों के बारे में मैं आजकल बोलता नहीं हूं, ब्राह्मणों को मनाने में लगा हुआ हूं।

यातायात मंत्रीजी ने जगह-जगह बहुत जोर-जोर से कहा, उस समय तो आप यातायात मंत्री थे, कि हम सारे पंचायत मुख्यालयों को बसों से जोड़ देंगे। बज गये बारह। सवा साल हो गये, मेरे यहां तो एक भी मुख्यालय जुड़ा नहीं। आप लोगों के विधान सभा क्षेत्र में जुड़ गया हो तो बात अलग है। हो सकता है कि मैं विपक्ष का हूं इसलिए नहीं जोड़ा हो। पता नहीं वो बसें कहां गईं, उन बसों का क्या हुआ। कोई भी सरकार अपना ठोस कार्यक्रम बनाती है तो उस काम को पूरा करे। इस अभिभाषण के अन्दर है कि इतने ट्रैक्टर ट्राली पानी के भेज दिये, इतना यह कर दिया, यह सरकार का आइना है, यह सरकार का विजन है? सरकार अपनी बात तो तब कहती जब कुछ करती। सभापति महोदय, मैं सच कहता हूं कि यह सरकार सम्भले क्योंकि इस सरकार के गिने-चुने दिन रह गये हैं। अब मैं ज्यादा क्या बोलूं क्योंकि मंत्री हैं नहीं जिनसे कोई बात करें। सरकार बैठी नहीं है। जैसी बैठी है वह लूली-लंगड़ी सरकार बैठी है, उसका अब क्या बताऊं और क्या कहूं। (व्यवधान) झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य तो रोज सरकार को गाली दे रहे हैं कि हमें बचने का मौका दो। मैंने अख़बार में एक दिन आपका लेख पढ़ा जो आप जनता के बीच में कह रहे थे कि मैं क्या करूं, यह काम, यह वादा सरकार ने पूरा नहीं किया तो मैं करूंगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह पीर बाबा का काम भी आप करने लग गये क्या? बता रहे हो कि कौन आएगा, यह पीर बाबा का काम भी करने लग गये क्या?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैंने तो अख़बार पढ़ा था।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यदुवंशी कृष्ण भगवान तो थे पर पीर बाबा भी बन गये क्या?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैंने अख़बार पढ़ा था। मैंने तो आपका अख़बार के अन्दर पढ़ा था।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अख़बार वाले की कोई गलती नहीं है, पढ़ने वाली की गलती है, आपने गलत पढ़ा होगा।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): इन्होंने तो इसलिए आपका नाम लिया कि आप सच बोलते हो। सरकार की जो नीति अच्छी नहीं हैं उनका भी आप खुले मन से बखान करते हो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सदस्य, मैंने तो चारों सरकारें देख लीं, आपकी वाली भी देख ली।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अब अगली भी हमारी वाली देखना।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 1993 की भी देख ली, 1998 भी देख ली, 2003 भी देख ली, 2008 भी देख ली, सारी देख ली।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जब तक बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हैं तो हमें तो कोई खतरा लगता नहीं है। हमें कोई खतरा नहीं है, आप चाहें तो इनसे बात कर लें, बगल में ही बैठे हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने टीचर्स के बारे में, शिक्षा विभाग के बारे में कहा है, मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि अलवर जिले में 2008 में कितने शिक्षक थे और आज कितने शिक्षक हैं, वह आंकड़ा आप मेरे से आकर ले लेना।

श्री सभापति: मंत्री महोदय की बात सुनिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैंने खुद सवाल लगाया था, मंत्री महोदय का जवाब है, मैं कल लाकर दिखा दूंगा। मेरे खुद के क्षेत्र के बारे में है और फिर लगा रखा है। फिर लगा रखा है और वह लिस्ट भी हो गया है। आपने खुद ही हर विद्यालय के अन्दर रिक्त पद बताये थे, यह मेरी गलती नहीं है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): मैंने आपको जो अभी कहा है वह यह कहा है कि 2008 में जब आपकी सरकार थी उस समय कितने शिक्षकों के पद खाली थे और आज के दिन हमने अलवर जिले में कितने शिक्षक लगा दिये और अब डीपीसी, भर्ती होने के बाद कितने शिक्षक लगेंगे, यह आंकड़ा आकर मेरे से ले लेना।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सदस्य, वह तो कहानी है, सरकारों की बात कर रहा हूं।

''रस्म उल्फत की निभाऊं तो निभाऊं कैसे,

मनाऊं तो मनाऊं कैसे,

चारों तरफ आग लगी है,

दामन को बचाऊं तो बचाऊं कैसे।''

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्री महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि कितने शिक्षक लग गये, मैंने कहा कि पहले दिन जब आपने यहां पर भाषण किये तो यह कहा था कि वसुंधराजी की गवर्नमेंट ने स्कूल खोल दिये पर शिक्षक नहीं लगाये और हम तुरन्त प्रभाव से प्रथम वर्ष के अन्दर ही इनको भर देंगे। अब आपके दिन तो खतम होते जा रहे हैं, अब कैसे भरेंगे?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पर्याप्त समय हो गया है, कृपया अब आप समाप्त करें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, आपकी बात का आनर करते हुए मैं यही कहूंगा कि हर क्षेत्र में सरकार विफल है सरकार का जाना तय है। शिक्षा के क्षेत्र में विफल, कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में विफल, यातायात के क्षेत्र में विफल, मेडिकल के क्षेत्र में विफल, पानी के क्षेत्र में विफल, बिजली के क्षेत्र में विफल है और किसान को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी ओलावृष्टि हुई है, यहां पर तो हम और कम्युनिस्ट उठा रहे थे लेकिन बाहर आपके लोग भी कह रहे थे कि सरकार तो हमको मरवा कर छोड़ेगी। आप किसान के हितैषी हो कि चार महीने का बिल माफ कर दिया। चार महीने में दूसरी फसल आ जाएगी क्या? आप सब किसान हो, पानी की व्यवस्था आपने कर दी क्या? आपका विधायक आमरण अनशन पर कितनी बुरी हालत में बैठा रहा है? अपने लिए पानी मांग रहा था? अगर पानी होता तो आमरण अनशन नहीं करता। आपके यहां तो विधायकों के घर सुरक्षित नहीं हैं। अभी दो दिन पहले ही अख़बार में पढ़ा कि चूरू वाले सांसद का सारा घर लूट ले गये। तो आपके यहां सुरक्षित हैं कौन? न आप सुरक्षित हो, न आपकी सरकार सुरक्षित है और न आपके यहां कानून-व्यवस्था है। फिर यह कहेंगे कि भविष्यवाणी कर रहा है। यह मेरी शुद्ध भविष्यवाणी है कि जो हुआ सो हुआ, 35 से 36वां नहीं आओगे।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): देखो, पंडितों का काम हाथ में मत लो। यह गलत है बिलकुल।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 35 से 36वां नहीं आएगा, जनता पुकार रही है। गहलोतजी से, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा कोई द्वेष नहीं है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। श्री पवन दुग्गल।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आम जनता में यह नारा लग चुका है कि गहलोत गया, वसुन्धरा आई, इसलिए जिसे बचा जाए, सो बच लो। राम-राम।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो आपने हमें बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। हम सदन में पहली बार जीतकर आये हैं और पांचवीं दफा हमें मौका मिला। राज्य सरकार की उपलब्धियां महामहिम के मुंह से गिनाई गई हैं, सभापति महोदय, अधिकांश विधायक ग्रामीण क्षेत्र से जीतकर आते हैं, यहां चाहे सत्ता पक्ष के विधायकों ने कितनी ही वाहवाही लूटी हो, बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहा हो, मगर हकीकत कुछ और है।

अभी जिस मुख्य मंत्री अन्न योजना की बात महामहिम के मुख से कहलाई गई और जगह-जगह जो इसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, सभापति महोदय, हमें यह दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है, यह सही है कि इन्होंने दो रुपये किलो के हिसाब से गरीब परिवार को, बी पी एल परिवार को गेहूं देने की योजना बनाई मगर कितनी? एक महीने के अन्दर एक परिवार को 25 किलो! जबकि इससे पूर्व 35 किलो गेहूं वितरित किया जाता था और उस समय जो रेट थी, वह 4.50 रुपये थी। योजनाओं को सुनियोजित करके बनाया गया है। 25 किलो दो रुपये के हिसाब से तो वह जरूर 50 रुपये में खरीद लेगा मगर अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कम से कम जो 35 किलो गेहूं देना चाहिए था, जो पहले गेहूं देते थे, उसमें 10 किलो की कटौती करके उस परिवार को मजबूर किया कि बाकी जो 10 किलो गेहूं हैं, वह बाजार के भाव से लो, चाहे वह 20 रुपये है चाहे वह 18 रुपये है। उसी 35 किलो गेहूं की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, सभापति महोदय, उसे पहले से कहीं ज्यादा, जहां लगभग 150 रुपये में वह 35 किलो गेहूं ले रहा था, अब वह 35 किलो गेहूं 250 रुपये से ज्यादा में उसे अपने घर में पड़ रहा है।

सभापति महोदय, बिजली की बात आई। अभी हमारे मंत्रीजी नहीं बैठे हैं, आज गांवों की यह हालत है कि ढाणी में जो किसान बैठा हुआ है, आजादी के 60 साल बाद भी उस परिवार में बिजली की सुविधा नहीं है। ढाणी ही नहीं,

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जिन गांवों में विद्युत नहीं पहुंची है। फिर कौनसी विद्युत की बात कर रहे हैं, कौन से विकास का राज्य सरकार के साथी बखान कर रहे हैं, सभापति महोदय, यह समझ से बाहर है।

इसके साथ-साथ सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना की घोषणा की थी। सभापति महोदय, उसका अगर आंकड़ा पेश करें तो ताज्जुब होगा कि किसान को जो एक लाख रुपये देने थे, आधी से ज्यादा फाइलें उनकी सोसायटीज में अटकी हुई हैं। 10-10, 20-20 हजार रुपये उन्हें दिये जा रहे हैं और यह कहकर दिये जा रहे हैं कि पैसा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, रोजगार से जुड़े हुए मुद्दों का सवाल है, सभापति महोदय, निश्चित रूप से इन्होंने बजट में घोषणा की थी लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की। लेकिन इनकी हालत क्या है? आज इन्होंने रोजगार के संसाधन जुटाने के लिए युवाओं का शोषण शुरु किया है। प्रदेश के अन्दर लगा हुआ विद्यार्थी मित्र है, इन्होंने अस्थाई रूप से भर्तियां करके युवाओं का शोषण करने का तरीका अपनाया है। न केवल शोषण हो रहा है, बल्कि उसके अन्दर जो रिजर्वेशन होना चाहिए था, वह भी इन्होंने पूरी तरह सुनियोजित तरीके से बंद करने का काम किया है। आज गांवों में शिक्षक नहीं हैं और दूसरी तरफ विद्यार्थी मित्र लगे हुए हैं दो-दो, तीन-तीन हजार में। गांव में गरीब के बेटे को पढ़ा रहे हैं, उनको भी सरकार हटाने का काम कर रही है। आज सुबह प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्रीजी बैठे थे, यह खुद ही उलझ गये, इन्होंने जो उत्तर दिया सदन के अन्दर, उसमें इन्होंने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई, उसमें भी साबित नहीं कर सके। गांव के स्कूल एकल शिक्षक से चल रहे हैं। 40 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल प्रदेश के अन्दर ऐसे हैं जिनमें केवल मात्र एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है। वह भी भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में फंसा हुआ है, शिक्षा से दूर होकर उन योजनाओं के अन्दर काम कर रहा है।

सभापति महोदय, एक और मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, 2004-2005 में कांग्रेस विपक्ष में थी, घड़साना और रावला में गोलीकांड हुए थे, ये साथी हमारे साथ हुआ करते थे और बड़े-बड़े बखान किया करते थे कि हमारी सरकार आएगी तब हम न केवल किसान के मुकदमों को वापस ले लेंगे, बल्कि उस समय जो आयोग बैठा था केजरीवाल और गोयल आयोग, उस आयोग की रिपोर्ट को हम सार्वजनिक करेंगे। जिन

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

अधिकारियों ने गोलियां चलाईं, आठ-आठ लोगों को मारा, उनको सज़ा देंगे। मगर बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार का टाइम पूरा हो चुका है, चार साल से ज्यादा का वक्त निकल चुका है, इनका आखिरी बजट सदन के अन्दर पेश होने वाला है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उस आयोग की रिपोर्ट को, जो 2004 के अन्दर आ चुकी है इनके पास, जानबूझकर दबा रखा है। मैं समझता हूं कि ये न केवल पूर्ववर्ती सरकार के जो काले कारनामे हैं, उनको दबाने का काम कर रहे हैं, बल्कि ये भी उन्हीं से मिले हुए हैं ताकि किसान का पूरी तरह शोषण हो। पूरी की पूरी तरह मैच फिक्सिंग करके ये लोग काम कर रहे हैं।

जहां तक इन्दिरा गांधी नहर का सवाल है सभापति महोदय, राजस्थान की यह जीवनदायिनी है। पांच-पांच, छह-छह जिलों के किसान के जीवन को बचाने का सबसे बढ़िया काम कर रही है। मगर हालात क्या हैं? आज वह नहर जीर्ण-शीर्ण हालत में हो चुकी है। इन्होंने पिछले साल यह कहा था कि इन्दिरा गांधी नहर के विकास के लिए 300 से ज्यादा करोड़ रुपये देकर उसका निर्माण कराएंगे, जहां से वह क्षतिग्रस्त है उसको रिपेयर कराएंगे। लेकिन, सभापति महोदय, पूरे पांच साल इन्होंने निकाल दिये और आज भी जब इनसे पूछते हैं तो आज भी टेण्डर प्रक्रिया नहीं हुई है। अब यह भगवान जाने कि किस प्रकार की इनकी नीति है और ये क्यों नहीं इस काम को करना चाहते हैं। पूरी की पूरी नहर बरबाद हो चुकी है, किसान की फसल के ऊपर आने वाले समय में इसका भारी नुकसान देखने को मिलेगा।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर यह मांग कर रहा हूं। पंजाब की विधान सभा में पानी की एक-एक बूंद के लिए प्रतिपक्ष और पक्ष मिलकर यह फैसला करते हैं कि हम अपना एक बूंद अतिरिक्त पानी न हरियाणा को देंगे, न राजस्थान को देंगे। सर्वसम्मति से उस विधान सभा में प्रस्ताव पास होता है। मगर यह समझ से बाहर है कि राजस्थान की सरकार में आखिर कौनसी इच्छाशक्ति की कमी है, कौनसी इनके किसान के हित में फैसला लेने में कमजोरी दिखाई जा रही है। हमारे हिस्से का 0.6 एम.ए.एफ. पानी आज भी पंजाब ने अपने कब्जे में कर रखा है। सभापति महोदय, हम यह मांग करते हैं आज सदन के अन्दर, चाहे विपक्ष के साथी हों चाहे पक्ष के साथी हों, राजस्थान की विधान सभा के अन्दर सरकार के द्वारा प्रस्ताव लिया जाए। हमारे हिस्से का पानी जो पंजाब ने अपने कब्जे में कर रखा है, अगर

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

वह पानी हमें मिलता है तो हमारे क्षेत्र का, राजस्थान का किसान आबाद होगा। सदन के अन्दर उस पर न केवल चर्चा की जाए, बल्कि उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जाए। 0.6 एम.ए.एफ. पानी जो राजस्थान के हिस्से का अन्तरराज्यीय समझौते के अन्तर्गत बनता है, अगर वह पानी हमें मिलता है तो हमारा क्षेत्र खुशहाल होता है। सभापति महोदय, साहवा लिफ्ट पूरी की पूरी किसानों के लिए करोड़ों रुपयों की लागत से बनाई गई थी, उसकी हालत यह है कि सरकार उस साहवा लिफ्ट के बारे में कोई योजना चालू करने का इरादा नहीं रखती। आज भी उस इलाके के किसान को वह पानी नहीं मिलता है। योजना बनाकर, करोड़ों रुपये खर्च करके भी इस योजना को इन्होंने बंद कर रखा है।

अगर वह योजना लागू करते हैं तो बीकानेर डिवीजन के चूरू जैसे क्षेत्र के अन्दर भी इस योजना का भरपूर फायदा किसान को मिल सकता है।

सभापति महोदय, हमारे पड़ौसी प्रदेश हरियाणा और पंजाब में युवा और खेल नीति है, लेकिन राजस्थान के अन्दर न युवा नीति है, न खेल नीति है। पूर्ववर्ती सरकार ने जरूर बेरोजगार जो युवा थे उनके लिए भत्तों का प्रावधान किया था, मगर वर्तमान सरकार ने उन बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करते हुए उनका जो भत्ता मिलना चाहिए, वह भत्ता एक योजना बनाकर लम्बित कर दिया। आज प्रदेश के लाखों की तादाद में जो बेरोजगार हैं, वे भत्ते से वंचित हो चुके हैं। अत: हमारी मांग है कि सरकार अपना जो बजट पेश करे, इन्होंने घोषणा भी की थी कि बेरोजगार युवकों को भत्ता दिया जाएगा, उनके भत्ते की नीति को लागू किया जाए। सभापति महोदय, सरकार का अंतिम बजट चल रहा है, लेकिन आज प्रदेश के अन्दर खेल नीति नहीं है। खेल नीति नहीं होने की वजह से प्रदेश का जो युवा है, राजस्थान में खेल खेलने वाले जो लोग हैं, आज वे हरियाणा और पंजाब की तरफ मूव कर रहे हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि राजस्थान में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए नीतियां नहीं हैं। हमारे प्रदेश के युवा खिलाड़ी जो देश और विदेश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम लेकर जा रहे हैं, उन खिलाड़ियों के लिए अगर राजस्थान की सरकार नीतियां नहीं बनाएगी, लागू करेगी तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के खिलाड़ी जो हरियाणा और पंजाब की तरफ जा रहे हैं उनका जाना लगातार जारी रहेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि राजस्थान में सरकार एक चीज में

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

और संशोधन करे। अभी वैसे बड़े-बड़े विज्ञापन देते हैं, हम लोग गांवों में जाते हैं, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन की बातें होती हैं, मगर कौन-सी विधवा और कौन-सी वृद्धाओं को पेंशन देते हैं? नियम राजस्थान सरकार ने बना रखे हैं उन नियमों के तहत केवल बीपीएलधारी जो वृद्धा है या विधवा है वही पेंशन के लिए पात्र है। पच्चीस साल के लड़के की बात और लड़की की बात इन्होंने नियमों में कर रखी है। सभापति महोदय, साठ-साठ, अस्सी-अस्सी साल के बुजुर्ग, साठ-साठ, अस्सी-अस्सी साल की जो विधवाएं हो चुकी हैं, गांव में हम लोग जाते हैं, हाथ जोड़कर पैर पकड़ लेती हैं कि बेटे अब तो हमारी पेंशन बनाओ, विधवा पेंशन लागू करो। मगर सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि उन विधवा बहनों को और उन विधवा माताओं को वह...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय एक घंटे और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही एक घंटे बढ़ाई जाए सदन की इजाजत हो तो?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय एक घंटे, सात बजे तक बढ़ाया जाता है।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, मैं अपनी बात को दोहरा रहा था कि वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के अन्दर सरकार ने जो नीतियां और नियम लागू कर रखे हैं, उन नियमों को हटाया जाए। जो साठ साल से देश की सेवा कर रहे हैं- किसान हैं तो खेती करके देश की सेवा कर रहे हैं, अगर मजदूर है तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर मजदूरी करके अपनी जवानी में देश की प्रदेश की सेवा जिसने की है, साठ साल के बाद में उसको उसके बेटे के भरोसे न छोड़ा जाए, उसको उसके परिवार के भरोसे न छोड़ा जाए। अगर वह साठ साल का है तो निश्चित रूप से पेंशन का पात्र घोषित किया जाए ताकि वह अपने जीवन को स्वाभिमान से जी सके। जिस प्रदेश में

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

उसने सेवा की है, जन्म लिया है उस प्रदेश में अपने जीवन के अंतिम क्षणों को स्वाभिमान से जीये, इसके लिए जरूरी है कि जो ये नियम बना रखे हैं, सभापति महोदय, उन नियमों को हटाया जाए।

महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा है, सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। इधर वाले कह रहे हैं कि हमारी सरकार दोबारा आएगी। भारतीय जनता पार्टी वाले, हमारे विपक्ष के साथी तो वैसे ही खुश हो गये कि हमारी सरकार तो अब बन ही गई। दोनों का लम्बे समय से मैच फिक्सिंग का काम चल रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कह रहा हूं कि आने वाली चौदहवीं विधान सभा न कांग्रेस की बनेगी, न भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, तीसरे मोर्चे की सरकार आएगी। जो लम्बा शोषण इन दोनों पार्टियों ने किया है, उसका जवाब जनता इसी सदन में लेगी। इस आशा और उम्मीद के साथ कि कांग्रेस को अब सदबुद्धि आए, अभी छह महीने बचे हैं इसके अन्दर किसान और मजदूर के लिए नीति बनाए और जो पुराने कर्म किये हैं उनको धोए, वर्ना जनता जब गांव में जाएंगे तब इनको जवाब देना मुश्किल होगा, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हेमसिंह भड़ाना।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण की सत्ता पक्ष के लोग तारीफ एवं प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि सही मायने में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ ही नहीं। (व्यवधान) हम पहली बार यहां जीत कर आये, पांचवीं दफा महामहिम राज्यपाल यहां पर अपना अभिभाषण देने के लिए आये, लेकिन आपने देखा, कब आईं और कब चली गईं। जिस तरह सोनियाजी इनकी नेता हैं, उनके सामने से कागज उड़ कर चला जाए तो पता नहीं क्या बोलेंगी, वह बैठ जाएं, उन हालात में इसको पढ़ा हुआ मान लिया। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, विगत पांच साल में भारतीय जनता पार्टी की वसुंधराजी की सरकार में जो विकास के काम हुए, जो राजस्थान को लेकर आगे चलने का काम हुआ, उसके ठीक विपरीत इस सरकार ने, माननीय गहलोतजी की सरकार ने एक ही रट लगाये रखी कि जो वसुंधराजी की सरकार ने विकास के काम किये, उनके विपरीत कैसा काम किया जाए। आप देख रहे हो, कृषि प्रधान प्रदेश राजस्थान है और किसान को इन साढ़े चार साल के अन्दर उपेक्षित रखा गया, पहली बार सरसों के अन्दर डीएपी, हम सब काश्तकार हैं, साढ़े पांच सौ रुपये एकदम बढ़ गये। सात सौ से

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

साढ़े पांच सौ रुपये भाव इस विनाशकारी आपकी सरकार ने बढ़ाये। और मिल और नहीं रहा है। आपने देखा कि आज से दस साल पहले किसान क्रेडिट कार्ड पर एक बीघा पर किसान को जो ऋण मिलता था, आज भी उसी रेट पर किसान को क्रेडिट कार्ड पर प्रति बीघा के हिसाब से मिल रहा है। जब हम मुआवजा देते हैं, जब बड़ी-बड़ी कम्पनियों को अवाप्ति का मामला होता है तब डीएलसी दर की जाती है लेकिन किसान इस कांग्रेस की सरकार में चार साल तक उपेक्षित रहा है, इसको आज तक किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर पांच रुपया नहीं बढ़ाया गया। चिकित्सा की बात कर रहे हैं, लम्बी-चौड़ी बात बताई, मुफ्त दवाई दी, मुफ्त आपरेशन किये। मैं यह कह रहा हूं कि मुफ्त तो तब करेगा जब हास्पिटल में डाक्टर हो, सीएचसी में कम्पाउण्डर हो और पीचएसी में डाक्टर हो तभी तो करेगा। जब कोई बैठा ही नहीं मिलेगा तो मुफ्त दवाई देगा कौन? हमारे गृह जिले से, माननीय शिक्षा मंत्रीजी नहीं हैं, मैं दावे से ठोक कर कह सकता हूं कि खुद मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बीस-बीस पद मेल नर्स के, डाक्टरों के आज भी खाली पड़े हैं। अभी शिक्षा की बात आ रही थी, सम्माननीय हमारे प्रभारी मंत्री मेरे बड़े भाई बृजकिशोरजी बैठे हैं, यह कह रहे थे कि हमने शिक्षकों की नियुक्ति की है। शर्म करो, आगे आपको भी वापस आना है, कम से कम यह तो सोचो। सौ स्कूल अलवर जिले में मैं दावे से कह सकता हूं कि वसुंधरा की सरकार ने खोलने का काम किया, उस पर आपने बंद करके ताले लगाने का काम किया है। मैं गिना सकता हूं। हो सकता है दूसरे सदस्य भाई को पता नहीं हो, आंकड़े दे सकता हूं कि उस स्कूल के अन्दर साइंस का, फिजिक्स का नहीं है, उसमें कैमिस्ट्री का नहीं है, उसमें कामर्स का नहीं है, उसमें हिंदी का नहीं है, लैक्चरर्स की पोस्ट खाली पड़ी हैं। इतनी बड़ी असत्य बात कितनी सफाई से बोलते हो, आपके मुकाबले का कोई कारीगर दूसरा नहीं है हिंदुस्तान में। पिछली बार छात्र संघ के चुनाव हुए तो सबकी मंशा यह थी कि सरकार का मंत्री आए तो थानागाजी के अन्दर मैंने छात्र संघ के अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह आपकी सरकार के काबिना मंत्री शिक्षा मंत्री से कराया। वहां पर घोषणा करनी थी पी.जी. क्लास की, उन्होंने घोषणा कर दी। ताली बजी वाह-वाह-वाह, खूब अच्छी। मैंने अध्यक्षता की उस प्रोग्राम की। डाक्टर साहब नहीं हैं जसवंतजी, वह थे, उन्होंने कहा था कि मेरे बहरोड़ में भी ऐसा ही करके आये हैं यह। आज हमारे थानागाजी के अन्दर पूरे छात्र संघ के पदाधिकारी भूख हड़ताल पर आपकी झूठी घोषणा के पीछे बैठे हैं। जितने काम किये, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

(18.00 बजे)

प्रशासन गांव के संग की बात कर रहे हैं, कौन से प्रशासन गांव के संग की बात करते हो? पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वसुंधराजी की सरकार में मैं भी पंचायत राज में प्रधान था, हमने अलाटमेंट कैम्प लगाये, रेवेन्यू कैम्प लगाये, कस्टडी कैम्प लगाये और किसान को राहत देने का काम किया है। आपकी सरकार में प्रशासन गांवों के संग में बीस विभाग, सोलह विभाग किसी एक ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर बैठकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे हैं, मेडिकल सर्टिफ़िकेट बना रहे हैं और रजिस्ट्री वाला भी आएगा तो 40 किलोमीटर गांव से आकर तहसीलदार से मार्क कराकर ले जाएगा। यह सब ढकोसला छोड़ने का काम किया है आपने, कोई विकास का काम करने का काम नहीं किया। पूरे साढ़े चार साल के अन्दर आपके मुख्य मंत्रीजी को तो दिल्ली में, माननीय सोनियाजी की स्तुति करने से, उनकी हाजिरी देने से समय नहीं मिलता है, वह किसान तक पहुंचने का काम कहां से करेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि आप जिस दल के, जिस विचारधारा के लोग हो और इस देश पर राज कर रहे हो- केन्द्र में कर रहे हो और राजस्थान में कर रहे हो, इसी दल और इसी विचारधारा का स्टेट का मंत्री, मुख्य मंत्री, भारत की न्यायपालिका, भारत की अस्मिता और भारत की कार्यपालिका के ऊपर चैलेंज करके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं और किसी भी कांग्रेसी के अन्दर यह दम नहीं रहा कि कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने क्या बयान दिया। आज हिन्दुस्तान धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, हम सब इस भारत की मिट्टी के साथ हैं, लेकिन अभी कह रहे थे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, कि पिछली सरकार ने जातियों को लड़ाने का काम किया, हमारी सरकार तो चलो जातियों तक सीमित थी लेकिन आपने धर्म के नाम पर लड़ाई चालू की। गोपालगढ़ के अन्दर आपने दस-दस गोलियां चलाईं, यह आपकी सरकार ने किया है। आपकी सरकार के अन्दर पहली बार सूरवाल काण्ड के अन्दर राजस्थान पुलिस के इंस्पेक्टर का सरेआम जलाया, मार दिया, तो क्या ये हिंसक काम नहीं थे? राजस्थान का सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी, इसी आपकी सरकार के समय में जो उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, सारा राजस्थान जानता है इस बात को। जिसके स्वयं कांच के मकान हों, उसको दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। आपने साढ़े चार साल सम्माननीय वसुंधराजी के खिलाफ बोल-बोल कर निकाल दिये, लेकिन आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। वसुंधराजी की सरकार में जो बिजली मिलती थी, जो रोजगार

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

दिया था, जो स्कूल खोलने के काम किये थे, ठीक उसके विपरीत आपने काम किये हैं।

कानून व्यवस्था की बात। मैं उस ज़िले से आता हूं जिस क्षेत्र से आपके विधायक, सांसद और मंत्री की हैसियत से हैं, सरेआम 23 अप्रैल, 2012 को दिन-दहाड़े मुल्जिम को छुड़ा ले गये तिजारा कोर्ट के अन्दर से। हुआ क्या? 24 तारीख को ईमानदार अफसर ने वहां पर जाइन किया, दूसरे दिन अख़बार में छपा था कि गोली का बदला गोली से लिया जाएगा। आपके विकास पुरुष माननीय गहलोतजी ने राजनीतिक प्रभाव में आकर, राजनीतिक दबाव में आकर उस भ्रष्टाचार की बू के अन्दर आकर के इस देश का समझौता प्रदेश से नहीं किया लेकिन उस एसपी को 27 तारीख को वहां से हटा दिया। इससे बड़ी शर्म की आप लोगों के लिए और कोई बात नहीं हो सकती। जिस ईमानदार अफसर का प्रमोशन होना चाहिए था, जिसको एवार्ड मिलना चाहिए था उसको महज इसलिए हटा दिया कि उसने आतंकवादी गुण्डों के लिए कहा कि अगर ये गोली चलाएंगे तो हम भी गोली चलाएंगे। तिजारा तहसील के अन्दर अखबारों में आया, टी.वी. में आया और सबने देखा कि हरियाणा की पुलिस गुण्डों दबिश देने को आई और राजस्थान की पुलिस मूकदर्शक बनी देखती रही। सरेआम उन्होंने आठ घंटे तक बंदी बनाए रखा। सशर्त आपके क्षेत्रीय नेता कांग्रेसी पदाधिकारी, कांग्रेसी मंत्री उनको वहां से छुड़ाकर लेकर आये। मुल्जिमों को इस तरह से पेश करते हैं जैसे हमारे रिश्तेदार लग रहे हों। उसी तिजारा क्षेत्र के टपूकड़ा के अन्दर थानेदार मजबूर, क्योंकि वह थानेदार लाचार था, मंत्री का इशारा था, सरकार का दबाव था कि गुण्डों को संरक्षण दो। चोरी करें, ईंट ले जाएं, ट्रक चोरें, भैंस चोरें, मोटरसाइकिल चोरें, चाहे आदमी चोरें, आदमी को मारें, कुछ भी करें, उनको सब छूट है। लेकिन यहां पर किसी व्यक्ति को, अपराधी को बंद नहीं करोगे। उसने मजबूरन आत्महत्या की, सुसाइड किया। यह मामला अलवर जिले की तिजारा तहसील के टपूकड़ा थाने का है, ये हैं आपकी सरकार के कारनामे- जहां न्यायपालिका नाम की कोई चीज नहीं, कानून नाम की चीज नहीं, गुण्डों को यहां संरक्षण है। आज अलवर से कोई व्यक्ति अगर भिवाड़ी-दिल्ली जाना चाहे या अलवर से रामगढ़ होकर दिल्ली जाना चाहे तो उसका पता नहीं कि वह शाम को अपने घर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अगर पहुंचेगा तो उसका साधन उसके पास नहीं होगा, जो उसकी जेब में पैसा होगा, वह नहीं होगा। जान सुरक्षित हो सकती है, वह भी वे भाई-चारे से उसको दे दें तो।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

आपका +++, अगर कोई अपराधी किसी के घर चाय भी पी आए तो पुलिस उसको 120-बी का मुल्जिम बनाती है कि आपने शह दी है। और माननीय महासचिव जो कि चार सीट लाये हैं बिहार के अन्दर, वह अपराधी और हिस्ट्रीशीटर की गाड़ी के ऊपर गोपालगढ़ के अन्दर उनकी कुशलक्षेम पूछने जाएं, इससे बड़ी शर्म और क्या हो सकती है। वीवीआईपी के लिए जैड प्लस श्रेणी होती है। उनकी सिक्योरिटी चार दिन पहले पहुंच जाती है। बेहिचक जैड प्लस श्रेणी का सुविधाग्रस्त आदमी एक हिस्ट्रीशीटर की टूटी मोटर साइकिल पर बैठकर जाता है, इससे साफ झलकता है कि निश्चित रूप से आप लोगों की जड़ें और इन कांग्रेसियों की जड़ें उन अपराधी व्यक्तियों तक जुड़ी हुई हैं।

बहुत देर से ढकोसला पीट रहे थे कि हमने सड़कों का काम किया। सड़कों का काम आपने किया? अलवर से बहरोड़ चले जाएं, राजगढ़ से टहला होकर जाएं, थानागाजी से पाण्डुपोल चले जाए, और टहला से गढ़-राजौर जो पंचायत हैडक्वार्टर हैं, 1993 में सम्माननीय भैरूसिंहजी की सरकार के समय में पंचायत मुख्यालयों को जोड़कर डामरीकरण का काम किया गया था, लेकिन आज यह स्थिति है कि गाड़ियों के दोनों पहिए सड़क पर नहीं जाएंगे। एक टायर खड्डे में जाएगा तो दूसरा दूसरे खड्डे में जाएगा। यह स्थिति आप कर रहे हैं सड़कों के नवीनीकरण के नाम पर। बाढ़ के अन्दर हर वित्तीय वर्ष के अन्दर नवीनीकरण का काम आता है। कहते हैं, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद की बात है कि मिसिंग लिंक रोड दी, लेकिन हुआ क्या? आपने बाढ़ के अन्दर जो पैसा देना था नवीनीकरण का, उसको उसमें दे दिया। आपने कृषि उपज मण्डी से नयी डिमाण्ड करने की बात कही, उसको जोड़कर उसमें जोड़ दिया। यह स्थिति राजस्थान प्रदेश की आप लोगों ने की है। होड़ लगी हुई है आप लोगों में। मैं पहली बार किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन मैं कौन होता हूं किसी को क्लिनचिट देने वाला भी? आपकी सरकार के अन्दर आप कितने मंत्री थे, कितने मंत्री आजकल विधायक के रूप में बैठे हैं और किस कारण से बैठे हैं, इसका सीधा साफ नमूना है कि इनके अन्दर कहीं-न-कहीं भ्रष्टाचार की बू थी, तभी वह लोग अपने-अपने घर बैठे हैं। हम दूसरों की बात करते हैं, आपका मुख्य मंत्री सम्माननीय अशोकजी गहलोत जो कि गांधीवादी बनते हैं और ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, अभी बचपने की बात कर रहे थे कि बचपने के स्टेटमेंट का नाम निकाल दो, अभी माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ साहब कह रहे थे, चौटाला की तरह आपके मुख्य मंत्री अगर हिम्मत है तो यह साबित करके

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

दिखाओ और यह बचपना नहीं, +++ खोकर इसको +++ कहूंगा मैं इस बात को कि राजस्थान का मुख्य मंत्री ऐसे छोटे और इतने निम्न और घटिये स्तर के बयान दे। माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ को जब वहां पर कहा तो इन्होंने कहा कि सारे लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे मण्डप में जा रहे हों। आज वह साबित कर दिया है न्यायपालिका ने और वह आपके सामने है। उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा।

सीबीआई की बात करते हैं। अब सीबीआई यहां से जाएगी और ऊपर से भी जाएगी। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पूर्ण रूप से इस कांग्रेस सरकार का पतन तो तय है। लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूं भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर कि आपके अन्दर बुद्धि आ जाए। जो देश को तोड़ने का काम करे, जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करे और जो कि गुण्डों को पनपाने का काम करें, ऐसा व्यक्ति चाहे वह सगा भाई हो, राजनीति में कुर्सियां तो आती जाती रहती हैं, जरूरी नहीं है। आपके अन्दर से कितने लोग दूसरे दलों के अन्दर चले गये। ये सारी हिन्दुस्तान की पार्टियां तो आपके अन्दर से निकली हुई हैं। इसलिए निकले हैं कि आपका कारनामा देखते-देखते यह स्थिति आ गई है कि आज आपके पास राष्ट्रीय नेतृत्व करने के लिए आपका महासचिव भी तैयार नहीं है कि मैं कांग्रेस की कमान सम्भाल लूंगा। क्योंकि उसको आने वाले दिन दिख रहे हैं। आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो वाद-विवाद हुआ, उस पर मैं तो यही कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह असत्य का पुलिंदा था।

उनको पता भी नहीं था कि इसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, इसीलिए बिना पढ़े हुए को पढ़ा हुआ मान लिया गया। इसलिए सारी जनता यह फैसला कर चुकी है आपका लक्षण देखकर, आपका कारनामा देखकर कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की वसुन्धराजी के नेतृत्व वाली सरकार होगी और आप लोग अपने-अपने घर जाओगे। इतना ही कहते हुए मैं इस अभिभाषण का पुरजोर विरोध करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री केसाराम।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, कोरम तो देखें। हाउस का कोरम है क्या?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण को जिस तरह से महामहिम ने बिना पढ़े इस सदन में रखा, यह पहला मौका है। मैंने भी दस बार अभिभाषण सुने हैं, मगर यह दसवां भाषण जिस तरह से महामहिम ने पढ़ना उचित नहीं समझा और पढ़ा हुआ मानकर महामहिम चले गये, बड़े खेद का विषय है। इस सदन में 3 जनवरी, 2009 को महामहिम शीलेन्द्र कुमार सिंहजी ने अभिभाषण पढ़ा था, उसमें इस सरकार ने राज में आते ही खंड-6 में लिखा था- सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था करेंगे, श्रमिकों भूमिहीन खेतिहार मजदूरों, दस्तकारों एवं कामगारों के सम्पूर्ण विकास के लिए वचनबद्ध हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा को आगे लाने हेतु सरकार कटिबद्ध है। स्वच्छ पेयजल के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाने के लिए इस 3 जनवरी, 2009 को अभिभाषण में यह बात कही गयी थी। मगर देखा जाए तो सिंचाई के मामले में आज किसान परेशान है। किसान को खुद की जमीन में कुआ खोदने के लिए भी आपने प्रतिबंध लगा दिया। खेती की जमीन में अगर एक कुए में पानी खतम हो गया और किसान अपना दूसरा ट्यूबवैल या कुआ खोदता है तो उसके लिए भी आपने रोक लगा दी, किसान के प्रति आपकी प्रतिबद्धता इससे साफ जाहिर होती है। श्रमिकों और भूमिहीन मजदूरों, दस्तकारों एवं कामगारों के सम्पूर्ण विकास के लिए बचनबद्ध कहा है, मगर उनके लिए आपने जो बीमा व्यवस्था चलाई, उस बीमा व्यवस्था में कभी आपने बीमे के पैसे भी दिये हैं क्या? ऐसे झूठमूठ भाषण से आपने जो वाहवाही लूटने का कार्य किया है, वो आज इस अभिभाषण से साफ जाहिर होता है। आपके वाहवाही लूटने के कार्य में आपकी साफ छवि दृष्टिगोचर हो गयी है। स्वच्छ पेयजल में समयबद्ध कार्यक्रम बनाने की आपने बात कही है। मेरे क्षेत्र में जंवाई बांध से पानी मारवाड़ जंक्शन, सोजत और जैतारण तक पहुंचना था, उसको समयबद्ध तो क्या जहां पर वसुन्धराजी ने छोड़ा उसके आगे आपने केवल पाइपलाइन आधी-अधूरी वो भी सोजत तक डाली है। उस योजना में 113 गांव मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र के आते हैं, आज दिन तक वो योजना वहीं की वहीं ठप्प पड़ी है। आप वचनबद्धता की बात करते हैं, उस भाषण में पढ़वाया उस वचनबद्धता को मैं आपको वापस याद दिलाता हूं। माननीय वसुन्धराजी ने राजस्थान के मेरे क्षेत्र में पेयजल के लिए बोरीमाता में एक योजना बनाई थी और एक करोड़ 26

(श्री केसाराम चौधरी)

लाख रुपये उसके लिए स्वीकृत किये थे, मगर आज वह योजना जहां तक बनी थी, जितना काम हुआ था, वहां की वहां पड़ी है। आप बदले की भावना से कार्यवाही करते हैं इसलिए उनके कुए वगैरह नहीं बनने की वजह से जीएलआर बने हुए भी खाली पड़े हैं और सरकार के जो पैसे लगे हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। से बांता की पेयजल योजना में भी यही हुआ और वो पेयजल योजना भी अधूरी पड़ी है। एक करोड़ पच्चीस लाख की वो योजना आपने पूर्ण नहीं की है। आपकी वचनबद्धता इस बात से सिद्ध होती है। पानी के लिए अभी आपके कार्य हो रहे हैं, पाली जिले में एसएफसी, टीएसपी के अन्दर जो भी पैसा सरकार ने भेजा उसमें हैंडपम्पों के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। हैंडपम्प भी किसी के मकान के अन्दर खोदे जा रहे हैं किसी के प्राइवेट जगह में खोदे जा रहे हैं। जिस किसी को भी हैंडपम्प अलाट करना है, निजी जमीनों में अलाट किये जा रहे हैं। कीमत एक लाख रुपये का हैंडपम्प बना, जबकि विधायक कोष से मैंने जो ट्यूबवैल बनाये, उसमें केवल 55-55 हजार रुपये में ट्यूबवैल बने। मैं मांग करता हूं कि आप पाली जिले में जो भी हैंडपंप खोदे गये हैं, उसकी अगर जांच करेंगे तो बड़ा घोटाला आपके सामने आ जाएगा। आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि हैंडपम्प की कीमत में एक लाख रुपये 55 हजार का डिफरेंस किस तरह से जिला परिषद ने किया है। जिला परिषदों में किस तरह से घोटाले हो रहे हैं, उसकी जांच कराने की मैं मांग करता हूं। इसी तरह से जिला परिषद के द्वारा कार्यशालाओं का निर्माण किया गया। दस-दस हजार की कार्यशाला बनती है, देसूरी पंचायत में केवल मात्र 29 पंचायतें हैं, उनमें 337 कार्यशालाओं की स्वीकृति जारी की गई। मंत्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मौके पर एक भी कार्यशाला बन गई हो तो आप मुझे जो सज़ा देना चाहें, दे देना। उन गरीबों के पैसे हड़प लिये गये, उसकी जांच करने की मांग करता हूं। मेरे पास आपको चाहिए तो हलफिया बयान किये हुए स्टाम्प पड़े हैं, लोगों को पैसे नहीं दिये गये और उनके खाते में चढ़ा दिये गये। ऐसी व्यवस्था में पंचायती राज की जो दुर्दशा हो रही है वो आपके सामने है।

अभिभाषण के पैरा-7 में सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम लागू किया गया जिसके माध्यम से 18 सरकारी विभागों की 153 सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध करवायी जा रही हैं, आपने इस बात को कहा है। मगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर निर्धारित समय में उपलब्ध करायी जा रही हैं तो फिर

(श्री केसाराम चौधरी)

प्रशासन गांवों के संग में लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? प्रशासन गांवों के संग में केवल एक काम होता है या तो जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र। बच्चों की भीड़ के अलावा कैम्पों में कोई भीड़ दिखाई नहीं देती। आपके एम.पी. भी आये मारवाड़ जंक्शन में, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से कैम्पों में काम नहीं होता है तो कैम्प छोड़ कर जाता हूं। मारवाड़ जंक्शन का कैम्प बद्री जी जाखड़ छोड़ कर गये। काम एक धेले का होता नहीं इसलिए उन्होंने अपनी व्यथा वहां पर प्रदर्शित की थी। राजस्थान में जन सुनवाई का अधिकार अगस्त, 2012 से लागू किया है, इसके पहले सुनवाई होती ही नहीं थी क्या? इतने साल अगर देश में सुनवाई नहीं होती थी तो फिर अब इसमें किस तरह से सुनवाई होगी, उसका भी आप जब भी रिप्लाई दें तो बखान करें।

किसानों के हित में मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना खण्ड-8 में आपने बतायी। इस अभिभाषण को बढ़ाने के लिए आपने इस बात को खण्ड-74 में फिर रखा कि हम ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना लागू कर रहे हैं जिसमें उस किसान से पहले से ही साढ़े तीन परसेंट तो हिस्सा राशि काट दी जाती है। एक लाख के ऋण पर साढ़े तीन हजार रुपये तो उस किसान से जिस तरह से ब्याज का धन्धा करते हैं उस तरह से काट करके उसके खाते में रख देते हैं। उसको उसका ब्याज नहीं मिलता है और उसको आप कहते हैं कि उसकी हिस्सा राशि है। पाली जिले में 213 क्रय-विक्रय सोसायटियां हैं, उनमें से केवल मात्र 10 या 15 ऐसी सोसायटियां होंगी जो हिस्सा राशि का लाभांश देती हों। पूरी की पूरी सोसायटियां घाटे में चल रही हैं, उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, सहकारिता मंत्रीजी चले गये, कि इन सोसाइटियों का क्या हाल हो रहा है। एक सोसाइटी के व्यवस्थापक का रिटायरमेंट हो गया मगर वह उस सोसाइटी के चार्ज दो-तीन महीने हो गये अभी तक नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूं कि एमडी को हिदायत देकर तुरन्त प्रभाव से आज का आज उसका चार्ज उससे लिया जाए। वह किसानों के हिसाब में घोटाले कर रहा है, किसी के हिस्से की राशि उठा रहा है। उन्हीं के पास चैक बुक और पास बुक पड़ी हैं, उसको भी देखने की आवश्यकता है।

मुख्य मंत्री पशु धन नि:शुल्क दवा योजना शुरू की किन्तु मारवाड़

(श्री केसाराम चौधरी)

जंक्शन विधान सभा क्षेत्र के सभी पशु चिकित्सालयों में केवल मात्र एक डाक्टर बैठा है, उसके अलावा कहीं भी पशु चिकित्सक नहीं है। ऐसे किस तरह से नि:शुल्क दवा वितरण की जाएगी?

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैंने तो अभी बोलना शुरू किया है, थोडा-सा समय दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया आप बैठिए। सभी माननीय सदस्यों की सूचना के लिये मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास में पांच सदस्य अभी बोलने बाकी हैं और हाउस ने जो डिसाइड किया है वह सात बजे का टाइम है। इसलिए सबको केवल आठ मिनट में ही अपनी प्रभावशाली बात कहनी पड़ेगी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अभिभाषण के पैरा संख्या 13 और 14 में विद्युत उत्पादन की प्रगति के बारे में बताया गया है वह भ्रमित करने वाला है। आपने बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी बताई है किन्तु वास्तविकता में किसानों को मात्र 5-6 घंटे बिजली मिलती है। अगर आपने बिजली पैदा कर दी तो फिर बिजली मिलती क्यों नहीं है? अगर यह वास्तविकता नहीं है तो और क्या है? माननीय वसुंधराजी ने बिजली कनेक्शन के लिये जो फाइलें पड़ी थीं, 2007 तक कम्प्लीट करके, डिमांड जारी करके सबको कनेक्शन दे दिये थे। मगर आपके मात्र 2008 के डिमांड जारी हुए हैं और उसमें भी आपने एक साल से अप्रैल तक के कनेक्शन करने के आदेश कर रखे हैं जो किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा है। बिजली महकमे में सबसे बड़ा घोटाला बताना चाह रहा हूं कि रानी से जवाली फाटक तक 33 केवी सिंगल लाइन पीवीसी पोल कैटेगरी डाग कंडक्टर के साथ पीसीसी पोल व मीटर 19.5 किलोमीटर मौके पर खींचनी थी मगर उसमें से मात्र 14 किलोमीटर खेंची गई और ठेकेदार को पूरा पेमेंट कर दिया गया।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उसका जो भी मैटीरियल था वह भी मौके से बेचकर नक्की कर दिया। वह लाइन अधूरी पड़ी है जिसकी जांच करना जरूरी है। मीटरों की खरीद में भी घोटाले हो रहे हैं। रीडिंग में घोटाला होने की वजह से काश्तकार को बिल ठीक करवाने के लिये बार-बार

(श्री केसाराम चौधरी)

बिजली घर में चक्कर लगाने पडते हैं। आधे नाम गलत लिख दिये गये, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। बिजली जैसा घोटाला तो राजस्थान में दूसरा होगा ही नहीं। काश्तकार को लूटा जा रहा है। काश्तकार के बिजली आ ही नहीं रही है। किसान के अगर पांच हार्स पावर की मोटर है तो विजिलेंस आती है और चैक कर कहती है कि साढ़े सात हार्स पावर की है और विजिलेंस उसका चार्ज बनाकर भेज देती है। फिर कहते हैं कि आधे पैसे तो भर दो, फिर सैटेलमेंट में जाओ। इस तरह से सरकार किसानों से पैसे वसूल करके बिजली का घाटा पूरा करने की जो चेष्टा कर रही है, वह एक बहुत ही घिनौना षड्यंत्र है। मैं चाहता हूं कि किसानों के लिये बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएं। आपने गुप्त रूप से स्थाई सेवा शुल्क में से सेवा शब्द हटाकर केवल स्थाई शुल्क कर दिया, यह भी किसान के साथ धोखा है ताकि सेवा के नाम से किसान सेवा नहीं मांग सके। आप 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने की बात करते हैं मगर 10-10 दिन, 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते जिससे किसान की फसलें सूख रही हैं और हालात ये हो रहे हैं कि किसान दर-दर की ठोकरें खा कर बिजली की मांग कर रहा है।

माननीय, गांवों में स्कूलों में मास्टर नहीं हैं, हास्पिटल में डाक्टर नहीं हैं। आपने जननी सुरक्षा योजना तो लागू कर दी मगर किसी भी सीएचसी, पीएचसी में गायनिक डाक्टर नहीं होने की वजह से उनके प्रसव के लिये तकलीफ होती है। मेरे क्षेत्र में जितनी भी पीएचसी और सीएचसी हैं, उससे ज्यादा प्रसव उस उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र मुसालिया में हो रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने उनको अपग्रेड किया जबकि मुसालिया को अपग्रेड करना चाहिये था। उसको नहीं करके जहां पर कोई डाक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर आपने अपग्रेड किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय मंत्री महोदय मुसालिया के उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र को उप स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करें, यह मेरी मांग है।

पंचायती राज में सरपंच सबसे ज्यादा परेशान हैं, इसका कारण है कि अलग-अलग ठेकेदार बना दिये। गिट्टी कोई डालता है, सीमेंट कोई डालता है, सरपंच काम करवाता है। काम करवाने के पहले वह माल नहीं डालता है या

(श्री केसाराम चौधरी)

पैसे रोक देता है। चैक दे दिया तो पैसे लेकर चला जाता है। इसका उदाहरण है कि आपने जो राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाये उनको बनाने में तीन साल तक आपको पसीना बहाना पड़ा। तीन साल में भी वे पूरे नहीं हो पाये, वे अभी भी अधूरे पड़े हैं। इसका कारण यही है कि सरपंच को काम करने की खुली छूट नहीं है। सरपंच जब भी आपके यहां मांग करने आता है तो उसको डंडों के अलावा कोई चीज नहीं मिलती है। किसानों को कूप पुनर्भरण के लिये सरकार ने साढ़े चार-चार हजार रुपये के नाम से पैसे उठा लिये मगर मेरे क्षेत्र में कहीं भी कूप भरण योजना लागू हो गई हो तो मैं दावे से कह सकता हूं। सरकार ने यह घिनौना षड्यंत्र करके किसानों के नाम से पैसे उठा लिये। वह कूप भरण योजना एक भी किसान के खेत पर कहीं भी नहीं हुई और पैसे उठ गये।

प्राकृतिक आपदा, अत्यधिक वर्षा के कारण इसी वर्ष कई लोगों के मकान...

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करें आपके दूसरे साथी वंचित रह जाएंगे।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सर, एक-दो पाइंट कहकर मैं बैठ जाऊंगा। प्राकृतिक आपदा में अत्यधिक वर्षा के कारण कई किसानों के मकान ढह गये, कई लोगों के घर अर्ध क्षतिग्रस्त हो गये। आधे लोगों को तो सहायता के रूप में आपने पैसे प्राकृतिक आपदा में दे दिये मगर आधे लोगों को सहायता अभी भी बाकी है, वह सहायता भी पूरी करने की व्यवस्था कराएं। कई किसानों के कुए पूर्ण रूप से ढह गये और किसी के कुए आधे ढह गये, एक भी किसान को कुए का मुआवजा नहीं दिया गया। ओलावृष्टि, मावठ और शीतलहर के कारण किसान की जीरा, रायड़ा और गेहूं की फसलों में भारी नुकसान हुआ है, उसके मुआवजे की सरकार को अतिशीघ्र व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आपने समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, मैं आज सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में जो कहा गया, उसका विरोध करने

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

के लिये खड़ा हुआ हूं। पैरा नम्बर 2 में यह कहा गया है कि 15 फ्लैगशिप योजनाओं से आम आदमी की रोटी, दवा, आवास और शिक्षा की कठिनाइयों का हल किया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, रोटी की बात कर लें, वसुंधराजी के राज में हम 35 किलो दिया करते थे, अब 25 किलो मिलता है। पकाने के लिये हम कम से कम 12 सिलिण्डर दिया करते थे, अब 6 सिलिण्डर में भी कटौती की जा रही है। एपीएल के नाम पर, कमाई के नाम पर आटा पिसा कर बांटने की बात की गई, 50 परसेंट लोगों को भी आटा नहीं मिल रहा एपीएल का। यह तो रोटी की स्थिति है।

जहां तक दवा का सवाल है, सरकारी स्तर पर कई हास्पिटलों में दवाई को वापस मंगाया गया क्योंकि वे टाइमबार्ड थीं। कल के अख़बार में ही आया है कि जिन चार दवाइयों को हम बांटते रहे, सरकारी स्तर पर प्रचार करके बांटते रहे उनको कल अयोग्य घोषित किया है। यह आपकी दवाई की स्थिति है। ये कहते हैं कि 250 दवाइयां हम दे रहे हैं, मैं मेरे क्षेत्र के एक हास्पिटल में गया, वहां केवल 16 दवाइयां उपलब्ध थीं। इस प्रकार की दवाई की व्यवस्था आप कर रहे हैं। आपने बड़े-बड़े विज्ञापन बोर्ड लगाये चिकित्सा विभाग के पैसे से, उसमें लिखा, सुरक्षित प्रसव के लिये सरकारी हास्पिटल में पधारो। जो जोधपुर चली गई, वह तो मर कर ही वापस घर पर गई, ऐसी स्थिति राजस्थान की हो गई। सुरक्षित प्रसव के लिये आप प्रचार कर रहे हो, लाखों रुपये खर्च कर रहे हो और वहां जाने वाली मर रही है। यह जोधपुर की स्थिति है जहां से हमारे मुख्य मंत्रीजी आते हैं। यह दवाई की स्थिति है।

उसके बाद में आवास की स्थिति, 10 लाख घर बना दिये। जाकर पूछो तो सही, 10 प्रतिशत लोगों के तो अभी भवन बने नहीं, 90 प्रतिशत को पट्टे नहीं मिले, कहां से मकान बन गये। 10 लाख आवास कहां से बनेंगे? यह आवास की स्थिति है।

तीसरी स्थिति जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, उस पर कुछ निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा के बारे में। सभापतिजी, शिक्षा की स्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर लिंगभेद के आधार पर 16 प्रतिशत का अन्तर है और पुरुष और महिला शिक्षा में हमारे यहां 28 प्रतिशत का अंतर है। आपने 4 साल में अगर प्रयास किया हो महिला शिक्षा के इस गैप को पाटने के लिये, तो मैं इस सदन का त्याग कर सकता हूं। एक नये पैसे का काम नहीं किया आपने महिला

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

शिक्षा के लिये। अब निवेदन कर रहा हूं आपसे, साढ़े चवालीस हजार गांव हैं राजस्थान में उनमें से 41 हजार गांवों में तो लड़कियों की 11वीं पढ़ने की क्लास नहीं है। 36 हजार गांवों में नवीं की क्लास उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, 7 हजार गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी 500 है और 60 प्रतिशत लोग युवा हैं उनमें से 22 प्रतिशत लोग पढ़ने योग्य हैं, जहां ढाई सौ लोग पढ़ने योग्य हैं उस स्थान पर आपके 7 हजार गांवों में मिडिल स्कूल नहीं हैं, छठी क्लास नहीं है। कोई है सुरक्षा? चार महीने की बच्ची के साथ, थाने में ही महिला के साथ। थाना सिपाही के साथ जब बलात्कार होता है तो कौन अपनी बालिका को ढाणी में भेजेगा? और यह तो तब की बात है जब पूर्व प्रधान मंत्री ने सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से 70 प्रतिशत बजट आपको दिया है। शिक्षा मंत्रीजी, मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? 70 प्रतिशत का उपयोग किया आपने? क्या किया महिला शिक्षा के लिये? कोई एक स्कूल भी नहीं खोली। एक सैकण्डरी स्कूल लड़कियों का नहीं खोला। एक भी 12वीं की स्कूल लड़कियों के लिये नहीं खोली। क्या करते रहे इस गैप को पाटने के लिये? महिला सशक्तीकरण करेंगे, किसका करेंगे? वसुंधराजी 700 करोड़ रुपये देकर गयी थीं, वह आज तक बैंकों में पड़े हैं। आपने महिलाओं को नहीं देने दिये यह महिला शिक्षा की स्थिति है। आप किस प्रकार से राजस्थान की शिक्षा का उद्धार करेंगे, यह समझ में नहीं आता। उलटा आपने तो टौंक में यह और कह दिया बच्चों को कि फेल होने की चिन्ता मत करो तुम तो। मोहम्मद गजनवी की तरह- वह गौरी था जो 16 बार हारा, मोहम्मद गजनवी की तरह तुम तो परवाह मत करो, सब भला हो जाएगा। यह तो हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं। उनकी आई.क्यू. कितनी होगी, आप अंदाज लगा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय वसुंधराजी ने 38 हजार स्कूल खोले थे 5 साल में और आपने 38 सौ खोले हैं, 10 प्रतिशत-38 हजार और 38 सौ। यह रिकार्ड की बात कर रहा हूं मैं, सभापतिजी, आपके माध्यम से, इसलिये आइना देख लो आप। इसमें आपने हमारी महिला राज्यपाल से असत्य बुलवा दिया कि शिक्षा का स्तर हम सुधार रहे हैं। क्या लिखा है उसमें? हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा के बारे में कह रहे हैं आप। शिक्षा का प्रसार और बेहतर स्तर, ये दो बातें कहीं आपने पैरा नम्बर 9 में। क्या स्थिति है? आपने एक लड़कियों का स्कूल नहीं खोला। एक सम्बल ग्राम योजना है जिसमें 40 प्रतिशत से ज्यादा एस.सी. के रहते हैं, एक भी स्कूल को आपने प्रमोट नहीं किया, एक भी स्कूल

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

को। आप दलितों के मसीहा बनते हैं, सम्बल ग्राम योजना के एक भी स्कूल को आपने प्रमोट नहीं किया। फिर क्या किया आपने? किसी अल्पसंख्यक विद्यालय को प्रमोट किया, जहां बहुमत है उनका? फिर क्या किया आपने? इसी प्रकार से अभी अभियान चलाया, कलक्टर जा रहे हैं चैक करने के लिये। कहते हैं, बच्चों को लिखना नहीं आता, क-ख-ग नहीं आता, सौ तक गिनती नहीं आती। यह आपने किया है। चार साल में शिक्षा का स्तर इतना कर दिया। अभी कह रहे थे, 3 अध्यापक थे आपके टाइम में, मैंने 5 लगा दिये। पूर्व शिक्षा मंत्री गुलाबजी कटारिया बैठे हैं, जब भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे, आठ प्लस एक हुआ करते थे मिडिल स्कूल में। आपने सत्यानाश कर दिया शिक्षा का मिडिल स्कूल में। हटा-हटा कर अध्यापकों को सत्यानाश कर दिया। आठ प्लस एक हुआ करते थे। आपकी शिक्षा जिंदा है गुलाबजी कटारिया और भैरोंसिंहजी शेखावत के कारण से। इतना ही नहीं, रिकार्ड उठाकर देखो, सन् 1993 से लेकर 1998 तक प्रत्येक ब्लाक में बिना भेदभाव के, कांग्रेस-बी.जे.पी. के आधार पर नहीं, प्रत्येक ब्लाक में एक लड़कियों का स्कूल और एक लड़कों का 12वीं का स्कूल खुला करता था। 10-10 स्कूल खोले हैं उस समय, गुलाबजी कटारिया यहां बैठे हैं। आपने क्या किया? एक स्कूल इस साल खोली है उसमें भी क्या किया? मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, मेरे यहां 15 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी 5 हजार से ज्यादा है और अभी आपने मेरे 3100 की जो आबादी है उसमें सीनियर हायर सैकण्डरी खोल दिया जिसे 3 साल हो रहे हैं। 38 वर्षों से मेरे यहां एक ऐसा स्कूल है जो प्रमोट ही नहीं किया। 10वीं का स्कूल है, 38 साल से वह प्रमोट नहीं हुआ। लड़कियों का 35 साल से दसवीं का स्कूल है वह प्रमोट नहीं हुआ। कौनसी शिक्षा देना चाहते हो? कौनसा यह स्तर सुधारना चाहते हो, बेहतर स्तर करना चाहते हो?

(18.34 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इतना ही नहीं, आप एक और देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बंटाढार का उदाहरण दे रहा हूं। आप उपाध्यक्ष बन गये तो आपको क्या कहा? जिसको पैसा वित्त मंत्री देता है राजस्थान का। किसको, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय को। क्या कहा, कि रामनारायणजी मीणा को हमने उपाध्यक्ष बना दिया, अब उनके कालेज में लड़के देने की आवश्यकता नहीं है। कृषि के

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

बच्चे मिले क्या? एक सत्र खाली चला गया। कालीचरणजी शिक्षा मंत्री रहे हैं, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, बीकानेर ने लड़के नहीं दिये इनको। उपाध्यक्षजी के कालेज में लड़के नहीं दिये, खाली गया। और मैंने प्रश्न लगाया तो उत्तर क्या आया? हम टेबल-कुर्सी गिनवा रहे हैं। रिकार्ड की बात कर रहा हूं। हम भौतिक सत्यापन कराएंगे। साल भर भौतिक सत्यापन कराएंगे लैक्चरर्स से। यह उच्च शिक्षा की हालत है। अभी कहा उन्होंने, जो समर्थन कर रहे थे कि पी.जी. कालेज खोला है। एक भी पी.जी. कालेज रिकार्ड में नहीं है। पी.जी. कालेज खोला क्या? हमने 5 साल तक भैरोंसिंहजी के टाइम में 23 तो लड़कियों के कालेज खोले थे, आपने कितने खोल दिये? 42 कालेज हैं लड़कियों के उसमें से 35 हमने खोले हैं। और आपने आजादी के बाद केवल 6 ही खोले हैं। क्या किया इस शिक्षा के बारे में आपने? इसलिये हम पिछड़े हुए हैं।

दूसरा मैं निवेदन करूं आपको, एक हमारे सदन के वरिष्ठ नेता हैं, एक कमेटी बनी थी भारत सरकार की तिवाड़ी कमेटी, उसने रिकमण्ड किया, दसवीं और 12वीं की स्कूलों का सुदृढ़ीकरण करने का पैसा मिलेगा। हमें 10-11 में पैसा कितना मिला? 250 करोड़ । शिक्षा मंत्रीजी, नोट करो इसको। और आपने 3 साल में खर्च किये हैं मात्र 50 करोड़ रुपये। और आपने यू.सी. नहीं दी इस कारण दूसरे साल 700 करोड़ रुपये मिले, तीसरे साल अंगूठा मिला आपको, जीरो। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आपको ढाई सौ करोड़ दिये, आपने खर्च नहीं किया। दुबारा सात सौ करोड़ रुपये आपने खर्च नहीं किया। तो तीसरे साल आपको अंगूठा दिखा दिया, जीरो। अंगूठा दिखा दिया, जीरो दिया, जीरो। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आपको अंगूठा बता दिया, यह स्थिति है हमारी शिक्षा की। एक अभियान चला, जो भी पिछड़े विकास खण्ड हैं उनमें बालिका शिक्षा के लिये आपको पैसा मिला, माडल स्कूल के लिये। कितने के लिये मिला? 183 को आइडंटीफाई किया गया। आपने काम तो केवल 70 का ही चलाया है भवन का। स्कूल तो चालू ही नहीं हुए। 183 में से केवल 70 । बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये, उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं, 183 में से केवल 70 छात्रावास बने हैं लड़कियों के। 113 छात्रावास तो बनाने की स्थिति में नहीं हैं पैसा आया है। इनको चिन्ता नहीं है दलितों की, इनको चिन्ता नहीं है ट्राइबल की। इनको चिन्ता है कुछ उनकी कमीशन की। पैकेजेज की चिंता है। आपने किया था पिछली बार पैकेज, अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को कहा, 85 करोड़ रुपये की बचत होगी।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

अब 384 करोड़ रुपये क्यों खर्च हो रहे हैं, अनुदानित शिक्षकों पर जो शिक्षा के मंदिर थे- अग्रवाल कालेज था, जैन सुबोध था, पारीक कालेज था नवलगढ़ का, जिसने सबसे ज्यादा सी.ए. इंडिया में दिये, वे कालेज आज बंद की कगार पर आ गये। और उन्होंने पैकेज ले लिया सेठों से, उस आधार पर हमारी अनुदानित संस्थाओं को बंद कर दिया। इतना ही नहीं, इनके नौकरशाह क्या कर रहे हैं? आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, 299 करोड़ रुपये, यू.जी.सी. के 2006 के अभी तक पेमेण्ट नहीं हुए, 299 करोड़। क्या स्थिति है शिक्षा की? क्या कर रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्रीजी? क्या कर रहे हैं हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी? उच्च शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करता हूं, हमारी महामहिम ने यह कहा कि ट्राइबल का पूरा बजट खर्च नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं, वह बहन आती है गढ़ी से, उसके यहां कालेज खोल देते, आसपुर में कालेज खोल देते, चौरासी में खोल देते, मीरा बाई की जन्म स्थली पर खोल देते, कहीं तो खोलते, कम से कम ट्राइबल का पैसा तो खर्च करते। छात्रावास ही बना देते। सैकण्डरी स्कूल खोल देते, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोल देते। आपको तो 70 प्रतिशत मिलता है सर्व शिक्षा में, ये 7 हजार स्कूल जो हैं 500 की आबादी वाले, इन पर तो आपको 70 प्रतिशत मिलता। तीन अध्यापकों में से दो अध्यापकों का पैसा तो केन्द्र देता। आपका जा क्या रहा था? खाली रख लेते, तीन साल तो चला देते। क्या किया आपने? शिक्षा का बंटाढार क्यों किया? अगला जमाना भुगतेगा।

पैरा नम्बर 13 में कहा है, 4075 मेगावाट किया। 2006 में, 2007 में, 2008 में शिलान्यास हमने किया, वे भी आपने पूरे चालू नहीं किये। आपने जिनका शिलान्यास किया वह तो काम ही अभी चालू नहीं हुआ। कहां से ले आये आप ये आंकड़े? कहां से पैदा कर दी बिजली आपने?

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नहीं, नहीं। फसली ऋण की बात है, कहीं चले गये सहकारिता मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष: कोई बात नहीं।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): क्या घोषणा की उन्होंने, एक लाख तक हम नि:शुल्क ब्याज, जीरो ब्याज पर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आज तक भी एक लाख किसी किसान को दिया हो। दिया हो तो उनको दिया

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

होगा, या तो इनके मुंह लगा हुआ कोई सरपंच होगा, उसके बेटे-पोतों को दिया होगा। किसी गरीब को या किसी किसान को एक लाख रुपये नहीं मिले, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपने निःशुल्क आज कर दिया, इस अभियान के आकड़े मंगवाओ। आपने यह तो कह दिया कि इतने पट्टे दिये। कितने किसानों को ऋण नहीं मिला, यह भी तो कहते। इसमें फिर चुकाने की शर्त क्यों लगाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर तो उन्होंने पहले ही जीरो ब्याज कर दिया, अब आप यह करके क्या करना चाहते हो?

फिर एक और आया, उत्तरदायी और पारदर्शी संवेदनशील कार्य-प्रणाली की स्थापना के नए आयाम। नए आयाम, सुन लीजिए अब आप कथा मेरी। नया आयाम जोधपुर में पैदा हुआ। विश्वविद्यालय में। इस सदन के पहले नेता जयनारायण व्यास के नाम पर विश्वविद्यालय है और वर्तमान सदन के नेता का गृह शहर है, वहां हुए अभी इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या स्थिति हुई? इंटरव्यू में यह स्थिति हुई, यू.जी.सी. कहती है कि 2009 के पहले कोई पीएच.डी. है तो उसको छूट मिलेगी नैट से, स्लेट से। क्या कहा उन्होंने? मैं उन्हीं के शब्दों में आपको बता देता हूं, कितनी हास्यास्पद स्थिति है! वहां पर यह कहा गया कि अगर आपका मैनेजमैंट में आदमी है तो योग्य होने की जरूरत नहीं। अगर आपका भाई-बंधु सांसद है तो आवश्यकता नहीं। आप अगर यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हो तो आपको योग्यता की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, ओ.बी.सी. में 78 जातियां आती हैं लेकिन 34 में से 28 तो एक ही जाति के हो गये ओ.बी.सी. में। एक ही जाति का सलेक्शन हो गया 34 में से तो। यह अराजकता है। शिक्षा में अराजकता है। गोड़मलजी...(व्यवधान) लोग वहां पर अनशन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रीजी, आप वहां पर जाओ, उनको मनाओ कि हम क्रेडिट करते हैं, हम एफिशिएंट को करते हैं। समाज की क्रीम का सम्मान करते हैं। यह करके तो देखो वहां पर। जोधपुर की स्थिति यह है, पारदर्शिता ला रहे हैं न यह? संवेदनशील हैं न? संवेदनशीलता की यह स्थिति है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, इतनी अनियमितता कभी नहीं हुई विश्वविद्यालय स्तर पर ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप गैप बहुत ले रहे हो बीच-बीच में। कागज देखने में टाइम लगा रहे हो। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): नहीं, टाइम नहीं लग रहा।

श्री उपाध्यक्ष: आप कंटिन्युएशन में बोलो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अभी यह कहा, बड़े अक्षरों में आया दिल्ली से, कि मुख्य मंत्री ने 33140 की जो प्लानिंग थी उसको 33500 करवा दिया। कितने बढ़े? 300 करोड़ रुपये बढ़वा लिये उन्होंने। लेकिन उनसे पूछो, इस सरकार के मंत्रियों से पूछो कि खर्च किसको करना था। अभी फरवरी तक तो 51.8 ही खर्च हुआ है, 17500 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं। प्लानिंग कितनी ही मंजूर करवाओ, वे तो आप के ही लोग हैं। कड़ी से कड़ी जुडी हुई है न। मंजूर तो कितने ही करवा लो, खर्च कितने कर रहे हो यह तो बता दो कम से कम? (व्यवधान) क्या करेंगे मार्च में?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अभिभाषण है, इस अभिभाषण में वे सारे तथ्य छुपाये गये हैं जो कांग्रेस के खिलाफ हैं। वे सारे तथ्य लाये गये जो कागजी हैं। कोई भी गम्भीरता नहीं है इनमें। अगर गम्भीरता है, कह रहे हैं हमने यह कर दिया, एक पैरा छापा है, हमने 500 मीटर का, वह तो 55 के एक्ट में भी लिखा हुआ है कि किसान अपनी 1/50 भूमि का उपयोग कर सकता है। यह 55 के एक्ट में लिखा हुआ है। और 97 में? यह बैठे रोहिताशजी, मंत्री थे 97 में, उसमें एक पैरा जोड़ा गया है कि किसान स्वत: ही उसकी घोषणा कर सकता है, तहसीलदार को लिखकर दे दें। आपने क्या कर लिया उसमें? केवल उसको दुबारा से छाप दिया। इसी आधार पर पट्टे दे दिये आपने। इस प्रकार की स्थिति है।

इतना ही नहीं, और भी लाया हूं मैं आंकड़े, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी विनियामक आयोग ला रहे थे राजस्थान में, पानी का निजीकरण। मैंने ही विरोध किया था आपके माध्यम से।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान करें इधर।

श्री उपाध्यक्ष: मैं तो ध्यान कर रहा हूं लेकिन अब आप थोड़ा समाप्त करें। आपके ही मैम्बर को बोलना है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): समाप्त, समाप्त।

श्री उपाध्यक्ष: कृपा करके। आप तो वैसे भी बहुत बोल लेते हो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी का निजीकरण हो रहा था, वह सलैक्ट कमेटी को चला गया। मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। पानी पर 1051.58 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए और देखो धोखा देने के लिए, कालीचरणजी ध्यान दो इधर। कालीचरणजी, कालीचरणजी।

श्री उपाध्यक्ष: आप व्यक्तिगत बात नहीं करें। केवल आसन से, कृपा करके।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने छुपाने के लिए क्या किया। पहले लिखा 1051.58 करोड़ और नीचे खर्च में लिख रहे हैं 13352 लाख। लाख लिख रहे हैं लाख। 1051.78 करोड़ में से 133 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हो, करीब 13 परसेंट खर्च कर रहे हो पानी के लिए। पानी के संग्रहण के लिए राजस्थान में जो खर्च हो रहा है उसका आइना दिखा रहा हूं यहां पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें तो एक मैम्बर और बोल लेंगे।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि ये झूठे आंकड़े हैं। इनकी पारदर्शिता की मैं बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपने इतना बोल दिया, अब याद नहीं रहेगा न कि क्या-क्या बोला।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): यह संवेदनशील हैं न! दोनों जो ट्रिब्यूनल हैं राजस्थान के जयपुर और जोधपुर में सेवा ट्रिब्यूनल, उनमें केस दर्ज हुए 2075, उसमें से 1521 तो हैं केवल ट्रांसफर के और केवल 500 हैं बाकी सर्विसेज के। यह तो सर्विसेज के लिए बना है तो यह भी आंकड़ा दिख रहा है आपका, ट्रांसफर के माध्यम से, क्योंकि ट्रांसफर करोगे तब कैंसिल करोगे और कैंसिल करोगे तो मुद्रा आएगी, इस कारण से ऐसी स्थिति है।

इस कारण से मैं पुरजोर शब्दों में तथ्यों के आधार पर इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: अब आपकी तरफ तो नहीं है न बोलने वाला, माननीय सरकारी उप मुख्य सचेतक महोदय? माननीय श्री सुखरामजी कोली। सुखरामजी, आज पहला उदाहरण होना चाहिए, आप पाइंटेड बात कहें। इधर-उधर की बात नहीं, पाइंटेड बोलेंगे तो सुनेंगे। नहीं तो पांच मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। पाइंटेड बोलेंगे तो पूरा समय मिलेगा। (व्यवधान) आप अपनी सीट पर विराज कर बोला करें। कृपा करके नियम मत तोड़ो।

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदया

(श्री सुखराम)

यहां पर आईं और क्या कहा, क्या नहीं कहा या इस सरकार ने क्या कहलवाया, हमारी न तो समझ में आया और न सुना था, क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं तो समझ में आएगा कहां से?

दूसरा, जो भी मुख्य मंत्री महोदय और कैबिनेट ने उनसे कहलवाया, मैं समझता हूं कि एक भला मानस इंसान, मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदया ने क्यों नहीं पढ़ा, वह भी शायद एक तर्क हो सकता है। क्योंकि जो गुनाहों की सरकार है, जो सरकार झूठे वादों पर टिकी है, जो सिर्फ आश्वासनों पर टिकी है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो राजस्थान का विनाश किया है, उस पर टिकी है, शायद राज्यपाल महोदया उन चीजों को नहीं कह पायी हों इसीलिए वे रख गईं।

मैं राजस्थान की ज्यादा बात नहीं करके सीधा-सीधा धौलपुर जिले पर आता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। धौलपुर जिले के बारे में इन्होंने अभिभाषण में कहलवाया, मैं समझता हूं कि राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ कोई जिला है तो वह धौलपुर है। धौलपुर की जो वर्तमान स्थिति है, उसको शायद मुख्य मंत्री महोदय भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के सरमथुरा क्षेत्र में देख आये होंगे कि लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। बिजली की तो कह ही नहीं सकते क्योंकि बिजली का जस्ट दो दिल पहले ही पोल गाढ़ते समय एक मजदूर की वहां पर मौत हुई और बिजली विभाग ने आनन-फानन में उस चीज को दबा दिया। तो हमारे यहां पर बहुत बड़ी समस्या है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने बिजली विभाग में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) धौलपुर जिले के लिए दी थी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, दो बार कम्पनी डिबार होने के बाद भी आज तक वह काम नहीं हुआ है ठेकेदार की हठधर्मिता से। वहां पर जितने भी बी.पी.एल. परिवार हैं, आज भी यह आशा लगाये हुए हैं कि शायद वे भी कभी बिजली का बल्ब जलाएंगे। परन्तु मैं समझता हूं कि जब तक यह कांग्रेस सरकार है, तब तक यह निकम्मी गहलोतजी की सरकार है, तब तक तो यह स्वप्न साकार नहीं हो सकता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की किस तरह से इन सवा चार साल में दुर्गति हुई है, चाहे वह प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे सैकण्डरी एजुकेशन

(श्री सुखराम)

हो, मिडिल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, अपने विधान सभा क्षेत्र का तो मुझे जरूर पता है। धौलपुर जिले में जितने भी पद थे, जितने अध्यापक चाहिए, काफी कवायद के बाद आज भी 25 परसेंट पद ऐसे हैं जो वहां पर रिक्त पड़े हुए हैं। एक छोटा-सा उदाहरण बसेड़ी कस्बे का है जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय संचालित है और उसमें लगभग 870 बालिकाएं हैं, परन्तु आज तक सरकार का उस बालिका विद्यालय की तरफ ध्यान नहीं गया जहां पर 75 परसेंट पद रिक्त पड़े हुए हैं।

यहां पर हमारे सम्माननीय मंत्री महोदय भी विराजे हुए हैं, राजस्थान सरकार का ढिंढोरा है कि हम शिक्षा में नए मापदंड स्थापित करेंगे। पर ये मापदंड तो उसी समय खारिज हो जाते हैं जब विद्यालयों में छात्र और छात्राओं का नामांकन इतना प्रतिशत घटा है। इसी से आइना साफ हो जाता है कि शिक्षा के प्रति आपके क्या प्रयास रहे हैं?

यहां पर सर्व शिक्षा अभियान चला, सर्व शिक्षा अभियान में जो नीतियां बनीं वे सिर्फ जे.ईएन., ए.ईएन. और कुछ अध्यापकों के माध्यम से ही नीतियां बनीं। कभी भी उस विद्यालय की आवश्यकता को देखकर नीतियां नहीं बनाई गईं। जहां भी कुछ लोगों ने मिलकर जे.ईएन., ए.ईएन. को कमीशन दे दिया रमसा और सर्वशिक्षा अभियान में उन्हीं विद्यालयों को पैसा मिलता है। जहां पर जे.ईएन., ए.ईएन. को कमीशन नहीं मिला, वहां पर उनको पैसा आबंटित नहीं किया गया और न ही उन विद्यालयों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऊपर उनका नाम दिया गया। अगर नहीं है तो इस चीज को मैं बड़े प्रमाणिक रूप से कह सकता हूं। अगर यह चीज है तो आप उनका फीजिकल वैरीफिकेशन करा लें, सत्यता सामने आ जाएगी। एक ही विद्यालय में जहां पर मात्र 20 या 25 छात्र-छात्राएं हैं, उनके लिये 15-15 लाख रुपये स्वीकृत कर दिये और जिस विद्यालय में 833 बालक-बालिकाएं हैं, वे बेचारे खुले में पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो सम्बन्धित अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा की बात पर अभी ढिंढोरा पीटा गया और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से कहा गया कि हमने चिकित्सा में नये मापदण्ड स्थापित किये हैं। चिकित्सा में तो क्या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से जो असुविधा होती है उसमें अवश्य मापदण्ड स्थापित

(श्री सुखराम)

किये हैं। आप देखो, ये कह रहे हैं कि हमने इतनी दवाइयां दीं, परन्तु वास्तविक स्थिति अगर हम देखें राजकीय चिकित्सालयों में जाकर, कि कितनी दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं और डाक्टर दवाइयां न होने का बहाना लेकर प्राइवेट दुकानों पर जाकर पर्ची लिखते हैं, उन पर्चियों के माध्यम से उस मरीज का पुन: शोषण होता है। दूसरी बात, इसमें एक पेंच बहुत बड़ा है, हमारे बड़े ही सीनियर चिकित्सा मंत्रीजी यहां पर हैं नहीं, इन्होंने एक पेंच छोड़ा कि अगर अस्पताल को दवाइयों की आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए कुछ बजट उनके लिये आरक्षित होता है कि इतने रुपये तक की दवाइयां आप किसी भी फर्म से खरीद सकते हैं। परन्तु मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी भी दवाइयों की खरीद फरोख्त हुई, चाहे वह 10 प्रतिशत की हुई हो, चाहे 15 प्रतिशत की हुई हो, मेरे अंदाजे में 25 प्रतिशत तक का प्रावधान है, उन दवाइयों के जितने भी बिल उठे, सभी चिकित्सालयों में किसी न किसी फर्जी फर्म से फर्जी बिल उठे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे ही विधान सभा क्षेत्र के सरमथुरा का जो राजकीय चिकित्सालय है, उसके बिलों का फीजिकल वैरीफिकेशन करा लें, उनकी जांच करा लें, सारी सत्यता आपके सामने आ जाएगी।

दूसरी चीज चिकित्सा की यह बात कर रहे हैं, हमारा एकमात्र चिकित्सालय धौलपुर जिला चिकित्सालय है। धौलपुर चिकित्सालय में विगत एक वर्ष से ट्रोमा वार्ड बना हुआ है, परन्तु आज तक वह संचालित नहीं हुआ है, न वह शुरू हुआ है। दूसरी बात हमारे वहां पर जो अधिकांश स्पेशलिस्ट डाक्टर हैं, क्योंकि धौलपुर के लिये जयपुर बहुत दूर पड़ता है, करीब 300 किलोमीटर पड़ता है और उधर से आगरा या ग्वालियर जाएं तो वहां पर हमारे मरीजों का शोषण होता है। ऐसे में हमारा जिला चिकित्सालय ही एकमात्र आशा का जरिया बना हुआ है, उसमें अधिकांश डाक्टर्स के पद रिक्त हैं। और ये कह रहे हैं कि हमने चिकित्सा के क्षेत्र में नये मापदण्ड स्थापित किये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर मशीनें पड़ी है, वे धूल खा रही हैं। करोड़ों रुपये की मशीनें यहां से राजकीय चिकित्सालयों के लिये इश्यू कर दीं। क्यों धूल खा रही हैं? निश्चित रूप से कहीं न कहीं पर गड़बड़-घोटाला हुआ होगा इतनी बड़ी डील के लिये, इतनी बड़ी खरीद-फरोख्त के लिये। आज वे सभी

(श्री सुखराम)

मशीनें विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में इस तरह से पड़ी हैं कि उनका कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जो सड़कों की स्थिति है, सड़कों की स्थिति काफी दयनीय है। हमारे मंत्री महोदय काफी मशक्कत करते हैं, परन्तु ठेकेदारों की हठधर्मिता के सामने। यह कोई नियम लागू कर दिया या इन्होंने कोई आदेश दिया कि सम्बन्धित विधायक उस क्षेत्र में जांच करेगा और उसका प्रमाण पत्र देगा तभी जाकर बिल उठेगा, मैं समझता हूं कि वह आदेश पता नहीं कहां चला गया। यहां पर कितनी डामर होनी चाहिये, कुछ नहीं। सारे ठेकेदार मिल-मिलाकर खा रहे हैं। अगर ज्यादा सख्ती बरतते हैं तो ठेकेदार काम ही नहीं करते हैं। मेरे यहां स्टेट हाइवे है छोकरवाड़ा से लेकर धौलपुर तक, वह तीन किलोमीटर से साढ़े तीन किलोमीटर का भी नहीं है। घोषणा की हाइवे की, हाइवे 11-बी, जो धौलपुर से गंगापुर तक है, उसमें लास्ट ईयर डामरीकरण हुआ, पता नहीं वह डामर कौन खा गया। पता नहीं विभाग खा गया, विभाग के जे.ईएन., एक्स.ईएन. खा गये, या सम्बन्धित ठेकेदार खा गया। जब शिकायत की तो वही ढाक के तीन पात। कमेटी बनती है, कमेटी बनकर उसकी रिपोर्ट कहां चली जाती है? यह तो विभाग या सरकार ही जाने, कि उसके बाद क्या होता है।

नरेगा जो योजना चली, नरेगा योजना में सबसे ज्यादा दुर्गति हमारे धौलपुर जिले की हुई। कोई भी आदमी चाहे सरपंच हो या कोई और आदमी, जो उससे जुड़ा हुआ है, अगर उसने गलती की है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिये। अधिकारियों ने गलती की है तो अधिकारियों को सज़ा मिलनी चाहिये। अगर सरपंच है तो सरंपच को भी मिलनी चाहिये। बार-बार केस होने के बावजूद भी, पांच-छह केस तो मेरे बसेड़ी में पड़े हुए हैं, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होती और ये कहते हैं कि हमने नरेगा में बड़े मापदण्ड स्थापित किये। आप जानते हैं कि इन कार्यों को कब तक बढ़ाओगे, कब तक इन जमीनों को खराब करोगे? आप एक के ऊपर एक करके उसी का फर्जी बिल उठा लेते हैं। दूसरा, यहां पर, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नेता भी बैठे हुए हैं, कागजों में रोड बना दी, 7 लाख रुपये की रोड पी डब्ल्यू डी से सैंक्शन थी। मैंने पिछले विधान सभा सत्र में क्वेश्चन लगाया था, एक्स ईएन ने मुझे जवाब दिया कि जो रोड बनी है, उसके सात लाख के बिल उठ गये। यह बसेड़ी

(श्री सुखराम)

कस्बे का मैटर है, बसेड़ी में मूल चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन तक की सड़क है, इसके लिये 7 लाख रुपये सैंक्शन थे। विधान सभा प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि रोड पूरी हो गयी और बिल उठ गया है। मैंने वहां पर रोड देखी, मैं वहां का रहने वाला हूं, मैं दावे से कह सकता हूं कि ठेकेदार वहां पर कभी गया ही नहीं। आपकी जितनी भी ये योजनाएं चल रही हैं, वे सिर्फ कागजों में ही चल रही हैं।

महिला बाल विकास की स्थिति यह है कि जिस समय ऊपर से कोई अधिकारी जाता है तो घरों में से एक एक बच्चे को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उस केन्द्र पर ले जाकर बैठा देते हैं। उनका दलिया या जो सामग्री वहां बंटती है, वह खाली उसी दिन बंटती है। अगर सबसे ज्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट इस समय है तो महिला एवं बाल विकास है जिसमें कोई भी सुविधाएं उन केन्द्रों पर उपलब्ध नहीं हैं। सिर्फ एक सुविधा उपलब्ध है, अगर आपको आवश्यकता है तो वहां पर वज़न नापने की मशीन जरूर रखी होगी, उससे आप अपना वज़न नाप सकते हैं।

राजीव गांधी सेवा केन्द्र के लिये सरकार कहती है कि हमने प्रत्येक पंचायत स्तर पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र बनाये हैं। मैं समझता हूं कि यह बिल्डिंग बहुत अच्छी है अगर इसका सही यूटिलाइल हो, उसमें सही फैसेलिटी हो। उन राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में हमारे प्रतिनिधिगण गये, विशेषकर जिला प्रमुख, एम पी या एम एल ए वहां गये, उनका उद्घाटन किया और उनका इतना बड़ा बखान किया कि गहलोतजी ने राजीव गांधीजी के नाम पर यह किया है। इसमें पटवारीजी की रिपोर्ट मिलेगी, नकल मिलेगी। यहां पर हवाई जहाज तक की टिकट मिलेगी। परन्तु मुझे तो यह ताज्जुब होता है, हवाई जहाज की टिकट तो बाद में मिलेगी, पहले ग्राम पंचायत का सैक्रेटरी तो वहां पर मिले जिससे मिलकर हम अपनी समस्या रख सकें। गांव वाले दर-दर घूमते रहते हैं। काफी दूर-दूर तक पंचायतें हैं। हवाई जहाज की टिकट तो किससे लें, पहले सैक्रेटरी का तो ठहराव वहां पर निश्चित करें, सरपंच का ठहराव निश्चित करें। ग्राम पंचायत से सम्बन्धित जो कर्मचारी है, उसका ठहराव निश्चित करें तब जाकर हम इसका उपयोग कर सकते हैं।

प्रशासन गांवों के संग अभियान चल रहा है, हमारे कई मंत्री महोदय

(श्री सुखराम)

और हमारे मुख्य मंत्रीजी भी इस अभियान में गये हैं। परन्तु वहां पर कितने काम हुए, कितने पट्टे वितरित हुए? वास्तव में जो काम होने चाहिये, वे काम होते नहीं। मैं तो यह कहूंगा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान का नाम बदलकर पेंशन गांवों के संग कर दिया जाए तो ज्यादा बैटर होगा। और पेंशन भी ऐसी, जिनको आवश्यकता है उन बेचारों को पेंशन नहीं मिल रही। और जिनके बच्चे बालिग हैं, पटवारी से जब रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, क्योंकि उसमें एक कॉलम है पटवारी लिखेगा कि बच्चे हैं या नहीं हैं या इसमें क्या स्थिति है, उसमें पटवारी रिपोर्ट लिखता है। अगर पटवारी को 100 रुपये दे देते हैं तब तो अगर उसके तीन बच्चे भी हैं तो वे तीनों बच्चे गायब, सिर्फ वह सिंगल खड़ा रह जाता है। और अगर उसने पटवारी को 100 रुपये नहीं दिये तो वह उसमें लिख देता है कि यह पेंशन के योग्य नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, एक गरीब बच्चा है, मैं समझता हूं कि पेंशन योजना में गरीब बच्चों को जरूर पेंशन मिलनी चाहिये, क्योंकि बेचारे गरीब गांव में रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात जल्दी से जल्दी समाप्त करता हूं। हमारी जो पेयजल योजना है सरमथुरा ....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला दिन है इस सत्र का, जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल का जो सामने व्यवहार दिख रहा है, ऐसा लगता है कि कोई इसको महत्व ही नहीं, केवल हम लोग एक फोर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अगर सदन के प्रति इतनी अनास्था पैदा हो गयी है तो डिक्लेयर कर दें कि हमें तो कोई रूचि ही नहीं है।

(19.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: उपस्थिति कम है सत्ता पक्ष की।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपस्थिति क्या है? कोई आदमी जिम्मेदार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन तो कोरम देखता है न। इधर की उपस्थिति नहीं तो इधर की उपस्थिति है। आपकी तरफ की उपस्थिति है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमें तो बैठना है। हमारी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तो उनसे दुगनी और तीन गुनी है आज भी। लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल के दस लोग ही उपस्थित रहें तो इससे ज्यादा अफसोस और क्या हो सकता है!

मेरी प्रार्थना है कि अगर इस तरह से सदन के बारे में सोच बन गया है तो यह बहुत दु:खद होगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप नेता प्रतिपक्ष हो, नेता पक्ष और आप दोनों बैठकर बात करो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नेता, पक्ष कहां हैं? हमारी अंखियां ढूंढ रही हैं, नेता, पक्ष हैं कहां?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सुखरामजी, अब आप दो सैकिण्ड में समाप्त कर दो।

श्री सुखराम (बसेड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, सरमथुरा क्षेत्र में...

श्री उपाध्यक्ष: आपका भाषण समाप्त मानता हूं। सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2013 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.01 बजे सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2013 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर शहर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्य-योजना

2. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जयपुर शहर में वायु प्रदूषण का सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो जयपुर शहर में वर्तमान में आर.एस.पी.एम. लेबल किस स्तर पर है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बढ़ते प्रदूषण को रोकने हेतु कोई कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1**)** राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत, जयपुर शहर की परिवेशी वायु गुणवत्ता की जांच हेतु छह स्थानों यथा अजमेरी गेट, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, मुख्यालय भवन राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल झालाना डूंगरी, चांदपोल, मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र तथा क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सीकर रोड में अनुश्रवण केन्द्र स्थापित कर रखे हैं। इन केन्द्रों के द्वारा परिवेशी वायु में श्वसनीय निलम्बित विविक्त कणो (आर.एस.पी.एम.) की जांच की जाती है। जनवरी ,2013 में उक्त केन्द्रों पर आर.एस.पी.एम. लेबल क्रमश: 177, 312, 138, 192, 152 तथा 226 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर रिकार्ड किया गया है। अप्रैल 2012 से जनवरी 2013 तक किये गये परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण के जांच के परिणामों का विवरण परिशिष्ट **'**अ**'** पर है।

(2**)** जी हां । जयपुर शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये जा रहे हैं :-

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा -

1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर शहर के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत वायु प्रदूषक उद्योगों में पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना कराने हेतु सम्बन्धित इकाई को वायु **(**प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्मति में समुचित शर्तें अधिरोपित की जाती हैं।

(पर्यावरण मंत्री)

2. औद्योगिक इकाइयों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत दी जाने वाली संचालन सम्मति में उनके परिसर में वृक्षारोपण करने की शर्त भी अधिरोपित की जाती है।

3. शहर में वृक्षारोपण व शहरी वन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग को वित्तीय अनुदान दिया गया है।

4. शहर की परिवेशी वायु की गुणवत्ता की सतत् निगरानी हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा हाल ही में उच्च तकनीक वाला एक सतत् वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना भी सीकर रोड पर राज्य मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय के परिसर में की गई है।

स्थानीय निकाय विभाग द्वारा -

1. जयपुर शहर में रोपाडा में दो बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट फैसेलिटी संचालित है।

2. जयपुर नगर निगम द्वारा शहर के 77 वार्डो में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन कार्य शुरू किया गया है।

3. जयपुर शहर में जल प्रदूषण को रोकने के लिये सीवरेज लाइन डालकर नेटवर्क विकसित किया गया है। सीवरेज से निकलने वाले गंदे पानी के ट्रीटमेंट हेतु दो प्लांट देहलावास में, एक प्लांट जयसिंहपुरा खोर में तथा एक प्लांट ब्रह्मपुरी में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त रलावता व गजाधरपुरा में एक-एक प्लांट का निर्माण करवाया जा रहा है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा-

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में विभिन्न स्थानों पर यातायात के दबाव को मध्यनजर रखते हुये प्रदूषण कम करने हेतु विभिन्न परियोजनायें एवं कार्य संपादित किये हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से न केवल यातायात सुगम हुआ है अपितु इसके कारण वायु प्रदूषण भी कम होगा । वायु प्रदूषण को कम करने हेतु प्रतिवर्ष विभिन्न उद्यानों व सड़कों के किनारे सघन व़क्षारोपण किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण दवारा लगभग एक लाख वृक्ष लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के माध्यम से भी प्रदूषण कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(पर्यावरण मंत्री)

परिवहन विभाग द्वारा -

1. नये वाहनों के पंजीयन तिथि के एक वर्ष पश्चात प्रति छह माह के अंतराल पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण लिया जाना आवश्यक है। प्रमाण पत्र नहीं पाये जाने पर मोटर वाहन एक्ट के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

2. राज्य में 414 प्रदूषण जांच केंद्र अधिकृत किये गये हैं जिनके माध्यम से वाहनों की समय-समय पर जांच की जाती है।

3. वाहनों से निकलने वाले कार्बन के सम्बन्ध में भारत मानक स्तर (यूरो) निर्धारित किये गये हैं। इन मानकों की अनुरूप नहीं होने पर वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाता है ।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम, जयपुर

वर्ष 2012-13 में जयपुर शहर के 6 विभिन्न अनुश्रवण केन्द्रों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता के मासिक औसत परिणाम

स्थान	अजमेरी गेट	विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र	मुख्यालय भवन रा.प्र.नि.मं. झालाना	चांदपोल	मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालय रा.प्र.नि.मं. सीकर रोड
वर्ष माह	श्वसनीय निलम्बित विविक्त कण (आर.एस.पी.एम.)	श्वसनीय निलम्बित विविक्त कण (आर.एस.पी.एम.)	श्वसनीय निलम्बित विविक्त कण (आर.एस.पी.एम.)	श्वसनीय निलम्बित विविक्त कण (आर.एस.पी.एम.)	श्वसनीय निलम्बित विविक्त कण (आर.एस.पी.एम.)	श्वसनीय निलम्बित विविक्त कण (आर.एस.पी.एम.)
*निर्धारित मानक	100 (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर)	100 (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर)	100 (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर)	100 (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर)	100 (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर)	100 (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
अप्रैल-12	136	228	133	278	133	211
मई-12	158	231	116	236	156	156
जून-12	205	253	163	298	184	286
जुलाई-12	108	256	84	147	106	155
अगस्त-12	87	141	48	106	77	123

1	2	3	4	5	6	7
सितम्बर-12	66	81	59	97	54	90
अक्टूबर-12	138	177	87	164	85	316
नवम्बर-12	224	267	176	214	143	373
दिसम्बर-12	139	292	143	177	153	312
जनवरी-13	177	312	138	192	152	226

नोट – पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 16 नवम्बर, 2009 को जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक वार्षिक तथा 24 घण्टों के औसत आधार पर निर्धारित किये हैं। उपरोक्त सारणी में प्रदूषक तत्वों की मासिक औसत मात्रा दर्शायी गयी है। मासिक औसत के मानक निर्धारित न होने के कारण इनकी तुलना में 24 घण्टों के औसत स्तर से की गयी है।

परिशिष्ट 'ब'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पादित परियोजनाएं

1. ट्रांसपोर्ट नगर फ्लाई ओवर
2. जे.पी. फाटक अन्डरपास
3. खासाकोठी फ्लाई ओवर
4. गूजर की थड़ी अण्डरपास
5. घाट की गूणी टनल
6. राम निवास बाग पार्किंग

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

पाली जिले के राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत लम्बित सहायता प्रकरण

7. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या मण्डी मुख्यालय पर गठित राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत सहायता समिति के सदस्यों में विरोधाभास होने पर प्रकरण निदेशालय स्तर पर गठित उच्च स्तरीय सहायता समिति को निर्णय हेतु भिजवाये जाने का प्रावधान है?

(2) पाली जिले की मण्डियों के ऐसे कितने प्रकरण राज्य/निदेशालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष विचार-विमर्श एवं निर्णय हेतु गत 3 वर्ष में प्राप्त हुए हैं एवं उन पर राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा क्या निर्णय किये गये तथा कितनी राशि ऐसे प्रकरणों में स्वीकृत की गई?

(3) पाली जिले की मण्डियों में वर्तमान में उक्त योजना के कितने प्रकरण कब से किन कारणों से लम्बित हैं तथा उनका निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां। राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत सहायता समिति के सदस्यों में विरोधाभास होने पर प्रकरण निदेशालय स्तर पर गठित समिति को निर्णय हेतु भिजवाने का प्रावधान है। उक्त समिति का गठन दिनांक 16.4.2012 को किया गया है।

(2) पाली जिले की मण्डियों के राज्य स्तरीय समिति के समक्ष निम्न दो प्रकरण प्राप्त हुए हैं:-

क्र.सं.	दावेदार	प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि
1	श्री सवाराम पुत्र श्री करमीजी रेबारी (मृतक स्व. श्री वचनाराम पुत्र श्री सवाराम)	30.11.2012
2	श्री सूजाराम उर्फ सूरजमल पुत्र श्री जयरूपराम नट (मृतक स्व. श्रीमती सायरी देवी पत्नि श्री सूजाराम)	04.02.2013

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 26.2.13 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें इन प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकेगा।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

(3) पाली जिले की मण्डियों में राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट 'अ' अनुसार संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बाल श्रम पर रोक हेतु गठित टास्क फोर्स

8. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला स्तर पर बाल श्रम को रोकने के लिये टास्क फोर्स का गठन किया गया है? यदि हां, तो अलवर जिले में गठित टास्क फोर्स के सदस्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गठित टास्क फोर्स द्वारा गत चार वर्षों में कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर उनका पुनर्वास किया गया? उक्त जिले में मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा गत चार वर्षों में बाल श्रमिकों की पहचान के लिये कोई सर्वे कार्य करवाया गया है? यदि नही, तो उक्त सर्वे को नहीं करने के लिये कौन दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि बाल श्रमिकों का नियमित रूप से सर्वे करना अनिवार्य है? यदि हां, तो उक्त सर्वे को नहीं करने के लिये कौन दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। टास्क फोर्स का गठन कर लिया गया है। अलवर जिले की टास्क फोर्स के सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य में टास्क फोर्स के माध्यम से विगत चार वर्षों में 777 बालकों को मुक्त कराकर उनका पुनर्वास किया गया। मुक्त कराए गए बालकों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) अलवर जिले में श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा बाल श्रमिकों का सर्वे वर्ष 2010 में कराया गया था। इसके अतिरिक्त श्रम विभाग, अलवर द्वारा समय-समय पर ईंट-भट्टों, माइन्स, होटल-ढाबों व अन्य का सर्वे वर्ष 2011 में करवाया गया।

(4) नियमित रूप से सर्वे कराये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार समय-समय पर सर्वे कराया जाता है।

परिशिष्ट—अ

अलवर जिले की टास्क फोर्स का विवरण

1. जिला कलक्टर अलवर-अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक अलवर- सदस्य
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.)- सदस्य
4. सहायक निदेशक, समाज कल्याण-सदस्य
5. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग-सदस्य
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-सदस्य
7. सचिव, नगर विकास न्यास अलवर-सदस्य
8. उप श्रम आयुक्त अलवर-सदस्य

परिशिष्ट-ब

मुफ्त कराए गए बालकों का जिलेवार विवरण

1.	अलवर	3
2.	अजमेर	13
3.	बांसवाड़ा	26
4.	भीलवाड़ा	58
5.	जयपुर	269
6.	कोटा	08
7.	सिरोही	06
8.	डूंगरपुर	137
9.	उदयपुर	257
	योग	**777**

उपरोक्त के अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से 8400 बाल श्रमिकों को चिन्हित एवं मुक्त करवाकर राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत 168 विद्यालयों में शिक्षा प्रदान कर पुनर्वासित किया गया है।

जोधपुर जिले के वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र

9. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरसिंह) : क्या यातयात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित किये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रदूषण जांच केन्द्रों में से अधिकांश जांच केन्द्र बन्द हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से व किन कारणों से?

(3) क्या सरकार उक्त केन्द्रों का लाइसेन्स निरस्त करने व नवीन प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में स्थापित प्रदूषण जांच केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

(2) जी नहीं । उक्त प्रदूषण जांच केन्द्रों में से अधिकांश जांच केन्द्र बन्द नहीं हैं। कुछ प्रदूषण जांच केन्द्र, अधिकार पत्र नवीनीकरण न करवाने के कारण संचालित नहीं है। ऐसे जांच केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है ।

(3) परिशिष्ट-2 पर अंकित पाचों प्रदूषण जांच केन्द्रो में उनके प्राधिकार पत्र की विधि मान्यता की समयावधि के समाप्त होने से पूर्व नवीनीकरण नहीं कराया गया है इसलिए वे "मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र स्कीम 2005" के बिन्दु 4 (2) के अनुसार स्वत: ही समाप्त/निरस्त हो गये हैं। नवीन प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित करने हेतु निर्मित मोटरयान प्रदूषण जांच स्कीम 2005 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर अधिकार पत्र जारी किया जाता है। स्कीम की छाया प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

भरतपुर जिले में दर्ज आपराधिक प्रकरण

10. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भरतपुर जिले में वर्ष 2009 के मुकाबले 2010 में और वर्ष 2010 के मुकाबले 2011 में और वर्ष 2011 के मुकाबले वर्ष 2012 में हत्या, चोरी, डकैती, लूटपाट, अपहरण, बलात्कार, देह व्यापार, मानव तस्करी, बलवा इत्यादि में कितने-कितने प्रतिशत वृद्धि/कमी हुई है? वर्षवार तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. दिगम्बर सिंह)

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में अनुसंधान की समय सीमा निर्धारित की हुई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है?

(3) वर्ष 2012 में उपरोक्त विषयक दर्ज कितने-कितने मुकदमों में चालान पेश किये जा चुके हैं?

उत्तर

(1) हत्या, चोरी, डकैती, लूटपाट, अपहरण, बलात्कार, देह व्यापार, मानव तस्करी, बलवा इत्यादि का वर्षवार तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 2012 में उपरोक्त विषयक दर्ज प्रकरणों में पेश किये गये चालान का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

बिन्दु सं. 1 वर्ष 2009, 2010, 2011 एवं 2012 में हत्या, चोरी, डकैती, लूटपाट, अपहरण, बलात्कार, देह व्यापार, मानव तस्करी व बलवा के दर्ज प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	शीर्षक	दर्ज प्रकरणों की संख्या		प्रतिशत वृद्धि/कमी	दर्ज प्रकरणों की संख्या		प्रतिशत वृद्धि/कमी	दर्ज प्रकरणों की संख्या		प्रतिशत वृद्धि/कमी
		2009	**2010**		**2010**	**2011**		**2011**	**2012**	
1	हत्या	71	83	16.90	83	95	14.45	95	92	-3.15
2	चोरी	1132	1449	28.00	1449	1468	1.31	1468	1466	-0.13
3	डकैती	03	0	-100.00	0	02	200	02	01	-50.00
4	लूट	14	34	142.85	34	39	14.70	39	41	5.12
5	अपहरण	188	203	7.97	203	193	-4.92	193	212	9.84
6	बलात्कार	82	83	1.21	83	69	-16.86	69	108	56.52
7	देह व्यापार	02	01	-50.00	01	0	-100	0	07	700
8	मानव तस्करी	0	0	0	0	14	1400	14	13	-7.14
9	बलवा	03	02	-33.33	02	01	-50.00	01	0	-100

परिशिष्ट 'ब'

बिन्दु सं. 3 वर्ष 2012 में हत्या, चोरी, डकैती, लूटपाट, अपहरण, बलात्कार, देह व्यापार, मानव तस्करी व बलवा में पेश चालान का विवरण :-

क्र.सं.	शीर्षक	वर्ष 2012 में दर्ज प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2012 में पेश चालानों की संख्या
1	हत्या	92	41
2	चोरी	1466	128
3	डकैती	1	01
4	लूट	41	23
5	अपहरण	212	41
6	बलात्कार	108	20
7	देह व्यापार	7	06
8	मानव तस्करी	13	02
9	बलवा	0	0

निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के वेतन निर्धारण हेतु नीति

11. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों एवं सह शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारण हेतु कोई कानून बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के विभिन्न शहरों/ग्रामों में संचालित निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक/कर्मचारियों का वेतन निर्धारित नहीं होने के कारण प्रदेश के मजदूर के न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं? यदि हां, तो उक्त पढे लिखे नौजवानों के भविष्य के बारे में सरकार की क्या कार्य योजना है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों का वेतनमान विद्यालय स्तर पर 2000-4000 के मध्य एवं महाविद्यालय स्तर पर 6000-8000 के मध्य एवं बी.एड./एस.टी.सी. उत्तीर्ण कर्मियों को 6000-10000 के मध्य दिया जा रहा है? क्या सरकार इसे तर्क

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

संगत मानती है यदि नहीं, तो इस शोषण को समाप्त करने के लिए क्या सरकार कोई प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक :प.15(1)शिक्षा-5/94पार्ट। दिनांक 29-7-98 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि "गैर सरकारी गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व कर्मचारियों को राजकीय शिक्षकों व कर्मचारियों के समान वेतन, महंगाई भत्ता व भविष्य निधि सुविधायें दिया जाना अनिवार्य नहीं है ऐसी संस्था व उनके शिक्षक तथा कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा नियम बनाये जाने तक वेतन, महंगाई भत्ते इत्यादि के सम्बन्ध में आपसी अनुबन्ध के आधार पर अपने वेतन तथा भत्ते तय करने के लिए स्वतंत्र है"।

(3) निजी शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के वेतन के सम्बन्ध में स्थिति प्रश्न के भाग संख्या-2 में स्पष्ट की जा चुकी है। यह वेतन शिक्षकों को संस्था एवं शिक्षकों की आपसी अनुबन्ध के आधार पर दिया जा रहा है।

अलवर शहर में अतिक्रमण पर रोक हेतु कार्य योजना

12. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर परिषद अलवर द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2011 से जनवरी, 2013 तक कब-कब शहर में अतिक्रमण निरोधक कार्यवाही की गई है? कार्यवाही की दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अलवर शहर के सबसे व्यस्ततम बाजार, रास्तों एवं क्षेत्रों में अतिक्रमण हो रहे हैं? यदि हां, तो क्यों एवं अतिक्रमण नहीं होने के लिए नगर परिषद अलवर द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अलवर शहर में किन-किन स्थानों पर अतिक्रमण हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, अलवर द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2011 से वर्तमान तक शहर में अतिक्रमण निरोधक कार्यवाही की गई है। इसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि अलवर शहर के नगर परिषद्, क्षेत्र की चारदीवारी में व्यस्ततम बाजार, रास्तों एवं क्षेत्रों में अस्थाई अतिक्रमण है। उन्हें नगर परिषद्, अलवर द्वारा समय-समय पर हटाया जाता रहा है। परन्तु कुछ अस्थाई अतिक्रमण अभी और हटाने बाकी हैं। इस क्षेत्र से हटाये गये अस्थाई अतिक्रमणों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) अलवर शहर में जिन स्थानों पर अतिक्रमण हो रहे हैं का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी हां, नगर परिषद्, अलवर एवं नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के अतिक्रमणों को शीघ्र हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट 'अ'

दिनांक 01 जनवरी, 2011 से वर्तमान तक हटाये गये अतिक्रमणों का विवरण

क्र.सं.	अतिक्रमण हटाने का दिनांक	अतिक्रमी का नाम/स्थान	अतिक्रमणों का विवरण
1	30.04.2012	श्री विजय कुमार, महेश कुमार पुत्र स्व. श्री कल्याण दत्त शर्मा	कचहरी गेट के पास सार्वजनिक सड़क के पूर्व की तरफ पटरी पर 10 फुट लम्बा व 7 फीट चौड़ा खोखा।
2	26.07.2012	श्री घनश्याम दास गुप्ता पुत्र स्व. श्री डालचन्द गुप्ता	कचहरी गेट के पास सार्वजनिक नाले को पाटकर 60 फुट लम्बा व 8 फीट चौड़ा पक्का निर्माण।
3	21.09.2012	श्री विजय कुमार पुत्र श्री मंगतू राम धोबी	काला कुआं पार्क के सामने सड़क की पटरी पर 9 फुट लम्बा व 8 फीट चौड़ा लकड़ी का खोखा।

परिशिष्ट 'ब'

अस्थाई अतिक्रमणों की सूची

क्र. सं.	अतिक्रमण हटाने का दिनांक	अतिक्रमी का नाम/स्थान	अतिक्रमी से जब्त किये सामान का विवरण
1.	10.01.2013	सुरेश चन्द पुत्र कल्याण सिंह, चर्च रोड अलवर	एक लकड़ी की टेबल, दो तकिये।
2.	10.01.2013	नन्द टिम्बर वर्क्स चर्च रोड अलवर	चोदह कुर्सी प्लास्टिक तीन छोटी कुर्सी
3.	10.01.2013	अशोक कुमार पुत्र सम्पत राम शर्मा चर्च रोड अलवर	एक खिड़की जंगला लडकी का
4.	10.01.2013	दुर्गा ट्रेडर्स चर्च रोड अलवर	टो टेबल दो हेटमेंट सीट
5.	10.01.2013	राजकुमार जैन पुत्र गिर्राज प्रसाद जैन, चर्च रोड अलवर	एक बेंच लकडी की
6.	15.01.2013	विजेन्द्र पुत्र गोविन्द राम, कबीर कालोनी	एक तराजू लोहे की
7.	15.01.2013	गिर्राज प्रसाद पुत्र रामजीलाल, केडलगंज	लकड़ी का फट्टा
8.	15.01.2013	सुरेश पुत्र मूलचन्द, गुर्जर का मोहल्ला	एक लोहे की तराजू
9.	15.01.2013	लक्ष्मण पुत्र रामजीलाल, केडलगंज	एक प्लास्टिक की कुर्सी
10.	15.01.2013	गणेश जनरल स्टोर, केडलगंज	लकड़ी के दो स्टूल
11.	15.01.2013	हितेश कुमार पुत्र रामवतार गुप्ता केडलगंज	एक गुड का कट्टा
12.	15.01.2013	सीताराम पुत्र राधेश्याम गोपाल टाकीज के पास	एक कुर्सी प्लास्टिक की
13.	15.01.2013	राहुल गुप्ता पुत्र ताराचन्द गुप्ता केडलगंज	एक कली का कट्टा
14.	15.01.2013	बिट्टू अग्रवाल पुत्र दयाराम केडलगंज	एक बेच लड़की
15.	15.01.2013	अनिल भारती केडलगंज	एक विज्ञापन बोर्ड
16.	15.01.2013	दिनेश कुमार पुत्र राधेश्याम केडलगंज	एक लकड़ी का फट्टा

परिशिष्ट 'स'

स्थाई अतिक्रमणों का विवरण जिन पर कार्यवाही विचाराधीन है

क्र.सं.	**अतिक्रमी का नाम/ स्थान**	**अतिक्रमणों का विवरण**
1	श्रीमती बबूल देवी पत्नी श्री धनी राम गुर्जर	मौहल्ला लादिया पावर हाउस के पास एक पक्का कमरा
2	श्री दयाकिशोर पुत्र श्री मुरलीधर हरीजन	चमेली बाग आवासीय योजना के प्लान नं. 16 व 17 पर 46 फीट लम्बा व 17.6 फीट चौडा पक्का कमरे का निर्माण
3	श्री संजय पुत्र श्री सोहन लाल हरिजन	चमेली बाग आवासीय योजना के प्लान नं. 17 पर 32 फीट 6 इंच लम्बा व 10 फीट चौड़ा टीनसेड डालकर पक्का अतिक्रमण
4	श्री दौलत राम सैनी पुत्र श्री रामचन्द सैनी	नया बास मीणा धर्मशाला के पीछे सरकारी नाले पर 9 फीट लम्बा व 4 फीट 6 इंच चौड़ा लैट्रिन बाथरूम का निर्माण

धौलपुर जिले के चम्बल क्षेत्र में बजरी/रेता खनन स्वीकृति हेतु कार्य-योजना

13. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर जिले में चम्बल रेता (Chambal Sand) खनन एवं दोहन को अवैध घोषित किया हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि गत चार वर्षो में अवैध दोहन व खनन के अनेकों प्रकरण दर्ज कर चम्बल सैण्ड जब्त की गई है?

(3) क्या यह सही है कि सैकड़ों ट्रक अवैध चम्बल सैण्ड के जब्त हुए हैं और उनके उपयोग का दावा सरकार द्वारा महानरेगा के कार्यो में उपयोग किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से पक्के कार्य हैं और कौन-कौन सी एजेन्सी के माध्यम से उक्त कार्य कराये गये हैं?

(4) क्या उक्त चम्बल रेता को उक्त एजेन्सी को बेचा गया है? यदि

(श्री अब्दुल सगीर खां)

हां, तो किस दर पर और उस राशि को किस मद में जमा कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि भवन निर्माण, सरकारी भवन निर्माण, पक्के विकास कार्य हेतु धौलपुर जिले में किसी तरह की रेता वैध स्रोत है? यदि हां, तो कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार बनास नदी जयपुर की तर्ज पर धौलपुर में भी चम्बल रेता खनन से रोक हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.7.83 से चम्बल नदी क्षेत्र राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र होने के कारण चम्बल रिवर बेड से 1000 मीटर दोनों तरफ बजरी का खनन एवं दोहन पूर्णतया प्रतिबन्धित है।

(2) जी हां। विगत चार वर्षों में धौलपुर जिले में वन विभाग द्वारा 117 एवं पुलिस विभाग द्वारा 500 प्रकरण दर्ज किए गए हैं एवं चम्बल सैण्ड भी जब्त की गई है।

(3) विगत चार वर्षों में जिला धौलपुर में पुलिस विभाग द्वारा 57 ट्रक तथा वन विभाग द्वारा 30 ट्रक व 83 ट्रैक्टर अवैध खनिज चम्बल सैण्ड के जब्त किए गए। जब्तशुदा बजरी में से 147 घनमीटर बजरी का उपयोग वर्ष 2010-11 में वन विभाग, धौलपुर द्वारा ईको रेस्टोरेशन कार्यान्तर्गत पक्की दीवार का निर्माण किया गया। उक्त कार्य महानरेगा योजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा कार्यकारी एजेन्सी के रूप में करवाया गया है। निर्माण कराये गए कार्य स्थलों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(4) वन विभाग द्वारा ईको-रेस्टोरेशन कार्यान्तर्गत 24 कार्यस्थलों पर निर्मित करवाई गई पक्की दीवार में किसी प्रकार के अन्य श्रोत से बजरी का क्रय नहीं किया गया है। जब्त शुदा बजरी 147 घ.मी. को ही आवश्यकतानुसार उपयोग में लिया गया। इसके अतिरिक्त रेन्ज राजाखेड़ा अन्तर्गत सामौना घाट के पास सड़क के किनारे एकत्रित किये गये लगभग 2000 टन बजरी को वर्ष 2004 में जिला कलक्टर धौलपुर के निर्देशानुसार निलामी की जाकर राशि रु. 5,10,000/- में ठेकेदार विनय कुमार दास पुत्र श्री मिलसन दास एम एस

(खनिज मंत्री)

कोठी ए बी रोड धौलपुर को राशि वन विभाग के राजकोषीय मद 8782-फोरेस्ट रेमीटेंस में जमा करायी गयी।

(5) जी हां। धौलपुर जिले में खनिज रेता (बजरी) हेतु पार्वती नदी वैध स्त्रोत है जहां से बजरी का उपयोग भवन निर्माण, सरकारी भवन निर्माण व पक्के विकास कार्य हेतु किया जाता है।

(6) जी नहीं। बनास नदी में बजरी खनन पर रोक अल्प अवधि में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के स्थगन के कारण लगी थी जो स्थगन हटने के साथ ही समाप्त हो गई। चम्बल नदी में बजरी खनन की अनुमति भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन अनारक्षण की स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् ही सम्भव है। खान विभाग द्वारा चम्बल नदी धौलपुर जिले में ग्राम कठूमरा, भूड़ा व शंकरपुरा ग्रामों के कुल 148.90 हैक्टर क्षेत्र के वन-अनारक्षण के प्रस्ताव वन विभाग को भिजवाये गए हैं जो राज्य वन विभाग के स्तर पर विचाराधीन हैं।

परिशिष्ट-1

कार्यालय उप वन संरक्षक धौलपुर

महात्मा गांधी नरेगा योजना

ईको-रेस्टोरेशन पक्की दीवार निर्माण प्रगति

क्र.सं.	वर्ष	नाम साईड	नाम रेंज	पंचायत समिति
1	2	3	4	5
1	2010-11	प्लां. गोलपहाड़	धौलपुर	धौलपुर
2	2010-11	प्लां. केसरबाग	धौलपुर	धौलपुर
3	2010-11	प्लां. विश्नौदा	धौलपुर	धौलपुर
4	2010-11	प्लां. हिन्नौदा	धौलपुर	धौलपुर
5	2010-11	प्लां. निभी	वनविहार	धौलपुर
6	2010-11	प्लां. डहरा	वनविहार	धौलपुर
7	2010-11	प्लां. सहेडी 2	वनविहार	बाड़ी
8	2010-11	प्लां. देवीसिंह का पुरा	वनविहार	बाड़ी
9	2010-11	प्लां. सोने का गुर्जा ए	वनविहार	बाड़ी

1	2	3	4	5
10	2010-11	प्लां. सोने का गुर्जा बी	वनविहार	बाड़ी
11	2010-11	प्लां. बथुआ खो	सरमथुरा	बसेड़ी
12	2010-11	प्लां. चांदपुरा	सरमथुरा	बसेड़ी
13	2010-11	प्लां. बिझोली	सरमथुरा	बसेड़ी
14	2010-11	प्लां. बटीकरा	सरमथुरा	बसेड़ी
15	2010-11	प्लां. भिंडीपुरा	सरमथुरा	बसेड़ी
16	2010-11	प्लां. झिरी I	सरमथुरा	बसेड़ी
17	2010-11	प्लां. झिरी II	सरमथुरा	बसेड़ी
18	2010-11	प्लां. मल्लपुरा I	सरमथुरा	बसेड़ी
19	2010-11	प्लां. मल्लपुरा II	सरमथुरा	बसेड़ी
20	2010-11	प्लां. सोने का गुर्जा सी	वनविहार	बाड़ी
21	2010-11	प्लां. सोने का गुर्जा डी	वनविहार	बाड़ी
22	2010-11	प्लां. सोने का गुर्जा ई	वनविहार	बाड़ी
23	2010-11	प्लां. सोने का गुर्जा एफ	वनविहार	बाड़ी
24	2010-11	प्लां. गौलारी	सरमथुरा	बसेड़ी

उप वन संरक्षक

धौलपुर

खण्डेला के ग्रामों हेतु निगम बस सेवा

14. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में ग्रामीण बस सेवा के तहत कौन-कौनसी पंचायतों को अब तक जोड़ दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतें अब भी ग्रामीण बस सेवा से वंचित हैं एवं इन्हें कब तक बस सेवा उपलब्ध करा दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में ग्राम दादिया से कोटड़ी, तपीपल्या, लाम्पुआ होते हुए सीकर के लिए बस चलाई जा रही थी? यदि हां, तो उक्त बस सेवा को किन कारणों से बंद किया गया?

(श्री बंशीधर खण्डेला)

(4) क्या सरकार उपरोक्त बंद किये गये मार्ग पर पुनः निगम बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत को बस सेवा से नहीं जोड़ा गया है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा संचालन की दृष्टि से दिनांक 14.02.2013 को निविदाऐं आमंत्रित की गई हैं तथा निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.04.2013 है।

उक्त परिशिष्ट में अंकित ग्राम पंचायतों को ग्रामीण परिवहन सेवा योजना में सम्मिलित किया गया है। किन्तु खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने तथा उन्हें अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात ही ये ग्राम पंचायतें ग्रामीण बस सेवा से जुड सकेंगी।

(3) जी हां। इस बस सेवा की आय संचालन लागत से भी कम आने के कारण दिनांक 24.02.2005 से संचालन बन्द कर दिया गया।

(4) जी नहीं। इस मार्ग पर पूर्व में संचालित बस सेवा को प्राप्त हुई कम आय/यात्रीभार तथा निगम के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल इस मार्ग पर पुन: बस संचालन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रींगस-खाटू मार्ग पर स्थित लाम्पुआ ग्राम पंचायत निगम बस सेवा से जुडी हुई है तथा दादिया, तपीपल्या, कोटड़ी ग्राम पंचायतों को ग्रामीण बस सेवा से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में निगम बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायतों की सूची

क्र.सं.	**वंचित ग्राम पंचायतें**
1	पलिहारवास
2	सुजाना
3	हरदास का बास
4	हाथीदेह
5	जाजोद

क्र.सं.	वंचित ग्राम पंचायतें
6	कांसरडा
7	मलिकपुर
8	पुजारी का बास
9	करडका
10	बुरजा की ढाणी
11	गोविन्दपुरा
12	दुल्हेपुरा
13	गुमान सिंह की ढाणी

जयपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की उपयोगिता

15. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? यदि हां, तो, कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का उद्देश्य अपराधों में कमी करना था? यदि हां, तो क्या कमिश्नर प्रणाली लागू किये जाने के बाद अपराधों में बढ़ोतरी हुई है? हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(3) कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद हत्या, डकैती, चोरी एवं राहजनी तथा अन्य अपराधों में गत दो वर्ष में कितनी बढोतरी हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली दिनांक 01.01.2011 से लागू की गई है।

(2) जी हां। जयपुर शहर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने का उद्देश्य अपराधों में कमी एवं आमजन को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। जयपुर शहर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अपराधों में वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 व 2012 में तुलनात्मक कमी/वृद्धि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2011 व 2012 में कुछ अपराधों को छोड़कर हत्या, डकैती, लूट, अपहरण व्यपहरण, बलवा व अन्य चोरी के अपराधों में कमी आई है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर शहर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद अपराधों में वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 व वर्ष 2012 में तुलनात्मक कमी/वृद्धि प्रत्येक शीर्षकवार विवरण

वर्ष	हत्या	कमी/वृद्धि	हत्या का प्रयास	कमी/वृद्धि	डकैती	कमी/वृद्धि	लूट	कमी/वृद्धि	अपहरण/व्यपहरण	कमी/वृद्धि	बलात्कार	कमी/वृद्धि	बलवा	कमी/वृद्धि
2010	88		79		6		259		247		76		164	
2011	83	-6%	82	+4%	8	+33%	179	-31%	262	+6%	92	+21%	137	-16%
2012	76	-14%	81	+3%	5	-17%	256	-1%	220	-11%	133	+75%	67	-59%

वर्ष	नकबजनी	कमी/वृद्धि	वाहन चोरी	कमी/वृद्धि	अन्य चोरी	कमी/वृद्धि	अन्य भादस	कमी/वृद्धि	योग भादस	कमी/वृद्धि
2010	885		3850		1430		12662		19746	
2011	889	+0.4%	3447	-10%	1448	+1%	12270	-3%	18897	-4%
2012	968	+9%	4121	+7%	1178	-18%	11506	-9%	18611	-6%

अलवर शहर में पर्यटन विकास हेतु कार्य-योजना

16. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ट्यूरिज्म मास्टर प्लान बनाने की योजना बनाई जा रही है? यदि हां तो, कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सम्बन्ध में नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा कोई निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कब व किस बैठक में? निर्णय की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मास्टर प्लान में अलवर के किन-किन पर्यटन क्षेत्रों को शामिल किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त मास्टर प्लान का कार्य पूर्ण किया जा चुका है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो अब कब तक कर लिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त मास्टर प्लान के लागू किये जाने से अलवर जिले के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? यदि हां, तो किस तरह? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अलवर शहर का ट्यूरिज्म मास्टर प्लान बनाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। अलवर शहर का मास्टर प्लान-2031 का प्रारूप तैयार कर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5 के तहत आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 29.09.2012 को प्रकाशित किया गया है। प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर विचार कर इसे अंतिम रूप दिया जावेगा। इस मास्टर प्लान (प्रारूप) में ट्यूरिज्म मास्टर प्लान बनाने का प्रस्ताव उल्लेखित किया गया है।

(2) जी नहीं। इस सम्बन्ध में नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(3) बिन्दु संख्या-1 के अनुसार बनाये गये अलवर के मास्टर प्लान (प्रारूप) में सरिस्का बाघ अभयारण्य, तालवृक्ष, नटनी का बाड़ा, भर्तृहरी, नीलकण्ठ, नन्दलेश्वर आदि स्थलों की विकास योजनाऐं बनाकर पर्यटन सुविधाऐं विकसित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) प्रश्न के बिन्दु संख्या-1 के अनुसार।

(5) जी हां। मास्टर प्लान (प्रारूप) में पर्यटन सुविधाऐं विकसित करने हेतु प्रावधान प्रस्तावित किया है, जिससे पर्यटन स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से सुनियोजित विकास हो सकेगा।

''रमसा'' योजनान्तर्गत जयपुर जिले हेतु स्वीकृत राशि

17. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए "रमसा" योजना में राशि स्वीकृत की जाती है? यदि हां, तो दिनांक 1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक जयपुर जिले में किस-किस विद्यालय के लिए "रमसा" योजना में राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी है? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों में?

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में "रमसा" योजना में राशि स्वीकृत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जयपुर जिले के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए दिनांक 01.01.2009 से 31.01.2013 तक की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र चौमूं के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी वाले विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अनुसार राशि स्वीकृत की जाती है। वार्षिक योजना वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राशि स्वीकृत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बूंदी नगर परिषद् द्वारा आवासीय कालोनियों के स्वीकृत "ले-आउट प्लान"

18. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) "प्रशासन शहरों के संग" अभियान के तहत नगर परिषद् बून्दी में जून, 1999 से पहले की कितनी कालोनियों को पट्टे जारी करने हेतु चिन्हित कर ले-आउट प्लान स्वीकृत कर दिये गये हैं? चिन्हित कालोनियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान के तहत बून्दी नगर परिषद् में कुल कितनी पत्रावलियां पट्टे बनाने हेतु प्राप्त हुई? कालोनीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) स्वीकृत कालोनियों के ले-आउट प्लान स्वीकृति में देरी के लिए कौन जिम्मेदार हैं और क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) "प्रशासन शहरों के संग अभियान" के तहत् नगर परिषद् बून्दी में जून 1999 से पूर्व 56 कालोनियां पट्टे जारी करने के लिए चिन्हित की गई थीं। इनमें से 55 कालोनियों के ले-आउट प्लान स्वीकृत किये गये हैं। एक कालोनी के ले-आउट प्लान की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट "अ'' पर संलग्न कर सदन की मेंज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त अभियान के तहत कुल 2432 पत्रावलियां प्राप्त हुई हैं। कालोनीवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) इस सम्बन्ध में किसी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है क्योंकि इतनी कालोनियों के ले-आउट प्लान स्वीकृत करने में समय लगना स्वाभाविक है। कार्य को देखते हुए देरी नहीं हुई है। तदनुसार कार्यवाही वांछित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अवैध खनन में दुर्घटनाग्रस्त मजदूरों को देय सहायता

19. श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) व **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रोहिताश कुमार)

(1) क्या यह सही है कि अवैध खनन कर रहे खान मालिकों को खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा कोई नोटिस जारी करने की जानकारी राज्य सरकार की जानकारी ध्यान में आई है? यदि हां, तो कुल कितने खान मालिकों को नोटिस दिये गये तथा नोटिस पर क्या-क्या कार्यवाही हुई?

(2) वर्ष 2010-11 व 2011-12 में कुल कितने अवैध खनन के प्रकरण दर्ज किये गये तथा दर्ज प्रकरणों पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(3) वर्ष 2010-11 व 2011-12 में राज्य में खनन करते हुए कितने मजदूर दुर्घटना का शिकार हुए तथा दुर्घटना का शिकार हुए मजदूरों को राज्य सरकार अथवा खान मालिकों की ओर से कब-कब सहायता दी गई?

उत्तर

(1) विगत 2 वर्षों में विभाग के ध्यान में खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा खनन पट्टों में भिन्न-भिन्न नियमों की अवहेलना बाबत कुल 445 नोटिसों का जारी किया जाना पाया गया है। कार्यालयवार नोटिसों का विवरण परिशिष्ट-ए-1 से ए-23 पर उपलब्ध है ।

(2) राज्य में वर्ष 2010-11 में 682 एवं वर्ष 2011-12 में 455 अवैध खनन के प्रकरण दर्ज किये गये। प्रत्येक प्रकरण में की गई कार्यवाही का कार्यालयवार विवरण परिशिष्ट-बी-1 से बी-37 पर उपलब्ध है।

(3) विभाग की जानकारी अनुसार खनन कार्य से राज्य में वर्ष 2010-11 में 29 मजदूर एवं 2011-12 में कुल 20 मजदूर, कुल 49 मजदूरों की दुर्घटना से मृत्यु हुई। दुर्घटना के शिकार हुए उक्त मजदूरों को प्राप्त हुई सहायता विभागीय जानकारी अनुसार परिशिष्ट-सी में दर्शाई गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जन प्रतिनिधियों के पत्रों के सम्बन्ध में जारी निर्देश

20. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव ने समय-समय पर निर्देश जारी किये हैं कि जनप्रतिनिधियों के पत्र का उत्तर उन्हें दिया जावे? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री देवी सिंह भाटी)

(2) गत दो वर्षों में वन विभाग को जिला बीकानेर के किन-किन अधिकारीयों को क्षेत्रीय विधायक कोलायत द्वारा कब-कब पत्र लिखा गया और उस पर कब क्या कार्यवाही की गई तथा उत्तर पत्र कब भेजा गया? प्राप्त पत्र की प्रति, उत्तर की प्रति एवं उस पर कब क्या कार्यवाही की गई, की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पत्र का उत्तर नहीं देने के क्या कारण रहे और क्या सरकार द्वारा उत्तर नहीं देने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर आरोप पत्र दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) गत 2 वर्षों में माननीय विधायक कोलायत द्वारा बीकानेर के वनाधिकारियों को लिखे गये पत्र, उन पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण तथा भेजे गये उत्तरों का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) प्रश्न के भाग संख्या (2) में दिये गये विवरण के क्रम में स्पष्ट है कि पत्रों के उत्तर दिये गये हैं, अत: किसी कर्मचारी को आरोप पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में बालिका शिक्षा के प्रसार हेतु कार्य योजना

21. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि मरुस्थलीय क्षेत्र बाड़मेर व जैसलमेर में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसी के तहत बालिका शिक्षा के नामांकन में वृद्धि भी हुई है?

(3) बाड़मेर जिले में बालिकाओं के लिए कितने विद्यालय संचालित हैं ? प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षावार, पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में विशेषकर बालिका

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

प्राथमिक विद्यालय सृजित करने के साथ ही उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या सरकार बायतू विधान सभा क्षेत्र में बाटाडू, सवाउपदमसिंह, हीरे की ढाणी एवं पाटोदी में माध्यमिक स्तर के बालिका विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) बाड़मेर जिले में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में संचालित बालिकाओं के विद्यालयों की संख्या का विवरण क्रमश: परिशिष्ट "अ" और "ब" संलग्न है।

(4) जी हां। बायतू विधान सभा क्षेत्र के बाटाडू, सवाउपदमसिंह, हीरे की ढाणी एवं पाटोदी में माध्यमिक स्तर के बालिका विद्यालय खोलने के प्रस्ताव की अन्य प्रस्तावों के साथ समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आकलन करते हुए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के तहत विद्यालयों को खोलने/ क्रमोन्नत करने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

"अफोर्डेबल हाउस" योजनान्तर्गत आबंटित आवासों के दुरुपयोग पर रोक हेतु कार्य-योजना

22. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में गरीब एवं निर्धन तबके को सस्ते मकान देने के लिये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लागू की गई है? यदि हां, तो कब से? सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत पांच वर्ष की समयावधि में कितने मकान निर्मित कर लोगों को उपलब्ध कराने थे एवं उसके विरुद्ध अब तक कितने मकान पूर्ण रूप से निर्मित होकर आबंटित किये जा चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार गरीब एवं निर्धन तबके के व्यक्तियों को सस्ते

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मकान उपलब्ध कराने की इस महती योजना का वास्तविक लाभ पहुंचाने हेतु आबंटित किये जाने वाले मकानों के पुन: बेचान/रिसेल पर पाबंदी लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि प्रदेश में गरीब एवं निर्धन तबके को सस्ते मकान देने के लिये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लागू की गई है। यह पालिसी 23 दिसम्बर, 2009 को जारी की गई। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी के तहत पांच वर्ष की समयावधि में 1 लाख 25 हजार मकान/फ्लैट/भूखण्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के विभिन्न माडल्स के अन्तर्गत 31 जनवरी, 2013 तक 53457 आवास आबंटन किये गये हैं तथा 35650 आवास निर्मित हो चुके हैं।

(3) जी हां। स्थानीय निकायों में प्रभावी राजस्थान नगरपालिका (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 राजस्थान नगर सुधार न्यास (भूमि निस्तारण) नियम, 1974 एवं राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के प्रावधान इस योजना के अन्तर्गत उपलबध करवाये गये आवासों पर भी लागू है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बसेड़ी के कार्यालयों के आन्तरिक अंकेक्षण के तहत बकाया राशि

1. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में किस-किस राजकीय कार्यालयों में आंतरिक अंकेक्षण कब-कब करवाया गया एवं अंकेक्षण में क्या-क्या कमियां/खामियां प्रकाश में आईं? कार्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अंकेक्षण में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि बकाया निकाली गई अथवा वसूली करने के लिए निर्देशित किया गया एवं कितनी-कितनी राशि जनवरी, 2013 तक वसूल की जा चुकी है एवं शेष राशि कब तक वसूल कर ली जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन निरीक्षण विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष कार्यालयों के लेखों का आंतरिक अंकेक्षण सम्पादित किया जाता है। चूंकि बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में कोई विभागाध्यक्ष कार्यालय स्थित नहीं है, अतः इस अवधि में बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में किसी भी कार्यालय के लेखों का आंतरिक अंकेक्षण निरीक्षण विभाग द्वारा संपादित नहीं किया गया है।

(2) उक्तानुसार अंकेक्षण सम्पादित नहीं होने के कारण इस प्रकरण का विवरण शून्य है।

पैट्रोलियम पदार्थों पर लिये जाने वाला टैक्स

2. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि हरियाणा एवं अन्य प्रदेशों में पैट्रोल व डीजल पर राजस्थान के मुकाबले कम टैक्स होने से पैट्रोलियम पदार्थों की ब्रिकी पर विपरीत असर पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार पैट्रोल व डीजल की दरों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिये उक्त टैक्स कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। पैट्रोल पर राजस्थान में वैट की दरें पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में वैट की दर से कम है एवं डीजल पर राजस्थान में वैट की दर मध्य प्रदेश एवं गुजरात से कम है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है :-

राज्य	डीजल पर कर की दर	पैट्रोल पर कर की दर
दिल्ली	12.5%	20%
हरियाणा	8.80%	20%
पंजाब	8.25% + 10% surcharge	27.50% + 10% surcharge
उत्तर प्रदेश	17.23%	26.55%
मध्य प्रदेश	23%	27%
गुजरात	21% + 2% cess	23% + 3% cess
राजस्थान	18% + 50 पैसे प्रति लीटर सेस (54 पैसे प्रति लीटर की छूट पृथक से देय है)	28% + 50 पैसे प्रति लीटर सेस

राज्यों के वित्तमंत्रियों की अधिकारिता प्राप्त समिति (एम्पावर्ड कमेटी) द्वारा निर्धारित न्यूनतम कर दर 20 प्रतिशत की तुलना में दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा में डीजल की कर दर कम है। इस सम्बन्ध में पालना कराने हेतु एम्पावर्ड कमेटी का ध्यान आकर्षित किया गया है।

राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

3. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में कुछ माह पूर्व सरकार ने राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस कानून के तहत अधिकारियों में कर्तव्यनिष्ठा आई है?

(3) क्या यह सही है कि इस अधिनियम के तहत जनता को

(श्री अब्दुल सगीर खां)

लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार है? यदि हां, तो जनवरी, 2013 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई एवं सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 को पूर्व में विधान सभा के पटल पर रखा जा चुका है तथा विभाग की वैवसाइट पर भी प्रसारित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु 20 प्रतियां संलग्न हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां । निर्धारित समय सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं होने, आवेदन नामंजूर होने, निर्णय से असंतुष्ट होने पर अधिनियम की धारा-6 में अपील का अधिकार दिया है। धारा-7 में शिकायत पर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का प्रावधान है। विभाग में प्राप्त शिकायतों की सूचना परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है ।

(प्रति व सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग

4. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में प्रदेश में सरकार को विदेशी सहायता के रूप में किस-किस योजना में किन-किन कार्यों के लिये कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों के लिये प्राप्त विदेशी सहायता में से कई मदों में अब तक शत प्रतिशत धनराशि व्यय नहीं की गई है? यदि हां, तो किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि व्यय नहीं की गई और इसके क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त धनराशि व्यय करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है व नहीं, तो क्यों?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(4) क्या सरकार अब शीघ्रातिशीघ्र इस राशि को व्यय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक केन्द्रीय सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त राशि एवं प्रयोजन का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं में सामान्यत: पहले राज्य सरकार राशि व्यय करती है। उसके उपरान्त उसके पुनर्भरण हेतु दावे केन्द्र सरकार के माध्यम से सम्बन्धित बाह्य सहायता एजेन्सी के पास भेजे जाते हैं। सम्बन्धित एजेन्सी केन्द्र सरकार के माध्यम से दावों का पुर्नभरण करती है।

समग्र रूप से गत तीन वर्षों अर्थात 2009-10 से 2011-12 में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त कुल सहायता राशि रु. 1178.50 क़रोड़ के विपरीत रु. 1379.63 क़रोड़ व्यय किये गये हैं। अत: समग्र प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय की गई है। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

उक्त में से निम्न परियोजनाओं में शत प्रतिशत धनराशि व्यय नहीं की जा सकी है। इसका विवरण इस प्रकार है-

इन्टरनेशनल फण्ड फार एग्रीकल्चर डवलपमेन्ट सहायतित मिटिगेटींग पावर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान परियोजना में अपेक्षित राशि व्यय नहीं होने के निम्न कारण है:-

(अ) परियोजना दिसम्बर-2008 से प्रारम्भ हुई किन्तु विधान सभा, लोक सभा चुनाव अल्प अन्तराल मे होने से आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण इस परियोजना की वास्तविक शुरूआत लगभग डेढ़ वर्ष के बाद मई 2010 को हुई।

(ब) उक्त परियोजना के कार्यों को ग्रास रूट लेवल पर गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा सम्पादित किया जाना था, लेकिन इन संस्थाओं के चयन में देरी होने के कारण लक्ष्यों के अनुरूप राशि का व्यय निश्चित समय में नही हो सका ।

(स) चयनित दो गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा परियोजना कार्य को छोड़ने के कारण वांछित प्रगति प्राप्त नही हुई ।

(द) ब्लाक इकाई सांकड़ा के कलस्टर सांकड़ा मे गैर सरकारी संस्था का

(आयोजना मंत्री)

चयन नही होनें पर प्रोजेक्ट फेसलिटेशन टीम (पीएफटी) क़े माध्यम से कार्य प्रारम्भ किया गया, किन्तु सुचारु रूप से कार्य नहीं करने के कारण उसको बंद किया गया। पीएफटी के कार्मिको को हटाकर पीएफटी क्षेत्र में नवीन कार्यकारी गैर सरकारी संस्था के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

राज्य सहभागिता कार्यक्रम जो कि यूरोपियन कमीशन के सहयोग से क्रियान्वित है, में ट्रांच के रूप में राशि रिलीज की जाती है और उसके बाद राज्य सरकार व्यय करती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का शत प्रतिशत व्यय यूरोपियन कमीशन की कुछ शर्तों के विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन होने के कारण नहीं हो पाया है।

एशियन विकास बैंक सहायतित राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम एवं विश्व बैंक सहायतित राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के अन्तर्गत सम्बन्धित बाह्य सहायतित एजेन्सी द्वारा परियोजना के संचालन हेतु प्रारम्भ में भी अग्रिम राशि दी गयी है, जिसका समायोजन परियोजना समाप्ति के आगामी वर्षों/ अंतिम वर्ष के व्यय के पेटे किया जाता है। अत: यह रशि जब तक व्यय का समायोजन नहीं हो जाता है तब तक अवशेष के रूप में ही रहती है। अत: इन परियोजना में राशि अवशेष है।

(3) चूंकि इन अधिकांश परियोजनाओं के अन्तर्गत व्यय होने के बाद ही विदेशी सहायता राशि का पुनर्भरण सम्बन्धित बाह्य एजेन्सी द्वारा किया जाता है। अत: इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(4) राज्य सरकार द्वारा विदेशी सहायता से प्राप्त राशि का व्यय परियोजनाओं की निर्धारित अवधि के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अप्रवासी सम्मेलन में निवेश हेतु प्राप्त प्रस्ताव

5. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में जनवरी 2009 से जनवरी 2013 तक कितनी राशि के निवेश हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए? अनुमानित राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(ओम बिरला)

(2) उक्त में से कितने प्रस्ताव स्वीकृत हो गये तथा कितनों को भूखण्ड अथवा अन्य सुविधायें उपलब्ध करा दी गईं एवं कितनों की इकाइयां स्थापित हो गईं? सूची सदन मेज पर रखें ।

(3) वर्ष 2012 में राज्य में आयोजित किये गए अप्रवासी सम्मेलन में कितनी राशि के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए? दिसम्बर, 2004 से दिसम्बर, 2008 तक रिसर्जेन्ट राजस्थान सहित कुल कितने निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे तथा उक्त में से कितने प्रस्तावों पर निवेश किया जा चुका है? निवेश की राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ऐसे कितने निवेश अथवा औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनके प्रस्ताव दिसम्बर, 2008 से पूर्व प्राप्त हुए थे और स्थापना जनवरी, 2009 के पश्चात हुई? निवेश की राशि सहित निवेशकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक प्राप्त निवेश प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य सीधे तौर पर निवेश आकर्षित करना नहीं था वरन् यह आयोजन प्रवासी भारतीय समुदाय से रिश्ते मजबूत करने की ओर लक्षित था ताकि उनके ज्ञान, कौशल, तकनीकी व वित्तीय संसाधनों के माध्यम से देश एवं राज्य के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ सके। इस आयोजन के दौरान राजस्थान द्वारा विभिन्न क्षेत्र में की गई प्रगति एवं राज्य की विकास योजनायें व सम्भावनाएं शो केस की गई हैं।

दिसम्बर, 2004 से दिसम्बर, 2008 तक रिसर्जेन्ट राजस्थान में प्राप्त निवेश प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(4) दिसम्बर, 2008 से पूर्व एवं जनवरी, 2009 के पश्चात् निवेश अथवा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव निवेशकों सहित परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रशासन शहरों के संग अभियान में पुराने अतिक्रमणों को नियमितीकरण करने हेतु वांछित प्रपत्र

6. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(1) "प्रशासन शहरों के संग अभियान" 2013 में श्रीगंगानगर जिले की विभिन्न नगरपालिकाओं और गंगानगर नगर परिषद द्वारा 31 दिसम्बर, 1991 से 15 अगस्त, 2009 के मध्य के कितने प्रकरणों को पात्र मानते हुए नियमित कर पट्टे जारी किये गये? नगरपालिकावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रशासन शहरों के संग अभियान 2013 में अतिक्रमण के नियमितीकरण की अवधि 31 दिसम्बर, 1991 से 15 अगस्त, 2009 को नियमित करने के लिए पात्र व्यक्तियों से क्या-क्या प्रपत्र वांछित हैं और इस हेतु क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नगरपालिका सादुलशहर में नियमन के कितने प्रकरण लम्बित हैं व क्यों?

(4) क्या सरकार 31 दिसम्बर, 1991 से 15 अगस्त, 2009 के मध्य अतिक्रमण को नियमित करने बाबत बिजली-पानी के बिल और विक्रय इकरारनामा के आधार पर पात्र मानकर पट्टे बनाने के लिए सम्बन्धित नगरपालिकाओं को निर्देश देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) "प्रशासन शहरों के संग अभियान" 2013 में श्रीगंगानगर जिले की नगरीय निकायों द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 1991 से 15 अगस्त, 2009 के मध्य जितने प्रकरणों को पात्र मानते हुए नियमित कर पट्टे जारी किये गये हैं उनका नगरपालिकावार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) "प्रशासन शहरों के संग अभियान" 2013 में अतिक्रमणों को नियमितीकरण किये जाने हेतु 01.01.1991 से पूर्व एवं 01.01.1991 के पश्चात् 15.08.2009 तक राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने पर नियमन की भिन्न-भिन्न दरें है, जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। नगरीय विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1 (ग)नियम/डीएलबी/2001/1 दिनांक 01.1.2002 के अनुसार निम्न साक्ष्य लिए जाते हैं :- **अ**. राशन कार्ड, **ब**. बिजली-पानी का बिल, **स**. मतदाता सूची में नाम, **द**. डाक से प्राप्त पत्र **य**. अन्य कोई साक्ष्य जो यह साबित करे कि प्रार्थी दिनांक 31.12.91 से पूर्व

(स्वायत्त शासन मंत्री)

मकान बनाकर काबिज है। इनके अलावा दो स्वतन्त्र गवाहों के हल्फनामे भी प्राप्त किये जाने होते हैं। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। "प्रशासन शहरों के संग अभियान" 2013 के अन्तर्गत प्रदत्त शिथिलताओं के क्रम में जारी पत्र क्रमांक प.3 (54) नविवि/3/2011 दिनांक 17.10.2012 में अतिक्रमण के नियमन हेतु निर्धारित कट आफ डेट को 15.08.2009 तक बढ़ा दिया गया है।

(3) नगरपालिका सादुलशहर में नियमन के 102 प्रकरण परीक्षणाधीन होने के कारण लम्बित है।

(4) "प्रशासन शहरों के संग अभियान" 2013 में 31 दिसम्बर, 1991 से 15 अगस्त, 2009 के मध्य अतिक्रमण को नियमितीकरण बाबत भाग संख्या 2 के उत्तर में वर्णित साक्ष्यों को ही मान्य किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य साक्ष्य मान्य नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सैन्ट्रल स्पाइन योजना के तहत जगतपुरा में अवाप्त आवासीय कालोनियों की भूमि

7. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम महल, किशनपुरा एवं जीरोता जगतपुरा तहसील सांगानेर जयपुर की भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण एवं रीको लिमिटेड ने एम.ओ.यू. नोट के आधार पर सेन्ट्रल स्पाइन योजना के लिए अवाप्त की गई थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अवाप्ति अधिनियम की धारा (4) धारा (6) के सम्बन्ध में कब-कब अधिसूचनाएं राजस्थान राजपत्र एवं पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित की गईं?

(2) क्या उक्त भूमि के अवाप्ति के सम्बन्ध में सर्व साधारण, भूखण्डधारियों तथा गृह निर्माण सहकारी समितियों से आपत्तियां प्राप्त हुई ? यदि हां, तो इस पर कब-कब सुनवाई की जाकर क्या-क्या निर्णय कब-कब किये गये? प्राप्त आपत्तियों एवं निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि गीता विहार एवं अशोक वाटिका के मध्य अरिहन्त विहार स्थित है? यदि हां, तो अरिहन्त विहार की भूमि को अवाप्त करने एवं गीता विहार एवं अशोक वाटिका की भूमि को अवाप्ति से

(श्रीमती सज्जन कटारा)

मुक्त करने के क्या-क्या कारण रहे? नियमों की प्रतियों सहित तथ्यात्मक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा (4) एवं (6) की कार्यवाही एक वर्ष के भीतर पूर्ण होनी चाहिए? यदि हां, तो क्या उक्त अवधि में उक्त कार्यवाही पूर्ण हो गई? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस दोषपूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? गीता विहार कालोनी के सम्बन्ध में धारा (4) एवं (6) की राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित एवं पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित अधिसूचनाओं की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि अशोक वाटिका, बाल विहार एवं गीता विहार वर्तमान में गुरुकुल विहार की भूमि के खसरा नम्बर भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा (6) के अन्तर्गत राजपत्र में एवं पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित अधिसूचनाओं में भी अंकित है? यदि हां, तो इनको अवाप्ति से मुक्त एवं नियमन किस आधार एवं किन नियमों के अन्तर्गत किया गया तथा शेष कालोनियों की भूमि को अवाप्त किस नियमों के अन्तर्गत किया गया? उक्त अधिसूचनाओं एवं नियमों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त अवाप्त मुक्त तीनों ही कालोनियों में जयपुर विकास प्राधिकरण एवं रीको लिमिटेड तथा तत्कालीन उप सचिव उद्योग (ग्रुप-1) राजस्थान सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वयं एवं उनके रिश्तेदारों के भूखण्ड हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें हुई अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग की जांच कराने तथा शेष कालोनियों को भी अवाप्ति से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? उक्त तीनों ही कालोनियों के भूखण्ड धारियों के नाम, पिता का नाम, पता, भूखण्ड संख्या, क्षेत्रफल सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम महल, श्रीकिशनपुरा, जीरोता, तहसील सांगानेर (जयपुर) की 197.90 हेक्टेयर निजी खातेदारी भूमि की अवाप्ति औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु रीको के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही की गई थी। उक्त निजी भूमि की अवाप्ति हेतु भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की

(उद्योग मंत्री)

धारा 4 एवं धारा 6 के सम्बन्ध में जारी अधिसूचनाओं/उद् घोषणाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

(1) धारा 4 की अधिसूचना :-

(अ) उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 2.6.1997

(ब) राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10.06.1997

(स) राजस्थान पत्रिका में प्रकाशन दिनांक 16.09.1997

(द) राष्ट्रदूत में प्रकाशन दिनांक 17.09.1997

(2) धारा 6 की उदघोषणा :-

(अ) उद्योग विभाग द्वारा जारी उद् घोषणा दिनांक 19.9.1998

(ब) राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 23.09.1998

(स) दैनिक नवज्योति में प्रकाशन दिनांक 15.12.1998

(द) दैनिक भास्कर में प्रकाशन दिनांक 16.12.1998

जयपुर विकास प्राधिकरण एवं रीको के मध्य एम.ओ.यू. दिनांक 08.04.2003 एवं 15.02.2005 को हुआ है।

(2) जी हां। प्राप्त आपत्तियों के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 05.12.97 को की गई थी तथा प्राप्त आक्षेपों को निस्तारण धारा-5(ए) भूमि अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार को प्रेषित प्रतिवेदन में किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है, जिसमें प्राप्त आपत्तियों एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी की अभिशंसा का अंकन है ।

(3) भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 5-ए के अन्तर्गत प्रेषित प्रतिवेदन में गीता विहार एवं अशोक वाटिका की भूमि को अवाप्ति से मुक्ति हेतु प्रस्तावित की गई थी। अरिहन्त विहार की भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने के सम्बन्ध में उक्त प्रतिवेदन में कोई आपत्ति प्राप्त होना एवं मुक्ति हेतु अभिशंसा का अंकन नहीं है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित रिपोर्ट परिशिष्ट-अ पर है।

(4) जी हां। यह सही है कि भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के प्रावधानों के तहत धारा 4 की अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के भीतर धारा 6 की उद् घोषणा जारी होनी चाहिए । उक्त प्रकरण में

(उद्योग मंत्री)

धारा 6 की उद् घोषणा निर्धारित समयावधि में ही जारी हो गई थी । उक्त अवाप्ति प्रकरण में धारा 4 के अन्तिम प्रकाशन की तिथि (स्थानीय चस्पानगी : 20.09.1997) से एक वर्ष की अवधि में अर्थात 19.09.98 को धारा 6 की उद् घोषणा जारी हो गई थी इसलिए इस अवाप्ति प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है। धारा 4 की अधिसूचना एवं धारा 6 की उद् घोषणा का राजस्थान राजपत्र एवं सम्बन्धित समाचार पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट- ब व स पर उपलब्ध हैं।

(5) जी नहीं। अशोक वाटिका, बाल विहार एवं गीता विहार कालोनियों के खसरा नम्बर, जिनका कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को धारा 5-ए के अन्तर्गत प्रेषित प्रतिवेदन में अंकन है, उनका धारा 6 में प्रकाशित उद् घोषणा में अंकन नहीं है। इन खसरा नम्बरों की भूमि को राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 48 के अन्तर्गत दिनांक 19.09.1998 को अधिसूचना जारी कर अवाप्ति से मुक्त किया गया है, यद्यपि धारा 6 बी की उद् घोषणा में खातेदारों के नाम ही अंकित हैं किसी कालोनी या सोसायटी का अंकन नहीं है। धारा 48 की प्रति परिशिष्ट-द एवं राज्य सरकार द्वारा 19.09.98 को जारी अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-य पर है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है।

(6) उक्त अवाप्त मुक्त कालोनियों में रीको के अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्वयं एवं उनके रिश्तेदारों के भूखण्ड होने की जानकारी राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

जयपुर विकास प्राधिकरण एवं रीको के मध्य निष्पादित एमओयू में रीको के हिस्से की भूमि पर तत्समय कोई आवासीय कालोनी बसी हुई नहीं थी अत: रीको की तरफ से अवाप्ति से मुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है। तीनों कालोनियों (बाल विहार, गीता विहार एवं आशेक वाटिका) की भूमि को अवाप्ति प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व ही राज्य सरकार द्वारा अवाप्ति से मुक्त कर दिया था अत: इस बाबत कोई रिकार्ड राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर की कृष्णा सागर योजना में मूलभूत सुविधाएं

8. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

(1) धौलाई, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर स्थित निजी खातेदार की योजना कृष्णा सागर की 90-बी की कार्यवाही की जाकर इस योजना का अनुमोदन कब किया गया? अनुमोदित नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मूलभूत सुविधायें यथा-पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज, रोड लाइट्स एवं पार्कों के रखरखाव के सम्बन्ध में कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त योजना के नजदीक निजी खातेदार की योजनायें यथा-राधा निकुंज, गणेश नगर आदि में काफी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करा दी गई हैं? यदि हां, तो इन सुविधाओं के पेटे सम्पूर्ण विकास राशि जमा कराये जाने के बावजूद कृष्णा सागर योजना को इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों रखा जा रहा है व अब कब तक ये सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी?

(4) उक्त कृष्णा सागर योजना के समस्त भूखण्डधारियों के नामों की सूची मय भूखण्ड संख्या व भूखण्ड की साइज दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) धौलाई, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर स्थित निजी खातेदार की योजना कृष्णा सागर की 90-बी की कार्यवाही दिनांक 01.08.2005 को की गई है तथा योजना का नक्शा अनुमोदन दिनांक 24.08.2004 को किया गया है। अनुमोदित नक्शे की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) निजी खातेदार की कृष्णा सागर आवासीय योजना द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा राशि में से सड़क निर्माण कार्य हेतु अनुपातिक राशि 25.03 लाख रुपये व्यय किये जाने हैं। इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(3) कृष्णा सागर योजना में सड़क निर्माण हेतु 25.03 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(4) कृष्णा सागर योजना के समस्त भूखण्डधारियों के नामों की

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सूची मय भूखण्ड संख्या व भूखण्ड व क्षेत्रफल सहित सदस्यता सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मिटट्ी खनन एवं ईंट भट्टों पर रायल्टी

9. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा मिट्टी खनन एवं ईंट भट्टों पर रायल्टी वसूलने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ईंट भट्टों पर रायल्टी वसूलने हेतु नई नीति तैयार की गई है? यदि हां, तो नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । साधारण मिट्टी एवं ईंट मिट्टी पर देय रायल्टी की दरों का विवरण राजस्थान अप्रधान रियायत नियमावली, 1986 के शिड्यूल-I में है जो परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। शासन की अधिसूचना दिनांक 31.12.2012 के द्वारा इसके नियम 58 में संशोधन किया जाकर अवा-कजावा पद्धति (बगैर चिमनी के ईंट भट्टे) से ईंट बनाने हेतु प्रयुक्त खनिज ईंट मिट्टी को रायल्टी की छूट से हटा दिया गया था, परन्तु शासन पत्र दिनांक 14.2.13 से प्रकरण में पुनर्विचार किये जाने तक नियम 58 में किये गये संशोधन की क्रियान्विति स्थगित की गई है। चिमनी ईंट भट्टों पर रायल्टी की देयता के सम्बन्ध में ब्रिक अर्थ पालिसी 1994, अधिसूचना दिनांक 10.6.94 प्रभावी है । अधिसूचनाओं व पत्र की प्रति क्रमश: परिशिष्ट-2 व 3 पर उपलब्ध है ।

(2) ईंट भट्टों पर रायल्टी वसूलने हेतु नई नीति बनाया जाना शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है ।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर शहर में ट्रैफिक नियन्त्रण हेतु सी.सी.टी.वी कैमरों की उपयोगिता

10. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में ट्रैफिक नियंत्रित करने व कानून व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने हेतु क्लोज सर्किट टी.वी. (सी.सी.टी.वी.) कैमरे लगाये गये हैं? यदि हां, तो कब व कहां-कहां, कितने-कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर शहर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के मामले में क्लोज सर्किट टी.वी. (सी.सी.टी.वी.) कैमरे के फुटेज के आधार पर कितने-कितने, कहां-कहां पर चालान किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सी.सी.टी.वी. कैमरे लाखों रुपये व्यय कर लगाये गये, परन्तु उचित मानिटरिंग नहीं होने से अभी तक इन कैमरों का सदुपयोग नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्यों व इसके लिये कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

(2) जोधपुर शहर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के मामले में क्लोज सर्किट सी.सी.टी.वी. कैमरे के फुटेज के आधार पर दिनांक 05/01/2010 से 10/02/2013 तक मोटर वाहन अधिनियम के तहत निम्नानुसार चालान किये गये हैं :-

क्र.सं.	**स्थान का नाम जहां कैमरा लगा हुआ है**	**किये गये चालानों की संख्या**
01	नई सड़क चौराहा	430
02	जालोरी गेट चौराहा	11
03	पांचवी रोड चौराहा	140
	कुल	**581**

(3) जी नहीं ।

परिशिष्ट 'अ'

क्र.सं.	**स्थान का नाम जहां कैमरा स्थापित है**	**कैमरा स्थापित करने की दिनांक**	**कैमरों की संख्या**
1	पावटा	05.01.2010	01
2	नई सड़क	05.01.2010	01

क्र.सं.	स्थान का नाम जहां कैमरा स्थापित है	कैमरा स्थापित करने की दिनांक	कैमरों की संख्या
3	सोजती गेट	05.01.2010	01
4	रेल्वे स्टेशन चौराहा	05.01.2010	01
5	सरदारपुरा बी रोड	05.01.2010	01
6	घंटाघर	05.01.2010	01
7	माणक चौक	05.01.2010	01
8	एक मीनार मस्जिद	05.01.2010	01
9	बकरा मंडी	05.01.2010	01
10	उदय मंदिर धानमंडी	05.01.2010	01
11	जालोर गेट	05.01.2010	01
12	कटला चौक	05.01.2010	01
13	मंडोर नाका नं. 01	29.10.2010	04
14	सारण नगर नाका नं. 02	29.10.2010	04
15	झालामंड नाका न. 03	29.10.2010	04
16	फिदुसर चौपड़ नाका नं. 04	29.10.2010	02
17	डीपीएस चौराहा नाका नं. 5	29.10.2010	04
18	राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर जोधपुर	जनवरी 2013	05
	कुल		**35**

मानव अंग तस्करी के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

11. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में मानव अंग तस्करी के अनेक प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो 01 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक प्रदेश में कहां-कहां कितने मामले दर्ज किये गये? जिलेवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पकड़े गये मानव अंग तस्करी प्रकरणों में किस-किस अपराधी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? अपराधी के नाम व पते सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(3) क्या यह भी सही है कि मानव अंग तस्करी के प्रकरणों में कई गैर सरकारी संगठन भी दोषी पाये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस जिले में कौन-कौन से गैर सरकारी संगठन एवं उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। 1 जनवरी, 2009 से जनवरी 2013 तक प्रदेश में मानव अंग तस्करी का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।

(2) शून्य।

(3) यह सही नहीं है।

नील (रोज) गायों की वृद्धि पर रोक हेतु कार्य योजना

12. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में नील गायों/रोज की कितनी संख्या है? वर्ष 2009 से 2013 में प्रत्येक वर्ष नीलगायों की संख्या कितनी है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नीलगायों के कारण किसानों की फ़सलों को हो रही क्षति का आंकलन करने की कोई व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) नीलगायों के कारण फ़सलों को हो रही क्षति एवं इनसे हो रही सड़क दुर्घटनाओं के समाधान को दृष्टिगत रखते हुये सरकार की क्या कार्य-योजना है?

(4) नील गायों की संख्या को नियंत्रित करने की सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) वर्ष 2009, 2010, 2011 एवं 2012 का नीलगायों की संख्या का जिलेवार आकलन परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। वर्ष 2013 की वन्यजीव गणना ग्रीष्मकाल में की जायेगी।

(2) नीलगायों से फसलों को नुकसान के आंकलन हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। फसलों को जानवरों से होने वाले नुकसान को नीलगाय से होने वाले नुकसान से पृथक कर आंकलन किया जाना सम्भव नहीं है।

(वन मंत्री)

(3) संवेदनशील क्षेत्रों में वन्यजीवों का आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन सीमा पर मनरेगा के तहत दीवार निर्माण कराया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा फसलों को अत्यधिक क्षति पहुंचाने वाले जानवरों को कृषकों का आवेदन प्राप्त होने पर वन, राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को ऐसे रोजड़ों को एलीमिनेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया है।

(4) फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली नीलगायों को एलीमिनेट करने की स्वीकृति निर्धारित प्रक्रिया से जारी की जाती है। नीलगाय/रोजडा वन्यजीव होने के कारण इनकी संख्या नियंत्रित करने में कठिनाई होने से और कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट 'क'

नीलगायों की संख्या का जिलेवार आंकलन

क्र.सं.	नाम जिला	वर्ष 2009	वर्ष 2010	वर्ष 2011	वर्ष 2012
1.	अजमेर	2609	2615	2910	2304
2.	अलवर	7470	8955	11134	14370
3.	बांसवाड़ा	460	461	377	621
4.	बारां	166	382	416	481
5.	बाड़मेर	684	623	320	613
6.	भरतपुर	1638	1654	1627	1888
7.	भीलवाड़ा	1015	1623	2291	2310
8.	बीकानेर	2082	2350	2328	2275
9.	बून्दी	1743	1694	1806	2455
10.	चित्तौड़गढ़	2450	1983	2334	2355
11.	चूरू	976	1036	871	1015
12.	दौसा	1375	1058	1363	1883
13.	धौलपुर	1254	1251	1023	845
14.	डूंगरपुर	406	559	895	969
15.	गंगानगर	3232	3420	4235	4720
16.	हनुमानगढ़	1306	1266	1752	2580
17.	जयपुर	4394	5670	4726	4249

क्र.सं.	नाम जिला	वर्ष 2009	वर्ष 2010	वर्ष 2011	वर्ष 2012
18	जैसलमेर	595	386	1327	1250
19.	जालोर	367	573	746	1216
20.	झालावाड़	346	333	274	361
21.	झुन्झुनूं	3486	3647	4967	2819
22.	जोधपुर	1456	1952	2336	3326
23.	करौली	682	1583	2031	2021
24.	कोटा	879	992	972	1231
25.	नागौर	4452	2827	3198	3482
26.	पाली	1180	1281	1366	1410
27.	प्रतापगढ़	258	517	694	502
28.	राजसमंद	2247	2512	2733	950
29.	सवाई माधोपुर	6913	9040	7728	11895
30.	सीकर	796	964	1036	1181
31.	सिरोही	888	989	1172	1202
32.	टोंक	2442	2836	1860	2380
33.	उदयपुर	788	892	580	2641

बाल श्रमिकों के उन्मूलन हेतु कार्य-योजना

13. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कितने बाल श्रमिक कार्यरत हैं? गत पांच वर्ष में कितने बाल श्रमिक मुक्त कराये गये? जिलेवार व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बाल श्रम उन्मूलन के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(3) राज्य बाल श्रमिक कोष में कितनी राशि है? यह राशि कब से इस कोष में है तथा गत तीन वर्षों में कितनी राशि बाल श्रमिकों के पुनर्वास पर व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्तमान में राज्य में कोई बाल श्रमिक कार्यरत नहीं है। गत पांच वर्षों में 777 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया जिसकी जिलेवार सूचना निम्न प्रकार है:-

1.	अलवर	3
2.	अजमेर	13
3.	बांसवाड़ा	26
4.	भीलवाड़ा	58
5.	जयपुर	269
6.	कोटा	08
7.	सिरोही	06
8.	डूंगरपुर	137
9.	उदयपुर	257
	योग	**777**

उपरोक्त के अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से 8400 बाल श्रमिकों को चिन्हित एवं मुक्त करवाकर राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत 168 विद्यालयों में शिक्षा प्रदान कर पुनर्वासित किया गया है।

(2) बाल श्रम उन्मूलन हेतु भारत सरकार का बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, राज्य के नियम 1996 पहले से लागू है, जिनका प्रवर्तन श्रम विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत बाल श्रमिकों का चिन्हिकरण, विमुक्तिकरण एवं शिक्षा प्रदान कर पुनर्वास किया जाता है। अत: पृथक से किसी योजना की आवश्यकता नहीं है।

(3) राज्य बाल श्रमिक कोष में 140.15 लाख रुपये जमा हैं। इस राशि को राज्य सरकार के निर्देशानुसार उन्हीं चिन्हित बालकों पर व्यय किया जा सकता है जिनके लिए यह राशि एकत्रित की गई है। अभी तक इस राशि में से कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

सीकर जिले में गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पद

14. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बंशीधर खण्डेला)

(1) जिला सीकर में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों/अधिकारियों के कौन-कौन से पद कितनी-कितनी संख्या में स्वीकृत हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पदों में से कौन-कौन से पद कितनी-कितनी संख्या में रिक्त हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर में गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का पदवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत पदों में से वर्तमान में रिक्त पदों का पदवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर उक्त रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट 'क'

जिला सीकर में (जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम एवं द्वितीय)

गैर-शैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
01	जिला शिक्षा अधिकारी	02	01
02	अतिरिकत जिशिअ.	01	00
03	शै. प्रकोष्ठ अधिकारी	01	00
04	सहायक लेखधिकारी	03	01
05	कनिष्ठ लेखाकार	03	00
06	विधि सहायक	01	00
07	सांख्यिकी निरीक्षक	01	01
08	आशुलिपिक	01	00
09	कार्यालय अधीक्षक	01	01
10	कार्यालय सहायक	30	00

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
11	वरिष्ठ लिपिक	281	63
12	कनिष्ठ लिपिक	235	06
13	जमादार	31	11
14	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	593	38
15	लैब-बाय	18	01
16	फील्डमैन	01	01
	योग	**1203**	**124**

जिला सीकर में जिला शिक्षा अधिकारी-प्रा. शिक्षा सीकर में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों/अधिकारियों के स्वीकृत एवं उनमें से रिक्त पड़े पदों का पदवार संख्या विवरण

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	जिला शिक्षा अधिकारी	01	01
2	प्रधानाचार्य (जिशिअ समकक्ष)	01	-
3	बीईईओ	08	-
4	एबीईओ	26	-
5	शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी	01	-
6	कार्यालय अधीक्षक	02	01
7	स्टेनो	01	-
8	सांख्यिकी निरीक्षक	02	-
9	लेखाकार	02	-
10	कनिष्ठ लेखाकार	08	01
11	कार्यालय सहायक	04	-
12	वरिष्ठ लिपिक	07	01
13	कनिष्ठ लिपिक	44	04
14	जमादार	07	-
15	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	180	28

उपरोक्त सूचना में जिशिअ/बीईईओ/डाइट एवं अधीनस्थ विद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को शामिल किया गया है।

नाथद्वारा के अध्यापकों के लम्बित प्रकरण

15. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत पांच वर्षों में नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से अध्यापक कब-कब से किस-किस राजकीय विद्यालय में पदस्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में किस-किस अध्यापक की पदोन्नति/उच्च वेतनमान कब-कब से लम्बित हैं? पात्रता रखने वाले वंचित अध्यापकों को पदोन्नति/उच्च वेतनमान कब तक प्रदान कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में किस-किस अध्यापक का वेतन स्थरीकरण कब से लम्बित है? उक्त अध्यापकों का वेतन स्थरीकरण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में किस-किस अध्यापक को वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है और किस-किस अध्यापक से उसके मूल शिक्षण कार्य की बजाय अन्य कार्य करवाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक विद्यालय अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? वर्तमान में किस-किस विद्यालय में कुल कितने-कितने पद शिक्षकों के रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि सरकार वर्ष 2012-13 में प्रथम बार शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जिला स्तर की बजाय मंडल/सम्भाग स्तर पर तैयार करवा रही है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या ऐसे शिक्षक जिनका स्थानान्तरण एक ही मंडल के क्षेत्राधीन जिलों में किया गया है, उनकी वरिष्ठता का निर्धारण प्रथम नियुक्ति से किया जायेगा अथवा स्थानान्तरित जिले में कार्य ग्रहण करने की तिथि से किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अनार्थिक के नाम पर कुल कितने विद्यालय बंद किये गये हैं एवं उन्हें पुन: कब तक चालू कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नाथद्धारा में विगत पांच वर्षो से राजकीय विद्यालयों में पदस्थापित अध्यापकों का तिथिवार एवं विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक की द्वितीय वेतन श्रृंखला की विषयवार पदौन्नति प्रक्रिया मंडल स्तर पर जारी है।

उच्च वेतनमान/वेतन स्थिरीकरण के बकाया प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है ।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के अध्यापकों का उच्च वेतनमान/वेतन स्थिरीकरण के लम्बित प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट"घ" में उल्लेखित है।

लम्बित प्रकरणों का निस्तारण जांच के उपरांत सही पाये जाने पर नियमानुसार किया जा सकेगा।

(4) विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के किसी भी अध्यापक को शिक्षण कार्य के बजाय अन्य कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगाया गया है ।

(5) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत छात्र शिक्षक अनुपात नहीं होता है। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात तथा विधालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-"ख" पर तथा रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(6) जी हां। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक : 6/ डीओपी/ए-II/84 दिनांक 18.7.2008 से पूर्व व.अ. के पद पर पदौन्नति हेतु शिक्षकों की वरिष्ठता सूची, जिला स्तर पर राज. शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 23 के अनुसार जिला स्तर पर, जिलेवार बनाये जाने का प्रावधान था । उक्त प्रावधान को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.7.2008 के द्वारा संशोधन किया जाकर, जिला स्तर पर जिलेवार के स्थान पर संभाग स्तर पर, मण्डलवार करवाये जाने के प्रावधान कर दिये जाने के फलस्वरूप विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक अवधि की वरिष्ठ अध्यापक पद की वरिष्ठता सूचियां तैयार की जा रही हैं।

(7) तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण (स्वयं के अनुरोध पर) से किये जाने पर उसकी वरिष्ठता का निर्धारण स्थानान्तरित जिले में कार्यग्रहण करने की तिथि से ही किया जाता

(शिक्षा मंत्री)

है। प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण किये जाने पर वरिष्ठता का निर्धारण प्रथम नियुक्ति तिथि से किया जाता है ।

द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों का एक ही मण्डल के क्षेत्राधीन अन्य जिले में स्थानान्तरण (स्वयं के अनुरोध पर) से किये जाने पर उसकी वरिष्ठता का निर्धारण प्रथम नियुक्ति तिथि से ही किया जा रहा है।

(8) विधान सभा क्षेत्र में क्षेत्र नाथद्वारा के 12 अनार्थिक विद्यालयों को बन्द किया गया है। इन विद्यालयों को चालू किये जाने के प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थियों हेतु वितरित लैपटाप

16. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) व **श्री बाबूसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं, 12वीं कक्षा की परीक्षा में मेरिट के अनुसार बालक-बालिकाओं को पुरस्कार के रूप में लैपटाप दिये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उसकी अनुपालना में कितने बालक-बालिकाओं को उक्त लैपटाप वितरित किया जाना था तथा कितने वितरित किये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वितरित किये गये लैपटाप किस-किस कम्पनी के थे तथा उनका कानफीग्रेशन क्या रखा गया था और किस दर पर खरीदे गये थे? खरीद की प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश के समस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष लर्निंग लैपटाप पुरस्कार में दिये जाने थे? यदि हां, तो अब तक कितने विद्यार्थियों को उक्त पुरस्कार से लाभान्वित किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विशेष लर्निंग लैपटाप किस-किस कम्पनी के थे तथा उनका कानफीग्रेशन क्या रखा गया था और किस दर पर खरीदे गये थे? खरीद की प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि लैपटाप व विशेष लर्निंग लैपटाप्स खरिद के

(श्री ओम बिरला)

लिये कोई निविदा आमंत्रित की गई है यदि हां, तो सफल व असफल निविदा दाताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त लैपटाप कक्षा 10 एवं 12 के क्रमश: 10127 एवं 10313 विद्यार्थियों को वितरित किया जाना है। इनमें से क्रमश: 24 एवं 47 विद्यार्थियों को वितरित किये जा चुके हैं, जिनका जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) वितरित किये गये लैपटाप की कंपनी, कानफीग्रेशन एवं दरों का परिशिष्ट "ख" संलग्न है। इनकी खरीद स्पाट परचेज सिंगल सोर्स के तहत की गयी हैं। शेष लैपटाप के क्रय की कार्यवाही राजकाम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। परन्तु विशेष लर्निंग लैपटाप के स्थान पर कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को भी कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के समान ही न्यूनतम मापदण्ड के लैपटाप वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अब तक कक्षा 8वीं के कुल 30 विद्यार्थियों को लैपटाप वितरित किये जा चुके हैं। जिलेवार विवरण का परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(4) भाग के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार।

(5) विभाग द्वारा लैपटाप खरीद के लिए निविदा आमंत्रित की गयी थी। आमंत्रित की गई निविदा को प्रशासनिक निर्णय के कारण निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व ही निरस्त कर दी गयी। नयी निविदा राजकाम्प इन्फो सर्विसेज लि., जयपुर द्वारा आमंत्रित की गयी है, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट–क

क्र.सं.	जिला	वितरित लैपटाप की संख्या			योग
		कक्षा-8	कक्षा-10	कक्षा-12	
1	बांसवाड़ा	01	-	02	03
2	चित्तौड़	02	-	01	03
3	डूंगरपुर	01	01	01	03
4	राजसमन्द	01	01	01	03
5	प्रतापगढ़	01	01	01	03
6	उदयपुर	01	01	01	03
7	अजमेर	01	01	01	03

क्र.सं.	जिला	वितरित लैपटाप की संख्या			योग
		कक्षा-8	कक्षा-10	कक्षा-12	
8	भीलवाड़ा	-	-	03	03
9	नागौर	01	01	01	03
10	टोंक	01	01	01	03
11	चूरू	01	-	02	03
12	झुन्झुनूं	-	-	03	03
13	बीकानेर	03	-	-	03
14	हनुमानगढ़	-	-	03	03
15	गंगानगर	-	-	03	03
16	जोधपुर	01	01	01	03
17	जैसलमेर	02	-	01	03
18	बाड़मेर	-	-	03	03
19	सिरोही	01	01	01	03
20	पाली	-	02	01	03
21	जालौर	01	-	02	03
22	कोटा	01	02	-	03
23	बारां	-	01	02	03
24	बून्दी	-	02	01	03
25	झालावाड़	01	01	01	03
26	भरतपुर	-	01	02	03
27	धौलपुर	01	01	01	03
28	करौली	-	-	03	03
29	सवाई माधोपुर	-	02	-	02
30	जयपुर	02	01	03	06
31	अलवर	03	-	-	03
32	सीकर	01	01	01	03
33	दौसा	02	01	-	03
	योग	**30**	**24**	**47**	**101**

प्रभारी अधिकारी
विधान सभा प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

परिशिष्ट **'ख'**

S. N.	Mak & Model of Laptop	Specifications	Qty.	Rate (In Rs.)	Amount (In Rs.)
1	HP-650 Notebook	Pentium Dual Core B970 Processor, 2GB RAM, 320 GB Hard Disk, Wireless, Bluthooth, Card Reader, DVD Reader, DVD RW, Win-7 Starter, OEM 15.6" Display, G-Data Anti-virues, 1-Year Warranty.	37	27,610.00	10,21,570.00
2	HP-450 Notebook	Pentium Dual Core B970 Processor, 2GB RAM, 320 GB Hard Disk, Wireless, Bluthooth, Card Reader, DVD Reader, DVD RW, Win-7 Starter, OEM 14" Display, G-Data Antivirues, 1-Year Warranty.	62	27,610.00	17,11.820.00
3	ACER A-0270	Atom Dual core Processor, 2GB RAM, 320GB Hard Disk, 10.1" Display Screen, Wifi, Card Reader, Win-7 Starter.	03	17,800.00	53,400.00

बारां जिले के भवन रहित विद्यालय

17. श्रीमती निर्मला (किशनगंज) व **श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (अन्ता-बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में किन-किन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन नहीं हैं? ब्लाकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालय किस-किस दिनांक को स्वीकृत किये गये एवं फरवरी, 2013 में इनमें किस-किस अध्यापक का पदस्थापन किया गया? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विद्यालयों की किस-किस कक्षा में कितने-कितने छात्र-छात्राओं का नामांकन है? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण नहीं होने के क्या-क्या कारण रहे? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में वर्तमान में भवन विहीन राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का ब्लाकवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालय खोले जाने की दिनांक तथा इनमें कार्यरत अध्यापकों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(3) उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के कक्षावार नामांकन का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(4) उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण नहीं होने के कारणों का विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं के शिक्षण हेतु कार्य-योजना

18. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने शिक्षा से वंचित बालक/बालिकाओं का सर्वे कराया है? यदि हां, तो वर्तमान में कितने बालक/बालिकायें शिक्षा से वंचित हैं एवं किन कारणों से? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा धौलपुर जिले में शिक्षा से वंचित बच्चों का सर्वे कार्य करवाया गया है? यदि हां, तो कितने बच्चे शिक्षा से वंचित पाये गये? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शिक्षा से वंचित बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है?

उत्तर

(1) जी हां। शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं का सर्वे माह जुलाई, 2010 में कराया गया था। वर्तमान में जिलेवार शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की संख्यात्मक सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। बालक-बालिकाओं के शिक्षा से वंचित रहने के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं :-

खेती के काम में/दैनिक मजदूरी।

भाई-बहन या बच्चों की देखभाल।

जानवर चराना।

(शिक्षा मंत्री)

आर्थिक स्थिति कमजोर।

शैक्षिक सुविधाओं का अभाव/विद्यालय से अधिक दूरी।

अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता।

पलायन।

बाल विवाह।

कोई भी संरक्षक नहीं होने के कारण।

बेघर होने के कारण।

(2) जी हां। धौलपुर जिले में शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं का सर्वे कराया गया था। धौलपुर जिले में 16,323 बालक-बालिकाऐं शिक्षा से वंचित पाए गए थे। विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं का आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराकर उनकी दक्षताओं का विकास करने हेतु आवासीय/गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालित किए जाते हैं। बच्चों के पलायन को रोकने हेतु माइग्रेटरी छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त बे-सहारा, अनाथ एवं जिन बालक-बालिकाओं के नजदीकी कोई कमाने वाला संरक्षक नहीं हो तथा ऐसे क्षेत्र जहां राज्य सरकार के मापदण्डानुसार विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं हो, ऐसे बालक-बालिकाओं हेतु राज्य में 8 आवासीय विद्यालय/छात्रावास संचालित हैं।

परिशिष्ट 'क'

जिलेवार वर्तमान में स्कूल से वंचित बच्चों की संख्या

(OOSC)

S. No.	District	OOSC
1	Ajmer	12314
2	Alwar	4547
3	Banswaran	19439
4	Baran	3619
5	Barmer	48189
6	Bharatpur	4802
7	Bhilwara	13527
8	Bikaner	7006
9	Bundi	3702

S. No.	District	OOSC
10	Chittorgarh	12989
11	Churu	1323
12	Dausa	1372
13	Dholpur	1589
14	Dungerpur	11433
15	Ganganagar	5420
16	Hanumangarh	11208
17	Jaipur	20433
18	Jaisalmer	19917
19	Jalore	23024
20	Jhalawar	9832
21	Jhunjhunu	5119
22	Jodhpur	33991
23	Karoli	1399
24	Kota	10156
25	Nagaur	8123
26	Pali	21307
27	Pratapgarh	4053
28	Rajsamand	10276
29	S. Madhopur	7091
30	Sikar	5174
31	Sirohi	25659
32	Tonk	7369
33	Udaipur	34168
	Total	**409570**

परिशिष्ट 'ख'

Assembly wise OoSC in 2010

DISTRICT	Assembly	OOSC		TOTAL
		GIRLS	BOYS	
DHAULPUR	BARI	2612	2298	4910
DHAULPUR	BASERI	2005	1792	3797
DHAULPUR	DHOLPUR	1991	1940	3931
DHAULPUR	RAJAKHERA	1943	1752	3695
		8551	**7772**	**16323**

अलवर शहर विद्यालयों में व्याप्त अनियमितताएं

19. श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र अलवर

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

शहर में सर्व शिक्षा अभियान की ओर से विद्यालयों का भौगोलिक सर्वे किया गया है? यदि हां, तो कितने विद्यालयों का? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भौगोलिक सर्वे के दौरान किन-किन विद्यालयों में क्या-क्या खामियां पाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सर्वे के दौरान विद्यालयों के बंद होने की भी सूचना प्राप्त हुई है? यदि हां, तो अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने विद्यालय हैं? स्कूलों के नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सर्वे के दौरान बंद मिले विद्यालयों से फर्जी स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जारी करने के मामले भी सामने आये हैं? यदि हां, तो कितने व किस-किस विद्यालयों के? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या फर्जी स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जारी करने वाले विद्यालयों/संस्थाप्रधानों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 488 विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) भौगोलिक सर्वे (जी.आई.एस.) में केवल विद्यालय के देशांतर व अक्षांश रिकार्ड किये गये थे। विद्यालयों से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी संकलित नहीं की गई थी।

(3) जी हां। भौगोलिक सर्वे (जी.आई.एस.) के दौरान 44 निजी विद्यालय बंद पाये गये जिनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(5) बिन्दु संख्या 04 के उत्तर के अनुसार कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अध्यापक

20. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं? विषयवार स्वीकृत

(श्री अभिषेक मटोरिया)

पद एवं कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं में से कितने अध्यापक/अध्यापिकाएं शिक्षण कार्य को छोड़कर प्रतिनियुक्ति पर उसी विभाग में अथवा अन्य विभाग में पदस्थापित हैं? उक्त अध्यापक कितने समय से इस कार्य को कर रहे हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र कब-कब आमंत्रित किये गये तथा कितने शिक्षकों को नियुक्ति दी गई? वर्षवार व विषयवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में शिक्षा के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र सं.	पदनाम	माध्यमिक शिक्षा			प्रारम्भिक शिक्षा		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	प्रथम श्रेणी	21361	12452	8909	-	-	-
2.	द्वितीय श्रेणी	62128	43164	18964	30967	20943	10024
3.	तृतीय श्रेणी	12583	7671	4912	228471	200594	27877

राज्य में शिक्षकों के पदों पर दी गई नियुक्तियों का विवरण परिशिष्ट-'क' पर तथा राज्य में संचालित विद्यालयों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्वीकृत एवं कार्यरत अध्यापकों/अध्यापिकाओं का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं में से शिक्षण कार्य को छोड़कर प्रतिनियुक्ति पर उसी विभाग में अथवा अन्य विभाग में पदस्थापित अध्यापक/अध्यापिकाओं की जिलेवार सूची परिशिष्ट-'ग' पर संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा विगत 4 वर्षों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आमन्त्रित आवेदन पत्रों एवं प्रदत्त नियुक्तियों का वर्षवार व विषयवार विवरण परिशिष्ट-'घ' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष बालक/बालिकाओं के विकास हेतु संचालित योजनाएं

21. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 व 2012-13 में जारी कार्य योजना व राज्य द्वारा तय की गई कार्य योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य में शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों व बालिका विशेष के लिये कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2003-04 से 15 जनवरी, 2012 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों व बालिका विशेष के लिये स्वीकृत राशि, उपलब्ध राशि व व्यय राशि का मदवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 व 2012-13 में जारी कार्य योजना की प्रति व राज्य सरकार द्वारा तय की गई कार्य योजना की प्रति क्रमश: परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

(2) सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों व बालिका विशेष के लिए संचालित की जा रही योजनाओं की प्रति परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2003-04 से 15 जनवरी, 2012 तक प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों व बालिका विशेष के लिए संचालित योजनाओं के स्वीकृत राशि व व्यय राशि का जिलेवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर जिले में संचालित विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं

22. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अब्दुल सगीर खां)

(1) धौलपुर जिले में कितने ऐसे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनके पास स्वयं के भवन हैं तथा इनमें छात्र-छात्राओं के लिये शौचालय, वाशरूम उपलब्ध हैं और क्या इनमें स्वच्छ पेयजल व्यवस्था है? विवरण मय विद्यालय के नाम व स्थान सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) धौलपुर जिले में ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है?

(3) क्या सरकार जिला धौलपुर में संचालित विद्यालयों में शौचालय, पानी, बिजली की सुविधा मुहैया करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग द्वारा कराये गये डाइस सर्वेक्षण 2011 के अनुसार धौलपुर जिले में ऐसे 961 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिनके पास स्वयं के भवन हैं तथा इनमें शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था है। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनके पास स्वयं के भवन हैं तथा जिनमें छात्र-छात्राओं के लिए शौचालय, वॉशरूम तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है, के नाम एवं स्थानवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(2) धौलपुर जिले में वर्तमान में 27 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की स्थाई व्यवस्था नहीं है, परन्तु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मटके, स्टील की टंकी आदि के निकट के स्त्रोत से भरने की व्यवस्था है।

धौलपुर जिले में ऐसा कोई भी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, जिनमें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है।

(3) जी हां। धौलपुर जिले में संचालित समस्त स्वयं के भवन वाले राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय (टी.एस.सी. योजना अन्तर्गत) तथा पेयजल सुविधा (पी.एच.ई.डी. के माध्यम से) मार्च, 2013 तक उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन कराये जाने का प्रावधान नहीं है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विद्यालयों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव हो सकेगा।

(शिक्षा मंत्री)

जिला धौलपुर में संचालित राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर के समस्त विद्यालयों में शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था है, जिन विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था नहीं है, उन्हें स्थानीय प्रशासन के सहयोग से शीघ्र बिजली कनेक्शन करवाये जाने के निर्देश पूर्व से ही विभाग स्तर पर प्रसारित किये जा चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में गार्गी पुरस्कार की तर्ज पर पुरस्कृत छात्र

23. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बालिकाओं को दिये जाने वाले गार्गी पुरस्कार की तर्ज पर बालकों को पुरस्कार दिये जाते हैं? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के प्रारम्भ से अब तक अलवर जिले में कितने बालकों को पुरस्कृत किया गया है? प्रत्येक बच्चे का नाम पता सहित वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत वर्ष 2009 से वर्ष 2012 तक कितने बालकों को लाभान्वित किया गया? प्रत्येक बालक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) योजना लागू नहीं होने से बालकों को पुरस्कृत नहीं किया गया।

(3) योजना लागू नहीं होने से बालकों को पुरस्कृत नहीं किया गया।

बाड़मेर जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद

24. श्री पदमाराम (चौहटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने व कब से व क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पदमाराम)

(2) बाड़मेर जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में द्वितीय श्रेणी एवं व्याख्याता के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सीमावर्ती क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यो के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

प्रधानाचार्यो के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) बाड़मेर जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में द्वितीय श्रेणी अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही उक्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बहरोड़ में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत कार्य

25. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत पांच वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस-किस विद्यालय में कितनी-कितनी राशि से क्या-क्या कार्य स्वीकृत हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? कितने कार्य पूर्ण हो चुके और कितने शेष हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड में गत पांच वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 162 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रु. 634.25 लाख के कुल 507 विभिन्न कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनका विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) उक्त स्वीकृत 507 कार्यों में से 494 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 13 कार्य प्रगतिरत हैं विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गुडलिया, जयपुर की चारदीवारी का निर्माण

26. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुडलिया जिला जयपुर के भवन व भूमि का मानचित्र सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालय की भूमि को अतिक्रमण से बचाने व सुरक्षा की दृष्टि से चारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा विद्यालयों की भूमि पर चारदीवारी बनाये जाने के लिये कोई योजना अथवा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गुडलिया, जिला जयपुर के भवन व भूमि का मानचित्र परिशिष्ट-"क" व "ख" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर चारदीवारी निर्माण के प्रस्तावों की समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आंकलन किया जाकर, चारदीवारी निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(3) जी हां। चारदीवारी रहित विद्यालयों में सांसद/विधायक कोष या अन्य उपलब्ध कोष से चारदीवारी निर्माण कार्य स्वीकृत करवाये जाने हेतु समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला शिक्षा अधिकारियों (माध्यमिक/प्रारम्भिक) को आवश्यक कार्यवाही करने बाबत पत्र क्रमांक प.13(73)शिक्षा-6/2011 दिनांक 09.01.2013 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है (प्रति परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है)।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति हेतु निर्धारित मानदण्डों में शिथिलता

27. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो प्रदेश में कुल कितने केन्द्र संचालित हैं और उनसे कितने बच्चे एवं महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में लोग छितराई ढाणियों में बसते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बच्चे एवं महिलाओं के पोषण एवं चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने हेतु आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए आवश्यक मानदण्डों में शिथिलता देते हुए स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भौगोलिक विषम परिस्थितियों के कारण बाड़मेर एवं जैसलमेर में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने में शिथिलता प्रदान करने के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं? यदि हां, तो तद्सम्बन्धित पत्रों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में वर्तमान में माह दिसम्बर 2012 तक 54095 आंगनबाड़ी केन्द्र व 5136 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 44 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र राज्य मद से संचालित है, जिनमें 2791470 बच्चे एवं 904052 महिलाएं लाभान्वित हो रही है।

(2) आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए आवश्यक मानदण्डों के आदेशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी, नहीं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्रामीण परिवहन व्यवस्था संचालन हेतु कार्य-योजना

28. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण परिवहन व्यवस्था के नाम से कोई

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

योजना बनाई गई है? यदि हां, तो यह योजना किस-किस जिले में लागू की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्रामीण क्षेत्र में उक्त परिवहन व्यवस्था को निजी आपरेटरों के सहयोग से संचालित किया जायेगा? यदि हां, तो क्या उक्त बसों का घाटा परिवहन विभाग ही वहन करेगा? यदि हां, तो किस आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2011-12 की अनुपालना में यह योजना उदयपुर, करौली, दौसा, तिजारा (जिला अलवर) में पीपीपी मोड पर तथा अजमेर एवं डूंगरपुर जिलों में निगम बसों द्वारा ग्रामीण परिवहन सेवाऐं प्रारम्भ की जा चुकी हैं।

(2) जी हां। इन बसों का घाटा परिवहन निगम के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा। इन बसों द्वारा संचालित कि.मी. के आधार पर निजी आपरेटरों को रुपये 9.32 प्रति कि.मी. की दर से (अन्तर की राशि) VGF (Viability Gap Funding) का भुगतान किया जायेगा।

बाड़मेर जिले के निगम बस सेवा रहित ग्राम पंचायत मुख्यालय

29. श्री पदमाराम (चौहटन) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में ग्रामीण बस सेवा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालयों को निगम बस सेवा से जोड़ दिया गया है? यदि हां, तो किस ग्राम पंचायत को एवं कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में सीमावर्ती तहसील मुख्यालय सेड़वा की किसी ग्राम पंचायत को ग्रामीण बस सेवा से जोड़ा गया है? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो अब कब तक जोड़ दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा संचालन की दृष्टि से दिनांक 17.11.2012 को निविदाऐं आमंत्रित की गई थीं। परन्तु निविदादाता नहीं आने के कारण पुन: निविदाऐं दिनांक 14.02.2013 को आमंत्रित की गई हैं। जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 30.04.2013 है।

(यातायात मंत्री)

(2) जी नहीं। राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा संचालन के सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति प्रश्न के भाग संख्या "1" में अंकितानुसार है। इस योजना में सेड़वा तहसील की ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित की गई हैं।

इस योजना के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय सेड़वा जिला बाड़मेर की बस सेवा से वंचित परिशिष्ट "1" पर संलग्न ग्राम पंचायतों के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने तथा उन्हें अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात ही ये ग्राम पंचायतें ग्रामीण परिवहन सेवा से जुड सकेंगी।

परिशिष्ट-1

राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय सेड़वा की ग्राम पंचायतों की स्थिति

योजना के अन्तर्गत जुड़ने वाली ग्राम पंचायतें

1. चिचडासर
2. बीजासर
3. बुरान का तला
4. सालारियां
5. हरपालिया
6. जानपालिया
7. वीसासर
8. मीठे का तला
9. सरूपे का तला
10. तरला
11. हाथला
12. भवरिया
13. झडपा
14. तालसर
15. इटादा
16. फागलिया
17. सारला

18. नवातला जेत.

19. पनोरिया

20. बावरला

21. सावा

22. शोभाला जेत.

बूंदी मे नई कृषि मण्डी का निर्माण प्रकरण

30. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बून्दी में नई कृषि मण्डी के निर्माण हेतु जमीन कब आवंटित की गई तथा इस हेतु कितना पैसा कब जमा हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बून्दी में नई कृषि मण्डी के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसका निर्माण कब पूर्ण होना प्रस्तावित है?

(3) उक्त मण्डी के निर्माण में विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है और क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, बून्दी के नये मण्डी यार्ड हेतु जिला कलक्टर बून्दी के आदेश संख्या 36 दिनांक 1.12.10 के द्वारा 368.06 बीघा भूमि आबंटित की गई। इस हेतु मण्डी समिति द्वारा दिनांक 31.3.10 को राशि 2,10,32,431/- रुपये एवं दिनांक 27.5.10 को राशि एक करोड रुपये कुल राशि 3,10,32,431/- रु. कोष कार्यालय बून्दी में जमा कराई गई। मण्डी समिति द्वारा दिनांक 27.6.11 को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।

(2) बून्दी में नई कृषि मण्डी में वर्तमान में निर्माण कार्य चारदिवारी मय गेट एवं चैकपोस्ट का कार्य ही स्वीकृत एवं निर्माणाधीन है। उक्त कार्य दिनांक 11.4.13 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) स्वीकृत निर्माणाधीन कार्य में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-1 का विवरण)

परिशिष्ट 'अ'

क्र.सं.	जिला	हथियार जब्त होने के कितने प्रकरण दर्ज हुए	कितने प्रकरणों में चालान हुआ
1	**2**	**3**	**4**
1.	अजमेर	538	528
2.	भीलवाड़ा	413	408
3.	नागौर	149	143
4.	टोंक	172	169
5.	जयपुर उत्तर	59	56
6.	जयपुर दक्षिण	85	82
7.	जयपुर पूर्व	60	58
8.	जयपुर पश्चिम	97	94
9.	जयपुर मुख्यालय	0	0
10.	जयपुर ग्रामीण	99	99
11.	झुंझुनूं	56	56
12.	सीकर	102	96
13.	दौसा	54	54
14.	अलवर	320	294
15.	बीकानेर	199	199
16.	चूरू	93	91
17.	गंगानगर	300	291
18.	हनुमानगढ़	294	294
19.	भरतपुर	637	614
20.	सवाई माधोपुर	106	102
21.	धौलपुर	427	411
22.	करौली	153	148
23.	जोधपुर पूर्व व जोधपुर पश्चिम	331	326

1	2	3	4
24.	जोधपुर ग्रामीण	137	131
25.	जालौर	103	103
26.	जैसलमेर	37	36
27.	बाड़मेर	37	37
28.	पाली	245	245
29.	सिरोही	401	401
30.	कोटा शहर	2256	2239
31.	कोटा ग्रामीण	759	755
32.	बून्दी	707	707
33.	झालावाड़	1841	1841
34.	बारां	1301	1301
35.	उदयपुर	34	34
36.	बांसवाड़ा	3	3
37.	चित्तौड़गढ़	83	83
38.	डूंगरपुर	46	45
39.	राजसमंद	339	339
40.	प्रतापगढ़	52	51
41.	जी आर पी अजमेर	11	9
42.	जी आर पी जोधपुर	29	28
43.	ए.टी.एस. व एस.ओ.जी. जयपुर	7	6
	कुल योग	**12852**	**12713**

परिशिष्ट 'ब'

क्र.सं.	**जिला**	**2011-12 में कितने लाईसेंस रद्द किये**	**कितने हथियार जब्त किये**
1	**2**	**3**	**4**
1.	अजमेर	8	6
2.	भीलवाड़ा	16	16

1	2	3	4
3.	नागौर	9	7
4.	टोंक	17	17
5.	जयपुर उत्तर	0	0
6.	जयपुर दक्षिण	0	0
7.	जयपुर पूर्व	0	0
8.	जयपुर पश्चिम	0	0
9.	जयपुर मुख्यालय	0	0
10.	जयपुर ग्रामीण	0	0
11.	झुंझुनूं	0	0
12.	सीकर	3	3
13.	दौसा	0	0
14.	अलवर	10	10
15.	बीकानेर	0	0
16.	चूरू	0	0
17.	गंगानगर	64	64
18.	हनुमानगढ़	0	0
19.	भरतपुर	0	0
20.	सवाई माधोपुर	0	0
21.	धौलपुर	0	0
22.	करौली	0	0
23.	जोधपुर पूर्व व जोधपुर पश्चिम	5	5
24.	जोधपुर ग्रामीण	0	0
25.	जालौर	2	2
26.	जैसलमेर	0	0
27.	बाड़मेर	0	0
28.	पाली	0	0
29.	सिरोही	18	18
30.	कोटा शहर	1	1
31.	कोटा ग्रामीण	4	2

1	2	3	4
32.	बून्दी	75	75
33.	झालावाड़	29	21
34.	बारां	1	1
35.	उदयपुर	3	3
36.	बांसवाड़ा	0	0
37.	चित्तौड़गढ़	0	0
38.	डूंगरपुर	1	1
39.	राजसमंद	4	4
40.	प्रतापगढ़	0	0
41.	जी आर पी अजमेर	0	0
42.	जी आर पी जोधपुर	0	0
43.	ए.टी.एस. व एस.ओ.जी. जयपुर	0	0
	कुल योग	**270**	**256**

परिशिष्ट 'स'

क्र.सं.	**जिला**	**नवीनीकरण हेतु लम्बित लाईसेंसों की संख्या**
1	**2**	**3**
1.	अजमेर	9
2.	भीलवाड़ा	16
3.	नागौर	803
4.	टोंक	156
5.	जयपुर जिला	11
6.	जयपुर कमिश्नरेट	43
7.	झुंझुनूं	67
8.	सीकर	5
9.	दौसा	48
10.	अलवर	65
11.	बीकानेर	281
12.	चूरू	15

1	2	3
13.	गंगानगर	174
14.	हनुमानगढ़	142
15.	भरतपुर	286
16.	सवाई माधोपुर	65
17.	धौलपुर	116
18.	करौली	179
19.	जोधपुर जिला	116
20.	जोधपुर कमिश्नरेट	20
21.	जालौर	5
22.	जैसलमेर	213
23.	बाड़मेर	19
24.	पाली	23
25.	सिरोही	22
26.	कोटा	19
27.	बून्दी	0
28.	झालावाड़	222
29.	बारां	70
30.	उदयपुर	74
31.	बांसवाड़ा	34
32.	चित्तौड़गढ़	24
33.	डूंगरपुर	01
34.	राजसमंद	14
35.	प्रतापगढ़	0
	कुल योग	**3357**